लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 28 मई, 1971/7 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 5, Friday, May 28, 1971/Jyaistha 7, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
121. मार्च, 1971 में इंडियन एयर-लाइन्ज में की गई तालाबन्दी के फलस्वरूप हुई क्षति	Loss suffered due to Lock out during March, 1971 in the Indian Airlines ..	1—4
122. केरल के कोवलम समुद्री तट का प्रमुख पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Kovalam Beach in Kerala as a Major Tourist Centre ..	4
123. जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में लगाई गयी पूंजी	Life Insurance Corporation Investments in Public and Private Sector ..	4—7
124. पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में गिरावट	Fall in the value of Pakistani Rupee ..	7—10
125. पी० एल० 480 की निधियों का उपयोग	Utilisation of P. L. 480 Funds .	10—12
126. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारियों का सम्मेलन	Conference of All India Bank Employees ..	12—15
128. जम्बो जेट विमानों की उड़ानों के संचालन के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ समझौता	Agreement with United Kingdom regarding Operation of Jumbo Jets ..	15—17
130. वैयक्तिक जमानत पर लोगों के ऋण देने के बारे में सरकार की नीति	Policy of Government re. Advancing of Loans to Persons on Personal Surety ..	17—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
127. आय कर सुधारों के सम्बन्ध में भूथलिंगम समिति का प्रतिवेदन	Bhoothalingam Committee's Report on Income Tax Reforms	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
129. लघु उद्योगों को ऋण देने के बारे में भारत के स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया परिपत्र	Circular issued by State Bank of India regarding Credit to small scale Industries	..	18
131. तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें	Recommendations of the Third Pay Commission	..	19
132. पूर्वी बंगाल से आने वाले शिक्षाविज्ञों, प्रोफेसरों तथा अध्यापकों को निर्वाह भत्ता	Maintenance Allowance to Educationalists, Professors and Teachers from East Bengal	..	19—20
133. बंगला देश से आये विश्वविद्यालय अध्यापकों को सहायता	Assistance to University Teachers from Bangla Desh	..	20
134. वर्ष 1971-72 के लिये राज्यों के घाटे के बजट	Deficit Budgets of States for the year 1971-72	..	20—21
135. राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अप्रैल, 1971 में बैठक	Meeting of the Chief Executives of Nationalised Banks in April, 1971	.	22
136. आयकर विभाग द्वारा छापे	Raids by the Income Tax Department	..	22—23
137. राष्ट्रीय व्यवाहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा मूल्यों के बारे में अध्ययन	Study made by the National Council of Applied Economic Research regarding Prices	..	23
138. उड़ीसा में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Orissa	..	23
139. इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा हड़तालों के कारण उठाई गई भारी हानि	Heavy Losses suffered by Indian Airlines due to Strikes	..	23—24
140. आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax	..	24
141. भारत पाकिस्तान ब्रिटेन मार्ग पर भाड़े की सामान्य दरों में वृद्धि	Increase in the General Freight Rates on India Pakistan UK Route	.	24—25
142. बीड़ी बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले तम्बाकू पर उत्पादन कर	Excise duty on Tobacco used in Beedi Manufacture		25
143. भार वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिये पोत उपलब्ध करने सम्बन्धी योजना	Plan to acquire Ships to increase Tonnage	.	25—26
144. केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का हिन्दी माध्यम	Hindi Medium in Kendriya Vidyalayas	..	26
145. पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात समझौता	Agreement for Imports under PL 480 Programme	..	26—27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
146. मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila University ..	27—28
147. छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins ..	28—29
148. विदेशी बैंकों को नियंत्रण में लेना	Taking over of Foreign Banks ..	29
149. पिछड़े ईसाई समुदाय को सुविधायें	Concessions to Backward Christian Community ..	29
150. भारत ब्रिटेन योरोप मार्ग पर नौवहन भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in the Shipping Freight Rates on India U.K. Europe Route ..	29—30
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
609. आसाम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37	National Highway No. 37 in Assam	30
610. अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति का प्रतिवेदन	Inland Water Transport Committee Report ..	30—31
611. दिल्ली में स्कूलों के लिये पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता	Availability of School Text Books in Delhi ..	31
612. पुस्तकों का आयात	Import of Books .	31
613. गुजरात में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को दिये गये ऋण	Loans advanced to different Categories of people by the State Bank of India in Gujarat ..	32
614. गुजरात में सड़कों की कमी	Lack of proper Roadways in Gujarat ..	32
615. अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये गुजरात को सहायता	Assistance to Gujarat for Drought Affected areas ..	32—33
616. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का पद	Post of Commissioner of S.C. & S. T. ..	33
617. हरिजन कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Harijan Welfare Board ..	33—34
618. उड़ीसा में स्कूल के बच्चों को विटामिनयुक्त भोजन के निशुल्क वितरण की योजना	Scheme for Free Distribution of Vitaminised Food to School Children in Orissa ..	34—35
619. बिड़ला बन्धुओं द्वारा अमृतसर की ओ० सी० एम० कम्पनी को अपने अधिकार में लेना	Taking over of O.C.M. Amritsar by Birla ..	35
621. एस्कोर्ट्स लिमिटेड के कार्य परिणाम	Working Results of Escorts Limited ..	35—36
622. सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एककों द्वारा स्टाकों का जमा किया जाना	Building up of Inventories by Industrial Units in Public Sector ..	36—37
624. रम (शराब) की चोरबाजारी	Blcack Marketing of Rum	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
625. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रति नियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees on deputation to Public Undertakings ..	37
626. भारत-जापान व्यापार सहयोग	Indo-Japan Trade Co-operation ..	38
627. भारतीय समुद्रतटीय सम्मेलन द्वारा नमक ढुलाई के लिये निर्धारित भाड़े की दरों में वृद्धि	Raising of Freight Rates of Salt Despatches by ICC ..	38—39
628. नेपाल से शराब की तस्करी	Smuggling of liquor from Nepal ..	39
629. राजस्थान आबकारी विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निरीक्षकों की भर्ती	Recruitment of Inspectors belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Excise Department Rajasthan ..	39
630. विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of various consumer Goods ..	39—41
631. नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकों में अनुवाद तथा मुद्रण सम्बन्धी गलतियां	Mistakes in Books Translated and printed by National Book Trust .	41—42
632. सड़क कर आदि जमा करने में कठिनाई	Inconvenience caused in depositing Road Tax etc. ..	42
633. छोटी बचत योजनाओं के अधीन जमा राशि	Deposits under small savings Schemes .	42—43
634. दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिये एयर इण्डिया के सुझाव	Suggestion from Air India for solving day to day problem ..	43
635. अमेरिका से सहायता	Assistance from USA ..	43—44
636. अंडमान के लिये विद्यालय उप-निरीक्षक का पद	Post of Dy. Inspector of Schools Andamans.	44
637. केरल में त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन हवाई अड्डों के विस्तार का प्रस्ताव	Proposals to expand Trivandrum and Cochin Airports in Kerala ..	44—45
638. राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति	Credit Policy of Nationalised Banks ..	45—46
639. आयकर विभाग में भर्ती तथा पदोन्नति की पद्धति	Mode of Recruitments and promotions in Income Tax Department ..	46—47
640. एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गये मामले	Cases referred to Monopolies and Restrictive Trade Practice Commission ..	47
641. पूंजी निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposals for Capital Investment	47—48
642. मिथ्या संसद् (माक पार्लियामेंट) कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति	Progress made in popularising Mock Parliament Programme ..	48

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

643.	जम्बोजेट विमान सेवा आरम्भ हो जाने से एयर इण्डिया की आय में वृद्धि	Air India's earnings due to operation of Jumbo Jets ..	49
644.	भारतीय फर्मों को ठेके न दिये जाने में ब्रिटिश तथा पश्चिम-जर्मनी फर्मों का हाथ	British and West German Engineering Firms keeping out Indian Firms from contracts .	49—50
645.	केनेडा से ऋण	Loan from Canada	50
646.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के बारे में केन्द्रीय कर्मचारी जनगणना प्रतिवेदन	Central Staff Census Report regarding Pay of Central Government Employees ..	50—51
647.	दिल्ली के मैसर्ज सन्दूमल राम स्वरूप से आयकर की वसूली के बारे में जांच	Enquiry into Recovery of Income Tax from M/s Sundoomal Ram Swaroop of Delhi ..	51
648.	उज्जैन शहर में छत्री चौक पर खुदाई कार्य	Excavation work at Chhatri Chowk in Ujjain City ..	51—52
649	मध्य प्रदेश में सिन्ध नदी पर पुल का निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Construction of Bridge on Sindh River in M. P. ..	52
650.	अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of Opium ..	52
652.	चौपाटी (बम्बई) पर तस्कर वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods at Chowpati Bombay ..	52—53
653.	कानपुर के रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं के कर्मचारियों की मांगें	Demands made by Employees of the Branch of Reserve Bank of India Kanpur ..	53
654.	इण्डियन एयर लाइन्स के मुख्य अभियन्ता श्री एच० ई० बर्गेंजा तथा दो अन्य व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में की गई जांच	Enquiry held into the Death of H. E. Braganza, Chief Engineer of Indian Airlines and two others ..	53—54
655.	जीवन बीमा निगम की बने बनाए पुराने मकानों को खरीदने के लिये ऋण सुविधाएं देने की योजना	Scheme to provide loan facilities to Purchase ready made old Houses by Life Insurance Corporation ..	54—55
656.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तमिलनाडु में खोले गये नये कार्यालय	New Offices opened by Nationalised Banks in Tamil Nadu ..	55—56
657.	आयकर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Arrears of Income Tax ..	56—57
658.	पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में सम्पर्क स्थापित होना	Interlocking in Public Limited Companies and Private Limited Companies ..	57—58

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

659. तूतीकोरिन में हवाई अड्डा बनाने की योजना	Proposal to Construct an Aerodrome in Tuticorin .	58
660. तूतीकोरिन पत्तन के नाम में परिवर्तन	Change in the name of Tuticorin Port	58—59
661. राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकाला जाना	Overdrafts by the States ..	59—60
662. भारत द्वारा जम्बो जेट विमानों की खरीद	Acquisition of Jumbo Jets by India ..	61—62
663. बंगला देश के विस्थापितों द्वारा मुद्रा विनिमय	Exchange of Currency brought by Refugees from Bangla Desh ..	62
664. बंगला देश से आ रहे शरणार्थियों को दी गई जाली मुद्रा	Fake currency given to Refugees coming from Bangla Desh ..	62—63
665. केरल में गुरुवयूर को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Guruvayoor in Kerala as Tourist Centre ..	63
666. राष्ट्रीय राज पथ सं० 47	National Highway No. 47 ..	63
667. सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम को अपने अधिकार क्षेत्र में लिये जाने का प्रस्ताव	Proposal to take over Delhi Transport undertaking ..	63—64
668. बाह्य दिल्ली संसदीय चुनाव क्षेत्र में स्कूलों की संख्या	Schools in Outer Delhi Parliamentry Constituency ..	64
669. दिल्ली में स्कूलों के बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा	Free and Compulsory Education for School Children in Delhi ..	64
670. बेरोजगार कार्मशियल पायलटों की मांगें	Demands of the Unemployed Commercial Pilots ..	65
671. गैर सरकारी होटलों को वित्तीय सहायता	Financial Help to Private Hotels ..	65
672. कलकत्ता का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting Calcutta .	66
674. ठक्कर समिति का प्रतिवेदन	Thakar Committee Report ..	66—68
675. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना पर होने वाला व्यय	Expenditure in Setting up of Jawaharlal Nehru University ..	68
676. रोजगार उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये ऋण देने के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति का गठन	Setting up of a Committee by Reserve Bank regarding flow of Credit to Implement employment Generating Projects ..	68—69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
677. जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य से बच्चों के लिये शिक्षा अनुदान	G. D. R. Educational Aid for Children ..	69
678. पश्चिमी बंगाल में जीवन बीमा कारपोरेशन द्वारा विनियोजन	Life Insurance Corporation's Investment in West Bengal ..	69
679. देशों के समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय नौवहन का वर्तमान भाग	Present Share of Indian Shipping in the Country's Overseas Trade ..	70
680. एयर इण्डिया द्वारा होटल बनाने की योजना	Plans to Build Hotels by Air India ..	70—71
681. मदर्स इन्टरनेशनल स्कूल नई दिल्ली के अध्यापकों द्वारा हड़ताल	Strike by Teachers of Mother's International School, New Delhi ..	71
683. शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Changes in Education System ..	71—72
684. शिक्षित/प्रशिक्षित युवकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Educated Trained Youths ..	72
685. बिहार में पारसनाथ का एक केन्द्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना	Scheme to Develop Parasnath in Bihar into a central Tourist Centre ..	72
687. सर्वोत्तम (टाप क्लास) पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	Setting up a Top Class Tourist Training Institute ..	72—73
688. यूनीसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि) से सहायता	Assistance from UNICEF ..	73
689. एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार क्रिया अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन	Violation of Provisions of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ..	73—74
690. तस्करी रोकने के लिये होवर क्राफ्टों की खरीद	Purchase of Hover-Crafts to Check Smuggling ..	74
692. तमिल नाडु में कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Companies in Tamil Nadu ..	74
693. पी० एल० 480 निधि का उपयोग	Utilisation of P. L. 480 Funds ..	75—76
694. भारत में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Capital Investment in India ..	76—77
695. इण्डियन एयर लाईन्ज के संगठन तथा प्रशासनिक ढांचे से सम्बन्धित अध्ययन समिति	Committee on the Organisational and Administrative Structure of Indian Airlines ..	78
696. अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि	Amount Received under the Small Savings Schemes ..	78—79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
697. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की छोटे सैटेलाइट कार्यालयों सम्बन्धी योजना	Satellite Offices scheme of the State Bank of India ..	79—80
698. इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग विमानों का अर्जन	Acquisition of Boeing Planes by Indian Airlines ..	80
699. राज्यों की सरकारों द्वारा त्रिभाषा सूत्र की क्रियान्विति	Implementation of Three Language Formula by State Governments ..	80—81
700. भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतिपादन करने वाली पुस्तकें	Books Depicting India's Ancient Culture ..	81—82
701. राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यचालन	Working of the Nationalised Banks ..	82
702. महाराष्ट्र में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पीने का पानी लेने से रोका जाना	Forbidding of Harijans from Drawing Drinking Water from Common Wells by Caste Hindus in Maharashtra .	83
703. भारत में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Capital Investment in India ..	83—84
704. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों से ऋणों की वसूली	Recovery of loans from Farmers by Nationalised Banks ..	84
705. केरल में विनाड की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी	Tribals Living in Hills of Wynad in Kerala ..	84
706. केरल में अजीक्कल पत्तन का विकास करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to develop Azhikkal Port in Kerala ..	85
707. राज्यों की खेल कूद परिषदों द्वारा खेल कूद स्टेडियमों के निर्माण तथा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिये केन्द्रीय अनुदान का उपयोग	Utilisation of Central Grants by States Sports Councils for Construction of Sports Stadium and Organisation of Coaching Camps ..	85—86
708. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में नियुक्तियां	Appointment in National Council of Research and Training ..	86
709. केरल में एलप्पी पत्तन का विस्तार	Expansion of Alleppey port in Kerala ..	86—87
710. रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर ऋण देने की कड़ी शर्तों का लागू किया जाना	Credit Squeeze imposed on Commercial Bank Operations by Reserve Bank ..	87
711. भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर द्वारा रुपये के अवमूल्यन के बारे में दिया गया वक्तव्य	Statement made by the Former Governor of the Reserve Bank of India Re: Devaluation of the Rupees ..	87—88
712. सड़क प्रभागों में कार्य करने वाले श्रेणी-1 के तकनीकी अधिकारियों में व्याप्त असंतोष	Dissatisfaction among Class I Technical Officers working in the Road Wing ..	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
713. स्वीडन एयर राईफल प्रतियोगिता में भाग लेना	Participation in Air Rifle Event Sweden ..	88—89
714. कृषि कार्यों के लिये बैंक ऋण	Bank credit for Agricultural Purposes ..	89—90
715. गैर सरकारी बैंकों में जमा पूंजी में वृद्धि	Increase in Deposits of the Private Banks ..	90—91
716. राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में कुशलता	Efficiency in the services of Nationalised Banks	91
717. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ कालेजों को सम्बद्ध करना	Affiliation of colleges to Aligarh Muslim University	92
718. न्यूजीलैंड की अन्तर्राष्ट्रीय महिला हाकी प्रतियोगिता	Newzealand International Women's Hockey Tournament	92
719. राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नये मण्डलों का गठन	Construction of New Boards for Nationalised Banks ..	92—93
720. केरल के कोचीन शिपयार्ड से निकाले गये निष्क्रान्त निवासियों की मांगें	Demands of the Evacuee tenants evicted from the site for Cochin Shipyard Kerala	93
721. तूतिकोरिन पत्तन परियोजना कर्मचारी संघ द्वारा परियोजना भत्ते में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in project allowance by the Tuticorin Harbour Project Workers' Union	93—94
722. अमरीकी सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान	Institutions receiving American Aid	94
723. दो जहाजों के लिये ब्रिटिश शिपयार्ड को दिये गये क्रयादेश	Orders placed for two ships with British Shipyard	94—95
724. गैर सरकारी कम्पनियों के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the working of Private Companies ..	95
725. भारत में अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच अनुपात	Ratio between Highest and Lowest Income in India ..	95—96
726. एयर इण्डिया को फरवरी, 1971 में हुई हानि	Loss suffered by Air India in February, 1971 ..	96
727. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य परिणाम	Working results of Nationalised Banks ..	96—97
728. बेरोजगारी दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य को सहायता	Assistance to Uttar Pradesh to eliminate unemployment in the State ..	97
729. फूल बाग पन्तनगर के हवाई अड्डे का कार्यकरण	Functioning of Airport at Phool Bagh, Pant Nagar ..	97
730. उत्तर प्रदेश को सहायता	Assistance to U. P. ..	97

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

731. उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये बनाई गई योजना	Scheme formulated to attract Tourists to Uttarakhand Area in U. P.	..	98
732. तमिलनाडू में नियमों का उल्लंघन करने वाली दोषी कम्पनियां	Defaulting Companies in Tamil Nadu	..	98
733. गैर सरकारी विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ राशि का स्वदेश भेजा जाना	Repatriation of Profits by Private Foreign Companies	..	98—99
734. जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत किये गये भवन निर्माण ऋण	House Building Loans sanctioned by Life Insurance Corporation		99
735. दिल्ली में जामेर एयरलाइन्स के डकोटा विमान की दुर्घटना की जांच	Enquiry into the Crash of Dakota Aircraft of Jamair Airlines in Delhi	..	99
736. जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया सामान्य बीमा	General Insurance Business Transacted by Life Insurance Corporation	..	99—100
737. नई दिल्ली में रामाकृष्णपुरम स्थित केन्द्रीय स्कूल में प्रवेश के सम्बन्ध में भेद भाव बर्ता जाना	Discrimination in Admission to Central School, Ramakrishnapuram, New Delhi	..	101
738. पर्यटक सुविधाएं स्थापित करने के लिये राज्यों को सहायता देने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposals to help States in Establishing Tourists Facilities	..	101—102
739. देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये तैयार किये गये प्रस्ताव	Proposals formulated to boost up Tourism in the Country	..	102
740. हल्दिया पत्तन का निर्माण	Construction of Haldia Port		103
741. राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States	..	103
742. काले धन के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कर जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Direct Taxes Enquiry Committee on black money	..	103
743. 50 लाख तथा इससे अधिक की प्राधिकृत पूंजी वाली कम्पनियां	Companies with authorised capital of Rs. 50 lakhs and above	..	104
744. बैंककारी व्यवसाय में लगी कम्पनियां	Companies doing Banking Business	..	104
745. बड़े तथा मध्यम उद्योगों द्वारा बिलों की अदायगी के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति का गठन	Setting up of a Committee by Reserve Bank re. Payment of bills by large and Medium Industries	..	104

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

746. उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में हवाई अड्डा	Aerodrome in District Garhwal U. P. ..	105
747. शिक्षा मंत्री की स्वैच्छिक निधि से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from the Discretionary Fund of Shiksha Mantri ..	105
748. पब्लिक स्कूल	Public Schools ..	105—106
750. अप्रकाशित शोध प्रबन्धों का प्रकाशन	Publication of unpublished thesis ..	106—107
751. भविष्य में विमानों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of the committee appointed by Indian Airlines to Assess future aircraft requirements ..	107
752. विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिये 1963 के टोकियो अभिसमय का अनुसमर्थन करने के लिये किया गया निर्णय	Decision taken to ratify 1963 Tokyo Convention to Prevent Hijacking ..	107
753. भारत में मद्य निषेध कार्यक्रम	Prohibition programme in India ..	108
754. आय कर सम्बन्धी छूट	Income tax rebates ..	108—109
755. आय कर की अदायगी न करने के कारण दण्ड	Punishment for non-payment of income tax ..	109
756. शिक्षात्मक चलचित्र	Educational films ..	110
757. वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक	Wholeable price index of commodities ..	110—112
758. प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	Free texts books to primary school students..	112—113
760. राज्यों का योजना से भिन्न व्यय	Non-plan expenditure of States ..	113
761. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill ..	113
762. राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण देने की नीति में किये गये परिवर्तन	Changes made in the Credit policy of the Nationalised Banks ..	114
763. पटना नगर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Patna City as a Tourist Centre	114
764. पटना और दिल्ली के बीच रात्रि विमान सेवा	Night Air Service between Patna and Delhi ..	115
765. निजी कम्पनियां स्थापित करने के लिये लाइसेंस	Licences for Establishing Private Companies ..	115—117
766. सेतुसमुद्रम् परियोजना की जांच पड़ताल	Investigation in regard to Sethusamudram Project ..	117

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
767. ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिये योजना	Scheme for additional Employment in Rural Areas :	117—118
768. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि	Increase in Dearness Allowance of the Central Government Employees	118
769. कानपुर नगर का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of Kanpur City ..	118
770. काले धन का पता लगाना	Unearthing of Black Money ..	119
771. राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व लिये बैंक कर्मचारियों की मांग	Demand by Bank Employees for Representation on the Board of Directors of the Nationalised Banks ..	119—120
772. वेतन आयोग में कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिक प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाना	Increased Deputation Allowance to Non-Gazetted Staff working in Pay Commission's Secretariat ..	120
773. केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी का शिक्षा का माध्यम होना	Hindi as Medium of Instructions in Central Schools ..	121
774. ऋणों का साम्य पूंजी में परिवर्तन	Conversion of Loans into Equity	121—122
775. यूरोपीय मुद्रा बाजार का भारतीय मुद्रा पर प्रभाव	Impact of Crisis in European Money Market on Indian Rupee	122
776. पूर्व बंगाल के प्राध्यापकों तथा अध्यापकों को सहायता	Assistance to Professors and Teachers from East Bengal ..	122—123
777. बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा	Free and Compulsory Education for Children ..	123—125
778. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में साक्षरता	Literacy among Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	125—126
779. वर्ष 1970-71 के दौरान दिल्ली परिवहन की वित्तीय स्थिति	Financial position of Delhi Transport Undertakings during 1970-71 ..	126—127
780. कम्पनियों का शीर्षोन्मुख विलय	Vertical merger of companies	127
781. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, आन्ध्र प्रदेश द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये दिया गया ऋण	Amount advanced by State Bank of India in Andhra Pradesh for Agricultural Purposes ..	127—128
782. उत्तर प्रदेश में पार्श्व सड़कों का निर्माण	Construction of Lateral Road in Uttar Pradesh	128
783. रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर	Regional Engineering College, Silchar ..	128—129

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
784. बारस्ता सिल्चर शिलांग से मनीपुर तक राष्ट्रीय राजपथ का खोला जाना	Opening of National Highway from Shilong to Manipur via Silchar	129
785. कुतुब मीनार का मरम्मत कार्य	Repairs to Qutab Minar ..	129—130
786. छोटे किसानों को कृषि के लिये धन देने के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions imposed by the Reserve Bank Regarding Agriculture Finance to Small Farmers ..	130
787. राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of Nationalised Banks ..	130—131
788. एशियायी विकास बोर्ड के गवर्नरों का सम्मेलन	Conference of the Board of Governors of Asian Development Bank ..	131—132
789. गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा	Credit limit for Sugarcane Growers	132
790. त्रिपुरा सरकार द्वारा ढेबर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Dhebar Commission's recommendations by Government of Tripura ..	132
792. त्रिपुरा में गैर सरकारी रूप से चलाये जाने वाले कालेज	Privately run College in Tripura ..	133
793. जिला झुनझुन राजस्थान में पिलानी के निकट जौणी हवाई अड्डा	Jeeni Aerodrome near Pilani in Jhunjhunu District, Rajasthan ..	133
794. साहूकारों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Credit Secured by Money Lenders from Nationalised Banks ..	134
795. जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य	Rural Business of LIC ..	134—135
796. दीर्घावधि ऋण के सम्बन्ध में अध्ययन दल	Study team on long term loans ..	136
797. मद्रास तेल गोदी के प्राक्कलन में पुनरीक्षण	Revision in the Estimate of Madras Oil Dock ..	136
798. इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा वायुयान के किराये की दरों में वृद्धि	Increase in the Rates of Air Fare by Indian Airlines ..	136—137
799. आगरा के आय कर अधिकारी की गिरफ्तारी	Arrest of Income tax Officer of Agra ..	137—138
800. राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के अनुदेशकों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Instructors National Fitness Corps ..	138
801. राज्यों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of foreign exchange to States ..	138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
802. अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अनुसन्धान संस्थान मद्रास को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to International Tamil Research Institute in Madras ..	139
803. तंजावुर मन्दिर में राजा राजा चोलन की मूर्ति का लगाया जाना	Installation of Statue of Raja Raja Cholan at Thanjavur Temple	139
804. मदुरै में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम	Light and sound programme at Madurai ..	139—140
805. तमिलनाडू में सलेम और तुतीकोरिन पर हवाई अड्डों का निर्माण	Construction of Airports at Salem and Tuticorin in Tamil Nadu ..	140
नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया से धन के दुर्विनियोग के बारे में	Re: Misappropriation of Money from the State Bank of India, New Delhi ..	140—142
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	142—145
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ..	146
सभापति तालिका	Panel of Chairmen ..	146
पटना-मोकामा सवारी गाड़ी, पूर्व रेलवे में हुई डकैती और हत्या के बारे में वक्तव्य	Statement re. dacoity and murder in Patna—Mokamah Passenger Train, Eastern Railway ..	147
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya ..	147
सभा का कार्य	Business of the House ..	147—148
समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees ..	148
(एक) भारतीय नौवहन परिषद्	(i) National Shipping Board ..	148—149
(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद्	(ii) Indian Nursing Council ..	149
साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक-पुरःस्थापित	General Insurance (Emergency Provisions) Bill—Introduced ..	149
सामान्य बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement re. General Insurance (Emergency Provisions) Ordinance	149
रेलवे बजट, 1971-72 सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1971-72—General Discussion ..	149—152
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma ..	150
श्री पी० आर० दास मुन्शी	Shri P. R. Das Munsi ..	150—151
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta ..	151—152

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विधेयक पुर: स्थापित	Bills Introduced ..	152—168
(1) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 314 का लोप)	(1) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Omission of Article* 314) by Shri Chintamani Panigrahi	152—153
(2) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 291 और 362 का लोप तथा अनुच्छेद 366 का संशोधन)	(2) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Omission of Articles* 291 *and* 362 *and amendment of Article* 366) by Shri Chintamani Panigrahi ..	153
(3) श्री यमुना प्रसाद मण्डल का स्वास्थ्य (संसद् सदस्यों की कालिक चिकित्सीय परीक्षा) विधेयक, 1971	(3) The Health (Periodical Medical Check-up of Members of Parliament) Bill, 1971 by Shri Yamuna Prasad Mandal ..	153
(4) श्री यमुना प्रसाद मण्डल का स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की कालिक चिकित्सीय परीक्षा) विधेयक, 1971	(4) The Health (Periodical Medical Check-up of President and Prime Minister of India) Bill, 1971 by Shri Yamuna Prasad Mandal ..	153—154
(5) श्री यमुना प्रसाद मण्डल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अष्टम अनुसूची का संशोधन)	(5) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Eighth Schedule*) by Shri Yamuna Prasad Mandal ..	154
(6) श्री यमुना प्रसाद मण्डल का भूतपूर्व संसद् सदस्यों के लिये पेंशन और अन्य सुखसुविधायें विधेयक, 1971	(6) The Pension and other Amenities for the Ex-Members of Parliament Bill, 1971 by Shri Yamuna Prasad Mandal ..	154—155
(7) श्री भोगेन्द्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अष्टम अनुसूची का संशोधन)	(7) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Eighth Schedule*) by Shri Bhogendra Jha ..	155
(8) श्री भोगेन्द्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (भाग 3 का संशोधन)	(8) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Part III*) by Shri Bhogendra Jha .	155
(9) श्री भोगेन्द्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (भाग 4 का संशोधन)	(9) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Part IV*) by Shri Bhogendra Jha ..	156
(10) श्री पन्नालाल बारूपाल का संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 1971 (नई धारा 8 का अन्त:स्थापन)	(10) The Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1971 (*Insertion of new Section* 8A) by Shri Panna Lal Barupal ..	156—157
(11) श्री एस० सी० सामन्त का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	(11) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Seventh Schedule*) by Shri S. C. Samanta ..	157
(12) श्री एस० सी० सामान्त का बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा 2 और 3 का संशोधन)	(12) The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Section* 2 *and* 3) by Shri S. C. Samanta ..	157

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(13) श्री एस० सी० सामन्त का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा 309 का संशोधन)	(13) The Indian Penal Code (*Amendment*) *Bill*, 1971 (*Amendment of Section* 309) by Shri S. C. Samanta ..	157—158
(14) श्री बी० के० दासचौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 240 और प्रथम अनुसूची का संशोधन)	(14) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Article* 240 *and First Schedule*) by Shri B. K. Daschowdhury ..	158
(15) श्री एस० एम० सिद्दय्या का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नये अनुच्छेद 339क का अन्तःस्थापन)	(15) The Constitution (Amendment Bill, 1971 (*Insertion of new Article* 339A) by Shri S. M. Siddayya	158
(16) श्री एस० एम० सिद्धय्या का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 15, 16 आदि का संशोधन)	(16) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Article* 15, 16, *etc.*) by Shri S. M. Siddayya	158
(17) श्री जगन्नाथ राव जोशी का धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 1971	(17) The Prevention of Conversion Bill, 1971 by Shri Jagannathrao Joshi ..	159
(18) श्री जगन्नाथ राव जोशी का हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1971 (नई धारा 24 क का अन्तःस्थापन)	(18) The Hindu Succession (Amendment) Bill, 1971 (*Insertion of new Section* 24A) by Shri Jagannathrao Joshi ..	159
(19) श्री जगन्नाथ राव जोशी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1971 (नई धारा 7 क का अन्तःस्थापन)	(19) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1971 (*Insertion of new Section* 7A) by Shri Jagannathrao Joshi ..	159
(20) श्री विश्वनाथ झुनझुन वाला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 39 का संशोधन)	(20) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Article* 39) by Shri Bishwanath Jhunjhunwala ..	160
(21) श्री हुकम चन्द कछवाय का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)	(21) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Articles* 330 *and* 332) by Shri Hukam Chand Kachwai ..	160
(22) श्री हुकम चन्द कछवाय का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)	(22) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Article* 348) by Shri Hukam Chand Kachwai ..	160—161

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
(23) श्री हुकम चन्द कछवाय का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	(23) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Seventh Schedule*) by Shri Hukam Chand Kachwai	..	161
(24) श्री भारत सिंह चौहान का संविधान (संशोधन) विधेयक 1971 (अनुच्छेद 43 का प्रतिस्थापन)	(24) The Constitution (Amendment) Bill, 1971 (*Substitution of Article* 43) by Shri Bharat Singh Chauhan	..	161
(25) श्री भारत सिंह चौहान का गो-वध रोक विधेयक, 1971	(25) The Prevention of Cow Slaughter Bill, 1971 by Shri Bharat Singh Chauhan	..	161
(26) श्री अटल बिहारी वाजपेयी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा 123, 169 का संशोधन तथा धारा 125क का अन्त:स्थापन)	(26) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1971 (*Amendment of Sections 123, 169 and insertion of Section 125A*) by Shri Atal Bihari Vajpayee	..	162
श्री भोगेन्द्र झा का बिहार विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक	The Bihar Legislative Council (Abolition) Bill, 1971 by Shri Bhogendra Jha	..	155—156
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion to Introduce—Negatived	..	159—160
श्री जगन्नाथ राव जोशी का धार्मिक स्थानों का प्रत्यावर्त्तन विधेयक	Restoration of Religious places Bill by Shri Jagannathrao Joshi	..	159—160
पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion to Introduce—Negatived	..	162—168
श्री मुरासोली मारन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अनुच्छेद 81, 82 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 281 क का अन्त:स्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of Articles 81, 82 and Insertion of New Article 281 A*) by Shri Murasoli Maran	..	162—168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	162
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	..	162—164
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	..	164—165
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	..	165—166
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	..	166—167
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	..	167
श्री नरेन्द्र कुमार	Shri N. K. P. Salve	..	167—168
सामान्य बजट, 1971-72—प्रस्तुत किया गया	General Budget, 1971-72—Presented	..	168—189
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	..	168—189
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1971—पुर:-स्थापित	Finance (No. 2) Bill, 1971—Introduced	..	189—190

LOK SABHA
लोक-सभा

शुक्रवार, 28 मई, 1971 / 7 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Friday, May 28, 1971/Jyaistha 7, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Loss suffered due to Lock-out during March, 1971 in the Indian Airlines

***121. Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri)** be pleased to state :

(a) the number of days for which the lock-out in the Indian Airlines lasted during the month of March last ;

(b) the loss suffered by the employees and Government during this period ; and

(c) the main factors responsible for the aforesaid lock-out and the precautionary measures taken for the future in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) From the 13th March to the 28th March, 1971.

(b) The employees lost approximately Rs. 47 lakhs in wages, and the Corporation about Rs. 124 lakhs.

(c) The domestic air services had been paralysed and a large number of aircraft grounded as a result of the unfortunate "Work to Rule" and "Go Slow" tactics adopted by a large number of employees. In these circumstances, as it had become impossible to run the airline, the Management declared a lock-out.

An agreement was reached with the four major Unions on the 27th March under which the lockout was to be lifted and normal services were to be restored. In persuance of an assurance given by me in this Hon'ble House, government have set up a Committee to examine the organizational and administrative structure of Indian Airlines and the relations between the management and its employees, and to make recommendations to Government with particular reference to personal policies and practices.

Shri Jagannathrao Joshi: No doubt age of Jumbo Jets has come but it appears that these Air Services are being run with attitude of Bullock Cart. There is discontentment amongst air employees and discussions were continuing with Management. Executive Committee meeting of employees union was to be held on 13th March in Delhi. In these circumstances declaration of lock out on 13th itself by the Management was a slap on the face of employees. I would like to know from the Minister whether such a treatment with employees is fair and justified after the ruling party has attained two thirds majority in the recent midterm elections ?

Dr. Karan Singh: This lock-out has got no connection with elections. As I have already stated in my reply the situation had taken such an unfortunate turn that there was no other way except to declare lock-out. But I wouid like to mention that the situation is not as serious as has been stated by the hon. member. I hope that the situation would improve now and our Air lines would function as per requirements of the Jet age.

, **Shri Jagannathrao Joshi**: Sir, I would like to know that when the negotiations with Management were in progress and the discussions had reached such a state when good results could be expected from them and a meeting of the executive Committee of the employees union was going to be held in Delhi on the morning of 13th March to discuss this, the Management declared lock-out on the morning of the 13th March, 7 hours before that meeting. As a result thereof the employees had to bear a loss of Rs. 47 lakhs. My question was as to who is responsible for this loss ?

Dr. Karan Singh: Sir, the position is that our Air Services had been suspended by that day i.e. 13th March as a result of unfortunate "work to rule" and "Go slow" tactics adopted by employees and it had become impossible to run Airlines and there being no other alternative the Management had to declare lock-out. The situation had taken such a turn by that time that our services had been disrupted in whole of the country. No body could know whether some air craft would take-off or not. When the situation had taken such a turn, no other alternative was left to us and therefore, lock-out was declared. It was not a happy thing for us to do it and no body likes to take such steps but we were forced to take such a step. I hope that such a situation would not arise in future in our country.

Shri Jagannath Rao Joshi: The agreement which was arrived at with employees two years ago had already expired and a new agreement as per recommendations of National Industrial Tribunal should have been entered into. Khosla Commission also made certain recommendations about employees but the Government did not accept those. May I know the reasons therefo ?

Dr. Karan Singh: Negotiations are being held with employees on the basis of these recommendations. The old agreements have now expired. Negotiations started thereafter. I regret that a new agreement could not be arrived at by them. Had it been arrived at this situation could not have developed. But now the negotiations are being conducted keeping in view the recommendations of Khosla Tribunal. So far a new agreement has not been arrived at but negotiations are being held with employees and I hope that the whole situation would improve.

Shri Jagannath Rao Joshi: It was stated about the Khosla Commission that its recommendtions....

Mr. Speaker: Order, order. I am sorry.

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या यह सच नहीं है कि यह हड़ताल और "धीरे चलो" प्रवृत्ति तथा परिणाम स्वरूप उत्पन्न तालाबन्दी की स्थिति मुख्य रूप से एवरों 748 विमानों के सम्बन्ध में उठाये गये विवाद के कारण थी ? क्या एवरो 748 विमानों की उड़न-योग्यता अथवा एवरो विमानों

की सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है ? दूसरे एवरो विमान इस समय कितना भार लेकर उड़ाने कर रहे हैं ? ऐसा समझा जाता है कि एवरो विमान 44,500 पांउड भार लेकर उड़ान भरने के सक्षम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तालाबन्दी के सम्बन्ध में है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह सारा विवाद एवरो 748 विमानों के कारण से था। एवरो विमान कितना भार लेकर उड़ाने भर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह कथन ठीक नहीं कि यह तालाबन्दी मुख्य रूप से एवरो विमानों के कारण से थी। यह तालाबन्दी इंडियन एयरलाइन्स तकनीशन एसोसियेशन की कार्रवाई के कारण से थी न कि पायलटों के कारण से । वह जो स्थिति थी, यदि आपको याद हो, दिसम्बर के अन्त में उत्पन्न हुई थी । मैं यह बताना चाहूंगा कि एवरो विमानों की उड़न-योग्यता के प्रश्न की सूक्ष्म जांच के लिए हमने एक समिति गठित की है और उस समिति का कार्य अभी प्रगति पर है । आशा है कि हमें उसकी रिपोर्ट लगभग अगले दो महीनों में प्राप्त हो जायेगी । उसके प्राप्त हो जाने के उपरान्त हम उन सिफारिशों की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि पायलटों के साथ विवाद के परिणाम स्वरूप यह तालाबन्दी नहीं हुई । तालाबन्दी की अवधि के दौरान कुछ काम चलाऊ सेवायें चलाई गयी थीं अथवा उसके लिए प्रयत्न किये गये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि इन काम चलाऊ सेवाओं का चालन कार्यकारी पायलटों द्वारा किया गया था जबकि नियमित पायलट उपलब्ध थे। कमर्शियल पायलट एसोसियेशन ने यह वक्तव्य जारी किया था कि क्योंकि यह विवाद उनके साथ नहीं अतः वे सार्वजनिक हित में काम चलाऊ सेवाओं के चालन के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करने को तत्पर हैं। जब इन पायलटों के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं था तो काम चलाऊ सेवाएं चलाने के लिए उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई और केवल कार्यकारी पायलटों की सेवाओं का ही उपयोग क्यों किया गया ?

डा० कर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि प्रत्यक्षतः पायलटों का इस विवाद से सम्बन्ध न था, पहले एक विवाद था और दिसम्बर की स्थिति से उत्पन्न होने वाला यह पुरना विवाद था, परन्तु जब तालाबन्दी की घोषणा की जाती है तो यह सारे कर्मचारियों पर लागू होती है । यह संभव नहीं होता कि तालाबन्दी के अन्तर्गत विमान परिचारिकाओं को तो ले लिया जाये और पायलटों को उससे विमुक्त रखा जाये । यदि तालाबन्दी घोषित की जाये तो सारे कर्मचारी उसके अन्तर्गत आते हैं । परन्तु प्रबन्धक मंडल के कर्मचारी होने के कारण कार्यकारी पायलटों पर तालाबन्दी लागू नहीं होती । अतः केवल इन्हीं पायलटों का ही उपयोग हो सकता था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि इंडियन एयरलाइन्स के संगठन के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है । क्या यह समिति प्रबन्ध में कर्मचारियों के सहयोग की नीति अपनाने की सम्भाव्यता के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे कि भविष्य में प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच में विचार भेद कम किये जा सकें ?

डा० कर्ण सिंह : यह समिति कार्मिक नीति के सम्बन्ध में विशेष सिफारिशें करेगी । उसमें कर्मचारियों के सहयोग का प्रश्न भी अवश्य आ सकता है । परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के सहयोग का व्यापक प्रश्न अलग से सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

केरल के कोवलम समुद्री तट का प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

*122. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोवलम समुद्री तट को प्रमुख पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कोवलम परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) उस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ; और

(घ) उक्त परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) कुटीरों, समुद्रतटीय सेवा केन्द्र तथा होटल की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा ।

(ख) प्रायोजना की कुल अनुमानित लागत 221.50 लाख रुपये है ।

(ग) अब तक 16.25 लाख रुपये का व्यय हो चुका है ।

(घ) प्रायोजना के चौथी योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या बोइंग सेवा को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाने का सरकार का विचार है, जो सुविधा विदेशी पर्यटकों में आकर्षण उत्पन्न करेगी और जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है । दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या केरल के अन्य पर्यटन केन्द्रों के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, बोइंग सेवा 15 अक्टूबर तक त्रिवेन्द्रम तक बढ़ा दी जायेगी । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने अनेक परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं । ठेक्काड़ी में अरंगा निवास और मुस्काट होटल में कई सुधार और आवासन प्रबन्ध में विस्तार किया गया है । जल्दी ही त्रिवेन्द्रम में एक 'यूथ होस्टल' का निर्माण किया जाना है । केरल में जेरी निर्माण के लिए भी धनराशि प्रदान की गई थी और ओनम समारोह के लिए भी राजसहायता दी गई थी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी गयी पूंजी

*123. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में पूंजी लगाने के बारे में जीवन बीमा निगम द्वारा क्या नीति अपनाई गयी है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अब तक लगाये गये निवेश की धनराशि क्या है और उसे किन-किन कार्यों पर लगाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें मांगी गयी सूचना दी गयी है।

विवरण

(क) अब तक, सरकारी क्षेत्र, विशेषकर केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम पूंजी की अपनी दीर्घावधिक आवश्यकताएं पूंजी बाजार से अथवा वित्तीय संस्थानों से नहीं जुटा पाते थे।

इसलिये जीवन बीमा, निगम के लिये इन उपक्रमों में पूंजी लगाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जीवन बीमा निगम का निवेश सम्बन्धी नीति की संचालन करने वाले सांविधिक ढांचे के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों में भेद नहीं किया जाता। जिन कम्पनियों में निवेश किया जाता है वे पब्लिक, लिमिटेड कम्पनियां होनी चाहिये और उनके शेयर और ऋण-पत्र या उन्हें दिये जाने वाले ऋण कानून के मापदण्ड के अनुसार पूरे उतरने चाहिये जिन्हें "स्वीकृत निवेश" का नाम दिया गया है। "अनुमोदित" श्रेणी के निवेश केवल एक निश्चित समूची सीमा के अन्दर ही किये जा सकते हैं। सरकार ने हाल में निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने की मनाही नहीं होनी चाहिये। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में जीवन बीमा निगम के निवेश में धीरे-धीरे वृद्धि होने की आशा है।

(ख) 31 मार्च, 1970 को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों में जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गयी पूंजी और 1969-70 के दौरान उससे हुए लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	निवेश **(करोड़ रुपयों में)**	1969-70 के दौरान प्रतिशत **लाभ**
(i) सरकारी क्षेत्र	1.14	10.72
(ii) गैर-सरकारी क्षेत्र	233.94	6.83

श्री एस० आर० दामाणी : विवरण में स्वीकृत श्रेणी के निवेश के संबंध में कुछ निर्देश पथ बताये गये हैं। जहां तक "अनुमोदित श्रेणी के निवेश" का सम्बन्ध है, विवरण में बताया गया है कि " 'अनुमोदित' श्रेणी के निवेश केवल एक निश्चित समूची सीमा के अन्दर ही किये जा सकते हैं।"

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि समूची सीमा क्या है ? दूसरे क्या मैं जान सकता हूं कि क्या "अनुमोदित" श्रेणी के निवेशों के सम्बन्ध में कोई निर्देश पद नियत किये गये हैं अथवा यह कार्य अधिकारियों के लिये रहने दिया गया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सामान्यतः यह समूची सीमा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होती परन्तु उसमें भी स्वभावतः वित्तीय औचित्य, दूरदर्शिता और निवेश की प्रज्ञान पर विचार किया जाता है, निवेश समिति इन बातों पर गम्भीरता से विचार करती है।

श्री एस० आर० दामाणी : सरकार की नीति के अनुसार लघु-उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। क्या मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि क्या लघु-उद्योगों के विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों को निवेशों अथवा ऋणों के रूप में अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए जीवन बीमा निगम से अनुरोध किया गया है ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : इस संबंध में हम निर्देश नहीं दे रहे हैं। सामान्यतः उनसे यह अपेक्षित होता है कि वे सामाजिक उद्देश्यों को ओर अधिक ध्यान दें। स्वभावतया उनसे यह भी अपेक्षा होती है कि वे निवेश के विकासात्मक पहलू की ओर भी ध्यान दें। अतः हाल के वर्षों में जीवन बीमा निगम विद्युत बोर्डों, आवास बोर्डों आदि में निवेश पर भी विचार करता रहा है। यदि वे निवेश किये जाने के लिये लाभप्रद होंगे तो वह निगम पिछले क्षेत्रों के पहलू पर भी विचार करेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यदि आप विवरण को देखें तो आपको गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश की अन्यरूपता का पता लगेगा। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 233.94 करोड़ रुपये के निवेश पर जब कि लाभ केवल 6.83 प्रतिशत है और सरकारी क्षेत्र में केवल 1.14 करोड़ रुपये के निवेश पर लाभ 10.72 प्रतिशत है तो निवेश का सन्तुलन गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर झुका क्यों है ? बोर्ड ने विनियोजन के लिये क्या नीति अपनाई है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र से 10.72 लाभ होता है और निजी क्षेत्र से 6.53 ? विनियोजन बोर्ड ऐसा निर्णय किस प्रकार करता है ? हम मंत्री महोदय से गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेशों के विषय में जानना चाहते हैं और इसमें विभिन्न व्यापारियों का कितना-कितना भाग है। नीति सम्बन्धी नये निर्णय के पश्चात क्या सरकार ने नई विचारधारा के विषय में जानने का निश्चय किया है और यह देखा है कि 1971 तथा 1972 की नीतियां एक दूसरे के विपरीत हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न पूछिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आप मुझे दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, मेरे सामने यह कठिनाई है।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्वराव चह्वाण) : उनका प्रश्न संगत है। जब यह उत्तर तैयार किया था तब मैंने स्वंय यही प्रश्न पूछा था। 1968 तक सरकार, सरकारी क्षेत्रों में पूंजी निवशों को हतोत्साहित करती रही थी। 1968 से आगे सरकारी नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। जनवरी, 1970 में ऐसा संकेत किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देखभाल सार्वजनिक वित्त निगमों तथा संस्थानों द्वारा और अधिक रुचि साथ की जानी चाहिये। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड, यद्यिप सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, फिर भी इसमें 35 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। यह कार्य पूरा हो चुका है। माननीय सदस्य ने उसकी श्रेणी आदि विषय में जानने की इच्छा व्ययक्त की है। मुझे इसके बारे में बताने से प्रसन्नता होती परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की संख्या 1000 से भी अधिक है। उनके बारे में मेरे पास न कोई सूचना है और न कोई वर्गीकरण। मुझे उनकी चिन्ता का पता है। मुझे विश्वास है कि नीति परिवर्तन तथा सरकार के प्रयासों से हमें आज जो भेद दृष्टिगत होता है, वह नहीं रहेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैंने एकाधिकार वादियों के विषय में पूछा है, उनकी कितनी पूंजी लगी हुई है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जीवन बीमा निगम ने गत तीन वर्षों में कलकत्ता स्थित पूर्वी क्षेत्र में कितना रुपया लगाया है और बम्बई स्थित पश्चिमी क्षेत्र के निवेश की तुलना में उसकी स्थित क्या है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य यह जानना है कि पूर्वी क्षेत्र में विनियोजन अपेक्षाकृत कम हुआ है तो मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं । परन्तु यदि उन्हें किसी विशिष्ट सूचना की आवश्यकता है तो इसके लिये अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दूंगा, मुझे आशा है कि उसे स्वीकार कर लिया जायगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : गैर सरकारी क्षेत्र में विनियोजन के विषय में जीवन बीमा निगम की नीति भ्रमपूर्ण है । क्या जीवन बीमा निगम की नीति बड़ी-बड़ी कम्पनियों और एकाधिकारियों के शेयर खरीदना तथा उनको वित्तीय संकट से मुक्त कराना है ? क्या गत 6 महीनों के दौरान जीवन बीमा निगम ने इस प्रकार के शेयर आदि खरीदे हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें, तो मैं उन्हें सूचना दे सकता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह सरकार की नीति का ही अंग है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैंने बताया है, सरकार की नीति आर्थिक प्रकृति पर दृष्टि रखना है तथा उसके अनुसार आचरण करना है । ऐसी होल्डिंग्स पोलिसी धारियों के हित में हैं क्योंकि इस ढंग से पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन मिल सकता है इसमें कोई असामान्य बात नहीं है ।

श्री पीलू मोडी : पहले उन्हें बड़े-बड़े पूंजीपतियों की एक सूची मांगनी चाहिए थी ।

श्री रामसहाय पांडे : जीवन बीमा निगम गैर सरकारी तथा सरकारी दो ही क्षेत्रों को महत्व देता है कृषि एक और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है । क्या ऐसा विचार किया जा रहा है कि जीवन बीमा निगम द्वारा उपेक्षित छोड़े गये इस क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी पूंजी लगाई जाय जिससे हमारे किसानों को लाभ हो ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कृषि गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ही आ जाती है । ग्राम विद्युतीकरण कृषि क्षेक्ष के लिये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । मैं बता चुका हूं कि बिजली बोर्ड में 183 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश दिया गया है ।

पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में गिरावट

*124. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी रुपये का मूल्य विश्व बाजार में काफी गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रुपये के अवमूल्यन से पूर्व तथा अब पाकिस्तानी रुपये की भारतीय रुपये से विनिमय दर क्या है ; और

(ग) इसका भारतीय रुपये पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) ऐसी सूचनाएं मिली हैं जिनके अनुसार अनिधकृत लेन देनों में पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में कमी हुई है। इसका पता इस बात से चलता है कि पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर जो जनवरी 1971 में 10.10 रुपये प्रति अमरीकी डालर थी, मई 1971 के मध्य में 11.80 रुपये प्रति अमरीकी डालर हो गयी।

(ख) 6 जून 1966 की भारतीय रुपये के अवमूल्यन से पहले पाकिस्तान और भारत के बीच अधिकृत विनिमय दर 1:1 थी। अवमूल्यन के बाद दोनों मुद्राओं की अधिकृत विनिमय दर 1:1.57 बैठती है।

(ग) अनधिकृत लेनदेनों में पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में कमी होने से भारतीय रुपये पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन करने के स्थान पर निर्यातकों को अधिकाधिक राज्य सहायता दी जिससे वे अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकें। यद्यिप यह भी अवमूल्यन के समान ही है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, पाकिस्तान अवमूल्यन कर रहा था। परन्तु उसका भारतीय रुपये के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मुख्य प्रश्न यह है कि पाकिस्तान की अपने लिये आन्तरिक आर्थिक नीति क्या है।

श्री पीलू मोडी : अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा...

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उससे भी भारतीय मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या रुपये का अवमूल्यन विदेशी दबाव से किया जाता है अथवा देशीय आवश्यकता के कारण।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब तक देश के अन्दर से ही कोई दवाब नहीं डाला जायगा, बाहर का कोई दबाव नहीं हो सकता।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से आपने सही उत्तर दे दिया है।

श्री त्रिदिब चौधरी : बंगला देश में आंतक फैलने के पश्चात हाल ही में बहुत से लोगों ने विशेषतया शरणार्थियों, अन्य दूसरे व्यक्तियों ने भारत में शरण ली और वे अपने साथ अपनी जमा पूंजी भी लाये हैं। इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी मुद्रा देश में आ गयी है। मेरे विचार से पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि दोनों देशों के बीच मुद्रा विनिमय दर निर्धारित की जाय जिससे गरीब शरणार्थियों को कठिनाई न हो। क्या इस विषय की ओर मन्त्री महोदय ने ध्यान दिया है अथवा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निश्चय ही इस प्रश्न पर विचार किया गया है और हमने कुछ

प्रबन्ध भी किये हैं। परन्तु मैं प्रश्नोत्तर काल में इसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। यदि वह इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मुझसे मिल लें।

डा० रानेन सेन : यद्यपि श्री चौधरी ने जो इस समय प्रश्न किया है वह एक गोपनीय मामला है अतः उसके ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम इतना अवश्य बताया जाय कि सरकार की वह नीति क्या है जिसके अनुसरण में सीमावर्ती विभागों तथा कार्यालयों को आदेश दिये गये हैं, क्योंकि गरीब लोग विशेषतया वे जो अपने साथ थोड़ा बहुत पैसा ला पाये हैं, उन्हें बाजारों में उसके विनिमय में बहुत कठिनाई होती है। स्थानीय व्यापारियों तथा इन लोगों के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं अतः यद्यपि यह एक गोपनीय मामला है तो भी सरकारी विनिमय दर जनता को मालूम होनी ही चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इन गरीब लोगों का शोषण होता रहेगा और उन्हें अनेकों कठिनाइयां होती रहेंगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाली स्टेट बैंक आफ इन्डिया की सभी शाखाओं को इस सम्बन्ध में कुछ अनुदेश दिये गये हैं। आरम्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं थी, परन्तु जब से ये अनुदेश दिये गये हैं तब से विशेष शिकायत सामने नहीं आयी है। यह ठीक है कि सैदव ही समाज विरोधी तत्व ऐसी स्थिति से लाभ उठाते हैं। हो सकता है कुछ गैर सरकारी ऋण दाताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया हो।

श्री पीलू मोडी : क्या स्टेट बैंक कोई लाभ उठा रहा है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस स्थिति से हमने बैंक शाखाओं को कुछ अनुदेश दिये हैं।

डा० रानेन सेन : यह ठीक वक्तव्य नहीं है। मैं सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। आपको हमारी कठिनाईयां समझनी चाहिये। हम से लोग पूछते हैं। यही कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया को कुछ अनुदेश दिये गये हों परन्तु उनके बारे में जनता को किस प्रकार पता चलेगा। व्यापारियों को किस प्रकार पता चलेगा। यह बताया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि आपके पास कोई विशिष्ट शिकायत है तो आप मेरे पास आकर बात कर सकते हैं। यदि कोई समस्या होगी तो उसका कुछ न कुछ समाधान हम निकाल ही लेंगे। ब्यौरे में जाने की अपेक्षा मेरे विचार से यही उत्तम होगा। मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सामान्य व्यक्तियों का क्या होगा।

श्री पीलू मोडी : पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में, मेरे विचार से यह बहुत आवश्यक है कि शरणार्थियों को यह पता चल जाना चाहिए कि उनके पैसे के बदले उनको क्या मिलेगा। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा और इसका पर्याप्त प्रचार नहीं किया जायेगा तब तक उनके साथ ठगी होती रहेगी। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा ये लोग अपने साथ ला पाये हैं उसका उद्घोषित दर पर विनिमय किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दर के विषय में भ्रम में न रहे अतः इस बारे में बहुत अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। उनको ठगाई से बचाने के लिए यही सब कुछ किया जाना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसके लिए कोई विनिमय दर निर्धारित करने की बात नहीं है। यह

बात स्पष्ट रूप में समझ ली जानी चाहिए। प्रश्न यह है कि इस कठिनाई में लोगों की किस प्रकार से सहायता की जाये। जो कुछ ये लोग अपने साथ लाये हैं उसका हिसाब रखा जायेगा, परन्तु उन लोगों को भारतीय मुद्रा कितनी दी जानी है, उसका निश्चय किया गया है। हर एक के लिए यह प्रबन्ध नहीं है। केवल विस्थापितों की सहायता के लिए यह प्रबन्ध है।

पी० एल०-480 की निधियों का उपयोग

*125. **श्री एम० कतामुत्तु :**

श्री सुरेन्द्र महन्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में संचित पी० एल०-480 की रुपया निधि के उपयोग के बारे में भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच बातचीत में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में किन ठोस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). संचित पी० एल०-480 निधियों के एक अंश का उपयोग **तकनीकी और कृषि शिक्षा तथा आवास** और नगर विकास के लिए करने के विषय में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। इस संदर्भ में, इन कार्यों के लिए अक्षय निधियों का निर्माण करने के प्रश्न पर भी बातचीत की जा रही है। बातचीत अभी औपचारिक प्रस्तावों के स्तर तक नहीं पहुंची है। सरकारों के बीच होने वाले ऐसे मामलों के सम्बन्ध में निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है। इसी बीच निधियों की राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में बराबर लगी है।

श्री एम० कतामुत्तु : नवम्बर, 1970 तक पी० एल०-480 की कुल राशि 2500 करोड़ के लगभग थी। अब यह और अधिक हो गई होगी। मंत्री महोदय ने कहा था कि इस राशि को कृषि तथा शिक्षा के उपयोग में लाने के लिए विचार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जिनसे इस राशि का उपयोग देश के विकास के लिए आधार उद्योग निर्माण आदि कार्यों के लिए किया जा सके। क्या यह सच नहीं है कि अमरीकी अधिकारी इस निधि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किये जाने के प्रति सहमत नहीं हैं, परन्तु वे केवल कृषि कालिज खोलने तथा अक्षय निधि का निर्माण करने के लिए सहमत हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : विकास कार्यों के लिए ही इस निधि का प्रयास करना एक ठोस प्रयास है। दो या तीन प्रकार की अक्षय निधियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं तथा स्थिति पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया है कि जब किसी विषय पर दो राष्ट्रों की सरकारों में कोई चर्चा चलती है तो बहुत-सी जटिल बातें सामने आ जाती हैं और निर्णय लेने में समय लगता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक क्या यह निधि ऐसे ही पड़ी रहेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस धन का उपयोग निश्चय ही अक्षय निधि के लिए किया जायेगा और इस अक्षय निधि से जो ब्याज प्राप्त होगा उसे विकास कार्यों पर खर्च किया जायेगा । इस समय यही मुख्य योजना है । इसमें सम्पूर्ण पी० एल०-430 निधि नहीं आ पाती है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत-सी निधियों में विनियोजन के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में भी विनियोजन किया गया है और जिसकी अदायगी रुपया ऋण में की गई है और उनकी वापसी आगामी 40 वर्षों में सम्भावित है, और जैसे ही भुगतान देय होता है तो यह राशि पी० एल०-480 खाते में डाल दी जाती है । इस प्रकार राशि संचित हो जाती है । पी० एल-480 निधि के सामान्य प्रश्न पर विस्तार से विचार करना होगा, और समस्या पर कुछ विचार भी किया गया है ।

श्री एम० कतामुत्तु : क्या इस निधि के उपयोग हेतु केन्द्रीय सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव बनाये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यही सुझाव दिये गये हैं। जो अन्य निधियां ऋण के रूप में प्राप्त की गई हैं उन्हें अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जा चुका है। ब्याज और मूल देने के बाद भी यह धन इकट्ठा होता जाता है । इस धन का क्या किया जाये ? हमारे समक्ष यही आधारभूत प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है । अब जो एकत्रित धनराशि है, उसके बारे में जो सुझाव हैं, उनका मैं उल्लेख कर चुका हूं ।

श्री पी० वेंकटसुबया : पी० एल०-480 के अन्तर्गत जो धनराशि एकत्रित हो गई है क्या सरकार इससे कोई ऐसी आवर्तक निधि आरम्भ करने का विचार कर रही है जो राज्य सरकारों से सम्बन्धित हो और वह राज्य के विकास कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कृषि विश्वविद्यालयों के लिए जो सहायता दी जाती है, वह निश्चय ही राज्य सरकारों को दी जाती है क्योंकि विश्वविद्यालय तो उन्हीं द्वारा चलाये जाते हैं। अत: यह स्वाभाविक ही है कि हम जो भी विकास-कार्य आरम्भ करेंगे, उसमें राज्य सरकारों का भाग अवश्य होगा ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : पी० एल०-480 के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि है और क्या हमने इसमें से कुछ धनराशि का उपयोग किया है? क्या अब भी पी० एल०-480 के अन्तर्गत खाद्यान्न खरीदा जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वर्ष 1971 के अन्त तक हम पी० एल०-480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद बन्द कर देंगे। 1960 से लेकर 31-3-1971 तक पी० एल०-480 के अन्तर्गत 2234.38 करोड़ रुपये का आयात किया गया है जिस पर अमरीका सरकार को हमें 231.80 करोड़ रुपये का ब्याज देना है अत: इसके अन्तर्गत कुल धनराशि 2466.18 करोड़ रुपये है ।

Shri Ishaq Sambhali : I would like to know the policy of the Government about P. L. 480. By whom this money is controlled and what are the headings under which it is spent. Is the Government aware of the various rumours which are in the air about the P. L. 480 Funds ? Is it known to the Government as to how this money will be spent and under what headings ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, सरकार को स्थिति की पूर्ण जानकारी है और इस धनराशि

का अधिकांश सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है । इस धनराशि का कुछ भाग भारत में अमरीकी दूतावास द्वारा प्रयोग किया जाता है और हमने इसके लिए अपने बजट में भी व्यवस्था की है। परन्तु उनके आंतरित व्यय का ब्यौरा हमारे पास नहीं रहता । परन्तु हमें इतना अवश्य पता रहता है कि अमरीकी उपयोग के लिए कितनी धनराशि निकलवाई गई है ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पी० एल०-480 की निधियों का एक भाग भारत में ग्राम विद्युतीकरण के लिए रखा गया है और यदि हां, तो कितना धन इस कार्य के लिए रखा गया है ? क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के हिस्से के लिए जो धनराशि सुरक्षित की गई है, वह राज्य की आवश्यकताओं से कहीं कम है और यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण के लिए इस धनराशि में वृद्धि करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अगर आप इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछें, तो मैं आपको सूचना दे सकूंगा ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : पी० एल०-480 के अन्तर्गत जो धनराशि एकत्रित हुई है वह अमरीका से खरीदे गये खाद्यान्नों के फलस्वरूप हुई है । इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि यदि सम्पूर्ण नहीं, तो इसमें से कुछ धनराशि कृषि विकास कार्यों में लगाई जा सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन निधियों का उपयोग हम बजट में गत कई वर्षों से कर रहे हैं। अब इन्हें दूसरी ओर बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इनमें से कुछ निधियां अमरीकी स्वामित्व के अन्तर्गत आती हैं और उनका प्रयोग करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारियों का सम्मेलन

*126. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारियों के सम्मेलन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिये अनुवर्त्ती कार्यवाही करने में असफलता के कारण सरकार की आलोचना की गयी थी ;

(ख) क्या सम्मेलन में पास किये गये प्रस्ताव की प्रति सरकार को प्राप्त हो गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) सम्मेलन में अन्य किन-किन बातों पर विचार किया गया तथा क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अप्रैल, 1971 में हुए एक सम्मेलन में, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक उद्योग के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव पास किये थे । उन्होंने इन प्रस्तावों की प्रतिलिपियां सरकार को भेजी

थीं। उनमें निर्दिष्ट कुछ महत्वपूर्ण विषय ये थे : छोटे किसानों और उपेक्षित क्षेत्रों के अन्य वर्गों को ऋण देना, सट्टेबाजी और अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋण को प्रतिबंधित करना, छोटे और एक-राज्य बैंकों का विलीनीकरण विदेशी बैंकों सहित सभी शेष बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, बैंकों के सभी स्तरों पर सभी नीति निर्धारक समितियों में बैंक कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक आदि के निदेशकों के बोर्डों का पुनर्गठन करना।

जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, हमने अपने सामने दो आधारभूत लक्ष्य रखे हैं अर्थात् बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का निर्माण करना और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में ऋण का विस्तार करना। इस दिशा में पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नीतियां इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः निर्धारित की जा रही हैं। सट्टेबाजी और अनुत्पादक प्रयोजनों के लिये बैंक-ऋण के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से बड़े ऋण-खातों की भी अधिक सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है। पिछले महीने सरकारी क्षेत्र के बैंक अभिरक्षकों के साथ मेरी जो बैठक हुई थी उसमें बैंकों की नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक विचारविमर्श किया गया था। हमारी अर्थ-व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय करते समय, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर उचित ध्यान दिया जायगा।

श्री मुहम्मद शरीफ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या छोटे किसानों को दिये जाने वाले ऋण की सुविधाओं को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रमुख नीति यह है कि इनसे अभी तक अपेक्षित लोगों या दूसरे शब्दों में जिन्हें "प्राथमिकता क्षेत्र" कहा जाता है, लोगों को ऋण दिया जाये। छोटा किसान भी इन्हीं में से एक है। परन्तु आरम्भिक समय में हम ऐसा नहीं कर पाये थे। मैं यह नहीं कह सकता कि हम इसे संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित कर पाये हैं क्योंकि इसके रास्ते में जहां एक ओर कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी अड़चनें थीं, दूसरी ओर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के रुख का भी प्रश्न था। ऋण देने के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक बनाने के लिए एक ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई थी जोकि गत कुछ महीनों से कार्य कर रहा है और वह इस प्रकार के ऋणों के लिए गारंटी देगा और जहां तक सम्भव होगा किसी तीसरी पार्टी की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण प्रस्तावों के लिए शाखा प्रबन्धक को विश्वास दिलायेगा और वह इन आवेदन पत्रों पर निर्णय ले सकेंगे। इसी लिए यह हमारे सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण प्रमुख मामला है। अतः इस कार्य के लिए कुछ समय लगना स्वाभाविक ही है क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का हमारा पहला उद्देश्य यही था कि जहां बैंक नहीं हैं वहां नये बैंक खोले जायें और जहां बैंक कम हों वहां बैंकों की और शाखायें खोली जायें। इसीलिए हमने बैंकों की कुछ शाखाओं का विस्तार किया है परन्तु कुछ लोगों ने इस विस्तार की आलोचना आरम्भ कर दी है। मैं मानता हूं कि बैंकों की नई शाखायें खोलने से कुछ धन व्यर्थ अवश्य होता है, परन्तु हमें ऐसा करना ही पड़ता है। जहां बैंक नहीं हैं वहां हमें बैंक इसलिए खोलने पड़ते हैं ताकि लोगों में जमा करने की आदत बढ़े।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, since the nationalisation, the deposits

of the banks have considerably decreased and even granting of loan for small industries has been stopped. Therefore, I would like to know the main reasons for stopping this loan ? Is it also a fact that since the nationalisation, the public and the bussiness men are dissatisfied with the working of bank employees ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे, उनमें निश्चय ही असंतोष है । यह पूर्णतया स्पष्ट है कि जो दल राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे उनके सदस्यों में काफी असंतोष है । परन्तु जहां तक इनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उसमें यह कहना कि बैंकों में पैसा आना कम हो गया है, ठीक नहीं है । वास्तविक बात तो यह है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बैंकों की स्थिति अधिक संतोषजनक है ।

दूसरे मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसमें कुछ त्रुटि थी । पिछली जनवरी में जब बैंकों की दर बढ़ा दी गई और धन के विस्तार को रोकने के लिए निदेश जारी किये गये । उस समय निम्न स्तर पर कुछ त्रुटियां देखने को मिलीं । ऐसा अनुभव किया गया और यह प्रवृत्ति देखने को मिली कि छोटे को ऋण देने का कार्य आवश्यकता से अधिक सरल था । परन्तु अब इसे ठीक कर दिया गया है । मैंने स्वयं इसे देखा है । अप्रैल के महीने में मेरी बैंक के कस्टोडियनों के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया था और मुझे विश्वास है कि इस प्रवृत्ति को रोकने का कार्य अब आरम्भ किया जा चुका है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir it is a matter of pleasure that there was a conference of Bank Employees. I would like to know the steps taken in the conference to improve the conduct of bank employees and check corruption because it is encouraged by the bank employees. I would also like to know the steps taken by the Government to facilitate loans to small traders ? Has any instructions been issued to banks for imposing maximum ceiling on the loan being granted to rich people ? The increase in bank rate is hampering the poor and it has been admitted by the hon. Minister that he is not satisfied with the working of banks, so I would like to know what steps are being taken to ensure smooth working of banks ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पहली बात तो यह है कि सभी बैंक कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना गलत है । सदाचार तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनिवार्य है । जब कभी भी भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया गया है हमने उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रयत्न किया है । हमने विभिन्न बैंकों में गुप्तचर कक्ष स्थापित करने आरम्भ कर दिये हैं । कस्टोडियनों के साथ भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था । बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ भी मेरी बातचीत हुई थी और प्रसन्नता का विषय है कि वह भी राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए उत्सुक थे । अतः हमें यह नहीं कहना चाहिये वह राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए उदासीन हैं । वह इस कार्य में हमारे पूर्ण सहयोगी हैं और मुझे उनके सहयोग की आवश्यकता भी है । अतः किसी वर्ग विशेष के प्रति मेरा कोई संदेह नहीं है ।

इनकी दूसरी बात में निश्चय ही कुछ सच्चाई है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण से मैंने, आपने या इस संसद ने जो अपेक्षा की थी, राष्ट्रीयकरण के परिणाम अभी उसके अनुरूप नहीं हुए हैं । इसके लिए अभी हमें निरन्तर प्रयत्नशील रहना होगा । माननीय सदस्य महोदय का मेरे साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है और उन्होंने मेरा ध्यान कुछ तथ्यों की ओर दिलाया है । मैं समय समय पर उसकी ओर ध्यान दे रहा हूं । अतः जो हमारा लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra : The increased bank rates have added to the miseries of people.

Shri Y. B. Chavan : I have already accepted that some poor people have suffered from it. We are taking action to freeze loan to rich and facilitate loan to poor.

Shri Ram Deo Singh : Is it a fact that agriculture loan started by nationalised banks has now been stopped.

Shri Y. B. Chavan : It has not been stopped but it has been hampered to some extent. Action has been initiated to leave off its effect.

Shri Ram Deo Singh : I will request the hon. Minister to collect information regarding Bihar. The agriculture loan being granted by these banks has been stopped and this must be inquired into.

Shri Y. B. Chavan : I have noted your point. In case you have got a specific case please bring it to my notice and I will look into the same.

श्री सी० ई० भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय को मालम है कि बैंक प्रबन्धकों के टाल-मटोल के कारण छोटे छोटे लोगों को बहुत कम ऋण प्राप्त हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की यह नीति असफल रही है ? छोटे छोटे ऋणों की वसूली की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये, बैंक प्रबन्धक छोटे छोटे ऋण देना पसन्द नहीं करते।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि यह निष्कर्ष न्यायोचित नहीं है। यदि इस वर्ष 1968, 1969, 1970 और 1971 में खोले गये कृषि खातों को देखें, तो इन खातों की संख्या में कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। जो धनराशि इस प्रकार के अग्रिम ऋणों के लिए निर्धारित की गई है, उसमें भी वृद्धि हुई है। यह एक अलग बात है कि यह वृद्धि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। मैं स्वयं इस बात को कहता हूं कि मैं इससे पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं। परन्तु यह फिर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी बचत क्षमता कितनी है और जहां आवश्यकता हो, इसे वहीं सप्लाई किया जाय। यह अधिकतर गांरटी योजना पर निर्भर करता है। यद्यपि निगम ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि यह योजना एक अप्रैल से क्रियान्वित की जायेगी परन्तु मुझे यह सूचना मिली है कि दूर दूर के क्षेत्रों के कुछ शाखा प्रबन्धक इस प्रकार के हैं जिन्हें इस योजना की कोई जानकारी ही नहीं है। अत: वास्तविक बात यह है कि बैंक कर्मचारियों का शिक्षण और प्रशिक्षण अनिवार्य है परन्तु इस कार्य में समय लगेगा। मैं स्थिति से पूर्णतया अवगत हूं। स्थिति को ठीक करने के लिए मैं उचित कदम उठाऊंगा।

जम्बो जेट विमानों की उड़ानों के संचालन के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ समझौता

*128. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के साथ हुए वर्तमान समझौते के अन्तर्गत जम्बो जेट विमानों की उड़ाने उस देश से होकर होने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या ब्रिटेन सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ शंकाएं व्यक्त की गई हैं ;

(ग) क्या इस मामले में कोई समझौता हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो जम्बो विमानों के संचालन पर इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान करारों के विषय में भारत सरकार की व्याख्या के अनुसार एयर इंडिया को लंदन में से होकर उत्तरी अटलांटिक सागर के पार जम्बो जेट सेवा परिचालित करने का अधिकार है । इस स्थिति के बारे में युनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा विवाद उठाया गया था ।

(ग) जी, हां । एयर इंडिया और बी० ओ० ए० सी० के बीच एक वाणिज्यिक समझौता हो गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश से एक शिष्टमंडल लंदन गया जिसने काफी सौदेबाजी के बाद बी० ओ० ए० सी० के साथ समझौता किया ताकि हमारे जम्बो जेट लंदन से यात्री लेकर न्यूयार्क जा सकें ? यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है जो एयर इन्डिया और बी० ओ० ए० सी० के बीच हुआ ?

डा० कर्ण सिंह : दो एयरलाइनों के बीच हुआ समझौता पूर्णतः व्यपारिक है और एयर इंडिया के हित में ब्यौरा देना उचित नही होगा क्योंकि वह उन करारों के अंग हैं जो विश्व के अनेकों एयरलाइनों के बीच हुए हैं । मैं कह सकता हूं कि एक पारस्परिक संतोषजनक समझौता हुआ है ।

श्री के० लकप्पा : समझौते में कुच्छ गड़बड़ हुई है, कुच्छ घोटाला हुआ है ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी ।

श्री एस० एम० कृष्ण मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि...

अध्यक्ष महोदय : आपने दिये गये समय के अनुसार प्रश्न पूछ लिया है । आप दूसरा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कहूंगा कि कृपया बैठ जायें । आप अपने अवसर पर बोल चुके हैं ।

श्री एस० एम० कृष्ण : यदि आपका आदेश है तो मैं इसका पालन करने के लिये तैयार हूं । मैं आपसे इस पर पुनः विचार करने का आग्रह करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक पुराने सदस्य हैं । आप इसके बारे में जानते हैं । आप अवसर पर बोल चुके हैं । श्री सांघी ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय के उत्तर ने एक बड़ा संदेह उत्पन्न कर दिया है कि एयर इण्डिया ने बी० ओ० ए० सी० से जो समझौता किया है उसको जानकारी सदस्यों को नहीं दी जा सकती । यह सचमुच गम्भीर मामला है । समझौता के अनुसार यदि आप निश्चित संख्या से

अधिक यात्रियों को ले जाते हैं तो आपको बी० ओ० ए० सी० को मुआवजा देना पड़ेगा। मैं उस संख्या के बारे में जानना चाहता हूं जिससे अधिक यात्री आप नहीं ले जा सकते और जिसका आपको मुआवजा देना पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार मुआवजा इतना अधिक है कि एयर इण्डिया के लिये व्यापारिक दृष्टि से अलाभकारी है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जम्बो जेट को एटलांटिक सागर पर उड़ान के लिये भी ऐसे ही प्रबंध किये गये हैं जिससे एयर इण्डिया को काफी आय हो।

डा० कर्ण सिंह : हमने बोईंग 747 लिये हैं जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन सहित सभी देशों से नये समझौतों के लिये बातचीत करनी है, जिससे नये जहाज उड़ सकेंगे। न्यूयार्क के लिये अटलांटिक मार्ग बहुत लाभदायक है। यदि एयर इंडिया को प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के बीच अपना स्थान बनाना है तो इसे आधुनिकतम औजारों के साथ उस मार्ग से होकर उड़ना पड़ेगा। अतः यह बी० ओ० ए० सी० से बातचीत कर रहा है और अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है। इन वाणिज्यिक समझौतों का ब्योरा यहां देना जरूरी नहीं है क्योंकि अन्य देशों के साथ बात करते हुये यदि समझौते के ब्यौरे का पता लग जाये तो अन्य देशों के साथ समझौता करते हुये हमारी सौदेबाजी की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। जो भी समझौता होता है, सरकार की स्वीकृति से होता है। अतः किसी प्रकार के गड़बड़ घोटाले का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह पूर्णतः वाणिज्यिक समझौता है। एयर इंडिया कभी उस समझौते के लिये सहमत नहीं होगा जो उनके हित के विरुद्ध हो।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं आपके सुझाव को स्वीकार करता हूं।

वैयक्तिक जमानत पर लोगों के ऋण देने के बारे में सरकार की नीति

*130. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति वैयक्तिक जमानत पर लोगों को ऋण देने की है ताकि वे कोई लाभप्रद व्यवसाय कर सकें ; और

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक इस नीति को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं और वैयक्तिक जमानतों के अतिरिक्त जमानतों पर तथा समर्थक जमानतों के लिये भी जोर दे रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने उन्हें छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण देने के सम्बन्ध में एक उदार नीति अपनाने की सलाह दी है जिसके अनुसार ऋणों के लिये दी जाने वाली जमानत के स्वरूप की बजाय योजना की कार्यचालन क्षमता और प्रायोजना की सुदृढ़ स्थिति पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया को फिर से निर्धारित कर रहे हैं।

Shri N. K. Sinha : Is the Government aware that hardly any bank worked as per this policy ? No bank is adopting this policy. Not to speak of one, they ask for two surities. Not even a single small rikshawala got loan without two surities.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने यही कहा था, इस कठिनाई पर काबू

पाने के लिये, हमने गारंटी कार्पोरेशन की स्थापना की है जिसने पहली अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऋण के प्रस्तावों पर आर्थिक दृष्टि से विचार करना होगा। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। यदि तीन पक्ष की जमानत की व्यवस्था न हो तो प्रस्ताव पर इसके स्वाभाविक गुणों सहित विचार करना होगा।

Shri N. K. Sinha : I agree that individual or institution can only give loans after examining its economic aspects. What assistance will be rendered to a rikshawala who has to pay Rs. 200/- for getting a loan of Rs. 700/- ?

Shri Yeshwantrao Chavan : If it is so that is wrong. It can be considered.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आय-कर सुधारों के संबंध में भूतलिंगम् समिति का प्रतिवेदन

*127. **श्री दंडपाणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर सुधारों सम्बन्धी भूतलिंगम् समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकार ने कर सम्बन्धी कानूनों का अध्ययन करने तथा उन्हें सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए 1966 में श्री एस० भूतलिंगम् की नियुक्ति की थी। श्री भूतलिंगम् ने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट 5 अप्रैल 1967 को और अपनी अंतिम रिपोर्ट 26 दिसम्बर, 1967 को सरकार को पेश की थी जिनमें उन्होंने कर कानूनों को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने के लिए कई उपाय सुझाए थे। जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर दिया है, वे संक्षेप में अनुबंध में दी गई हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 235/71]

लघु उद्योगों को ऋण देने के बारे में भारत के स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया परिपत्र

*129. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत के स्टेट बैंक के लघु उद्योगों को दिये जाने वाले तथा कृषि कार्यों के लिये दिये जाने वाले ऋण देने में तत्परता न बरतने के आशय का एक परिपत्र अपनी शाखाओं को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार को मालूम नहीं है कि ऐसा कोई परिपत्र जारी किया गया है।

तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें

*131. **श्री ए० पी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय वेतन आयोग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कितना समय लेगा ; और

(ख) आयोग ने अपने कार्य में अब तक कितनी प्रगति की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयोग के काम की वर्तमान स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के बारे में तथा आयोग को सौंपे गये अन्य प्रश्नों के बारे में तृतीय वेतन आयोग को अपनी सिफारशें पेश करने में कितना समय लगेगा। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि वर्तमान आयोग के निर्देश-पद द्वितीय वेतन आयोग के निर्देश-पदों की अपेक्षा बहुत व्यापक हैं। आयोग से कहा गया है कि यथाव्यवहार्य शीघ्रता से अपनी रिपोर्ट पेश कर दे और आयोग से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह यथासम्भव शीघ्रता से ऐसा करेगा।

(ख) सितम्बर, 1970 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के बारे में आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करने के बाद नवम्बर, 1970 में एक प्रश्नावली जारी की थी जो बहुत से निकायों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों, प्रमुख नागरिकों आदि को भेजी गयी थी और उनसे प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण किया जा रहा है। वर्तमान में आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुछ चुने हुए संघों/संस्थाओं आदि के साथ चर्चाएं कर रहा है और ख्याल है कि ये चर्चाएं काफी समय तक चलती रहेंगी। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम हाथ में लेने से पहले सरकार के प्रतिनिधियों के साथ और अन्य साक्षियों के साथ भी चर्चाएं करेगा।

पूर्वी बंगाल से आने वाले शिक्षा-विज्ञों, प्रोफेसरों तथा अध्यापकों को निर्वाह-भत्ता

*132. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान द्वारा बुद्धिजीवियों पर किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में शिक्षा-विज्ञों, प्रोफेसरों तथा अध्यापकों ने भारत में शरण ली है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने उनको अस्थायी रूप से निर्वाह भत्ता देने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) से (ग). बंगला देश में पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये हिंसात्मक अत्याचारों का एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह भी हुआ है कि एक बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कालेज तथा स्कूल के अध्यापक, कलाकार और अन्य बुद्धिजीवी बंगला देश से भाग कर भारत आये हैं। सरकार, ऐसे बुद्धिजीवियों की संख्या तथा उनकी योग्यता के क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 21-5-1971 तक

की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार, 90 विश्वविद्यालय अध्यापकों और 700 कालेज अध्यापकों ने यहां रोजगार प्राप्त करने के लिये उनसे आवेदन किया था । इनमें से अनेक अध्यापकों तथा प्रोफेसरों ने ऐसे क्षेत्रों में काम करने की इच्छा प्रकट की है जो उनके देश के भविष्य से संबद्ध हों । यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । यह समस्या, इन अध्यापकों तथा प्रोफेसरों को भारत में रोजगार देने अथवा उनके भरण-पोषण के लिए उनको भत्ता देने की नहीं है बल्कि उनके लिये उपयोगी कार्य के रास्ते खोज निकालने की है ।

बंगला देश से आये विश्वविद्यालय-अध्यापकों की सहायता

*133. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से बड़ी संख्या में कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थाई तौर पर भारत में आये हैं और उन्होंने विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कालेजों में रोजगार दिलाने के लिये अध्यापकों की सहायता करने का प्रयास किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). बंगला देश में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हिंसात्मक अत्याचारों का एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह भी हुआ है कि एक बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कालेज तथा स्कूल के अध्यापक, कलाकार और अन्य बुद्धिजीवी बंगला देश से भाग कर भारत आये हैं । सरकार, ऐसे बुद्धिजीवियों की संख्या तथा उनकी योग्यता के क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 21-5-1971 तक की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार, 90 विश्वविद्यालय-अध्यापकों और 700 कालेज अध्यापकों ने यहां रोजगार प्राप्त करने के लिए उनसे आवेदन किया था । इनमें से अनेक अध्यापकों तथा प्रोफेसरों ने ऐसे क्षेत्रों में काम करने की इच्छा प्रकट की है जो उनके देश के भविष्य से सम्बद्ध हों । यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । यह समस्या, इन अध्यापकों तथा प्रोफेसरों को भारत में रोजगार देने अथवा उनके भरण-पोषण के लिये उनको भत्ता देने की नहीं है बल्कि उनके लिये उपयोगी कार्य के रास्ते खोज निकालने की है ।

वर्ष 1971-72 को लिये राज्यों के घाटे के बजट

*134. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने वर्ष 1971-72 के अपने बजटों में घाटे की बड़ी रकम को पूरा करने का उपबन्ध नहीं किया है और यदि हां, तो राज्यवार ऐसे घाटों की कुल राशि कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों पर कभी इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि वे अपने वित्त को व्यवस्थित करें और स्थिति में सुधार करने के लिये उन्हें क्या उपाय सुझाये गये हैं ; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग). भारत सरकार, समय समय पर सभी राज्यों से अनुरोध करती रही है कि वे अपनी बजट सम्बन्धी स्थिति का लगातार पुनरीक्षण करते रहें, ताकि उनके व्यय और उपलब्ध साधनों में असंतुलन होने के कारण उन्हें बार बार घाटे का बजट न बनाना पड़े। राज्य सरकारें इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उन्हें उनके साधनों के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा मूल्यांकित अपरिहार्य कमी को पूरा करने के लिए स्वीकृत विशेष सहायता की राशि से (ऋण के रूप में) अधिक रकम नहीं मिल सकती।

अभी तक अधिकतर राज्यों ने लेखानुदान बजट प्रस्तुत किये हैं। इसलिये राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब वे अन्तिम बजट प्रस्तुत करेंगे।

विवरण

राज्यों के 1971-72 के बजटों में दिखाये गये घाटे जिन्हें पूरा करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

(करोड़ रुपयों में)

राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश			9.89
2. असम	...	...	4.78
3. बिहार	...	...	10.05
4. गुजरात	...	...	7.54
5. हरियाणा	...	...	4.07
6. हिमाचल प्रदेश		...	0.30
7. केरल			13.15
8. मध्य प्रदेश			10.04
9. महाराष्ट्र	...	...	35.18
10. मैसूर	...	...	14.46
11. नागालैंड	...	...	2.88
12. पंजाब	...	...	6.25
13. राजस्थान	...	...	23.91
14. तमिलनाडु	...	...	12.32
15. उत्तर प्रदेश	...	...	17.55
16. पश्चिम बंगाल	...	...	28.60
जोड़			200.97

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अप्रैल, 1971 में बैठक

*135. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक अप्रैल, 1971 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या सिफारिशें की गयी थीं तथा क्या-क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) उन सिफारिशों/निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक सभा अप्रैल, 1971 के अन्तिम सप्ताह में की गयी थी ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था, उनमें समुचित रोजगार के अवसरों को जुटाना और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में ऋण का विस्तार करना, ये विषय भी शामिल थे । आत्म-नियोजित व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं देने और उसके सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शन सिद्धान्तों के विषय में ठक्कर समिति प्रतिवेदन की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि आत्म-नियोजित व्यक्तियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूरा किया जाना प्रत्येक शाखा के अभिकर्ता का मुख्य कार्य समझा जाना चाहिये ।

प्रत्येक बैंक के लिये पर्याप्त ऋण प्रायोजना की आवश्यकता और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी मांग की पूर्ति की नितान्त आवश्यकता पर भी बल दिया गया । बैंकों पर इस बात के लिये भी जोर दिया गया कि वे अपनी जमा की रकमों में वृद्धि करने और रिजर्व बैंक से उधार ली जाने वाली रकमों को जिनसे मुद्राबाहुल्यकारी प्रभाव बढ़ता है, कम से कम रखने के लिये और अधिक प्रयत्न करें । कार्यकारी अधिकारियों को यह परामर्श भी दिया गया कि वे अधिक ऋणों के खातों की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिये पर्याप्त उपाय करें । उन सिद्धान्तों की भी जांच की गयी, जिनके आधार पर बैंक के कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली और प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है । बैंक राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिये कर्मचारियों का और अधिक सहयोग प्राप्त करने के उपायों पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया ।

आयकर विभाग द्वारा छापे

*136. **श्री एन० एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयकर अधिकारियों ने दिल्ली, पानीपत और देहरादून में कुछ व्यापार गृहों पर छापे मारे और काले धन से सम्बन्धित बहुत से अपराधारोपक लेख्य पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जांच पड़ताल जारी है। सफल जांच के हित में इस समय ब्यौरे जाहिर करना सम्भव नहीं है। फिर भी, आवश्यकतानुसार सभी कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मूल्यों के बारे में अध्ययन

*137. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अपने अध्ययन में बताया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में मूल्यों की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक दिखाई नहीं देती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों को कम करने के लिये कोई ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार मूल्यों सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा लगातार करती रहती है और मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए, जब कभी आवश्यक हो, कदम उठाये जाते हैं। मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्यौरा आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 757 के उत्तर में दिया गया है।

उड़ीसा में पर्यटक केन्द्रों का विकास

*138. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य भी निरन्तर रूप से यह मांग कर रहा है कि वहां के कुछ क्षेत्रों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किया जाये ; और

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में कतिपय क्षेत्रों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया था ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). सरकार उड़ीसा के पर्यटक आकर्षण स्थलों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने के लिये दिये गये सुझावों के प्रति सचेत है। चौथी योजनावधि में पर्यटन विभाग द्वारा कोणार्क में पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने का, तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा भुवनेश्वर और कोणार्क में आवास सुविधाओं का सुधार एवं वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा हड़तालों के कारण उठाई गई भारी हानि

*139. **श्री पी० एस० पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स को हाल ही में कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल किये जाने के कारण भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और क्या भविष्य में एयरलाइन्स को सुचारु रूप से चलाने के लिये कोई ठोस उपाय किये हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या विमान सेवाओं में अब भी गड़बड़ है और वे समयानुसार नहीं चल रही हैं और यदि हां, तो एयरलाइन्स की विमान सेवाओं को नियमित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो इंडियन एयरलाइन्स की संगठनात्मक एवं प्रशासकीय रचना तथा उसके प्रबन्धक और कर्मचारी वर्गों के आपसी सम्बन्धों की जांच करेगी, और विशेषत: उसकी कार्मिक नीतियों एवं कार्य-प्रणालियों की दृष्टि से सरकार को सिफारिशें प्रदान करेगी ।

(ग) यद्यपि अन्तर्देशीय विमान सेवायें अभी पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हुई हैं, तथापि स्थिति में शीघ्र सुधार होने की सम्भावना है ।

आयकर की बकाया राशि

*140. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री 2 अप्रैल, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यवसायिक गृहों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर आयकर की बकाया राशि एक करोड़ रु० से अधिक है ;

(ख) सरकार ने वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में इन फर्मों/व्यक्तियों के मामलों में कितनी राशि बट्टे-खाते में डाली ; और

(ग) इन पार्टियों/लोगों से कितनी राशि वसूल कर ली गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). व्यक्तियों, फर्मों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, कम्पनियों और व्यक्तियों की संस्थाओं के बारे में मांगी गई सूचना जैसा कि वह 31-3-1971 को थी, एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन मार्ग पर भाड़े की सामान्य दरों में वृद्धि

*141. **श्री पी० के० देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का भाड़ा दरों के सम्बन्ध में सम्मेलन भारत में हाल ही में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन मार्ग पर भाड़े की सामान्य दरों में प्रस्तावित 15 प्रतिशत वृद्धि के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अप्रैल 1971 में

भारत-यू० के० ने महाद्वीप सम्मेलन के शिष्ट मंडल ने भारत सरकार से विचार विमर्श किया।

(ख) पहली जून सन् 1971 से भाड़ा दर पर 15 प्रतिशत सामान्य बढ़ोत्तरी करने के प्रश्न पर जिसका सम्मेलन ने नोटिस दिया है पर और 30-11-1970 को लगाये गये लन्दन-सरचार्ज के प्रत्याहार के बारे में विचार विमर्श किया गया।

(ग) अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है। जल्दी ही इस विषय पर सम्मेलन के साथ आगे विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है।

बीड़ी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले तम्बाकू पर उत्पादन कर

*142. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले पत्तीदार तम्बाकू पर लगा उत्पादन कर सिगरेट और नसवार बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पत्तीदार तम्बाकू पर लगे उत्पादन कर की अपेक्षा अधिक है;

(ख) क्या पत्तीदार तम्बाकू उगाने वालों ने पहले ही यह मांग की हुई है कि बीड़ी और सिगरेट में प्रयुक्त होने वाले तम्बाकू पर लगे उत्पादन कर को कम कर दिया जाये अथवा दोनों प्रकार के तम्बाकू पर लगे उत्पादन कर की दर समान कर दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) 'बीड़ी' के निर्माण में प्रयुक्त, भाप द्वारा नहीं सिझाये गये तम्बाकू पर लगने वाला उत्पादन-शुल्क, सिगरेट तथा नसवार के निर्माण में प्रयुक्त इसी प्रकार के तम्बाकू पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की अपेक्षा अधिक है ; किन्तु 'बीड़ी' तथा नसवार के निर्माण में प्रयुक्त भाप द्वारा सिझाये गये तम्बाकू पर लगने वाला उत्पादन-शुल्क, सिगरेट के निर्माण में प्रयुक्त इसी प्रकार के तम्बाकू पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क की अपेक्षा कम है।

(ख) तथा (ग). जी, नहीं। किन्तु, देश के कुछ भागों से तम्बाकू उगाने वालों ने प्रार्थना की थी कि उनके क्षेत्र में उगायी गयी तथा बीड़ियों के निर्माण में प्रयुक्त पत्तीदार तम्बाकू पर, खायी जाने वाली तम्बाकू, नसवार तथा हुक्का आदि में इस्तेमाल किये जाने वाली तम्बाकू पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की अपेक्षा अधिक उत्पादन शुल्क नहीं लगना चाहिये। सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया था किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया।

भार वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिये पोत उपलब्ध करने सम्बन्धी योजना

*143. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की नौवहन भार वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिये सरकार बहुत से पोत उपलब्ध करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन पोतों के खरीदने में कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस परियोजना परिव्यय में कितनी विदेशी मुद्रा निहित है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). भारत सरकार स्वयं जहाजों का अर्जन नहीं करती है परन्तु वह पोत-परिवहन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृत करती है ।

1970-71 में 163.44 करोड़ रुपये की लागत के 6.05 लाख जी० आर० टी० के 26 जहाजों का अर्जन सरकार ने मंजूर किया । 1-4-1971 के बाद लगभग 15 करोड़ रुपये के लागत पर 1.51 लाख जी० आर० टी० के 3 और जहाजों का अर्जन भी मंजूर किया गया है । लगभग 59 करोड़ रुपये की लागत के 2.76 लाख जी० आर० टी० के 6 जहाजों के अर्जन के लिये 4 पोत-परिवहन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिनमें भुगतान विदेशी मुद्रा में होना है, विचार के विभिन्न चरणों पर है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का हिन्दी माध्यम

*144. **श्री जदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे नये शिक्षा वर्ष के आरंभ से हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनायें ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के इस निदेश से अहिन्दी भाषी क्षेत्र, विशेष कर केरल राज्य के विद्यार्थियों के माता-पिताओं और शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). जी, नहीं । सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निदेश जारी नहीं किया गया है । तथापि, अप्रैल, 1971 में प्रेस के कुछ समाचारपत्रों में इस आशय की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिससे लगता था कि केन्द्रीय मंत्रालय ने निदेश जारी किए हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय पूरी तरह से हिन्दी माध्यम के स्कूलों में बदल जाएंगे । चूंकि यह वास्तव में सही नहीं था, अत: गलत रिपोर्टों का खण्डन करने के लिये तत्काल ही एक 'प्रेस नोट' जारी किया गया था ।

पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात समझौता

*145. **डा० सरदीश राय** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1971 में 1500 लाख के मूल्य की वस्तुओं के सम्बन्ध में पी० एल० 480 के अन्तर्गत एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात की निर्भरता को जिसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है, समाप्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां। एक नोट सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें करार की मुख्य-मुख्य बातें बतायी गयी हैं। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये करार की प्रतियां अलग से संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। 1971 के पश्चात् खाद्यान्न के रियायती आयात को बन्द करने से सम्बन्धित निर्णय की घोषणा सरकार ने पहले ही कर दी है। परन्तु देश में कपास तथा खाद्य-तेलों के उत्पादन और अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के बीच विद्यमान भारी अन्तर के कारण कुछ वर्षों तक कपास तथा सोयाबीन के तेल का आयात जारी रखना होगा। इन वस्तुओं का देश में यथाशीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

पहली अप्रैल, 1971 को हस्ताक्षरित पी० एल० 480 करार यथासंशोधित की मुख्य बातें

अमेरिका से कृषि वस्तुओं की पूर्ति के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ पहली अप्रैल, 1971 को एक पी० एल० 480 करार किया गया। इस करार की राशि मई, 1971 में कुछ और बढ़ा दी गई (15.00 करोड़ डालर से 15.83 करोड़ डालर)। इन परिवर्धनों को हिसाब में लेते हुये अब करार में 15.83 करोड़ डालर के मूल्य का 15,70,000 मेट्रिक टन गेहूं, भारतीय गांठों के रूप में 250,000 गांठ कपास (अमरीकी गांठों के रूप में 200,000 गांठ) तथा 102,000 मेट्रिक टन सोयाबीन के तेल का आयात किये जाने की व्यवस्था है। इस आयात के लगभग 80 प्रतिशत अंश के लिये अदायगी रुपयों में नहीं की जानी है। इसकी अदायगी परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋण शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी ; अर्थात् यह अदायगी डालरों में 40 वर्षों में की जायगी जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि भी सम्मिलित है। शेष 20 प्रतिशत आयात की अदायगी रुपयों में की जायेगी। रुपयों के रूप में इस राशि का 93 प्रतिशत अंश भारत सरकार को ऋण देने तथा 7 प्रतिशत अंश संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोग के लिये निर्धारित किया गया है। डालर तथा रुपया ऋणों पर पहले 10 वर्षों में 2 प्रतिशत की दर से तथा बाद के 30 वर्षों में 3 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

2. करार में संयुक्त राज्य अमेरिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने उपयोग के लिये निर्धारित रुपयों में से 75 लाख डालर की रकम कृषि तथा शैक्षणिक विनिमय क्रियाकलापों के लिये तथा भारत में अमरीकी पर्यटकों एवं नागरिकों को विक्रय के लिये किसी तीसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित कर सकता है।

मिथिला विश्वविद्यालय

*146. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा राज्य के एक्जीक्यूटर ने प्रस्तावित मिथिला विश्वविद्यालय के लिये 2 करोड़ रुपये के मूल्य से भी अधिक का राज्य का मुख्य कार्यालय, ग्रंथालय और अतिथि-गृह औपचारिक रूप से बिहार के मुख्य मंत्री को सौंप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय को तुरन्त आरम्भ करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में, बिहार सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना है ।

Shortage of Small Coins

*147. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Mohan Swarup** :
Shri M. Ram Gopol Reddy :

Will the Minister of **Finance** (**Vitta Mantri**) be pleased to state :

(a) whether small coins still continue to be in short supply in several parts of the country ;

(b) if so, the reasons thereof ;

(c) whether 20 paise coins are being melted for manufacturing fountain pen nibs which fetch a very high price in the market ; and

(d) the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Vitta Mantralaye Men Rajya Mantri) (Shri K. R. Ganesh) : (a) From the complaints which are still being received from a number of places, it appears that the shortage of coins still continues in some areas, though the situation now is improving steadily.

(b) The main cause of the shortage seems to be the diversion from circulation of cupro-nickel coins of 2 paise and 5 paise denominations due to their metal values having risen far beyond their face value. The Aluminium Magnesium coins of these denominations which have been put into circulation from 1965 and 1967 respectively have not apparently fully replaced the cupro-nickel coins that must have gone out of circulation. The shortage has been aggravated by hoarding which is usual in such situations.

(c) Enquiries made of the Directors of Industries in a few States do not substantiate the reports which appeared in newspapers that the 20 paise coins are being melted for manufacturing fountain pen nibs. Moreover, the metal value of 20 paise Aluminium Bronze coins is only about 7 paise which should make it very uneconomic as a raw material for making nibs.

(d) Government are examining the feasibility of making melting of coins an offence in law, but the shortage which has already occurred, has to be tackled on the basis of larger supplies out of larger production in the Mints. A statement explaining the steps already taken by Government and those under contemplation, for increasing the production in the Mints, is laid on the Table of the House.

Statement

The Mints at Hyderabad and Alipore were put to 60 hours working per week, as against 48 hours earlier, from October/November, 1970. The Bombay Mint was put to two-shift working of 9 hours each per day with an incentive scheme for additional production from January, 1971. As a result of these measures, the average daily production in the Mints had increased from about 12 lakh pieces to about 35 lakh pieces. The recent production statistics from the Mints indicate that the tempo has gained momentum and the average daily production in the three Mints is now over 50 lakh pieces. Government's intention is to take this up to 70 lakh pieces per day. For this purpose. Government have authorised induction of 400 additional industrial workmen in the Bombay Mint so that the daily output of coins can be increased by nearly 40% over its present level. There is also a proposal to introduce in the Alipore Mint two-shift working of 9 hours each, instead of the existing

single shift of 10 hours a day, and discussions are going on with the Labour Union for implementing it. The Hyderabad Mint has been authorised to use aluminінum extruded strips so that melting capacity does not become a bottleneck tn increasing production of aluminium magnesium coins.

विदेशी बैंकों को नियंत्रण में लेना

*148. **श्री आर० कडनापल्ली :**

श्री श्यामनंदन मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सरकार से देश में विदेशी बैंकों को अपने नियंत्रण में लेने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है ।

(ख) विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने के कारण संसद को कई अवसरों पर बता दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

पिछड़े ईसाई समुदाय को सुविधायें

*149. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े ईसाई समुदाय को उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का है जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को प्राप्त है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार को इसके लिये सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) और (ग). यह सम्पूर्ण प्रश्न और यह बात कि इसे किस प्रकार किया जाय, सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) हां, श्रीमान ।

भारत-ब्रिटेन योरोप मार्ग पर नौवहन भाड़े की दरों में वृद्धि

*150. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-ब्रिटेन-योरोप मार्ग पर नौवहन भाड़े की दरों में फिर से वृद्धि की गई है ;

(ख) इससे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा में कितना अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा ; और

(ग) भाड़े की दरों के बाद के सम्बन्ध में विदेशी पोत भारिकों (शिपर्स) पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। परन्तु भारत-यू० के० कांटिनेंट सम्मेलन ने 1-6-1971 से भाड़ा दर में 15 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है।

(ख) इसका ठीक-ठीक हिसाब लगाना कठिन होगा। मोटे आधार पर यदि 15 प्रतिशत की यह वृद्धि लागू होती है तो बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा में लगभग 3 करोड़ रु० की वार्षिक अतिरिक्त वृद्धि होगी।

(ग) भारत के विदेशी व्यापार से उत्पन्न माल-ढुलाई के हिस्से की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिये सरकार व्यापारी नौपरिवहन में अधिक से अधिक लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि करने की कार्यवाही कर रही है। इसके साथ ही सम्मेलनों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि भाड़ा दरों को निश्चित करने में भारत के निर्यात वस्तुओं के हित का पूरा ध्यान रखा जाये। उक्त दबाव सम्मेलन की सदस्यता प्राप्त करने वाली हमारी जहाजी लाइन के द्वारा और इन सदस्य-लाइनों के मार्फत अन्दर से और बाहर से पोतवाणिकों और सरकार के साथ के विचार-विमर्श के मार्फत डाला जा रहा है।

आसाम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37

609. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के संबंध में निर्धारित स्तर प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति का प्रतिवेदन

610. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री वी० भगवती की अध्यक्षता में गठित अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई है ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 236/71]**

(ग) जो सिफारिशें केवल राज्य सरकारों से संबंधित हैं वे कार्यान्वयन के लिये उन्हें अग्रेषित

कर दी गई हैं। जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों से संबंधित हैं, वे टिप्पणी के लिये राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। अन्य सिफारिशें जो केवल केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं, उनकी जांच संबंधित मंत्रालय कर रहे हैं। जहां तक चौथी योजना में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं का संबंध है, स्थिति यह है कि 12.42 करोड़ रुपये लागत की 31 योजनाओं में से 3.15 करोड़ रुपये लागत (समिति द्वारा अनुमानित 5.49 करोड़ रुपये की तुलना में) की 9 योजनाएं अब तक मंजूर की गई हैं। शेष योजनाएं अभी तक विचाराधीन है।

दिल्ली में स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता

611. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गर्मी की छुट्टियों के बाद जब दिल्ली के स्कूल पुनः खुलेंगे तो उस समय उनके लिए निर्धारित विभिन्न पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : दिल्ली प्रशासन ने, जोकि दिल्ली में कक्षा I से कक्षा VIII तक के लिए पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करता है, सूचित किया है कि छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। कक्षा IX, X और XI के लिए पाठ्य-पुस्तकें, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की जाती है। उनके विषय में ऐसा पता चला है कि ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं।

पुस्तकों का आयात

612. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से पुस्तकों के आयात पर कितना धन व्यय किया जा रहा है ;

(ख) क्या कुछ आयातित पुस्तकें लेखक अथवा प्रकाशक को, जो भी हो, रायल्टी देने के बाद पुनः मुद्रित कराया जा सकता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार और गैर-प्रतिलिप्य अधिकार वाली पुस्तकों और मिल्टन, शेक्सपीयर और दांते जैसे लेखकों के श्रेष्ठ साहित्य के आयात पर रोक लगाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आयात की गई पुस्तकों पर खर्च की गई राशि 1969-70 में 4,16,62,000 रु० और 1970-71 (नवम्बर, 1970 तक) में 3,26,65,000 रु० थी।

(ख) विदेशी प्रकाशनों के साथ करार के अन्तर्गत विदेशी पुस्तकों के ऐसे पुनर्मुद्रण संभव है तथा देश में ऐसी अनेक पुस्तकों का पहले ही से पुनरुत्पादन करवाया जा रहा है।

(ग) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रतिबंध पर विचार नहीं कर रही है, परन्तु आयातकों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि वे ऐसी पुस्तकों का आयात न करें जिनके पुनर्मुद्रण भारत में उपलब्ध हों। तथापि कुछ पुस्तकों—जैसे दी कम्पलीट वर्क्स आफ शेक्सपीयर एवं कुछ अन्य सामान्य पुस्तकें जो भारत में उपलब्ध हैं, उनके आयात पर भी रोक लगा दी गई है।

गुजरात में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को दिये गये ऋण

613. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा निम्न आय वाले लोगों की संख्या कितनी है जिनको गुजरात में पिछले तीन वर्षों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): दिसम्बर 1970 के अन्त में गुजरात में स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों में किसानों के उधार खातों की संख्या 23050 थी और इन खातों की बकाया रकम 7.79 करोड़ रुपये थी । उससे पहले के वर्षों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बैंक भूमिहीन मजदूरों और कम आय वाले लोगों को दिये गये ऋणों के आंकड़े अलग से नहीं रखते । फिर भी, स्टेट बैंक ने गुजरात में जिन खाता-धारकों को "लघु व्यवसाय वित्त", "लघु उद्योग" आदि शीर्षकों के अन्तर्गत 1000/- रुपये और इससे कम के ऋण मंजूर किये हैं, उनकी संख्या 1970 में 4927, 1969 में 3073 और 1968 में 2624 थी किन्तु इन खातों की बकाया रकमों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

गुजरात में सड़कों की कमी

614. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गुजरात में लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र में अभी तक सड़कें नहीं बनायी गई है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों के हैड-क्वार्टरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को पूरा करने के लिये सरकार का कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) समुद्रतटीय राजपथों तथा पाकिस्तान-सीमा के निकट सड़कों के निर्माण तथा विकास के लिये सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिए गुजरात को सहायता

615. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्छ, बनासकांठा, मेहसाना, साबरकंठा जिलों और अहमदाबाद के भाग में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए इन क्षेत्रों को प्रतिवर्ष कितनी विशेष सहायता दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूखा संबंधी राहत कार्यों पर व्यय के लिए राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है वह प्रत्येक जिला के आधार पर नहीं बल्कि राज्यों की राहत कार्य संबंधी समग्र आवश्यकता के आधार पर दी जाती है । गुजरात राज्य में सूखा संबंधी राहत कार्यों पर किये गये व्यय के संबंध में, गुजरात सरकार के लिए निम्नलिखित रकमें

मंजूर की गयी थी :—

	(करोड़ रुपयों में)
1968-69	4.50
1969-70	16.50
1970-71	5.04

समय समय पर, राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पहली अक्टूबर, 1968 से 31 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में, अहमदाबाद बनासकांठा, कच्छ, मेहसाना और साबरकांठा जिलों में सूखा संबंधी राहत कार्यों पर किये गये व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

जिले का नाम	1-10-1968 से 30-9-1969 तक	1-10-1969 से 31-12-1970 तक
1 अहमदाबाद	52.75	53.10
2 बनासकांठा	220.66	304.63
3 कच्छ	262.01	405.93
4 मेहसाना	97.33	63.18
5 साबर कांठा	287.14	114.51

कुछ केन्द्रीयकृत अभिकरणों द्वारा किये गये व्यय इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का पद

616. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का पद कब से रिक्त पड़ा है; और

(ख) क्या इस पद पर नियुक्ति हो चुकी है और यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और उसकी नियुक्ति की तिथि क्या है ?

शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) यह पद 21 सितम्बर, 1970 को रिक्त हुआ।

(ख) कई नाम विचाराधीन हैं और शीघ्र ही चयन कर लिया जायेगा।

हरिजन कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

617. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है; यदि हां, तो कब; और

(ख) बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में स्कूल के बच्चों को विटामिनयुक्त भोजन के निःशुल्क वितरण की योजना

618. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन साल से कम आयु वाले बच्चों में समेकित और विटामिनयुक्त डबल रोटियों के निःशुल्क वितरण की केन्द्र सरकार की योजना उड़ीसा राज्य में अब लागू की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो वहां अब तक यह योजना कहां कहां लागू की जा चुकी है और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को लागू करने वाले अभिकरण का नाम क्या है;

(घ) क्या इसके लिए केन्द्र सरकार ने कोई सहायता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक दी गई सहायता कितनी और किस प्रकार की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) (1) गन्दी बस्तियों में रहने वाले 3 साल से कम बच्चों को पूरक खाद्य प्रदान करना विशेष न्यूट्रीशन कार्यक्रम का लक्ष्य है। एक वर्ष से कम बच्चों को लगभग 200 कैलोरी तथा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन वाला खाद्य दिया जायेगा। एक से तीन वर्ष तक के बच्चों को 300 कैलोरी तथा 12 ग्राम अच्छे प्रोटीन वाला खाद्य दिया जायेगा।

(2) कटक शहर की गन्दी बस्तियों में जो 57 खाद्य केन्द्र चल रहे हैं उनमें 75 ग्राम की विटामिन से भरी दुग्ध-डबल रोटी का एक टुकड़ा प्रत्येक बच्चे को दिया जा रहा है।

(3) धेन कमल, गंजम, कालाहांडी, केंउझर, कोरापुट, मयूरभंज, फूलवाणी, सम्भलपुर जिलों के 1066 खाद्य केन्द्रों में कार्नफ्लावर, सोयाबीन तथा "केअर" द्वारा प्रदान किया गया दुग्ध पाउडर दिया जा रहा है।

(ग) (1) कटक शहर में नगरपालिका खाद्य केन्द्रों को चला रही है।

(2) आदिवासी क्षेत्रों में इन केन्द्रों को महिला समितियों, युवक संघों, कन्या आश्रमों और सेवा आश्रमों के द्वारा सामुदायिक विकास विभाग चला रहा है।

(घ) यह एक ऐसी केन्द्रीय योजना है जिसके अन्तर्गत इस कार्यक्रम के कार्य हेतु राज्यों और संघ क्षेत्रों को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ङ) वर्ष 1970-71 के लिए 51,000 आदिवासी तथा 5,550 शहरी बच्चों के लिए

32.80 लाख रुपये का नियतन था। इसमें से राज्य सरकार ने 1,68,400 रु० का ही उपयोग किया।

वर्ष 1971-72 के लिए 1,37,000 आदिवासी तथा 16,000 शहरी बच्चों, जो 6 वर्ष से छोटे हों, के लिए 29.34 लाख रुपये का नियतन है। गर्भवती स्त्रियों तथा छोटे शिशुओं की माताएं भी इस योजना के अन्तर्गत आती हैं।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा अमृतसर की ओ० सी० एम० कम्पनी को अपने अधिकार में लेना

619. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर स्थित ओरियन्ट कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को बिड़ला बन्धुओं द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके नियंत्रण / स्वामित्व के अन्तरण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा के विदेश भेजे जाने सहित इस मामले पर अपनी स्वीकृति दे दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकार को रैली इण्टरनेशनल लिमिटेड, लन्दन के बैंक नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, बम्बई के माध्यम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें ओ० सी० एम० (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के 100-100 रुपये के 25,000 सामान्य शेयर, जो कम्पनी की सकल जारी पूंजी है, बेचने की अनुमति मांगी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 237/71**]। यह बिक्री, रैली इण्टरनैशनल लिमिटेड द्वारा 31 खरीदारों के एक समूह के बीच (सूची संलग्न) 29 दिसम्बर, 1970 को किये गये बिक्री करार के अनुसार की जाने का प्रस्ताव है। खरीदारों के समूह में औरों के साथ-साथ बिड़ला समूह की एक कम्पनी, अर्थात् दिग्विजय वूलन मिल्स लिमिटेड. भी शामिल है।

करार के अनुसार विक्रय मूल्य 108 लाख रुपया रखा गया है। विक्रय मूल्य का 30 प्रतिशत शेयरों के अन्तरण के समय दिया जायेगा और बाकी 70 प्रतिशत पहली अदायगी की तारीख के बाद 12 महीनों के अन्दर अदा किया जाना है।

(ग) जी, नहीं। प्रस्ताव विचाराधीन है।

एस्कोर्ट्स लिमिटेड के कार्य परिणाम

621. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड की, उसकी स्थापना के समय कितनी प्रदत्त पूंजी थी और इस समय कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में इस संस्थान के कार्य का मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या कोई अनियमितताओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). यह कम्पनी, इसके पार्षद नियमों से, अभिदाताओं द्वारा अभिदत्त, 100 रु० की दर के 10 साधारण हिस्सों सहित, केवल 1000 रु० की प्रदत्त पूंजी युक्त, 1944 में, लाहौर में, मैसर्स एस्कोर्ट्स (एजेन्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड के नाम तथा रूप से निगमित हुई थी। कम्पनी ने जनवरी, 1960 में, अपना नाम मैसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड, परिवर्तित कर लिया, तथा 16-10-1970 को इसकी प्रदत्त पूंजी 4,00,02,640 रु० है। 1968 में एक सीमित निरीक्षण किया गया था एवं मार्च, 1968 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके कार्य-कलापों के समुचित निर्धारण के लिए, इस कम्पनी का, यथा शीघ्र, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण करने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक एककों द्वारा भारी स्टाकों का जमा किया जाना

622. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्यामनन्दन मिश्र :

श्री दण्डपाणि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एकौनौमिक एण्ड साइन्टिफिक रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा आयात नीति के बारे में किये गये अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन को देखा है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार की आयात नियंत्रण की प्रणाली के परिणामस्वरूप आयातकों के पास कच्चामाल भारी मात्रा में जमा हो गया है जिससे औद्योगिक एककों के कार्य में बाधा पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि 173 करोड़ रुपये के मूल्य का कच्चा माल कहीं अन्यत्र काम में लाने के लिए भेजा जा सकता था यदि 28 सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने अपने स्टाकों में 50 प्रतिशत की कमी कर दी होती; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत इकोनौमिक एण्ड साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा शीर्षस्थ 300 कम्पनियों के बारे में किये गये अध्ययन की ओर है जिसकी सरकार को जानकारी है।

(ख) और (ग). सरकार ने ऐसा कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रत्येक सरकारी उद्यम के तालिकागत सामान में ठीक-ठीक कितनी कमी की जा सकती है किन्तु अब तक केन्द्रीय सरकार के ग्यारह उद्यमों का जो विशेष अध्ययन किया गया है उससे यह पता चला कि समान प्रबंध सम्बन्धी अच्छे तकनीकी को अपना कर तालिकागत सामान में कमी करने की काफी गुंजाइश है। यह बात आयातित वस्तुओं के सम्बन्ध में भी लागू होती है। सभी सरकारी उद्यमों के नाम इस आशय के

उपयुक्त अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे अपने तालिकागत सामान का अपेक्षाकृत अधिक कुशल प्रबंध करने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। जहां तक आयात नीति का सम्बन्ध है, सरकार ने, 1971-72 की अपनी नीति में, जिसमें उसने सुप्रवाहित आयात पर अधिक जोर दिया था, आयातित वस्तुओं का युक्तियुक्त और कुशल प्रबन्ध करने के लिए प्रयत्न किया है।

Black Marketing of Rum

624. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that recently a truck load of rum, which was meant for army and was to be moved from a Brewery in Rampur to Bareilly, was diverted to Delhi for selling it in black market and was seized by the Police and the officials of the Excise Department;

(b) if so, whether any one has been held responsible for this crime ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State of the Ministry of Finance (Vitta Mantralay Men Rajya Mantri) (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). As a result of information, two military trucks each carrying 100 boxes of XXX rum (Total 2400 bottles) were seized in Daryaganj on 10th March, 1971 by the Delhi Police and Excise authorities. Each bottle contained a label with the following markings—

"Khoday's Hercules Tripple distilled XXX Rum For Defence Service only Canteen Service Khoday's Distilled Pvt. Ltd., Bangalore—9."

In this connection, four persons have been arrested and further investigations are in progress.

(c) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रति नियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

625. **श्री एम० एस० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीच्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया के प्रेसीडेन्ट श्री कृष्णन ने 28 मार्च, 1971 को यह मांग की थी कि सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति की प्रणाली पर रोक लगानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत इंस्टीच्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया के प्रेसीडेन्ट द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के सम्बन्ध में कुछ अखबारों में छपी रिपोर्ट की ओर है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने "सरकारी क्षेत्र के उपक्रम" नामक अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं, उनके आधार पर सरकार पहले ही यह फैसला कर चुकी है कि असैनिक (सिविल) सेवाओं से सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को यह बताना होगा कि वे सरकारी सेवा के त्यागपत्र देकर उस उद्यम में, जहां वे सेवा कर रहे हों, स्थायी रूप से नियुक्त होना चाहते हैं या एक निर्धारित अवधि में अपने मूल संवर्ग के पद पर वापस जाना चाहते हैं।

Indo-Japan Trade Co-operation

626. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Mitsubishi Economic Missions have observed that the biggest hurdle coming in the way of co-operation between India and Japan in the field of trade and industries, has been the rigid attitude of Government towards royalty and heavy taxation ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Vitta Mantri) (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Press Reports on the statements said to have been made to this effect by the leader of the Mission have come to the notice of Government. The Mission has yet to submit its Report. It is expected to be received by Government through our Ambassador in Japan some time in June this year. The Report when received will be examined and such action as is considered necessary will be taken.

भारतीय समुद्र तटीय सम्मेलन द्वारा नमक ढुलाई के लिए निर्धारित भाड़े की दरों में वृद्धि

627. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय समुद्रतटीय सम्मेलन के इस कथित निर्णय की ओर दिलाया गया है कि नमक ढुलाई के लिये निर्धारित भाड़े की दरों में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). तट पर नमक ढोने के लिए भाड़ा दरों में वृद्धि नहीं की गई। तथापि नमक नौभरणों से संबंधित चार्टर पार्टी शर्तों को भारतीय तटीय सम्मेलनों ने हाल ही में संशोधित किया है। सम्मेलन और पोतवणिकों के बीच इस मामले पर नौपरिवहन महानिदेशक की मध्यस्थता से इससे पहले विचार विमर्श हुआ था और निम्नलिखित शर्तों को निश्चित किया गया है :

(1) लादने और उतारने के मौजूदा नमक चार्टर पार्टी दरें 1000 टन प्रतिदिन हैं। पत्तनों पर कार्य करने की दशा में सुधार के कारण कलकत्ता पर 1300 टन प्रतिदिन की लदान दर और उतारने की दर 1200 टन प्रतिदिन पर सहमति हुई।

(2) 3000/1500 रु० की मौजूदा दरों की तुलना में विलम्ब शुल्क/प्रेषण दरें क्रमशः 5000/2500 रु० पर सहमति हुई है।

(3) मौजूदा चार्टर पार्टी के अंतर्गत जब नोटिस की अवधि की समाप्ति से पहले छुट्टी पड़ेगी तो लादने उतारने के लिए दिया गया समय अगले कार्य दिवस को 7.00 पूर्वाह्न से लगेगा। लादने उतारने के लिए दिया गया समय अब उस दिन को मध्यरात्रि अर्थात् 00.01 रात्रि से गिना जाएगा।

(4) मौजूदा चार्टर पार्टी के अंतर्गत माल उतारने से पूर्व ज्वार भित्ति के कारण कलकत्ता पर नमक के जहाज का अवरोधन पोतमालिक के लेखे में होता है। अब पोतवणिक और पोतमालिक

दोनों ही इस कारण से होने वाली दायता को 50:50 के आधार पर सहन करेंगे ।

Smuggling of Liquor from Nepal

628. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state:

(a) whether as a result of enforcement of prohibition in border District of Pithoragarh in Uttar Pradesh, liquor is smuggled on a large scale from Nepal which have common border with the District ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to check smuggling from these countries?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri K. R. Ganesh) : (a) No, Sir.

(b) However, the question of taking effective action for the prevention of smuggling across the border has been engaging the attention of the Government. Preventive measures have been intensified all along the Indo-Nepal Border. Strength of the staff employed on the Indo-Nepal Border to check smuggling has been augmented and staff deployed over the vulnerable routes and areas. They have been provided with jeeps to patrol for intercepting persons and vehicles carrying smuggled goods. Customs Act has been amended in 1969 to facilitate detection and confiscation of smuggled goods.

Recruitment of Inspectors Belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Excise Department Rajasthan

629. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Excise Commissioner, Rajasthan had invited applications for recruitment of Excise Inspectors last year and some capable persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had also sent their applications but they were not even called for interview so far, if so, the reasons therefor ; and

(b) the total number of Inspectors in the Excise Department in Rajasthan and the number of those belonging to scheduled castes and scheduled tribes among them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Vitta Mantaralaya men Rajya Mantri) (Shri K. R. Ganesh) : (a) The question seems to relate to the Excise and Taxation Department of the Rajasthan State Government. No applications for recruitment of Excise Inspectors in Rajasthan were invited by the Central Excise Department.

(b) The question does not arise.

विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

630. **श्री एच० एम० पटेल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) वृद्धि के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये यदि सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) अलग-अलग वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों का संकलन समूचे देश के लिए नहीं किया जाता। 1971 के जनवरी और अप्रैल के बीच, चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्य सूचक अंकों में उतार-चढ़ाव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पारिवारिक बजटों पर मूल्यों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों में होने वाले परिवर्तनों से लगाया जा सकता है। औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) जो दिसम्बर 1970 में 186 था कम होकर मार्च 1971 में 184 रह गया। श्रमिकों से भिन्न शहरी कर्मचारियों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) की जनवरी 1971 के बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह सूचक अंक जो नवम्बर, 1970 में 177 था, जनवरी, 1971 में कम होकर 174 तक पहुंच गया।

(ग) सरकार मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

विवरण

थोक मूल्यों के सूचक अंक

मासिक औसत (1961-62=100)

	जनवरी 1971	अप्रैल 1971	जनवरी 1971 की तुलना में अप्रैल, 1971 में प्रतिशत परिवर्तन
चावल	189.8	196.9	+ 3.7
गेहूं	211.7	205.2	– 3.1
बाजरा	141.7	127.7	– 9.9
चना	221.1	201.4	– 8.9
अरहर	303.9	260.1	– 14.4
आलू	136.4	111.4	– 18.3
प्याज	102.8	95.2	– 7.4
दूध	218.5	235.4	+ 7.7
घी (शुद्ध)	202.5	201.5	– 0.5
मूंगफली का तेल	219.9	206.8	– 6.0
सरसों का तेल	280.2	208.7	– 25.5
वनास्पती	185.2	182.0	– 1.7
अण्डे	171.4	133.0	– 22.4
मछली	294.4	323.2	+ 9.8

	जनवरी 1971	अप्रैल 1971	जनवरी 1971 की तुलना में अप्रैल 1971 में प्रतिशत परिवर्तन
मांस	188.3	195.3	+ 3.7
चीनी	157.5	157.5	कोई परिवर्तन नहीं
गुड़	202.8	245.6	+ 21.1
चाय	122.1	133.2	+ 9.1
कहवा	211.7	155.9	− 26.4
मसाले	306.8	283.5	− 7.6
परिष्कृत खाद्य वस्तुएं	165.8	165.3	− 0.3
मिट्टी का तेल	176.2	176.2	कोई परिवर्तन नहीं
साइकिल	119.3	121.1	+ 1.5
सूती वस्त्र आदि	157.0	159.7	+ 1.7
रेशमी और रेयन के वस्त्र आदि	120.7	123.7	+ 2.5
ऊनी वस्त्र आदि	182.0	183.2	+ 0.7
चमड़े की बनी वस्तुएं (जूते)	92.1	92.1	कोई परिवर्तन नहीं
एल्युमिनियम के बर्तन	148.4	148.4	कोई परिवर्तन नहीं
चीनी मिट्टी का सामान	138.4	138.4	कोई परिवर्तन नहीं
प्रसाधन सामग्री	144.5	144.6	+ 0.1
साबुन	144.7	144.7	कोई परिवर्तन नहीं
लैम्प और लालटेन	160.5	160.5	कोई परिवर्तन नहीं
दियासलाई	114.1	114.1	कोई परिवर्तन नहीं

Mistakes in Books Translated and Printed by National Book Trust

631. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Social Welfare (Shiksha aur Samaj Kalyan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the National Book Trust has got many important books translated from English to Hindi ;

(b) if so, whether his Mantralaya is aware that these translated versions are full of mistakes ;

(c) whether the translated versions of Leo Huberman's book "Man's Wordly Goods" (Manushay ki Bhutik Sampdain) contains several mistakes pertaining to language, technical terminology and printing ;

(d) if so, the action taken against the persons responsible for its translation, editing and publication ; and

(c) the steps being taken to avoid repetition of such mistakes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shiksha aur Samaj Kalyan Mantralaya tatha Sanskriti Vibhag men Up-Mantri) (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c). The National Book Trust has translated many important English books into Hindi.

Neither the National Book Trust nor this Ministry had received complaints that these translated versions are full of mistakes.

Government is not aware that the translated version of Leo Huberman's book "Man's Worldly Goods" which was published in 1965 by the National Book Trust contains several mistakes ; on the other hand, two eminent Hindi scholars have commented favourably while reviewing the manuscripts.

The National Book Trust take great pains to secure accuracy in translatinn and publication.

Inconvenience Caused in Depositing Road Tax etc.

632. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Shipping and Transport (Nauwahan Aur Parivahan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that inconvenience is being caused to the public in depositing road tax, getting driving licences etc. from the office of the Transport Officer, Delhi Administration located at Jan Path, New Delhi ; and

(b) whether it is also a fact that many intermediaries roam about near the said office and are in league with the personnel working in that Office and one can get his work done conveniently by paying them some additional amount ; and

(c) if so, the action Government propose to take in this matter ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Sansadiya Karya Tatha Nauwahan aur Parivahan Mantri) (Shri Raj Bahadur) : (a) At times, persons have to wait in queue at the Janpath Office to deposit road tax and, to that extent, inconvenience is naturally caused to them. The waiting period can, however, be reduced if owners of motor vehicles avoid making payments only towards the close of the different periods of grace, as specified in the Delhi Motor Vehicles Taxation Act. 1962, and private car and scooter owners also avail themselves of the additional counters opened at Lajpatnagar, Mirdard Road, Pusa Road etc. for depositing tax.

No instances of inconvenience to the public in obtaining driving licences have been brought to the notice of the Delhi Administration.

(b) Under Section 4 of Delhi Motor Vehicles Taxation Act, the owner of a motor vehicle can deposit the tax himself or through an agent. If, therefore, any motor vehicle owner remits tax through an intermediary, the Delhi Administration cannot take action against the agent.

(c) Does not arise.

Deposits Under Small Savings Scheme

633. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the maximum amount of Rs. 183.50 crores was saved through small savings schemes in 1970-71, whereas the total amount so saved during 1969-70 was Rs. 127 crores ;

(b) if so, the particulars of the various section of the Society contributing mostly towards this scheme and of those which failed to extend any cooperation ; and

(c) the steps taken to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya men Up Mantri) (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) Though the final figures of the collection under the small savings scheme for 1970-71 are not yet available, according to latest available information the collection for that year is Rs. 188 crores as againt Rs. 127 crores for 1969-70.

(b) Statistics regarding small savings collections are available for the sales and encashment of various certificates and deposits, scheme and Statewise. It is not possible to obtain statistics for small savings by various sections of the Society. It is, therefore, not possible to say, which section, if any, of Society failed to extend any cooperation.

(c) Does not arise.

Suggestion from Air India for solving day-to-day problems

634. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri)** be pleased to state ;

(a) whether Government have received any suggestion from Air-India for solving its day-to-day problems ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Assistance from USA

635. **Shri Jagannathrao Joshi** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) the amount of assistance given by U. S. A. to the Government of India so far ;

(b) the value thereof in Indian currency ;

(c) the amount of development grants out of the said assistance and the steps being taken for its repayment ; and

(d) the amount out of that to be repaid in Indian currency and in foreign exchange ?

The Minister of Finance (Vitta Mantri) (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). As on 1. 4. 1971, the assistance given by U. S. A. to the Government of India amounts to Rs. 5805.7 crores consisting of capital aid (Rs. 2577.7 crores), aid for food and other agricultural commodities (Rs. 2890.4 crores) and technical assistance (Rs. 337.6 crores).

(c) The amount of development grant in the total U. S. Assistance is Rs. 724.7 crores consisting of dollar grants for technical assistance (Rs. 337.6 crores), other dollar grants (Rs. 15.0 crores) and rupee grants from the counterpart rupees generated by aid for food and other agricultural commodities (Rs. 372.1 crores). Repayments against loan assistance are being made as and when due.

(d) The loan assistance repayable in Indian currency amounts to Rs. 1955.6 crores consisting of rupee loans from the counterpart rupees generated by aid for food and other agricultural commodities (Rs. 1541.0 crores) and development assistance loans (Rs. 414.6 crores). The loan assistance

repayable in foreign currency amounts to Rs. 2620.8 crores and consists of AID/Exim dollar loans (Rs. 2148.2 crores) and dollar loans for food and other agricultural commodities (Rs. 472.6 crores).

अंडमान के लिए विद्यालय उप-निरीक्षक का पद

636. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान में विद्यालय उप-निरीक्षक के दो पद बनाये गये हैं ;

(ख) क्या इन पदों के लिये निर्धारित वेतन मान स्नातकोत्तर अध्यापक के वेतन मान से अधिक है ;

(ग) क्या प्रस्तावित भर्ती-नियमों में उप-निरीक्षक के लिये निर्धारित निम्नतम योग्यता स्नातक होने के साथ साथ शिक्षण में डिग्री डिप्लोमा है ;

(घ) क्या स्नातकोत्तर अध्यापक के लिये निम्नतम योग्यता एम० ए० के साथ साथ शिक्षण में डिग्री डिप्लोमा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अन्दमान प्रशासन द्वारा क्या निदेश दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री पी० डी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस पद के वेतनमान के परिशोधन का प्रश्न विचाराधीन है । परिशोधित वेतनमान से सम्बद्ध भर्ती का तरीका और पद के लिए अर्हताएं परिशोधित वेतनमान के बारे में निर्णय लेने के पश्चात निर्धारित की जाएंगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन हवाई अड्डों के विस्तार का प्रस्ताव

637. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन हवाई अड्डों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन हवाई अड्डों के विकास कार्यों का विवरण, जिन्हें कि चालू योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, और उनके अनुमानित व्यय इस

प्रकार हैं :—

त्रिवेन्द्रम		(लाख रुपयों में)
1.	धावन पथ के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण	12.70
2.	रेस्टोरेन्ट का निर्माण तथा टर्मिनल भवन का विस्तार	5.00
3.	ग्लाइडर पट्टी का विस्तार	1.80
4.	धावन पथ के दोनों सिरों पर तारकोल बिछाना	0.55
	कोचीन	
	यात्री विश्राम कक्ष का विस्तार	0.50

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति

638. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री वालतन्डायुतम :

श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों, सुनियोजित व्यवसाइयों, छोटे उद्यमियों आदि को ऋण सुविधायें प्रदान करने सम्बन्धी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक वर्ग के लोगों को ऋण के रूप में कितना धन दिया गया है ; और

(घ) क्या ऋणों की वसूली निश्चित शर्तों के अनुसार की जाती है और कितनी राशि का भुगतान नहीं हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों, जैसे खुदरा व्यापारियों, आत्म-नियोजित व्यक्तियों, कारीगरों, किसानों, सड़क परिवहन चालकों आदि के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाने की सलाह दी थी। बैंकों ने इन वर्गों के ऋण कर्ताओं को सहायता देने के लिए विशेष ऋण योजनाएं तैयार की हैं।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों की शर्तों का ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 238/71]**

(ग) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की दिसम्बर 1970 के अन्त में बकाया रकमें नीचे दी गयी हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को दिए गये ऋण

(करोड़ रुपयों में)

	बकाया रकम दिसम्बर 1970
(1) कृषि	
(क) प्रत्यक्ष वित्तपोषण (बागानों को छोड़कर)	202
(ख) अप्रत्यक्ष वित्तपोषण	142
(2) लघु उद्योग	420
(3) सड़क परिवहन चालक	37
(4) खुदरा व्यापार और छोटे व्यवसाय	75
(5) पेसेवर और आत्म-नियोजित व्यक्ति	9
(6) शिक्षा	3
	888

लघु उद्योगों के लिए जुलाई 1960 में लागू की गयी और फरवरी 1970 में संशोधित की गई ऋण गारंटी योजना में ऋण की वापसी में चूक होने की स्थिति में ऋण की अशोधित रकम का 75 प्रतिशत या जितनी रकम के लिए गारंटी दी गयी हो उतनी रकम, इनमें से जो भी कम हो, अदा करने की व्यवस्था है । इस योजना का प्रशासन रिजर्व बैंक का औद्योगिक वित्त विभाग करता है । ऊपर मद 2 और 6 में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण, रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित भारतीय ऋण गारंटी निगम, लिमिटेड की नयी ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आते हैं । यह योजना 1, अप्रैल 1970 से चालू हुई और इसमें अशोधित रकम के 75 प्रतिशत की गारंटी देने की व्यवस्था है ।

(घ) कृषि विभाग कार्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गये ऋणों की वसूली करने का कार्य सामान्यत: सन्तोषजनक है । उन क्षेत्रों में जहां व्यापक स्वरूप की दैवी विपत्तियों के कारण फसलें खराब हो गयी थीं; वसूलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

आयकर विभाग में भर्ती तथा पदोन्नति की पद्धति

639. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में भर्ती तथा विभिन्न पदों पर पदोन्नति करने के लिये क्या पद्धति अपनाई जाती है ;

(ख) विभागीय पदोन्नति और बाहर से भर्ती की प्रतिशतता क्या है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि लिखित याचिकाओं के कारण कई बार विभागीय पदोन्नतियों को क्रियान्वित नहीं किया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 239/71]**

(ग) जी, नहीं । मुख्यतः सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न श्रेणी/ग्रेडों के अधिकारियों की वरिष्ठता सूचियों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई कई रिट-याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इनमें से कुछ याचिकाएं अभी भी अनिर्णीत पड़ी हैं ।

(घ) यह सवाल नहीं उठता ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गये मामले

640. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्थापना से लेकर अब तक उसे कुल कितने मामले सौंपे गये हैं ;

(ख) पार्टियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किस प्रकार के प्रस्ताव किये हैं ; और

(ग) सौंपे गये प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में आयोग ने सरकार को क्या निर्णय दिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत 20-5-1971 तक दस मामले, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित किये गये थे, एवं तीन मामलों पर आयोग की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं । उन पार्टियों जिनके मामले निर्देशित किये गये थे, प्रस्तावों की प्रकृति एवं आयोग की सिफारिशों की बाबत सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०240/71]**

पूंजी निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव

641. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान किन-किन प्रमुख औद्योगिक गृहों से पूंजी निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने पुराने एककों के विस्तार के लिये तथा कितने नये एककों के लिये थे ;

(ग) कितने प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे तथा शेष का क्या बना ;

(घ) क्या कोई प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). बोनस निर्गमों सहित नये पूंजी निर्गमों के लिये 1970-71 में प्रमुख औद्योगिक गृहों से 131 आवेदन-पत्र प्राप्त

हुए थे। इनमें से 24 आवेदन-पत्र विस्तार के लिये तथा 6 आवेदन-पत्र नये एककों के थे। प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 241/71]**

(ग) तथा (घ). 83 आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिये गये, 26 रद्द कर दिये गये तथा 22 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(ङ) रद्द किये गये 26 आवेदन-पत्रों में से 25 का सम्बन्ध बोनस निर्गमों से था और (1) 22 आवेदन-पत्र बोनस निर्गम प्रस्तावों के लिये निर्धारित मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार पूरे न उतरने पर रद्द कर दिये गये, (2) दो आवेदन-पत्र इसलिये रद्द किये कि प्रार्थी कम्पनियों में 60 प्रतिशत से अधिक विदेशी भागीदारिता होने के कारण उन्हें यह कहा गया कि वे अपने आवेदन-पत्र अतिरिक्त पूंजी के निगम के प्रस्तावों सहित पुनः भेजें ताकि विदेशी भागीदारिता का अनुपात घटकर 60 प्रतिशत तक रह जाय (3) एक आवेदन-पत्र इसलिये रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रार्थी बैंकिंग कम्पनी नगद निर्गम चाहती थी, न कि बोनस निर्गम। शेष एक मामला अधिमान्य निर्गम के विषय में था जो इसलिये अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि प्रार्थी कम्पनी ने 10 प्रतिशत लाभांश का प्रस्ताव किया था जो 9.5 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक था।

मिथ्या संसद् (मांक पार्लियामेंट कार्यक्रम) को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति

642. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्कूल के बच्चों में मिथ्या संसद् (मांक पार्लियामेंट) को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और क्या चालू वर्ष व इस कार्यक्रम के विस्तार की कोई संभावना है;

(ख) दिल्ली में इस कार्यक्रम की सफलता को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में भी शुरू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो 1971-72 में इस कार्यक्रम को शुरू करने की संभावनाएं क्या हैं ?

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्ष 1966-67 से लेकर अब तक दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पांच मिथ्या संसद् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और छठी प्रतियोगिता का आयोजन चालू वर्ष में, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर खुलेंगे, किया जायेगा।

(ख) सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की एक सिफारिश के अनुसार राज्यसंघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से दिल्ली की शिक्षण संस्थाओं में प्रचलित मिथ्या संसद् प्रतियोगिता की योजना के अनुरूप योजना तैयार करने की प्रार्थना पहले ही कर दी गयी है।

(ग) नौ प्रदेशों तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी योजनाओं का सूत्रपात का आरम्भ कर दिया है।

जम्बो जेट विमान आरम्भ हो जाने से एयर इंडिया की आय में वृद्धि

643. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया में जम्बो जेटों को चलाये जाने के परिणामस्वरूप क्या उसकी आय में वृद्धि होने की कोई सम्भावना है, और यदि हां, तो वृद्धि कितनी होगी ;

(ख) कितने जम्बो जेट खरीद लिये गये हैं तथा कितने और खरीदने के लिये आदेश दिये गये हैं ; उनका लागत-मूल्य क्या है और उन पर भारत में लाकर सेवा में समाविष्ट किये जाने तक कितना व्यय आयेगा ; और

(ग) जम्बोजेटों की कितनी उद्घाटन-उड़ानें किस कार्यक्रम के अनुसार निश्चित हुई हैं अथवा होने जा रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया ने वर्ष 1971-72 के दौरान अपने राजस्व में जम्बोजेटों के परिचालन से 31.75 करोड़ रुपये की वृद्धि की बजट व्यस्था की है ।

(ख) आदेशित चार बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमानों में से एयर इण्डिया को दो पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और बाकी दो के मार्च/अप्रैल, 1972 में वितरित किये जाने की आशा है । पहले दो विमानों का मूल्य 34.76 करोड़ रुपये है जिसमें विमान ढांचा इंजन तथा सुसज्जित उपकरण शामिल हैं और तीसरे व चौथे का मूल्य 34.45 करोड़ रुपये (के लगभग) है । पहले दो विमानों को भारत लाने के लिये वितरण उड़ान व्यय 2.30 लाख रुपये था ।

(ग) निम्नलिखित उद्घाटकीय उड़ानों के परिचालन का कार्यक्रम है :

बम्बई से लन्दन	...	...	दो ;
लन्दन से बम्बई	...	...	दो ;
बम्बई से न्यूयार्क	...	...	दो ; तथा
न्यूयार्क से बम्बई			दो ।

पहली बम्बई-लन्दन उड़ान 24-5-1971 को की गई । अन्य उद्घाटकीय उड़ानों की तिथियां अभी निर्धारित नहीं की गईं ।

भारतीय फर्मों को ठेके न दिये जाने में ब्रिटिश तथा पश्चिम जर्मनी फर्मों का हाथ

644. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश तथा पश्चिम जर्मन इन्जीनियरिंग फर्में, विकास

परियोजनाओं के प्रभारी ब्रिटिश इंजीनियरों के साथ मिल कर यह प्रयत्न करती हैं कि भारतीय फर्मों को ठेके न मिलें तथा इनमें ब्रिटिश इंजीनियरिंग की डिग्री वाले भारतीय रखे जायें।

(ख) क्या इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स के प्रेजीडेंट ने अफ्रीकी देशों में होने वाली ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को सम्बद्ध सरकार के साथ उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) सरकार की दृष्टि में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) इंजीनियर्स के पास सूचना तत्काल सुलभ नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

केनेडा से ऋण

645. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत केनेडा सरकार से औद्योगिक सामग्री के आयात हेतु 28 करोड़ रुपये के ऋण सम्बन्धी करार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). 7 अप्रैल, 1971 को कनाडा की सरकार के साथ 400 लाख कनाडी डालर (लगभग 28 करोड़ रुपये) के एक विकास ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस ऋण का प्रयोजन कनाडा से आयात की जाने वाली कुछ औद्योगिक वस्तुओं और उर्वरकों का वित्त प्रबन्ध करना है। इस ऋण की वापसी अदायगी 50 वर्षों में की जायगी जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है जिसमें किसी प्रकार का व्याज या अन्य कोई सेवा प्रभार नहीं लगेगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के बारे में केन्द्रीय कर्मचारी जनगणना प्रतिवेदन

646. **श्री एम० कतामुतु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारियों से सम्बन्धित वर्ष 1968-69 की जनगणना रिपोर्ट से जाहिर होता है कि कुल 28,07,400 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में से आधे से अधिक का मूल वेतन 100 रु० प्रति मास से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके वेतन में वृद्धि करने का कोई विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) 100 रु० मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के तथा केन्द्रीय सरकार के

सभी कर्मचारियों के वर्तमान वेतन ढांचे में संशोधन करने का प्रश्न पहले ही तृतीय वेतन आयोग के विचाराधीन है। वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी।

दिल्ली के मैसर्ज सन्दूमल रामस्वरूप से आय-कर की वसूली के बारे में जांच

647. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया बाजार दिल्ली के मैसर्ज सन्दूमल रामस्वरूप के यहां से बरामद किये गये सभी कागजात आय-कर आसूचना विभाग को प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये कागजात उनके पास एक वर्ष से भी अधिक समय से पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आय-कर और विक्रय-कर की चोरी की शीघ्र जांच कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) पकड़ी गई सामग्री आय-कर विभाग द्वारा 26 मई, 1970 को अपने कब्जे में ले ली गयी।

(ग) आय-कर विभाग, जिसका सम्बन्ध केवल आय-कर के अपवंचन से है, पकड़ी गई सामग्री की जांच कर रहा है और अन्य जांच-पड़ताल भी कर रहा है। शीघ्र जांच पड़ताल करने के लिये आय-कर अधिकारी को निदेश जारी किये गये हैं।

Excavation Work at Chhatri Chowk in Ujjain City

648. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Culture (Sanskriti Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the managing body of Mochiyan Mosque situated in Chhatri Chowk in Ujjain City (Madhya Pradesh) got some earth work done on 2nd April, 1971 in a place near the mosque for construction purposes ;

(b) whether it is a fact that many ancient ruins were unearthed from that place, which were of great archaeological importance ;

(c) whether Government have got these ruins examined by the Archaeological Department ; and

(d) if so, the era to which these ruins belong and the action taken by Government for their preservation ?

The Minister of Education and Social welfare and Minister of Department of Culture (Shiksha aur Samaj Kalyan Mantri aur Sanskriti Vibhag) (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) Yes, Sir.

(b) The remains unearthed appear to form part of a pillared **mandapa.** From the remains exposed so far, it cannot be said that they are of great archaeological importance.

(c) Yes, Sir.

(d) The remains are assignable to the Paramara period (10th to 12th Century A. D.). The

State Government has been requested to protect the exposed remains, as the ruins and the mosque are not considered to be of great archaeological value worthy of being declared as of national importance.

General Assistance for Construction on Bridge on Sindh River in M. P.

649. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Shipping and Transport (Nauwahan aur Parivahan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have sought technical and financial assistance, loans and grants from the Central Government for a bridge proposed to be constructed over Sindh river on Bhind-Bhander Road ;

(b) if so, the nature of assistance sought by the State Government ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Sansadiya Karya tatha Nauwahan aur Parivahan Mantri) (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). Presumably the Hon'ble Member is referring to the bridge over the river Sindh at Madaghat on Chirgaon-Bhander-Bhim road. It is a State road and the Madhya Pradesh Government are prirmarily concerned with the construction of this bridge. They have not asked for any technical assistance for its construction from the Central Government. However, they included this project in the list of Schemes submitted by them in March 1967 for Central financial assistance under the Central Aid Programme of State Roads of Inter State or Economic Importance under the 4th Plan. This project, however, did not find a place in the fresh proposals submitted by them subsequently in 1970. The latter proposals have been examined and schemes of a total cost of Rs. 74 lakhs have been approved for 100% loan assistance during the Fourth Plan.

Seizure of Opium

650. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether opium had been recovered in a large quantity between Rohtak and Dighal in the last week of March, 1971 ;

(b) if so, the value of opium thus recovered in Indian currency ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. 128.500 kgms. of opium was recovered from an Ambassador Car between Rohtak and Dighal in Haryana by the Rohtak police on 28.3.1971 ;

(b) About Rs. 13,000/- ;

(c) One man has been arrested and two are absconding. Warrants for their arrest have been issued by the Court.

Seizure of Smuggled Goods At Chowpati, Bombay

652. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether gold and watches were seized in large quantity by the officers of the Central Excise Department at Chowpati Sea Coast in Bombay in the first fortnight of April, 1971 ;

(b) if so, the value thereof ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken in this regard as also the nature of action taken against them ;

The Minister of State in the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). On 9-4-1971 the Bombay Police Officers recovered 46,600 grms. of gold bearing foreign marking, valued at about Rs. 4 lakhs at the international Monetary rate, 10,000 wrist watches and 3500 watch straps valued approximately Rs. 8 lakhs and Rs. 65,000/-respectively, at the Indian market rate from an abandoned taxi in damaged condition near the seashores of Chowpatti, Bombay. The taxi was also seized. No arrests have been made so far. The case has been taken over by the Customs authorities at Bombay.

कानपुर के रिजर्व बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के कर्मचारियों की मांगें

653. **श्री रोबिन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान कानपुर (उत्तर प्रदेश) के रिजर्व बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन की ओर दिलाया गया ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है, यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 14 मई, 1971 को नोटों के परिवर्तन के सम्बन्ध में एक पेशेवर सर्राफ और कानपुर शाखा के रोकड़ विभाग के एक कर्मचारी के बीच झगड़ा हो जाने पर जैसाकि आरोप है, सर्राफ ने कर्मचारी को जान से मार डालने की धमकी दी। पुलिस में मामले की रिपोर्ट किये जाने पर, सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सदाचरण सम्बन्धी बन्ध-पत्र (बांड) लेकर उसे छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि उस कर्मचारी के प्रति सहानुभूति में रोकड़ विभाग के कर्मचारियों ने सर्राफों का कोई भी काम काउंटरों पर करने से मना कर दिया। कर्मचारियों की मांग है कि अन्य प्रमुख सर्राफ उस सर्राफ के कार्य की लिखित रूप से निन्दा करें, जिसने कर्मचारी को धमकी दी थी। कानपुर शाखा के प्रबन्धक ने कर्मचारियों को यह समझाया है कि चूंकि सर्राफ जनता के व्यक्ति होते हैं अतः उनको सामान्य सुविधायें दी जानी चाहिये। प्रबन्धक उनके बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहा है।

इंडियन एयर लाइंस के मुख्य अभियन्ता श्री एच० ई० ब्रंगजा तथा दो अन्य व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में की गई जांच

654. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मार्च, 1971 को पालम हवाई अड्डे के एक हैंगर में हुई इंडियन एयर लाइन्स के मुख्य अभियन्ता श्री एच० ई० ब्रंगजा तथा दो अन्य व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में क्या कोई जांच कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उक्त दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। जैसा एयरक्राफ्ट नियमों, 1937, के नियम 71 के अन्तर्गत अपेक्षित है, नागर विमानन विभाग द्वारा इसकी जांच की गई, 14 मई, 1971 को सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।

(ख) दुर्घटना पालम पर हैंगर नं० 4 के बाहर बी०-737 विमान के एक फालतू पहिये में अत्यधिक हवा भरने के कारण हुई।

(ग) इंडियन एयर लाइंस ने मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को निम्न प्रकार से मुआवजा देने का निर्णय किया है :

स्वर्गीय श्री एच० ई० ब्रैंगजा*	86,400 रुपये मुआवजा व 30,000 रुपये उपदान
स्वर्गीय श्री जे० सी० गुप्ता	75,000 रुपये } मुआवजा व उपदान दोनों मिला कर।
स्वर्गीय श्री बुद्धी सिंह	25,000 रुपये } मुआवजा व उपदान दोनों मिला कर।

*स्वर्गीय श्री ब्रेगंजा एक जीवित पत्नी और दो बच्चे छोड़ कर मरे हैं। प्रत्येक बच्चे को, जब तक वह 18 वर्ष का अथवा ग्रेजुएट नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, 75/-रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

जीवन बीमा निगम को बने बनाये पुराने मकानों को खरीदने के लिये ऋण सुविधाएं देने की योजना

655. **श्री दंडपाणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने बने बनाए पुराने मकानों को खरीदने के लिये ऋण की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य रूप क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जीवन बीमा निगम पालिसी-धारियों को हाल के बने जो मकान अच्छी स्थिति में हैं उनकी खरीद के लिये निगम को "अपने मकान के मालिक बनो" योजना के अंतर्गत ऋण देता है।

(ख) योजना की खास खास बातें निम्नलिखित हैं :–

1. मकान के निर्माण के प्रकार के आधार पर मकान को स्वीकार करने योग्य अवस्था नीचे दिये अनुसार है :—

मकान का प्रकार	स्वीकार करने योग्य आयु
(i) सीमेंट कंक्रीट निर्मित पुष्ट ढांचा और छत वाला मकान (Reinforced cement concrete framed and terraced.)	20 वर्ष

(ii) पक्की चिनाई की दीवालें (सीमेंट कंक्रीट निर्मित पक्का और पुष्ट फर्श और छत — 15 वर्ष

(iii) पक्की चिनाई की दीवालें जुड़वा ढांचे और पक्की इमारती लकड़ी की ढलवा छत — 10 वर्ष

(iv) चिनाई की दीवालें कच्ची और ढलवा छत (चद्दर अथवा खपरैल) — 5 वर्ष

नोट :–

(1) चिनाई की दीवालों में ईंट और पत्थर की चिनाई की दीवालें शामिल हैं ।

(2) जिन इमारतों की बुनियादें दोषपूर्ण हैं अथवा जिनमें दरारें पड़ने जैसी बड़ी खराबियां पैदा हो गई हैं उनको छोड़ दिया जाता है ।

2. ब्याज की दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष है और अदायगी में चूक होने पर $2\frac{1}{2}$ रु० प्रतिशत प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है ।

3. ऋण कम से कम 10,000/- रु० का और अधिक से अधिक एक लाख रुपये का दिया जाता है । जहां ऋण मकान के परिवर्धन के लिये होता है, न्यूनतम ऋण की रकम केवल 7,500/- रुपये है ।

4. जिन मामलों में कर्जदार ऋण की रकम को समान मासिक किश्तों में अदा करने का विकल्प अपनाता है उनमें वह ऋण की अदायगी की अवधि में वर्ष प्रतिवर्ष ऋण की बकाया रकम के लिये गिरवी छुड़ाने हेतु पालिसी (Mortgage redemption policy) ले सकता है । जिन मामलों में ऋण की अदायगी सावधि बीमा पालिसी द्वारा करने का प्रस्ताव होता है उनमें बीमा, ऋण के रकम की लगभग 110 प्रतिशत रकम के लिये कराना होता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तमिलनाडु में खोले गये नये कार्यालय

656. **श्री दंडपाणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तमिलनाडु में खोले गये नये कार्यालयों की संख्या कितनी है ; और

(ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जमा पूंजी में वृद्धि के संदर्भ में तमिलनाडु का कितना भाग है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जुलाई 1969 से 31 मार्च, 1971 तक अर्थात् जिस तारीख तक के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने तमिलनाडु में 188 नये कार्यालय खोले हैं ।

(ख) समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटायी गई जमा की रकमों के किसी हाल की तारीख तक के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जन 1969

के अन्तिम शुक्रवार और जून 1970 के अन्तिम शुक्रवार के बीच जमा रकमों में लगभग 324.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसमें तमिलनाडु का योगदान 17.7 करोड़ रुपये यानी 5.4 प्रतिशत रहा है। इस सम्बन्ध में इसके बाद की किसी तारीख तक की सूचना उपलब्ध नहीं है।

आयकर की बकाया राशि की वसूली

657. **श्री दण्डपाणि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1970 तक 665.73 करोड़ रुपये की आयकर की बकाया राशि के रूप में उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधन को उपयोग में लाने की क्या सरकार ने कोई ठोस योजना बनाई है ; और

(ख) देश में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां आयकर की बकाया अधिकतम है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) करों की बकाया की शीघ्र वसूली के लिये सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कई विशिष्ट उपाय किये हैं। 31 दिसम्बर, 1970 को 565.73 करोड़ रुपयों की आयकर की बकाया की वसूली के लिये उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त अलग से कोई योजना तैयार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(2) करों की शीघ्र वसूली के लिये किये गये ये उपाय निम्नानुसार हैं :–

(i) वसूली का कार्य जो अभी तक राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, आयकर विभाग द्वारा स्वयं अपने हाथ में ले लेना।

सरकार ने पिछले वर्ष, कर वसूली अधिकारियों के 68 पद मंजूर किये हैं और इन अतिरिक्त पदों के होने से आयकर आयुक्तों के सभी अधिकार क्षेत्रों में वसूली का कार्य आयकर विभाग द्वारा ले लिया गया है।

(ii) कर्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना, जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कर्तव्य बना दिया गया है, 1966 में लागू की गई थी और पिछले वर्ष इस योजना का और आगे विस्तार कर दिया गया।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चेकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी के लिये विशेष प्राप्ति काउण्टरों का खोला जाना।

(iv) उन निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना, जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(v) पूरे देश में बकाया बेबाकी पखवाड़े बनाए जा रहे हैं। इस अवधि में अनिर्णीत समायोजनों/भूल-सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(vi) बम्बई तथा कलकत्ता के आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में से प्रत्येक में केवल वसूली के कार्य के लिये दो दो अपर आयकर आयुक्त (वसूली) तैनात कर दिये गये हैं। इसी प्रकार दिल्ली तथा मद्रास में आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक अपर आयकर आयुक्त (वसूली) तैनात कर दिया गया है।

(vii) बकाया सम्बन्धी मांगों की वसूली का कार्य निपटाने के लिये सरकार द्वारा, पिछले वर्ष आयकर अधिकारियों (वसूली) के 60 पद मंजूर किये गए।

(ख) 31-12-1970 को, आयकर की बकाया की सर्वाधिक रकम पश्चिम बंगाल (i), (ii), (iii) तथा (सेन्ट्रल) कलकत्ता के आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में थी। यह रकम 246.53 करोड़ रुपये थी। इसके ब्यौरे इस प्रकार थे :–

पश्चिम बंगाल — (i)	90.52 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल — (ii)	47.84 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल — (iii)	73.35 करोड़ रुपये
कलकत्ता (सेन्ट्रल)	34.82 करोड़ रुपये
जोड़	246.53 करोड़ रुपये

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में सम्पर्क स्थापित होना

658. **श्री दण्डपाणि :** क्या **कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 58.4 करोड़ रुपये की कुल प्राधिकृत पूंजी वाली 13 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा 101 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों जिनका 31 मार्च 1970 तक नया पंजीकरण किया गया है, आपस में कोई सम्पर्क स्थापित है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक कायम प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). सम्भवत: यह प्रश्न, तमिलनाडु राज्य में, 1-4-1969 से, 31-3-1970 की अवधि के मध्य पंजीकृत कम्पनियों के लिये निर्दिष्ट किया गया प्रतीत होता है।

2– पंजीकृत की गई 13 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा 101 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में से, निम्नलिखित तीन कम्पनियां बृहद औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित प्रतीत होती है। जो औद्योगिक लाइसेन्स नोति जांच समिति की रिपोर्ट में निर्धारित की गई हैं :–

कम्पनी का नाम	समूह
1– विन्नी लिमिटेड	मैकनील एवं वारी-विन्नी
2– सदर्न पैट्रो-कैमीकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	मथैय्या चैट्टियर समूह
3– टुक्कू मैनेन पेपर मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	"

(3) केवल विन्नी लिमिटेड, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुई है, एवं मैकनील एवं वारी-विन्नी समूह की अन्य कम्पनियों से अन्तः सम्बन्धित है। अन्य कम्पनियों की बाबत, अन्तः सम्बन्धों के बारे में इतना शीघ्र विवरण देना सम्भव नहीं है क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, प्रथम वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये, नवीन पंजीकृत कम्पनियां 18 मास तक का समय ले सकती हैं। इस प्रकार की विवरणियों की अनुपस्थिति में, अन्तः सम्बन्धों का अध्ययन करना व उसके परिणामस्वरूप एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का लागूकरण, सम्भव नहीं है।

तूतीकोरिन में हवाई अड्डा बनाने की योजना

659. **श्री मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन पत्तन के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार का तूतीकोरिन जिले में एक हवाई अड्डा बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य रूप क्या हैं ; और

(ग) क्या हवाई अड्डा बनाने के लिये किसी स्थान का चयन कर लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इण्डियन एयरलाइंस टूटीकोरिन में यातायात सम्भाव्यता का सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहां पर एक विमानक्षेत्र के निर्माण के प्रश्न की जांच, सर्वेक्षण के परिणामों का पता लगने के बाद तथा निधियों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, की जायेगी।

तूतीकोरिन पत्तन के नाम में परिवर्तन

660. **श्री मुरगनन्तम** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन की जनता की तीव्र इच्छा है कि तूतीकोरिन पत्तन का नाम महा तमिल देश भक्त तथा स्वतंत्रता सेनानी वी० ओ० चिदाम्बरम के नाम पर रखा जाये ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). तूतीकोरिन नगर पालिका द्वारा 29-7-70 को पारित किया गया एक संकल्प, जिसमें सरकार से

तूतीकोरिन के नये बन्दरगाह को तूतीकोरिन वी० ओ० सी० हारबर नाम रखने के लिये अनुरोध किया गया था, जो फरवरी, 1971 में तमिलनाडू सरकार ने भारत सरकार के विचारार्थ भेजा।

(ग) बन्दरगाह का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखने की प्रथा नहीं है। बन्दरगाह उस स्थान के नाम से जाना जाता है जहां पर वह स्थित होता है। इस दृष्टि से तूतीकोरिन का नया बड़ा पत्तन जैसे और जब बनेगा, तूतीकोरिन का पत्तन कहा जायेगा। जैसा देश के अन्य बड़े पत्तनों के मामले में होता है।

राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकाला जाना

661. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री पी० के० देव :
श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा 1970-71 में जमा राशि से हर समय 180 करोड़ रुपये निकाले गये ;

(ख) यदि हां, तो इस आंकड़े का राज्यवार ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 में जमा राशि से अधिक धन निकालने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये कुछ उपाय किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो 1970-71 में कोई सुधार लाने में कुछ उपायों की असफलता के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ओवर ड्राफ्ट की रकमें प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती हैं। राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट की जो स्थिति 1969-70 और 1970-71 के अन्त में थी उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). योजना आयोग द्वारा 1969-70 से, राज्यों का आयोजना-परिव्यय सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं, अपरिहार्य आयोजना-भिन्न वचनबद्धताओं तथा उनके द्वारा जुटाये गये अतिरिक्त साधनों के संदर्भ में, उनके साधनों की स्थिति का हर वर्ष पुनरीक्षण किया जा रहा है। योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के साधनों में होने वाली अपरिहार्य कमी की पूर्ति (ऋण के रूप में) विशेष सहायता देकर कीजाती है। 1970-71 में कई राज्यों ने आयोजनागत और आयोजना भिन्न दोनों प्रकार का मदों के सम्बन्ध में नये दायित्व स्वीकार किये थे किन्तु वे उनके लिये तुल्य मात्रा में आवश्यक साधन जुटाने में असमर्थ रहे। कई मामलों में वर्तमान साधनों का भी लाभ नहीं उठाया गया।

हालांकि भारत सरकार राज्यों को कोई निदेश नहीं दे सकती कि उनका बजट किस

प्रकार तैयार किया जाना चाहिए फिर भी वह उनसे अपेक्षा करती है कि वे आवश्यक वित्तीय अनुशासन और संयम का पालन करेंगे। भारत सरकार समय-समय पर राज्यों से अनुरोध करती रही है कि वे अपनी बजट सम्बन्धी स्थिति पर लगातार समीक्षा करते रहें, ताकि वे अपने आयोजनागत तथा आयोजना-भिन्न दोनों प्रकार के व्यय को उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सीमित रख सकें और बार-बार ओवरड्राफ्ट लेने से बच सकें।

विवरण

राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक धन निकाला जाना

राज्य	1969-70 के अन्त तक	1970-71 के अन्त तक
	(करोड़ रुपयों में)	
आंध्र प्रदेश	16.68	47.34
असम	15.27	20.29
बिहार	—	18.52
गुजरात	7.88*	3.27
हरियाणा	1.87	5.41
हिमाचल प्रदेश	—	1.38*
केरल	6.56	15.37
मध्य प्रदेश	1.29*	3.54*
महाराष्ट्र	27.04	18.28
मैसूर	17.32	26.70
नागालैंड	0.28*	0.87*
पंजाब	2.55*	—
राजस्थान	24.13	67.55
तमिलनाडु	9.92	25.35
पश्चिम बंगाल	21.96*	6.49
जोड़	152.75	260.36

टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त आंकड़ों में सम्बद्ध वर्ष के मार्च के खातों से सम्बन्धित उन अन्तर सरकारी लेनदेनों को हिसाब में शामिल किया गया है जिन्हें बाद में समायोजित किया गया है।

2. "*" यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस राज्य द्वारा जमा राशि से अधिक निकाला गया धन उस राज्य द्वारा धारित राजकोष हुण्डियों से न केवल प्रति-संतुलित हो गया है बल्कि हुण्डियों में रकम बची रहती है।

भारत द्वारा जम्बो जेट विमानों की खरीद

662. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :**
श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :
श्री जी० विश्वनाथन् :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने एक जम्बो जेट विमान खरीद लिया है तथा तीन और जम्बो जेट विमान शीघ्र सप्लाई करने के लिये करार, किया हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्बो जेट विमान वाली ट्रांसवरल्ड एयरवेज तथा पान अमेरिकन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स ने अब तक क्रमश: 7 करोड़ डालर तथा 6.20 करोड़ डालर की हानि उठाई है;

(ग) क्या विशेषज्ञों के अनुसार यात्री यातायात बढ़ने में जो वर्तमान कमी आई है वह तीन वर्षों तक और जारी रहने की सम्भावना है;

(घ) क्या एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें इस समय आशानुकूल यात्री भार का वहन नहीं करती और यदि हां, तो खाली सीटों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार जम्बो जेट विमान के कार्यकरण के आर्थिक पहलू का पूर्ण स्पष्टीकरण करने वाले तथा चार जेट विमानों की खरीद के औचित्य बताने वाले, जबकि उक्त बातें ऐसी खरीद को उचित नहीं ठहराती, विवरण को सभा पटल पर रखेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया ने पहले ही दो बोइंग 747 (जम्बो जेट) प्राप्त कर लिये हैं। दो और मार्च / अप्रैल, 1972 में प्राप्त होने की आशा है।

(ख) कई अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने कुछ समय से प्रतिकूल वित्तीय परिणामों का अनुभव किया है जो कि कई प्रतिकूल कारणों, जैसे आर्थिक मन्दी उद्योगधन्धों में तीव्र वृद्धि, लागत स्तर आदि, से हो सकते हैं।

(ग) वर्तमान पूर्वानुमानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात में वृद्धि की अपेक्षाकृत नीची दर एक अस्थायी घटना है और वर्तमान स्थिति के पुन: परावर्त्तिक हो जाने की सभी सम्भावनाएं हैं।

(घ) 1970-71 के दौरान एयर इण्डिया द्वारा कुल वहन किया गया भार अनुपात 54.2 प्रतिशत था और 1971-72 में कुल भार अनुपात 51.8 प्रतिशत होने की प्रत्याशा है जिसमें भारत और इंगलैंड के बीच प्रति सप्ताह चार बोइंग 747 सेवाओं का परिचालन भी शामिल है जिनमें से तीन को अमरीका तक बढ़ाया जायेगा।

(ङ) बोइंग 747 विमान खरीदने का निर्णय विमान परिवहन की अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित सभी सम्बद्ध पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद किया गया था जो कि आधुनिक एवं प्रतियोगितामय उपस्कर को ठीक समय पर ले लेने तथा मार्गों एवं मार्किटों के सावधानीपूर्वक चयन

द्वारा इसके उचित प्रयोग सम्बन्धी कारपोरेशन की नीति के अनुरूप था ।

बंगला देश के विस्थापितों द्वारा मुद्रा विनिमय

663. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा पर बंगला देश के विस्थापितों को मुद्रा विनिमय करने वाले लोग तंग करते हैं;

(ख) विस्थापितों को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिये क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नये विदेशी मुद्रा व्यापारियों को लाइसेन्स देने के लिये कहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या सरकार ने बंगला देश सरकार के अनुरोध पर विनिमय दर उदार कर दी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को भारतीय सीमा पर मुद्रा बदलने वालों द्वारा बंगला देश से आने वाले निष्क्रान्त व्यक्तियों को परेशान किये जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). त्रिपुरा प्रशासन की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें मुद्रा बदलने की सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की गई थी । इस संबंध में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि पूर्वी क्षेत्र में काम कर रही भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं निष्क्रान्त व्यक्तियों द्वारा लाई गई पाकिस्तानी मुद्रा को स्वीकार कर सकती हैं ।

(घ) सरकार को इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

बंगला देश से आ रहे शरणार्थियों को दी गई जाली मुद्रा

664. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार बंगला देश से भारत में आ रहे शरणार्थियों के माध्यम से 10 रुपये के जाली नोट बहुत अधिक संख्या में यहां भेजने का प्रयत्न कर रही है;

(ख) क्या शरणार्थियों को यह विश्वास दिलाकर ठगा गया है कि जो करेंसी नोट उन्हें दिये गये हैं वे जाली हैं; और

(ग) क्या ऐसे करेंसी नोट पकड़े गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). पाकिस्तान से आने

वाले विस्थापित व्यक्तियों द्वारा लाई गई जाली मुद्रा के संबंध में सरकार को अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी, संबद्ध राज्य सरकारों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है और जैसे ही पूरी सूचना प्राप्त हो जायेगी वैसे ही सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

केरल में गुरुवायूर को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

665. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के प्रसिद्ध तीर्थस्थान गुरुवायूर को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु सहायता दिये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग, भारत सरकार, परिस्थिति निधि के कारण जिससे प्राथमिकताओं का कठोर रूप से क्रम निर्धारण आवश्यक हो गया है, इस क्षेत्र का विकास करने की स्थिति में नहीं है।

राष्ट्रीय राजपथ सं० 47

666. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस राजपथ पर कोचीन उपमार्ग की योजना का अनुमोदन किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। इस राजमार्ग पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोचीन उपमार्ग के निर्माण कार्य का प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। इस उपमार्ग का संरेखन पहले ही स्वीकृत कर लिया गया है।

सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम को अपने अधिकार क्षेत्र में लिये जाने का प्रस्ताव

667. **श्री दलीप सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली निवासियों की मांग को पूरा करने तथा उपक्रम के प्रशासन संबंधी वर्तमान कार्यकरण में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार दिल्ली परिवहन उपक्रम को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां. तो उपक्रम को सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लिये जाने में कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जी नहीं। परन्तु दिल्ली में एक सांविधिक सड़क परिवहन निगम बनाने का तथा इस निगम को दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्य हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह हस्तान्तरण कब होगा क्योंकि इसमें कानूनी कार्यवाही शामिल है।

बाह्य दिल्ली संसदीय चुनाव क्षेत्र में स्कूलों की संख्या

668. **श्री दलीप सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाह्य दिल्ली संसदीय चुनाव क्षेत्र में लड़कों तथा लड़कियों के लिये पृथक्-पृथक् कितने सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल है; और

(ख) शैक्षिक सत्र 1971-72 के चालू होने पर कितने नये स्कूल आरम्भ करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):
(क) (1) लड़कों के लिये सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल—चार

(2) लड़कियों के लिये सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल—कोई नहीं।

(ख) लड़कों के लिये एक स्कूल श्रीनगर में, मई 1971 में खोला गया है।

दिल्ली में स्कूलों के बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

669. **श्री दलीप सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सभी समर्थ बालकों तथा बालिकाओं के लिये उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के किस तारीख से लागू होने की संभावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):
(क) से (ग). अपेक्षित जानकारी दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बेरोजगार कार्मशियल पायलटों की मांगें

670. **श्री रतन लाल ब्राह्मण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वरिष्ठता के अनुसार रोजगार के अवसरों की व्यवस्था तथा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में बेरोजगार कार्मशियल पायलट एसोशियेशन की मांगों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। बेरोजगार वाणिज्यिक विमान-चालक संस्था ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों के लिये नौकरी के अवसरों को पैदा करने के लिये कुछ सुझाव थे। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ, नागर विमानन विभाग में उनकी खपत और फसल पर छिड़काव से सम्बन्धित हवाई परिचालनों में नौकरी देना सम्मिलित है।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(i) सहायक एयरोड्रोम अफसर के पद की सीधी भर्ती के लिये वाणिज्यिक विमान-चालक लाइसेन्स को एक स्वीकार्य योग्यता के रूप में सम्मिलित करने के लिये भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है और सहायक एयरोड्रोम अफसरों के 78 पदों की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेज दी गई है; और

(ii) कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे फसल छिड़काव परिचालकों को बेरोजगार विमान-चालकों को भर्ती करने, उन्हें कुछ प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी सेवाओं का हल्के विमानों पर उपयोग करने के लिये, प्रोत्साहित करने के प्रश्न पर विचार करें।

गैर-सरकारी होटलों को वित्तीय सहायता

671. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के होटलों की अपेक्षा देश में गैर-सरकारी होटलों को अधिक वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटक

672. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटक कलकत्ता का दौरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता का दौरा करने की विदेशी पर्यटकों द्वारा प्रकट की गई इस अनिच्छा के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दम दम हवाई अड्डे से बहुत-सी वायुयान सेवायें बन्द हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या विदेशी पर्यटकों द्वारा कलकत्ता का दौरा करने की कमी के कारण कलकत्ता से इन विदेशी वायुयान सेवाओं को बन्द करना पड़ा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने कलकत्ता के मार्ग से परिचालन समाप्त कर दिये हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि इस समय दिल्ली / बम्बई में अधिक यातायात सम्भावनाएं हैं ।

थक्कर समिति का प्रतिवेदन

674. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों तथा स्वयं-नियोजितों के लिए विशिष्ट ऋण योजनाओं के बारे में थक्कर समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बैंकों की ऋण योजनाओं की अपर्याप्ता और उनके आन्तरिक संगठन और प्रशासनिक ढांचे के दोषों को देखते हुए समिति ने पेशेवर तथा आत्मनियोजित व्यक्तियों को ऋण देने के सम्बन्ध में कार्यान्वित करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं । समिति की सिफारिश है कि ऋण योजनाएं उदार होनी चाहिएं और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के उद्यमकर्ताओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए तथा ऋण देते समय ऋण की सुरक्षा के लिये जमानत के बजाय प्रायोजना की क्षमता पर बल दिया जाना चाहिये। समिति ने सिफारिश की है कि अपेक्षाकृत

अर्द्धविकसित क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लिये विशेष सुविधायें देने की आवश्यकता है। समिति ने घरेलू तथा कुटीर उद्योग धंधों के विकास पर बल दिया है।

संगठन सम्बन्धी मामलों में समिति महसूस करती है कि शाखा एजेण्टों की विवेकाधीन शक्तियों में, उचित सावधानी के साथ वृद्धि की जानी चाहिये तथा उनके लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि बैंक देश के विभिन्न भागों में आपसी सहयोग से विविध प्रकार की सेवाओं के अभिकरण स्थापित करें जो आत्म नियोजित व्यक्तियों को तकनीकी सहायता प्रदान करें तथा प्रायोजनाओं अथवा प्रस्तावों की सम्भाव्यता के बारे में मार्गदर्शन करें।

समिति ने ऋण सम्बन्धी शर्तों को और अधिक उदार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। समिति ने सुझाव दिया है कि सावधिक ऋण के उपयुक्त मामलों में बैंक प्रारम्भिक अवस्था में कम दर पर और बाद में ऊंची दर पर ब्याज लें ताकि औसत दर वाणिज्यिक दृष्टि से उचित हो।

समिति ने बताया है कि उपयुक्त मामलों में बैंक, सहायता देते समय उद्यमकर्ताओं के तकनीकी योगदान को उचित महत्व प्रदान करें। समिति ने यह भी कहा है कि उपयुक्त मामलों में जहां आत्म नियोजित व्यक्तियों ने हाल ही में व्यवसाय शुरू किया हो अथवा जमा-जमाया काम छोड़कर अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया हो, उनके लिये योजना में पहले एक या दो वर्ष, मूल ऋण के अतिरिक्त उचित रूप से व्यक्तिगत आहरण (ड्राइंग) की व्यवस्था होनी चाहिए तथा बैंकों को ऋण मंजूर करने के लिए, केवल खानापूरी के तौर पर अन्य व्यक्तियों की गारंटी के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये।

पेशेवर तथा खुदरा व्यापारियों के लिये सरलीकृत फार्मों के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए समिति ने दोषपूर्ण प्रवृत्तियों का तुरन्त पता लगाने के लिये उचित तन्त्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया है तथा बैंकों से समुचित अनुवर्ती कार्यवाही करने और देखभाल की व्यवस्था करने तथा समय पर ऋण वसूली करने के लिए आग्रह किया है।

समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को उन छोटे उद्यमकर्ताओं की सहायता हेतु, जिनको बड़े और मध्यम उद्योगों और सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से बिलों की अदायगी में विलम्ब के फलस्वरूप कठिनाई होती है, एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने की सिफारिश की है। समिति ने ऋण-आयोजन और बैंकों द्वारा जुटायी गयी अतिरिक्त जमा की रकमों के आधार पर, योजनाओं के वित्त-पोषण की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

समिति की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार विचार कर रही है। 19 मार्च, 1971 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें ठक्कर समिति की रिपोर्ट पर आधारित स्थूल मार्गदर्शक नियम दिये गये हैं। बैंकों को ठक्कर समिति द्वारा सुझाये गये तरीकों से शर्तों को उदार करने के लिये भी कहा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के श्री के० एम० आर० रामानुजम की अध्यक्षता में भी एक समिति

नियुक्त की गयी है जो मध्यम और बड़े उद्योगों द्वारा छोटे उद्योगों के बिलों की अदायगी में होने वाले असाधारण विलम्ब के कारणों की जांच करेगी तथा उचित सुधारात्मक उपाय सुझायेगी ।

इस विषय पर अप्रैल, 1970 के अन्तिम सप्ताह में हुए, अभिरक्षकों के सम्मेलन में भी विचार किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री ने अभिरक्षकों को ठक्कर समिति की रिपोर्ट लागू करने के सम्बन्ध में अपने विचार और सुझाव देने के लिए कहा था । उन्होंने यह भी कहा था कि शाखा प्रबन्धकों को ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाने में अपनी प्रवीणता, सूक्ष्म दृष्टि तथा कुशलता का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो स्वयं-वित्त-पोषण योजनाओं का कार्य कर सकें तथा उदारतापूर्वक योजनाओं के लिये धन दे सकें ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना पर होने वाला व्यय

675. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों आदि के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना करने में कुल कितना धन व्यय किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रम के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है। विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और इस समय यह कहना कठिन है कि इस सम्बन्ध में कुल कितने खर्च की आवश्यकता पड़ेगी ।

रोजगार उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये ऋण देने के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति का गठन

676. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :**

श्री जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने रोजगार उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये ऋण देने के प्रश्न का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सिफारिशों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). माननीय सदस्य सम्भवतः ठक्कर समिति का उल्लेख कर रहे हैं जो बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं का उनकी रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता के विशेष संदर्भ में, अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई थी । समिति ने अब

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान 28 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 674 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य से बच्चों के लिये शिक्षा अनुदान

677. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य ने दोनों देशों के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन भारत के बच्चों के लिये अनेकों शिक्षा अनुदान दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार तथा कितने मूल्य के अनुदान दिये गये ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी हां । भारत जर्मन लोकतंत्र गणराज्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत जर्मन लोकतंत्र गणराज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को अनेकों शिक्षा साधन दिये हैं । इनमें स्कूल विज्ञान के निदर्शन माडल उपकरण थैले, स्लाइड प्रक्षेपित्र टेप रिकार्डर, छात्रोपयोगी एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक ग्रामोफोन शामिल हैं । इनको कुल मूल्य अनुमानतः 30,000 रुपये है ।

पश्चिमी बंगाल में जीवन बीमा कारपोरेशन द्वारा विनियोजन

678. **डा० रानेन सेन** :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970-71 के दौरान पश्चिमी बंगाल में जीवन बीमा कारपोरेशन द्वारा विनियोजित धन में काफी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं । वर्ष 1970-71 में और उससे पूर्ववर्ती तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में किये गये निवेश नीचे लिखे अनुसार हैं :—

1970-71	12.10 करोड़ रुपये
1969-70	11.95 करोड़ रुपये
1968-69	15.10 करोड़ रुपये
1967-68	6.55 करोड़ रुपये

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

देशों के समुद्रपारीय व्यापार में भारत नौवहन का वर्तमान भाग

679. **डा० रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशों के समुद्रपारीय व्यापार में इस समय भारतीय नौवहन का भाग क्या है ;

(ख) विदेशी नौवहन कम्पनियों को भाड़े के रूप में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है ; और

(ग) विभिन्न देशों के समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय पोतों के भाग में वृद्धि करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1969-70 के दौरान भारतीय जहाजों ने देश के समुद्रपारीय व्यापार का लगभग 21 प्रतिशत माल ढोया ।

(ख) विदेशी जहाजी कम्पनियों को अदा किये गये भाड़े के बारे में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि यह कल्पना करके कि भाड़ा अदायगी हमारे विदेशी व्यापार के दस प्रतिशत मूल्य की होती है और उसमें से समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय कम्पनियों द्वारा कमाये गये भाड़े को घटाकर विदेशी जहाजों को 1969-70 में की गई भाड़ा अदायगी का अनुमान 180.66 करोड़ रुपये होता है ।

(ग) देश के समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय जहाजों के भाग को बढ़ाने के लिये की गई सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही 1-4-1961 के 5.65 लाख टन भार को बढ़ाकर 1-5-1971 तक 22.14 लाख टन भार करना है । इसके अलावा अर्जन के लिये योजनाएं भी बनाई गई हैं । चौथी योजना के अंत तक आदेश दिये गये टनभार सहित टनभार को बढ़ाकर 40 लाख टन करने के लिये उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । अन्य की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

(1) विदेशी लाइनर सम्मेलनों और दर समझौतों में प्रवेश करने के लिये भारतीय जहाजी कम्पनियों को सहायता देना ।

(2) यू० एस० एस० आर० पोलैंड संयुक्त अरब गणराज्य और जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य जैसे विदेशों से द्विपक्षीय समझौते करना ।

(3) सरकारी माल और सरकार द्वारा नियंत्रित माल प्राप्त करने में भारतीय जहाजों को सहायता देना ।

(4) भारतीय जहाजी कम्पनियों को नये नौ मार्गों में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित करना ।

एयर इण्डिया द्वारा होटल बनाने की योजना

680. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के पास बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में होटल खोलने की

कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर इण्डिया बम्बई में सांताक्रुज पर एक 150 कमरे के और जुहू पर एक 350 कमरे के होटल का निर्माण करेंगे। दिल्ली, मद्रास अथवा कलकत्ता में होटल बनाने की अभी उनकी कोई निश्चित योजना नहीं है।

'मदर्स इन्टरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली' के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

681. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री अरविन्दो शिक्षा समिति द्वारा चलाये जाने वाले 'मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली' के अध्यापकों की हड़ताल की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण हैं ; और

(ग) अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) स्कूल के अध्यापकों ने प्रबन्धकों के सम्मुख मांगों की एक सूची प्रस्तुत की थी। इन मांगों में अन्य बातों के साथ ये भी थीं :—

(i) अध्यापकों की सेवा दशाओं में सुधार, और

(ii) मदर्स इन्टरनेशनल स्कूल स्टाफ एसोसिएशन के सचिव को जिनकी सेवाओं को प्रबन्धकों ने समाप्त कर दिया था, फिर से बहाल करना।

(ग) अध्यापकों एवं प्रबन्धकों के बीच समझौता हो जाने के परिणामस्वरूप हड़ताल अब समाप्त हो गई है और 6-5-1971 से स्कूल खुल गया है।

Changes in Education System

683. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Education and Social Welfare (Siksha aur Samaj Kalyan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether during the Convocation of Gujarat University, the Governer of that State had demanded in his Address that the present education system be radically changed and the education should be Indianised ; and

(b) if so, the steps taken in this direction, the results achieved therefrom and the future programme in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Siksha aur Samaj Kalyan Mantralaya tatha Sanskriti Vibhag Men

Upamantri) (Shri D. P. Yadav) : (a) The Governer of Gujarat in his Convocation Address at the Gujarat University inter-alia said that (i) the University education of today did not lay proper stress on quality ; (ii) it was time that fundamental change was sought in the pattern of higher education, and (iii) Convocations need to be Indianised.

(b) The Education Commission set up by Government of India has made comprehensive recommendations for improvement of the educational system in India. Based on these recommendations and after a series of consultations and discussions with various interests concerned including the State Governments and the Universities, a National Policy on Education has been formulated and announced. Every effort is being made to implement this policy within the available resources. The scheme of assistance of the University Grants Commission are also directed towards securing an improvement in the quality and effectiveness of higher education.

Financial Assistance to Educated Trained Youth

684. **Shri R. V. Bade : Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the **Minister of finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) Whether he made a statement in Satara in April last that if a group of 5 to 10 educated and trained youths want to start industry jointly, necessary financial assistance would be given to them by Government ; and

(b) if so, the main features of the Scheme and the reaction of people thereto ?

The Minister of Finance (Vitta Mantri) (Shri Y. B Chavan) (a) and (b). The Vitta Mantri, while speaking at meetings in Satara district last month, had referred to the problem of large scale unemployment in the country and had urged the youth to come forward with viable schemes for starting new enterprises. He had also referred to the various programmes which have been undertaken by the Government to create additional employment opportunites and had stated that necessary credit facilities will be made available for any worthwhile productive schemes formulated by the youth.

Scheme to Develop Parasnath in Bihar into A Central Tourist Centre

685. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to develop Parasnath Jains' biggest centre of Pilgrimage all over India, into a Central tourist centre ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether any tourist rest house is run by the Department of Tourism at Parasnath mountain ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanan) Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

'सर्वोत्तम' (टाप क्लास) पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

687. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक 'सर्वोत्तम' पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के बारे में विचार

कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कर्मचारियों की कमी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है और यह संस्थान काम करना कब से आरम्भ कर देगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

यूनीसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि) से सहायता

688. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनीसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि) के कार्यकारी बोर्ड ने शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये भारत को नवीन सहायता देने का हाल ही में अनुमोदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी हां ।

कार्यकारी बोर्ड ने 1971-73 की अवधि के लिये 7,022,000 डालर के एक वादे का अनुमोदन किया है । यह राशि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) द्वारा सहायता प्राप्त, भारत में विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के लिये है । यह खर्च इस कार्यक्रम की अवस्था II के लिए है । इस कार्यक्रम में भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नए विज्ञान शिक्षा अध्यापन कार्यक्रम का विस्तार तथा आवश्यक उपस्कारों की पूर्ति शामिल है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

689. **श्री सामिनाथन् :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 26 के उपबन्धों का पालन न करने वाले किसी उपक्रम के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान् । कुछ उपक्रमों को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर दिये गए हैं । उन उपक्रमों के नाम जिनके लिए कारण बताओ

नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परिशिष्ट में दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 242/71**]

तस्करी रोकने के लिये होवर-क्राफ्टों की खरीद

690. **श्री सामिनाथन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी रोकने हेतु होवर क्राफ्ट खरीदने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं; और

(ख) तस्करी की रोकथाम के लिये अच्छा कार्य करने वाले विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिये इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). इस प्रश्न को डा० बी० डी० नागचौधरी, सांख्यिकी सलाहकार की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन-दल को सौंप दिया गया है कि क्या उड़न जल-नौका अथवा अन्य किसी किस्म की नौका, तस्कर व्यापार विरोधी प्रयोजन के लिये उपयुक्त होगी अथवा नहीं । अध्ययन-दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगली कार्य-वाही की जायगी ।

तमिलनाडू में कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

692. **श्री सामिनाथन्** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी अधिनियम के कार्यकरण तथा प्रशासन सम्बन्धी 14वें वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 23, तालिका VI में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 के दौरान तमिलनाडु से प्राप्त हुई 107 शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : 1969-70 के वर्ष के मध्य, कम्पनी रजिस्ट्रार, तामिलनाडू के कार्यालय में, उस राज्य में पंजीकृत कम्पनियों के विरुद्ध, प्राप्त 107 शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं ।

विवरण

तामिलनाडू में पंजीकृत कम्पनियों के विरुद्ध 1969-70 के मध्य प्राप्त शिकायतें

शिकायतों के ब्यौरे	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1. तुलन-पत्रों का प्राप्त न होना	9
2. लाभांश का प्राप्त न होना	1
3. अनुचित बैठकों का होना	1
4. कुप्रबन्ध	62
5. हिस्सा-प्रमाण-पत्रों का प्रेषित न करना	1
6. हिस्सों के हस्तान्तरण का पंजीकरण न करना	9
7. अन्य शिकायतें	24
योग	107

पी० एल० 480 निधि का उपयोग

693. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 रुपया निधि के जमा होने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) जमा निधि को किस प्रकार काम में लाया जा रहा है ;

(ग) उक्त निधि में से कितनी राशि अमरीकी दूतावास तथा सम्बद्ध कार्यों पर लगायी जा रही है ;

(घ) निधि को कम काम में लाने में देर के कारण यदि इससे कोई ब्याज प्राप्त हो रहा हो तो वह कितना है ;

(ङ) काम में लाने से पूर्व भारत तथा अमरीकी सरकारों के बीच यदि कोई परामर्श होता है तो वह किस प्रकार से होता है ; और

(च) निधि के उपयोगीकरण के बारे में सरकार का नवीनतम अनुमान क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(घ) इस प्रकार की निधियों पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जमा होता रहता है।

(ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किये जाने वाले खर्चों की कुल रकम और उनके मुख्य वर्गों के बारे में, प्रतिवर्ष, अमेरिकी अधिकारियों के साथ बात-चीत की जाती है। इसके अलावा राजदूतावास और वाणिज्य दूतावास सम्बन्धी कार्यों पर किये जाने वाले व्यय से भिन्न (अर्थात् बाह्य निकायों को दिये जाने वाले अनुदान आदि) खर्चों के सम्बन्ध में भारत सरकार से पूर्व परामर्श करना आवश्यक होता है।

(च) यह सूचना, आज ही, तारांकित प्रश्न संख्या 125 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में दी गयी है।

विवरण

31 मार्च, 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रुपया—राशि

	(करोड़ रुपयों में)
I. पी० एल० 480 रुपया निधियां :	
(क) 1956 से 31-3-1971 तक पी० एल० 480 आयातों से रुपयों में जमा कुल रकम	2234.38
(ख) पी० एल० 480 रुपया ऋणों से अमेरिका को ब्याज और मूलधन के रूप में प्राप्त रकम	231.80
संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम पी० एल० 480 की कुल जमा रकम (क+ख)	2466.18

II. 1956 से 31-3-1971 तक इन संचित राशियों से कुल मिलाकर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

	संचित राशि और निर्धारण	भुगतान और व्यय	उपलब्ध रकम
1. भारत सरकार को ऋण	1414.96	1410.75	4.21
2. भारत सरकार को अनुदान	388.63	360.48	28.15
3. भारत अमेरिकी उद्यमों को कुल ऋण	141.74	86.46	55.28
4. अमेरिका के उपयोग के लिये	520.85	306.25	214.60
जोड़	2466.18	2163.94	302.24

III. पी० एल० 480 से भिन्न रुपया निधियां

निम्नलिखित कारणों से 1956 से अमेरिका के नाम कुल मिलाकर संचित निधियां :

(i) पी० एल० 480 भिन्न विकास रुपया ऋणों के मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी	293.56	शून्य	293.56
(ii) भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियों पर दिया गया ब्याज और विविध	126.54	शून्य	126.54
31-3-71 को अमेरिका के पास अप्रयुक्त पी० एल० 480 भिन्न कुल रकमें (i)+(ii)			420.10
31-3-1971 को भारत में अमेरिका के पास कुल रुपया राशि (II)+(III)			722.34*

*इसमें से 654 करोड़ रुपया संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, में भारत सरकार की प्रतिभूतियों में लगाया हुआ था और शेष रकम वाणिज्यिक बैंकों में जमा थी।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

694. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 से लेकर 1970-71 तक (वर्षवार) लाभ, लाभांश, रायल्टी भुगतान तथा तकनीकी जानकारी के लिये कुल कितना धन विदेशों को भेजा गया ;

(ख) इन वर्षों में विदेशों से कुल कितनी शुद्ध साम्य पूंजी आयी ;

(ग) प्राथमिकता वाले उद्योग यदि कोई हों तो वे कौन से हैं जिनमें सरकार ने चुन कर विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया है, और उनमें भारतीय शेयर-पूंजी की स्थिति कैसी है ; और

(घ) हमारी अर्थ व्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता का निवारण करने वाली भारतीय परामर्श सेवाओं तथा तकनीकी जानकारी की सम्भावनाओं का अब तक यदि कोई निर्धारण किया गया हो तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 1967-68 से 1970 71 के बीच, लाभ, लाभांशों, स्वत्व शुल्कों सम्बन्धी अदायगियों और तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में विदेशों को भेजी गई कुल रकमों का वर्षवार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है :

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	1967-68	**1968-69**	**1969-70**	**1970-71** (अप्रैल-सितम्बर)
*चालू लाभ	7.6	7.8	8.7	5.1
संचित लाभ	8.3	5.3	4.0	1.4
*लाभांश	32.7	30.3	31.5	17.5
स्वत्व शुल्क	4.3	4.8	5.8	2.8
तकनीकी जानकारी	14.7	17.9	13.1	12.6

*इसमें तेल कम्पनियों के वे दायित्व शामिल हैं जो प्रेषण योग्य हैं परन्तु वास्तव में प्रेषित नहीं किये गये।

(ख) 1967-68 के दौरान विदेशों से शेयर पूंजी के रूप में देश में कुल मिलाकर 23.7 करोड़ रुपये के शुद्ध रकम आई। बाद के वर्षों के आंकड़ों का संकलन रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जिन उद्योगों में विदेशी पूंजी की अनुमति दी जायगी उनकी एक विस्तृत सूची भूतपूर्व औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा 26 नवम्बर, 1968 को जारी किये गये प्रेस नोट के अनुबन्ध के रूप में प्रकाशित की गयी थी। भारत में नये विदेशी निवेशों के प्रस्तावों पर विचार करते समय भारत सरकार की यह नीति रहती है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि स्वामित्व का मुख्य भाग और उपक्रम का प्रभावी नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे। इस नियम का उल्लंघन असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। ऐसे प्रस्तावों की जांच पड़ताल विशेष कड़ाई से की जाती है जिनमें विदेशी भागीदारिता 40 प्रतिशत से अधिक हो।

(घ) उत्पादन के उन क्षेत्रों में विदेशी तकनीकी जानकारी के आयात की अनुमति नहीं दी जाती जिनके सम्बन्ध में देश के अन्दर उपयुक्त जानकारी उपलब्ध हो। उसी प्रकार, विदेशी परामर्शदात्री सेवाओं की अनुमति उन्हीं क्षेत्रों में दी जाती है जिन के सम्बन्ध में भारतीय परामर्श-दात्री सेवा उपलब्ध न हो और ऐसे मामलों में भी, जहां सम्भव हो, भारतीय परामर्शदात्री कम्पनियों को प्रारम्भ से ही उनके साथ सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है।

इण्डियन एयरलाइंस के संगठन तथा प्रशासनिक ढांचे से सम्बन्धित अध्ययन समिति

695. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स के संगठन तथा प्रशासनिक ढांचे के विशेषकर इसकी श्रम तथा प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (1) श्री एन० पी० सेन, प्रिंसिपल, अध्यक्ष
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद।

(2) डा० एम० बी० आत्रेय, सदस्य,
औद्योगिक मनोविज्ञान संकाय,
भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता।

(3) श्री के० बालकृष्णन्, सदस्य,
वित्त लेखा तथा नियंत्रण संकाय,
भारतीय प्रबन्ध संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद—6

(4) डा० जितेन्द्र सिंह, अनुसंधान निदेशक,
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालिज, हैदराबाद।

(5) डा० बी० केलकर, अर्थशास्त्र संकाय,
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालिज, हैदराबाद।

(ग) अगस्त, 1971 में।

अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि

696. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में अल्प बचत खाते में अभूतपूर्व राशि जमा हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना संग्रह हुआ है ; और

(ग) सरकार का विचार देश में और अधिक अल्प बचत करने को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) 188.36 करोड़ रुपया (अनन्तिम) । अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त होने को हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार, देहाती इलाकों में खास तौर से उन देहाती इलाकों में जिन्हें हरित क्रांति से लाभ पहुंचा है जोरदार ढंग से प्रचार करके अल्प बचत आन्दोलन को और बढ़ावा देना चाहती है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे शहरी और देहाती दोनों इलाकों में, अल्प बचत आंदोलन का संदेश बचत करने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये किए जा रहे अपने प्रयत्नों में तेजी लायें । विभिन्न अभिकरणों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की छोटे सैटैलाइट कार्यालयों सम्बन्धी आयोजना

697. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने पहली बार वाराणसी में पांच छोटे कार्यालय खोल कर छोटे कार्यालयों सम्बन्धी एक योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजना से लोगों को कितनी सहायता मिली है ; और

(ग) किन-किन स्थानों पर इस बीच यह योजना आरम्भ हुई है और इस सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). जी, हां ।

भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर देश के विभिन्न भागों में छोटे कार्यालय खोले हैं । पहले दौर में ऐसे छोटे कार्यालय अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित 24 केंद्रों में खोले गये थे, इनमें वे पांच कार्यालय भी शामिल हैं जिनका कार्यचालन वाराणसी से होगा :—

मुख्य शाखा	छोटे कार्यालय
वर्दवान	शक्ति गढ़, गलसी और भैदिया ।
वाराणसी	मोहन सराय, मिर्जामुराद, नियामताबाद, बाबुड़ी और कैथ
अमृतसर	बोहोरू कसैल, बच्छिविंग अटारी
साबरमती	चाला धानप, दसेला, लवरपुर, छिलौडा, सिहौली मोती ।
अमलापुरम	कुमारगिरि पत्तनम, गोदीलंका, कुनावरम, समानसा, अनतवरम, भीमनपल्ला ।

अगले कुछ महीनों में तंजावूर शाखा से 6 और छोटे कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ।

छोटे कार्यालयों का प्रभाव क्या होगा, इसके बारे अभी से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग विमानों का अर्जन

698. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने बोइंग विमान सेवा प्रारम्भ कर दी है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उक्त विमानों की उपयोगिता और उनसे होने वाले लाभ के बारे में अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । इण्डियन एयरलाइंस ने निम्नलिखित मार्गों पर बोइंग 737 सेवायें परिचालित कर दी हैं :—

1. बम्बई/कलकत्ता/बम्बई ;
2. बम्बई/गोवा/बम्बई ;
3. दिल्ली/जयपुर/बम्बई ;
4. दिल्ली/मद्रास/दिल्ली ;
5. दिल्ली/कलकत्ता/दिल्ली ;
6. दिल्ली/आगरा/खजुराहो/वाराणसी/काठमांडू ;
7. दिल्ली/हैदराबाद/बंगलौर ;
8. दिल्ली/बम्बई/दिल्ली ; और
9. बम्बई/बंगलौर/बम्बई ।

(ख) बोइंग 737-200 विमान खरीदने का निर्णय एक कम्प्यूटर की सहायता से बहुत ध्यानपूर्वक एवं विस्तृत अध्ययन करने के बाद किया गया था, और सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखा गया था ।

राज्यों की सरकारों द्वारा त्रि-भाषा सूत्र की क्रियान्विति

699. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रि-भाषा सूत्र को केवल कुछ ही राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में त्रि-भाषा सूत्र को क्रियान्वित करने का सुनिश्चय करने के लिये अन्य राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस सूत्र को देश भर में किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में त्रि-भाषा सूत्र कुछ विभिन्नताओं के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है ।

2. विभिन्न राज्यों में त्रि-भाषा सूत्र किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है, यह दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-243/71 ।]**

3. त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । किन्तु, भारत सरकार राज्य सरकारों की इस दिशा में दो प्रकार से सहायता करती है । एक तो अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों को नियुक्त करने के लिये, अहिन्दी भाषी राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत के आधार पर सहायता दी जाती है । इन राज्यों के मिडिल, हाई और हायर सेकेन्डरी स्कूलों और हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में इस समय 6,900 हिन्दी अध्यापक कार्य कर रहे हैं । दूसरे, भारत सरकार ने, मैसूर, भुवनेश्वर, पूना और पटियाला में हाल ही में चार क्षेत्रीय भाषा अध्यापन केन्द्रों की स्थापना की है । ऐसे प्रत्येक केन्द्र में, नवीनतम भाषा अनुसंधान तथा प्रयोगशाला तकनीकों के परिणामों पर आधारित व्यापक पाठ्यक्रम के जरिये हिन्दी के अतिरिक्त, चार निर्धारित भारतीय भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था है ।

4. क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य, निम्नांकितों की सहायता करना है (i) आधुनिक भारतीय भाषा के अध्यापन में प्रशिक्षित अपने कुछ अध्यापकों को स्कूलों में नियुक्त करने में हिन्दी भाषी राज्यों की सहायता करना और (ii) क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी को छोड़कर किसी अन्य भारतीय भाषा के अध्यापन में प्रशिक्षित अपने अध्यापकों को स्कूलों में नियुक्त करने में अहिन्दी भाषी राज्यों की सहायता करना ।

5. इन क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों ने हाल में ही कार्य करना शुरू किया है और इनमें 91 अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

6. अधिछात्रवृत्ति तथा वेतन के खर्च के साथ, इन अध्यापकों के प्रशिक्षण का खर्च, भारत सरकार वहन करती है । भारत सरकार, दो अग्रिम वेतन-वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले खर्च को भी वहन करने के लिये सहमत हो गई है । ये वेतन वृद्धियां अध्यापकों को प्रशिक्षण के बाद और अपने स्कूलों में पुनः कार्यभार संभालने पर दी जायेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि वे कम से कम 10 छात्रों को उस भाषा को पढ़ाएं जिसमें कि सम्बन्धित अध्यापक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

भारत को प्राचीन संस्कृति का प्रतिपादन करने वाली पुस्तकें

700. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के लिये, भारतीय संस्कृतिक का प्रतिपादन करने वाली श्रेष्ठ पुस्तकों को देश में बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने वाली श्रेष्ठ पुस्तकों को प्रकाशित कराने तथा उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध करने और विदेशी पर्यटकों को मुफ्त बांटने की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत को संस्कृति पर अनेक सरकारी अभिकरणों-यथा संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी—जैसी तीनों राष्ट्रीय अकादमियों तथा नेशनल बुक ट्रस्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय संग्रहालय, सांस्कृति सम्बन्धों को भारतीय परिषद् एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के द्वारा भी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। तथापि यह पुस्तकें इतिहास व संस्कृति के छात्रों तथा सामान्य पाठकों के लिये हैं। इनमें से अधिकांश आर्थिक सहायता प्राप्त हैं, और इनका मूल्य कम रखा जाता है। किन्तु यह पर्यटकों के हेतु निःशुल्क वितरण के लिये नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यचालन

701. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्याचलन का पुनर्विलोकन किया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इन बैंकों के वर्तमान कार्य पालन में और अधिक सुधार लाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में होने वाले प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उसे कब से क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन की समीक्षा निरंतर चलती रहती है। विशेष रूप से, शाखाओं के विस्तार, जमा की रकमों के संग्रह और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देने के सम्बन्ध में उनके कार्य की हर महीने जांच होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों की सभाओं में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन से सम्बन्धित नीति विषयक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समय-समय पर विचार किया जाता है। अभी हाल ही में, अप्रैल, 1971 के अन्तिम सप्ताह में वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई थी : कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, ग्राहक-सेवा में सुधार और रोजगार के लिये समुचित अवसर उत्पन्न करना, आत्म-नियोजित व्यक्तियों को ऋण देना और प्रत्येक बैंक में ऋण के लिये समुचित योजना बनाना, जमा की रकमों में वृद्धि करना और रिजर्व बैंक से कम से कम रकमें उधार लेना और ऋण के बड़े खातों की समुचित जांच करना प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि नीति विषयक निर्णयों को अवश्य कार्यान्वित किया जाये।

महाराष्ट्र में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पीने का पानी लेने से रोका जाना

702. **श्री गदाधर साहा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के सतारा जिले में पाटन तालुका के मनोवाड़ी गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पेय जल लेने से लगातार रोकने से सम्बन्धित 15 अप्रैल, 1971 के "पेट्रियट" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने इस शिकायत की जांच की थी। जांच करने पर पता लगा कि इसमें कोई सत्यता नहीं थी। इसलिये कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) यदि सुवर्ण हिन्दू इस प्रकार के अपराधों के दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डित किया जाता है।

भारत में विदेशी पूंजी-निवेश

703. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे उद्योगों तथा कारखानों के क्या नाम हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों ने धन लगाया है तथा प्रत्येक उद्योग कारखाने में अलग-अलग वस्तुतः कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में अलग-अलग कुल कितनी पूंजी लगी हुई है तथा इनके देशों का प्रति वर्ष कितनी राशि की विदेशी मुद्रा भेजी जाती है तथा शेष धन को भारत में किन शर्तों पर खर्च किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार देश में विदेशी पूंजी का दुरुपयोग न होने देने के लिये इस विदेशी पूंजी पर निगाह रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों में वास्तव में जो पूंजी लगाई गई, वह अंशतः इस अवधि के दौरान दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में और अंशतः पहले से दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में है। मांगी गई सूचना इकटठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) जी, हां। विदेशी पूंजी के विषय में हमारा दृष्टिकोण चयनात्मक होता है। विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब जटिल प्रकार की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने

में उसका कुछ महत्वपूर्ण योगदान हो अथवा आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी वस्तुएं तैयार करने में सहायता मिल सके अथवा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके । विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति उन क्षेत्रों में भी दी जाती है जहां पूंजीगत सामान आदि आयात की आवश्यकताएं बहुत अधिक हों और उनके लिये विदेशी मुद्रा के अपने साधनों से वित्त पोषण करने में कठिनाई हो ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों से ऋणों की वसूली

704. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणों की वसूली के बारे में किसानों को नोटिस जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों ने यह तर्क दिया है कि वे बिजली का कनैक्शन न मिलने के कारण बैंक ऋणों से प्राप्त किये गये पम्प सेटों का उपयोग नहीं कर सके हैं ; और

(ग) यदि हां तो ऐसे मामलों में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां । राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसे नोटिस जारी किये हैं, जिनमें ऋण वापस करने में देरी हुई है या ऋण लेने वालों ने नियत तारीखों को ऋण की किस्तों की अदायगी नहीं की है ।

(ख) जी, नहीं । पंप सेटों की खरीद के लिये किसानों को ऋण मंजूर करने से पहले राष्ट्रीयकृत बैंक आम तौर पर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आवेदक को बिजली उपलब्ध हो जायेगी । फिर भी, यदि बिजली उपलब्ध न होने के कारण पम्प सेटों का उपयोग न किया जा सकता हो तो उचित मामलों में बैंक बकाया रकम की अदायगी के लिये समय बढ़ाने की सुविधा देते हैं या ऋणों को वापस करने के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित कर देते हैं ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

केरल में विनाड की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी

705. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विनाड की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी लोग अत्यधिक गरीब तथा पिछड़े हुये हैं ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके जीवनस्तर में सुधार करने के लिये सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में अजीक्कल पत्तन का विकास करने सम्बन्धी प्रस्ताव

706. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अजीक्कल पत्तन का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अजीक्कल एक बड़ा पत्तन नहीं है। बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है केरल सरकार ने सूचित किया है कि अजीक्कल पत्तन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की व्यवस्था की गई है :—

योजनाओं के नाम	**व्यवस्था (लाख रुपयों में)**
(1) प्रवेश जल मार्ग के लिये प्रकाशयुक्त नाव्य जलपथ वायु की व्यवस्था करना	0.50
(2) तटीय स्टीमरों के लिये नदी थाला के अन्दर बांध घाट वोयों के दो सेट	6.00
(3) दो बांध घाट नाव	0.40
(4) एक पाइलट लान्च	3.00
(5) एक दीप घर	2.50

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों की खेल-कूद परिषदों द्वारा खेल-कूद स्टेडियमों के निर्माण तथा प्रशिक्षण-शिविरों के आयोजन के लिए केन्द्रीय अनुदान का उपयोग

707. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की खेल-कूद परिषदों को स्टेडियमों के निर्माण तथा प्रशिक्षण-शिविरों के आयोजन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी गयी निधि का गत वित्त वर्ष में केवल 31 प्रतिशत भाग ही उपयोग में लाया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पूर्ण निधि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित पूर्ण निधि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य खेल-कूद परिषदों को अनुदान देने की परिशोधित चौथी आयोजना को योजना का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा जून, 1970 में किया गया और राज्य खेल-कूद परिषदों को 18-6-1970 को घोषित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता, परियोजना की लागत की किसी प्रतिशतता तक सीमित होती है, बशर्ते कि वह राशि निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्दर हो तथा राज्य खेल-कूद परिषदों को केन्द्रीय सहायता के लिए आवेदन करने से पूर्व शेष राशि का प्रबन्ध भी करना होगा। कुछ मामलों में भूमि का अर्जन भी करना होता है। ऐसा करने में समय लगा तथा उसके परिणाम स्वरूप पूरी बजट व्यवस्था का पूरा उपयोग नहीं हो सका।

(ग) इन योजनाओं का उपयोग अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए राज्य खेल-कूद परिषदों पर दबाव डालने हेतु पिछले वर्ष क्षेत्रीय सम्मेलन किए गए थे। इस विषय पर राज्य शिक्षा सचिवों को भी लिखा गया था। हाल ही में राज्य खेल-कूद परिषदों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन पटियाला में हुआ था, जिसमें इस विषय पर पुनः जोर दिया गया। 1971-72 के प्रथम मास में, इस वर्ष को दस लाख के प्रथम मास में, इस वर्ष को दस लाख रुपए की बजट व्यवस्था में से 2,12,682 रुपये की राशि दे दी गई है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में नियुक्तियां

708. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों ने उच्च पदों पर नियुक्तियों के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़ दिये जाने का विरोध किया है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). परिषद का, इस मन्त्रालय के अनुभवी और योग्य अनुभाग अधिकारियों में से दो को सहायक सचिव के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव था। इस विषय में परिषद के स्टाफ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। ये विचाराधीन हैं।

केरल में एलप्पी पत्तन का विस्तार

709. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में एलप्पी पत्तन का विस्तार करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अल्लेपी बड़ा पत्तन नहीं है और बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि अल्लेपी एक खुला लंगरगाह, साफ मौसम का पत्तन है। राज्य सरकार ने मौजूदा और प्रत्याशित यातायात की आवश्यकताओं के अनुकूल अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था की है और उनकी प्रभावी ढंग से देखभाल की जा रही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में जिन योजनाओं की व्यवस्था है वे एक पुराने ढंग के स्थान में 2 लाख रुपये लागत के एक 200 अश्वशक्ति के टग की व्यवस्था तथा 1 लाख रुपये की लागत पर स्तंभ की विशिष्ट मरम्मत से सम्बन्धित।

(ग) भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर ऋण देने को कड़ी शर्तों का लागू किया जाना

710. **श्री राज सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण सम्बन्धी शर्तों को अत्यन्त कड़ा कर दिया है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप देश में औद्योगिक उत्पादन पर गम्भीर रूप से बाधा पड़ी है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का 7 अप्रैल, 1971 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) यह सत्य है कि रिजर्व बैंक ने ऋण पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

(ख) जी नहीं। रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि ऋण नियंत्रण के इन उपायों से उत्पादन अथवा व्यापार की वास्तविक आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव न पड़े।

(ग) और (घ). जी हां। सरकार इस समाचार में दिये गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर द्वारा रुपये के अवमूल्यन के बारे में दिया गया वक्तव्य

711. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री एच० आर० वी०

आयंगार द्वारा 11 फरवरी, 1971 को बम्बई में दिये गये इस आशय के वक्तव्य (12 फरवरी, 1971 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित) की ओर दिलाया गया है कि यदि देश में मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति रही तो भारत को पुनः रुपये के अवमूल्यन की नाखुशवार स्थिति का सामना करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार वक्तव्य में व्यक्त आशंकाओं से बिल्कुल सहमत नहीं है ।

सड़क प्रभागों में कार्य करने वाले श्रेणी 1 के तकनीकी अधिकारियों में व्याप्त असन्तोष

712. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क प्रभाग में कार्य करने वाले श्रेणी 1 के तकनीकी अधिकारियों में उनकी वरीयता सूची बनाने और उनकी नियुक्तियों को नियमित करने में विलम्ब के कारण बहुत ही असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो कोलट समिति ने इन नियुक्तियों को नियमित करने के लिए केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाएं (सड़क) श्रेणी 1 भर्ती नियम में संशोधन करने सम्बन्धी सिफारिश की थी और इन सिफारिशों के बारे में विधि मन्त्रालय से परामर्श लिया गया था ; और

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा इस मामले में आगे क्या निर्णय लिया गया था ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सड़क पक्ष में प्रथम श्रेणी तकनीकी अधिकारियों की आपस की वरिष्ठता का प्रश्न कुछ अधिकारियों में असंतोष का विषय बना हुआ है । कोलट समिति जो इस प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की गयी थी, ने केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) प्रथम श्रेणी भर्ती नियमों के संशोधन के बारे में सर्व सम्मत सिफारिश नहीं की है । इस मामले पर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों / विभागों से परामर्श कर विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया हैं । तथापि इस मामले में यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

स्वीडन एयर राइफल प्रतियोगिता में भाग लेना

713. **श्री जदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्वीडन द्वारा आयोजित एअर राइफल प्रतियोगिता में भाग ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनका चयन किया गया है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) नेशनल

राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया ने कहा है कि इंटर नेशनल सूटिंग यूनियन की ओर से स्वीडन द्वारा आयोजित एयर राईफ पोस्टल मैच ने भारत में भाग लिया था। 16वीं नेशनल सूटिंग चैम्पियनशिप के साथ इस मैच का आयोजन 24 और 25 अप्रैल, 1971 को अहमदाबाद में किया गया था।

(ख) नीचे दिये गये नामों के अनुसार दो टीमों ने भाग लिया था ;

(i) **20 वर्षों से कम (कनिष्ठ)**

1. कृष्ण कान्त एस० पटेल
2. अमर नाथ बनर्जी
3. अशोक कुमार शाह
4. सुशन सिन्हा
5. एल० पी० लगवानकर
6. शहरियार अंकलेसरिया

(ii) **20 वर्षों के ऊपर (वरिष्ठ)**

1. शशिकान्त जी० जवेरी
2. जागीर सिंह ढिल्लन
3. मनुभाई माधवलाल नायक
4. सेंटियागो ऐनथोनी
5. बिमल कुमार आर० शाह
6. हमीद उल मलिक

(ग) यह पोस्टल मैच था। अतः भारत के भाग लेने में विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं थी।

कृषि कार्यों के लिये बैंक ऋण

714. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र, विशेषकर गरीब और मध्यम श्रेणी के किसानों को बड़े पैमाने पर संस्थागत और विशेषकर बैंक ऋण दिलाने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं और अब तक प्राप्त किये गये अथवा चालू वित्त वर्ष के अन्त तक प्राप्त किये जाने वाले परिणामों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋणों का बहुत बड़ा भाग कतिपय धनी लोगों द्वारा विभिन्न आधारों पर ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किसी एक परिवार द्वारा लिये जाने वाले कुल ऋण की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्होंने कृषि कार्यों के लिये 50,000 रु० से अधिक के कुल बैंक ऋण प्राप्त किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) कृषि विकास हेतु धन देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वाणिज्यिक बैंकों की सहायतार्थ मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी किये गये हैं जिनमें बैंकों से आग्रह किया गया है, कि वे अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बनायें ताकि न केवल पहले से सक्षम किसानों के लिये बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण छोटे और सामान्य रूप से सक्षम किसानों के लिये भी पर्याप्त और समय पर ऋण देने की व्यवस्था की जा सके।

(ख) इस बात के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है कि बैंक ऋणों का अधिकांश भाग धनी किसानों को दिया गया है। बैंक छोटे किसानों की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋण गारंटी निगम योजना जो अप्रैल, 1971 से चालू हो गई है, इन प्रयत्नों को और अधिक आगे बढ़ायेंगे।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की बुनियादी नीति उत्पादन प्रधान कृषि विकास के लिये ऋण देना है। ऋण की कुल मात्रा उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं और उधार लेने वाले किसान की रकम ऋण लौटाने की क्षमता के आधार पर निधारित की जाती है और इसका उसके परिवार से सम्बन्ध नहीं होता।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

गैर-सरकारी बैंकों में जमा-पूंजी में वृद्धि

715. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद गैर-सरकारी बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) की जमा पूंजी में कुल कितनी वृद्धि हुई है तथा गत तीन वर्षों में उनकी जमा पूंजी और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा पूंजी की तुलना में इसका क्या अनुपात है ;

(ख) जमा पूंजी की वृद्धि दर में इस असमानता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के हितों की रक्षार्थ गैर-सरकारी बैंकों, विशेषकर विदेशी बैंकों के कार्य पर निगाह रखी जाती है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) एक सारणी संलग्न है।

(ख) उपर्युक्त सारणी में बतायी गयी बैंकों में जमा रकमों में वृद्धि से वर्ष भर में हुई वृद्धि के स्वरूप की एक रूपता का पता नहीं चलता है। लेकिन जैसा कि सारणी से पता चलेगा गैर-सरकारी बैंकों में हुई जमा रकमों में वृद्धि की दर 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा धीमी रही। यद्यपि बैंकों के इन दोनों समूहों के लिये स्थूल रूप से वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति बनी रही।

(ग) विदेशी बैंकों सहित गैर-सरकारी क्षेत्र के सारे अनुसूचित बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की परिधि में कार्य करते हैं और इस प्रकार वे रिजर्व बैंक के विनियमनकारी नियंत्रण में हैं।

विवरण

बड़े बैंक समूहों में जमा रकमों में हुई वृद्धि
निम्नलिखित अवधि के बीच हुई जमा में वृद्धि (करोड़ रुपयों में)

	21 जुलाई, 1967 और 19 जुलाई, 1968	19 जुलाई, 1968 और 18 जुलाई, 1969	18 जुलाई, 1969 और 30 अप्रैल, 1971 (अर्थात् 94 सप्ताह)
	(1)	(2)	(3)
1. भारतीय राज्य बैंक समूह	166.4	139.5	415.9
	(17.4)	(12.5)	(18.3)
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	253.8	401.6	713.3
	(12.9)	(18.1)	(15.0)
3 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक (विदेशी बैंकों सहित)	56.1	108.0	173.3
	(9.0)	(15.9)	(12.2)
4. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोड़	476.4	649.1	1302.5
	(13.4)	(16.1)	(15.4)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वृद्धि की वार्षिक दर के प्रतिशत को बताते हैं।
जुलाई, 1967 से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Efficiency in the Services of Nationalised Banks.

716. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri C. Chittibabu :

Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the efficiency in the services of nationalised banks has registered a general decline ; and

(b) if so, the steps taken in this regard ?

The Minister of Finance (Vitta Mantri) (Shri Y. B. Chavan) : (a) There is no evidence to indicate that there has been a general decline in efficiency after nationalisation. However complaints are received from public from time to time about inefficiency in the services of nationalised banks. Specific instances cited by the complainants are taken up with the banks concerned for appropriate action. Such complaints were not however unknown even before nationalisation.

(b) During the separate meetings, which the Finance Minister had with the chief exccutives, the representatives of workmen employees and officer employees of the public sector banks in the last week of April, 1971, it was emphasised that the question of improving customer service should receive continual attention at all levels.

Affiliation of Colleges to Aligarh Muslim University

717. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Will the Minister of **Education and Social Welfare (Shiksha Aur Samaj Kalyan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that since long there has been a demand on behalf of the students, teachers and the public for affiliating the colleges of Aligarh District and its nearby areas to Aligarh Muslim University ;

(b) whether it is also a fact that many facilities such as library, etc. would become available to the students of those colleges in their study and research work as a result thereof ; and

(c) if so, the action taken so far and proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shiksha Aur Samaj Kalyan Mantralaya Tatha Sanskriti Vibhag Men Up-Mantri) (Shri D. P. Yadav) : (a) and (c). Representations have been receieved from certain organisations and individuals containing, **inter alia,** a demand for affiliation of colleges in Aligarh to the Aligarh Muslim University. The power of affiliation is vested in the University authorities. It is for the colleges concerned to approach the University for affiliation.

(b) The University generally allows all those who want to avail themselves of the facilities in the library for doing research whether they are University scholars or not.

न्यूजीलैंड की अन्तराष्ट्रीय महिला हाकी प्रतियोगिता

718. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अगस्त मास में आकलैंड में आयोजित होने वाली न्यूजीलैंड की अन्तर्राष्ट्रीय महिला हाकी प्रतियोगिता से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). अखिल भारतीय महिला हाकी संघ ने न्यूजीलैंड की अन्तर्राष्ट्रीय महिला हाकी प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। इस प्रतियोगिता में दक्षिणी अफ्रीका के भाग लेने के कारण संघ ने अपना नाम वापस लेने का निर्णय किया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नये मण्डलों का गठन

719. **श्री आर० कडनापल्ली :**
श्री सी० चित्ति बाबू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नये मण्डलों का गठन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उक्त मण्डलों के लिये नामांकन पूरे हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम निदेशक मण्डलों का गठन 18 जुलाई, 1970 को किया गया था। निदेशक मण्डलों के निदेशकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-244/71]** बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अन्तर्गत बनाई गई योजना के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों को व्यापक आधार पर गठित करने के प्रश्न पर सरकार बिचार कर रही है।

केरल के कोचीन शिपयार्ड से निकाले गये निष्क्रान्त निवासियों की मांगें

720. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के कोचीन शिपयार्ड से निकाले गये निष्क्रांत निवासियों की उन मांगों जिसमें उन्होंने पुनर्वास सुविधाएं बढ़ाने का अनुरोध किया है, दिलाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विस्थापितों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें समुचित पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। विस्थापित कास्तकारों के पुनर्वास के मामले पर केरल राज्य सरकार को विचार करना है। इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास के लिये अधिक सुविधायें देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ). इस सम्बन्ध में विस्थापितों के प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। केरल भूमि सुधार अधिनियम के उपबन्ध के अंतर्गत कुट्टीकीदाप्पुकर को देय बढ़े हुये मुआवजा के कारण भुगताने के लिये 1,63,200 रुपये की राशि हाल ही में राज्य सरकार को उपलब्ध की गई। अन-इम्पलाईज एसोशिएशन आफ दी शिपयार्ड इविकटेड पीपल कोचीन ने अपितु एक ज्ञापन दिया जिसमें सीधी नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में सहायता मांगी गई थी। इस सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ है कि जहां तक सम्भव होगा उनके अन्यथा योग्य होने पर शिपयार्ड के विस्थापितों के नाम रोजगार कार्यालय परियोजना संगठन को नाम भेजने में अधिमान देगा। वास्तव में कुछ विस्थापित शिपयार्ड में पहले ही भर्ती कर दिये गये हैं और नियुक्त भी किये गये हैं।

तूतिकोरिन पत्तन परियोजना कर्मचारी संघ द्वारा परियोजना भत्ते में वृद्धि करने की मांग

721. **श्री दशरथ देव : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तूतिकोरिन पत्तन परियोजना कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें संघ ने परियोजना भत्ते में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन मांगों को पूरी करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। मार्च, 1970 में तूतीकोरीन हारबर परियोजना अलुवलर संगम, तूतीकोरीन से परियोजना भत्ता जो 1-4-1970 से वेतन के 10 प्रतिशत की मूल दर से घटा कर वेतन का 5 प्रतिशत कर दिया गया था, के पुनर्स्थापन के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग). परियोजना भत्ता बड़े पैमाने के निर्माण कार्यों में मूल सुख सुविधाओं के अभाव के लिये कर्मचारियों को प्रतिकर देने के अभिप्राय से दिया जाता है। धीरे-धीरे मूल सुख सुविधाओं की व्यवस्था होने पर परियोजना भत्ते की मात्रा में कमी करने का भी अभिप्राय है और पूरी सुख सुविधाओं के स्थापित हो जाने पर वह अन्त में समाप्त कर दिया जाता है। अमला क्वार्टर, रेल पहुंच मार्ग, जल प्रदाय इत्यादि जैसी सुख सुविधाओं की अब तूतीकोरीन परियोजना क्षेत्र में व्यवस्था कर दी गई है। वस्तुओं की उचित दाम पर उपलब्धि जैसी अन्य सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गई है। मूलतः परियोजना भत्ता 1-5-1964 से मंजूर किया गया था। परियोजना भत्ता 1-4-1970 से कम कर दिया गया है क्योंकि कुछ सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है।

अमरीकी सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान

722. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों की कुल कितनी संख्या है जिन्होंने अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1971 तक अमरीकी सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन निधियों के प्रयोग पर नियंत्रण तथा रोक लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). सूचना प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दो जहाजों के लिए ब्रिटिश शिपयार्ड को दिये गये क्रयादेश

723. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब पूर्व यूरोपीय देश भारतीय मुद्रा में भुगतान पर पोत देने के लिये सहमत हैं तो भारतीय शिपिंग कार्पोरेशन को ब्रिटिश शिपयार्ड को क्रयादेश देने की अनुमति किन कारणों से दी

गई है, और

(ख) देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये ब्रिटेन द्वारा भारतीय परियोजनाओं के लिये दी जाने वाली सहायता राशि में से इन पोतों के लिये 20.97 करोड़ रुपये का नियतन किन कारणों से किया गया है जब कि ये क्रयादेश पूर्व योरोपीय देशों को दिये जा सकते थे ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवाहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) स्वीकार्य संदाय और सुपुर्दगी शर्तों पर जिस प्रकार के जहाज हम चाहते हैं उस प्रकार के जहाजों के क्रयादेश लेने वाले उन पोत प्रांगणों का योग्यता और इच्छा की दृष्टि से पूर्वी योरोपीय पोत प्रांगणों को क्रयादेश देने की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाया जा रहा है परन्तु अर्जित किये जाने वाले पोत परिवहन टन भार के परिमाण पर विचार करते हुये जहाजों के क्रयादेश पश्चिमी और पूर्वी योरोपीय देशों सहित बहुत देशों को देना पड़ता है ।

(ख) उक्त भाग (क) के उत्तर में जैसा बताया गया है उसके अलावा यह भी बताया जाता है कि ब्रिटिश सहायता बहुत ही नरम शर्तों पर हमें दी गई है और जहाजों की बिक्री के लिये इसके भाग का नियतन हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के संदर्भ में उस सहायता के सदुपयोग को प्रदर्शित करता है ।

गैर-सरकारी कम्पनियों के कार्यकरण की जांच

724. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी कम्पनियों के कार्यों के बारे में कितने जांच आयोग नियुक्त किये गये और उन कम्पनियों के क्या नाम हैं ; और

(ख) जांचों के परिणामस्वरूप निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) तथा (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

भारत में अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच अनुपात

725. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वीकार्य अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच अनुपात निर्धारित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में मथाई कराधान जांच आयोग की सिफारिशों पर सरकार का क्या मत है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कराधान जांच आयोग ने सुझाव दिया था कि कर की रकम घटा देने के पश्चात शुद्ध

वैयक्तिक आय की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जो समान्यतया देश की औसत परिवार आय के तीस गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा यह लक्ष्य एक निश्चित अवधि में चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाना चाहिए। आयोग ने यह विचार भी व्यक्त किया था कि इस उद्देश्य का निष्पादन विभिन्न दिशाओं में एक समन्वित ढंग से किया जाना चाहिए तथा इसमें न केवल राजस्व विषयक नीति संबंधी परिवर्तनों को ही समाहित किया जाना चाहिये। अपितु आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने तथा रोजगार एवं उत्पादन के अवसरों को बढ़ाने के प्रश्नों को भी समाविष्ट किया जाना चाहिए। सरकार इस दृष्किोण से स्थूल रूप से सहमत है।

एयर इण्डिया को फरवरी, 1971 में हुई हानि

726. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1971 में एयर इण्डिया को हानि हुई थी और यदि हां, तो कितनी हानि हुई थी ;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 में एयर इण्डिया को घाटा होने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह हानि बोइंग 747 (जम्बो जेट) में अधिक निवेश किए जाने के कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मासिक वित्तीय आंकड़े एयरलाइन के परिचालनों की समग्र आर्थिक स्थिति का एक यथार्थ चित्र नहीं प्रस्तुत करेगी। वास्तव में एयर इंडिया को 1970-71 में (टैक्स-पूर्व) लगभग 2.6 करोड़ रुपये का लाभ होने की आशा है।

(ग). प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-परिणाम

727. **श्री सी० चित्तिबाबू :**
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-परिणामों के अनुसार उन्हें वर्ष 1969 की तुलना में अधिक लाभ हुआ है ;

(ख) वर्ष 1969 तथा 1970 के कार्य-चालन व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कार्य-चालन व्यय को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के, 31 दिसम्बर 1970 पर्यन्त अवधि के लेखे अन्तिम रूप से अभी तक तैयार नहीं हुए हैं अतः इस अवस्था में 1970 के उनके लाभ और कार्यचालन व्यय की तुलना 1969 के उनके लाभ और कार्यचालन व्यय से नहीं की जा सकती।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक का अभिरक्षकों से अनुरोध है कि सभी प्रकार के खर्चे में और

विशेष रूप से बैंकों के कार्यालयों का निर्माण और साज-सज्जा करने तथा शहरों में उनकी शाखाएं खोलने के खर्चे में यथासंभव अधिक से अधिक किफायत बरतें और व्यर्थ का खर्चा कराने वाली प्रतिस्पर्धाओं से बचें ।

Assistance to Uttar Pradesh to Eliminate Unemployment in the State

728. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Uttar Pradesh has sought assistance of rupees 50 crores from the Central Government to eliminate unemployment in the State ; and

(b) if so, the amount given by the Central Government to the State Government for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Government of India have not received any request from the Chief Minister of Uttar Pradesh for assistance of Rs. 50 crores specifically for tackling the problem of unemployment.

(b) Does not arise.

Functioning of Airport at Phool Bagh, Pant Nagar

729. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a lot of inconvenience is caused to the travellers, particularly tourists visiting hilly regions, on account of the fact that the airport located at Phool Bagh, Pant Nagar functions only for a few months during the year ;

(b) if so, whether Government propose to take any action to ensure that the aforesaid airport functions throughout the year ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur NagarVimanan Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). Indian Airlines so far operate a scheduled service between Delhi and Pantnagar during the Summer season only, when traffic potential is high. The question of extending it on a year round basis is under consideration.

Assistance to Uttar Pradesh

730. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh had sought a sum of Rs. 22 crores from the Central Government for their Plan ;

(b) whether the Reseve Bank of India sanctioned loans to the tune of Rs. 17 crores only ;

(c) whether Government propose to give more loans to this State in future ; and

(d) if so, the amount thereof ?

The Minister of Finance (Vitta Mantri) (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d). A reference was received recently from Uttar Pradesh Government seeking an allocation of Rs. 23 crores of gross market borrowings by it during the year. The details of the borrowing programme would be finalised on the advice of the Reserve Bank of India in the light of the current market conditions and the ceilings recommended by the Yojana Ayog/Planing Commission based on backwardness of the States and the scheme for financing the Plan outlays etc.

No other request for loan assistance has been received from the Government of Uttar Pradesh.

Scheme Formulated to Attract Tourists to Uttarakhand Area in U. P.

731. **Shri N. S. Bisht :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are several glaciers and sanctuaries in Uttrakhand area in U. P. ;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme to attract tourists to those places, if so, the details thereof ;

(c) whether there is a proposal to send a special study team to conduct a survey of these areas in order to explore the possibilities of developing these places into tourist centres ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No, Sir. This area lies within the "inner line".

(d) Does not arise.

तमिलनाडु में नियमों का उल्लंघन करने वाली दोषी कम्पनियां

732. **श्री बी० नारायणन् :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कम्पनी अधिनियम की धारा 555 के अधीन, कम्पनियों के परिसमापन लेखे में देय अप्रदत्त लाभांशों तथा अवितरित आस्तियों हेतु 31 मार्च 1970 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ;

(ख) इस सम्बन्ध में नियमों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) 31 मार्च, 1970 तक कितने आवेदन-पत्र निर्णयाधीन थे ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है व यह लोक सभा के पटल पर यथा शीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गैर सरकारी विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ-राशि का स्वदेश भेजा जाना

733. **श्री बी० नारायणन् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के अन्तर्गत 561 विदेशी कम्पनियों द्वारा वर्ष 1969-70 अथवा 1968-69 में कितनी लाभ राशि स्वदेश भेजी गयी ; और

(ख) इन 561 विदेशी कम्पनियों में कितने भारतीय व्यक्ति किन-किन पदों पर हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों द्वारा 1968-69 और 1969-70 के दौरान निम्नलिखित लाभ राशियां स्वदेश भेजी गयीं :—

(लाख रुपयों में)

	1968-69	1969-70
चालू लाभ	775	873
संचित लाभ	530	400
जोड़	1305	1273

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत किसी भी सरकारी अभिकरण को इस तरह की सूचना देना अनिवार्य नहीं है। इस सूचना को इकट्ठा करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी और ऐसा समझा जाता है कि इस सर्वेक्षण पर जो समय तथा श्रम लगेगा वह इस सूचना के उपयोग की दृष्टि से कहीं अधिक होगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत किये गये भवन निर्माण ऋण

734. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत किये गये भवन निर्माण ऋणों की संख्या तथा उनकी कुल राशि क्या है और ऋण लेने वालों को अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ;

(ख) 'निर्माण-पूर्ण' प्रमाण पत्रों को दिये जाने सहित सभी औपचारिकतायें पूरी कर दिये जाने के बाद या भुगतान की जाने वाली अन्तिम किश्तों को 31-3-71 को कुल राशि क्या थी ; और

(ग) अन्तिम किश्तों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और ऐसे कितने मामले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सितम्बर 1970 तक 10,217 मकान बनाने के लिये मंजूर किये गये ऋणों की कुल रकम 47.53 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 37.57 करोड़ रुपये की रकमों का भुगतान किया गया था।

(ख) तथा (ग). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

दिल्ली में जामेर एयरलाइन्स के डकोटा विमान की दुर्घटना की जांच

735. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 2 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामेर एयरलाइंस के डकोटा विमान की दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच आयोग के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।
(ख) और (ग). आशा है जांच-समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही पेश कर देगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया सामान्य बीमा

736. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 तक भारतीय जीवन बीमा निगम, उसके अधीन काम कर रही

कम्पनियों और निजी, बीमा कम्पनियों द्वारा आग, समुद्र तथा प्रकीर्ण आदि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितने मूल्य का सामान्य बीमा किया गया ; और

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमे का कार्य बन्द कर दिया है और इसे अपनी सहायक कम्पनियों के लिये छोड़ दिया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) . एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

(क) 31-3-1970 को समाप्त वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा निगम को तथा कैलेण्डर वर्ष 1969 में ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी, दि जुपीटर जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी तथा अन्य बीमा कर्त्ताओं को हुई कुल प्रीमियम आय नीचे दिये अनुसार है। (जीवन बीमा निगम के खाते वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं तथा अन्य बीमा कम्पनियों के खाते कैलेण्डर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं)

कुल प्रीमियम आय

(लाख रुपयों में)

	अग्नि	**समुद्री**	**विविध**	**कुल**	
भारत का जीवन बीमा निगम	451	764	589	1804	
ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी	313	156	792	1261	जीवन बीमा निगम की सहायक कम्पनियां
जुपीटर जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी	62	28	102	192	
अन्य बीमा कर्त्ता	3621	1975	4191	9787	

(ख) 1 अप्रैल 1971 से जीवन बीमा निगम ने "खुला बाजार" (Open market) कारोबार समाप्त कर दिया है और उसने अपना "प्रतिबद्ध खाता" (Tied accounts) कारोबार भी अपनी एक सहायक कम्पनी, ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं० लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में साधारण बीमा कारोबार निगम द्वारा अभी भी किया जाता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा यह निर्णय कारोबार को युक्ति संगत बनाने की दृष्टि से किया गया है। मोरार का समिति ने भी, यद्यपि एक अन्य संदर्भ में, सिफारिश की थी कि जीवन बीमा निगम को अपना 'प्रतिबद्ध (Tied)' कारोबार ओरिएण्टल फायर तथा जनरल इन्श्योरेन्स कं० लिमिटेड को हस्तांतरित कर देना चाहिए तथा निगम का यह निर्णय उक्त सिफारिश के अनुसार ही है।

नई दिल्ली में रामाकृष्णपुरम स्थित केन्द्रीय स्कूल में प्रवेश के सम्बन्ध में भेद-भाव बर्ता जाना

737. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामाकृष्णपुरम स्थित केन्द्रीय स्कूल के प्रधानाचार्य ने इस वर्ष फ्रस्ट स्टैन्डर्ड के बच्चों को प्रवेश देने में भेद-भाव बर्ता था ;

(ख) यदि हां, तो प्रवेश के लिये कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे और कितने मामलों में अस्थायी रूप से रोल नम्बर जारी किये गये थे ;

(ग) इस आधार पर कि उनकी सेवायें स्थानान्तरणीय नहीं है, कितने प्रार्थना-पत्र रद्द किये गये ;

(घ) क्या केन्द्रीय स्कूल रामाकृष्णपुरम के प्रधानाचार्य द्वारा कुछ ऐसे प्रार्थना पत्र भी रद्द कर दिये गये थे जहां 'प्रति-नियुक्ति पर' शब्द लिखे थे परन्तु दिल्ली के दूसरे केन्द्रीय स्कूलों में इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या बच्चों के संरक्षकों ने इस ओर प्रधानाचार्य का ध्यान दिलाया था ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) पंजीकरण के लिये कुल मिलाकर 820 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । अस्थाई आधार पर कोई भी रोल नम्बर जारी नहीं किये गये थे ।

(ग) स्वीकार न किये गये आवेदन-पत्रों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था ।

(घ) ऐसे आवेदनपत्र जिनके साथ इस आशय के प्रमाणपत्र थे कि सम्बन्धित कर्मचारी 'केवल प्रतिनियुक्ति पर' ही स्थानान्तरणीय है, रामाकृष्णपुरम केन्द्रीय विद्यालय सहित दिल्ली के किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में स्वीकार नहीं किये गये ।

(ङ) यह बात केन्द्रीय विद्यालय, रामाकृष्णपुरम के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाई गई थी कि प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरणीय सेवाओं को दर्शाते हुए प्रमाण-पत्र दिल्ली के अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में स्वीकार्य थे । परन्तु, जांच पड़ताल पर यह सूचना गलत पाई गई थी ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटक सुविधाएं स्थापित करने के लिये राज्यों को सहायता देने सम्बन्धी प्रस्ताव

738. **श्री निहार लास्कर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों में पर्यटक सुविधाएं स्थापित करने के लिये

राज्यों को सहायता देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राजस्थान में 13.7 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय किया है ;

(ग) उन अन्य राज्यों के क्या नाम हैं जहां सरकार ने पर्यटकों के आकर्षण-स्थल बनाने की योजनाएं बनाई हैं ; और

(घ) उन प्रत्येक स्थान पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भाग दो की योजना गत स्कीमों के समाप्त हो जाने पर, 1969-70 से राज्य सरकारों को सहायतार्थ अनुदान देने की पद्धति समाप्त कर दी गई है। तथापि चौथी योजना अवधि में केन्द्रीय क्षेत्र में राजस्थान में कुछ स्कीमें हाथ में लेने का प्रस्ताव है, जिनमें जैसलमेर में एक पर्यटक बंगला, जयपुर में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा युवक होस्टल और भरतपुर में आखेट पशु शरण स्थान में निवास स्थान का संवर्धन सम्मिलित है।

(ग) और (घ). पर्यटक स्कीमें राज्यवार आधार पर तैयार नहीं की जाती हैं। ये पर्यटकों की पसन्द, पर्यटन स्थलों की सुगमता, यात्रा प्रकृति, आदि, पक्षों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। चौथी योजनावधि में केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन स्कीमों के लिये कुल 25 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें निजी क्षेत्र में होटल और यात्रा ऋणों के लिये छः करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये तैयार किये गये प्रस्ताव

739. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष चार लाख विदेशी पर्यटकों के भारत को यात्रा करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है ; और

(ग) क्या अभी तक प्रस्ताव तैयार नहीं हुए हैं ; इस प्रस्तावित विस्तार की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी किस रूप में पूर्ति होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। वीजा औपचारिकताओं में छूट देने तथा सरलीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के अतिरिक्त, पर्यटन के आधारभूत उपादानों का ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास एवं परिपुष्टि करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; जैसे, अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों का सुधार, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में होटलों का निर्माण, परिवहन सुविधाओं में सुधार, वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहन, आदि। विदेशों में भी पर्यटन के प्रोत्साहन तथा प्रचार कार्यक्रमों को परिपुष्ट किया जा रहा है।

हल्दिया पत्तन का निर्माण

740. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य निर्धारित समय से कितना पीछे है; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) हल्दिया डाक परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति नियत समय से लगभग एक वर्ष पीछे है।

(ग) परियोजना की 1972 के अन्त तक पूरे होने की सम्भावना है।

राज्यों को वित्तीय सहायता

741. **श्री मयावन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की कतिपय परियोजनाओं के लिये सहायता के रूप में विदेशों से मशीनें और उपकरण खरीदने के लिये दी गई धनराशि ऋण के रूप में मानी गई है और उस पर ब्याज लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे ऋण दिये जाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). राज्य सरकारों की प्रायोजनाओं के लिये विदेशों से जो मशीनें और उपकरण मंगाने होते हैं, उनके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भारत सरकार स्वयं अपने विदेशी मुद्रा साधनों से करती है जिनमें विदेशी सहायता भी शामिल है। राज्य सरकारें और सम्बद्ध प्रायोजनाएं, अपने रुपया साधनों के आधार पर सामान्य रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करती हैं और मशीनों तथा उपकरणों के आयात के लिये अदायगियां करती हैं। चूंकि विदेशी मुद्रा की व्यवस्था समतुल्य रुपयों की अदायगी के आधार पर की जाती है इसलिए यह रकम ऋण के रूप में नहीं मानी जाती और न ही इस पर ब्याज लगाने का कोई प्रश्न उपस्थित होता है।

काले धन के सम्बंध में प्रत्यक्ष कर जांच समिति का प्रतिवेदन

742. **श्री मयावन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन के प्रश्न पर प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). प्रत्यक्ष कर जांच समिति से केवल एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और सरकार द्वारा उसकी जांच की जा रही है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को इस समय बताना संभव नहीं है।

50 लाख तथा इससे अधिक की प्राधिकृत पूंजी वाली कम्पनियां

743. **श्री मयावन :** क्या **कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 50 लाख से अधिक की प्राधिकृत पूंजी वाली 31 मार्च, 1970 तक पंजीकृत की गयी नई 40 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा 21 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के गठन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तमिलनाडु में इसकी संख्या अलग अलग क्या है ?

कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 31 मार्च, 1970 को वर्ष समाप्ति के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में पंजीकृत 40 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा 21 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-245/71]**

(ख) उपरोक्त में से दो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां तथा तीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां तामिलनाडू राज्य में पंजीकृत हुई थीं।

बैंककारी व्यवसाय में लगी कम्पनियां

744. **श्री मयावन :** क्या **कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वर्गीकरण (व्यापार तथा वित्त) के अन्तर्गत पंजीकृत 461 नई कम्पनियों में से बैंककारी व्यवसाय करने वाली कम्पनियों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या उनके ऋण देने संबंधी कार्यों पर कोई नियंत्रण रखा जा रहा है ?

कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1969-70 के मध्य, अपने व्यवसाय के रूप में 'व्यापार एवं वित्त' के लिये पंजीकृत 461 कम्पनियों में से, किसी ने भी, निगमन के समय पर अपना उद्देश्य "बैंकिंग व्यापार" व्यक्त नहीं किया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

बड़े तथा मध्यम उद्योगों द्वारा बिलों की अदायगी के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति का गठन

745. **श्री मयावन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े तथा मध्यम उद्योगों द्वारा सप्लाई के संबंध में छोटे छोटे उपक्रमों और उपक्रमियों को बिलों की अदायगी के बारे में अध्ययन करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Aerodrome in District Garhwal U. P.

746. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no aerodrome in District Garhwal in U. P,

(b) whether it is also a fact that every year thousands of people visit the religious places situated in this District ;

(c) if so, whether Government propose to construct an aerodrome either at Kotdwara in Garhwal or at Gauchar in Chamoli ;

(d) if so, the time by which this scheme is likely to be implemented ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) to (e). No, Sir. Due to limitation of funds it is not possible to implement the suggestion.

Financial Assistance from the Discretionary Fund of Shiksha Mantri

747. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Education and Social Welfare (Shiksha Aur Samaj Kalyan Mantri)** be pleased to state :

(a) the names of students (boys and girls) to whom financial assistance has been given from the discretionary Fund of the Shiksha Mantri since 1968 ; and

(b) the names of those belonging to Garhwal, District U. P. to whom financial assistance had been given since 1968 up to date together with the amount of assistance given to each of them ?

The Minister of Education and Social Welfare and Minister of Department of Culture (Shiksha Aur Samaj Kalyan Mantri aur Sanskriti Vibhag Mantri) (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) and (b). Two statements giving the required information are annexed. **[Placed in Library. See No. LT 246/71].**

Public Schools

748. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Education and Social Welfare (Shiksha Aur Samaj Kalyan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Union Minister, while delivering a speech on the 8th April, 1971, had stated that all the public schools in the country should be closed down ;

(b) if so, the action proposed to be taken by the Central Government in this regard ;

(c) whether it is also a fact that English is the medium of instruction in most of the public schools ;

(d) whether Government propose to introduce a common language as a medium of instruction in all the public schools as well as the Government schools ; and

(e) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shiksha aur Samaj Kalyan Mantralaya men Upmantri) (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b). A statement is placed on the Table of the Sabha.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Statement

(a) It is presumed that the Hon'ble Member is referring to a Press Report regarding a recent speech by the Defence Minister.

The Press Report, however, is not quite correct. What the Defence Minister said was: "Public Sehools should either be abolished or made open to all on the basis of merit. There should not be a class system in education."

(b) Government's stand on all special schools including the public schools has been stated in the Resolution on National Policy of Education (1968) namely, 'all special schools including public schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free-studentships to prevent segregation of social classes. This will not, however, affect the rights of minorities under Article 30 of the Constitution.'

The matter was also considered by the Committee on petitions of the Fourth Lok Sabha which said: "While the Committee feel that the existence of the highly expensive public schools is not in keeping with the spirit of the times and the over-all needs of our country, particularly, when considered in the context of the conditions of the ordinary municipal schools which are incapable of giving even the brilliant students a desirable standard of education, they do not consider it desirable to close down such schools abruptly. They suggest that 25 per cent of seats in the existing public schools should be reserved for children whose parents' income is Rs. 500/- or less per month, of which adequate number should be reserved for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Communities. Such children should also be given adequate scholarships to enable them to prosecute their studies in these institutions." The proposals are under active consideration of Government.

अप्रकाशित शोध प्रबन्धों का प्रकाशन

750. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय विश्वविद्यालयों और विशेष कर केरल विश्वविद्यालय में उपलब्ध अनेक शोध प्रबन्धों के अप्रकाशित होने की जानकारी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हमारी शिक्षा के स्तर में योगदान करने वाले कुछ योग्य और श्रेष्ठ शोध प्रबन्धों के प्रकाशन के लिये सरकार का कार्यवाही करने का विचार है; यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) इस संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). मुख्य रूप से यह काम विश्वविद्यालयों और संबंधित व्यक्तियों का है कि वे इन शोध प्रबन्धों को प्रकाशित करवाएं।

तथापि, अनुसंधान संबंधी ग्रंथों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में डाक्टर की उपाधि के लिये लिखे गये शोध प्रबन्ध भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय के हेतु प्रत्येक योजना-अवधि

के प्रारम्भ में ही विनियोजन कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय स्वयं ही इन शोध-प्रबन्धों का प्रकाशन के लिये प्रवरण करता है और आयोग की सहायता शत-प्रतिशत आधार पर उपलब्ध होती है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् भी अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिये सहायता प्रदान करती है और इस प्रकार, इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये जा रहे कार्य को संपूर्ण करती है।

भविष्य में विमानों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

751. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भविष्य में विमानों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये नियुक्त की गई चार सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स ने अपने ही कुछ अधिकारियों की एक छोटी-सी समिति नियुक्त की है जो अगले दस वर्षों में इसकी विमान संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी। समिति के वर्ष के अन्त तक प्रबन्धक वर्ग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देने की आशा है। तदुपरान्त प्रबन्धक वर्ग मामले की जांच करेगा और अपने प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगा।

विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिये 1963 के टोक्यो अभिसमय का अनुसमर्थन करने के लिये किया गया निर्णय

752. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने और उसके परिणामों को दूर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उपाय करने के लिये सरकार ने 1963 के टोक्यो अभिसमय का अनुसमर्थन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) टोक्यो अभिसमय के उपबन्धों को लागू करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक उपयुक्त वैधानिक-कानून बनाया जाये। इस सम्बन्ध में यथासमय संसद् में एक विधेयक पेश किया जायेगा।

भारत में मद्य-निषेध कार्यक्रम

753. **श्री बालतण्डायुतम :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री एस० राधाकृष्णन् :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया हैं कि मद्य-निषेध लागू करने से होने वाले घाटे की पूर्ति करने के लिये राज्य को या तो विशिष्ट सहायता प्रदान की जाय अथवा सारे देश में मद्य निषेध लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्र स्वयं सम्भाल ले ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) मद्य निषेध के विषय को संविधान की राज्य सूची से निकाल कर सम्वर्ती सूची से स्थानान्तरित करने की बात पर विचार करना सम्भव नहीं क्योंकि तमिलनाडु को छोड़कर सब राज्य सरकारों ने इस कदम का विरोध किया है। जहां तक तमिलनाडु को विशेष सहायता देने की स्थिति का सम्बन्ध है वित्तीय आयोग ने नशाबन्दी के कारण सरकार को होने वाले राजस्व घाटे को अपनी योजना में स्थान दिया है ।

आय-कर सम्बन्धी छूट

754. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 से 1970 तक किसी फर्म को आय-कर की छूट दी गई थी ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) जिन मामलों में छूट दी गई है उनमें से प्रत्येक के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 तक निर्धारितियों को उनकी आय के निम्नप्रकार के विनियोजनों पर, कर की औसत दर (अतिकर सहित) पर छूट के रूप में कर सम्बन्धी राहत की सुविधा दी जाती थी ;

(i) जीवन बीमा किस्तें, वार्षिकियां तथा कतिपय भविष्य निधियों में दिये गये अंशदान (धारा 87)

(ii) धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दिए गए दान (धारा 88) ।

इसके अतिरिक्त, निर्धारितियों को, निम्न प्रकार की आयों पर, जोकि उनकी "कुल आय" का भाग होती हैं, कर की औसत दर में (अति कर सहित) छूट की सुविधा दी जाती थी :

(1) सहकारी संस्थाओं की आय तथा उनसे प्राप्त लाभांश तथा विपणन संस्थाओं की आय ।

(धारा 81,82 तथा 83)

(2) नये तौर पर स्थापित किए गए औद्योगिक उपक्रमों अथवा होटलों में लगी पूंजी के छः प्रतिशत तक की आय तथा ऐसे उपक्रमों अथवा होटलों से प्राप्त लाभांश (धारा 84 तथा 85)

(3) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज ।

(4) गैर-रजिस्ट्रीकृत कम्पनी के भागीदार अथवा व्यक्तियों के निकाय के किसी सदस्य की आय का कर-निर्धारित हिस्सा ।

धीरे धीरे छूटें देने की प्रणाली के स्थान पर निर्धारिती की सकल आय से सीधी कटौतियों की प्रणाली लागू की गई जिससे उस पर कर का भार अप्रत्यक्ष रूप से घट गया । कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 से, छूटें केवल किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत कम्पनी अथवा व्यक्तियों की संस्था की आय के कर-निर्धारित हिस्से तथा सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं।

माननीय सदस्य स्पष्टतः 1967 से 1970 तक पूरे किए गए कर-निर्धारणों के बारे में जानकारी चाहते हैं जो स्थूलतः 1967-68 से 1970-71 तक के वित्तीय वर्षों के अनुरूप हैं । इस अवधि में विभाग द्वारा 130 लाख से अधिक कर-निर्धारण किए गए जिनमें से बहुत से मामलों में उल्लिखित प्रकार की कर-छटें ग्रस्त थीं ।

(ख) तथा (ग). क्योंकि विभिन्न निर्धारितियों को दिए जाने वाली विभिन्न प्रकार की छूटों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । अतः यह जानकारी देना संभव नहीं होगा। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशेष निर्धारिती अथवा निर्धारितियों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहें तो सम्बन्धित रिकार्डों से जानकारी एकत्रित करके प्रस्तुत की जायगी ।

आय-कर की अदायगी न करने के कारण दण्ड

755. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की अदायगी न करने के कारण पिछले तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को कैद की सजा दी गई अथवा उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आय-कर की अदायगी न करने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). आयकर अधिनियम में, चककर्त्ताओं की सम्पत्ति को जब्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है । अधिनियम में, केवल संपत्ति का अभिग्रहण करने और उसे बेचने की व्यवस्था है ।

(क) तथा (ख) में मांगी गई सूचना इकट्ठी की जाएगी और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

शिक्षात्मक चलचित्र

756. **श्री सत्यपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षण साधन विभाग द्वारा अपने अस्तित्व में आने के बाद से कुल कितने शिक्षात्मक चलचित्रों का निर्माण किया गया ;

(ख) अगले दो वर्षों में निर्मित किये जाने वाले चलचित्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि शिक्षण साधन विभाग बम्बई की एक ऐसी फर्म से शिक्षात्मक चलचित्रों की खरीद करता है जिसका शिक्षात्मक चलचित्रों में विश्व भर में एकाधिकार है ; और

(घ) विज्ञान और राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी उन चलचित्रों की प्रकृति का ब्यौरा क्या है, जिनका शिक्षण साधन विभाग द्वारा निर्माण करने का प्रस्ताव था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ग्यारह ।

(ख) नियमित आधार पर शिक्षात्मक फिल्मों का निर्माण करने के लिए इस विभाग के पास सुविधाएं नहीं हैं । प्रतिवर्ष एक या दो प्रयोगमूलक फिल्मों का निर्माण करने के लिए शिक्षण कार्य में लगे हुए कर्मचारियों का उपयोग किया जाता है ।

(ग) यह सच है कि अनेक निर्माताओं द्वारा निर्मित शिक्षात्मक फिल्मों के विक्रय अधिकतर बम्बई की एक फर्म के पास हैं । फिर भी, चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी और सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के फिल्म प्रभाग के अतिरिक्त देश की अन्य फर्मों से भी फिल्मों की खरीद की जाती है ।

(घ) यह विभाग उत्तरोत्तर वैज्ञानिक फिल्मों का निर्माण करने का विचार कर रहा है । इस सम्बन्ध में आवश्यक उपकरणों के हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) से सहायता मांगी गई है । जहां तक राष्ट्रीय एकता विषयक फिल्मों का सम्बन्ध है, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग द्वारा 1971-72 के वर्ष में दो लघु फिल्मों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

757. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1969 से अप्रैल, 1971 तक मास-वार प्रत्येक वस्तु का थोक मूल्य सूचकांक क्या था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में मास-वार मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी की दर क्या रही ;

(ग) प्रत्येक मामले में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण थे ;

(घ) मूल्यों का स्तर बनाये रखने के लिए पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये ; और

(ङ) अब तक किये गये उपायों के स्पष्ट परिणाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). अप्रैल, 1969 से अप्रैल, 1971 तक की अवधि के लिये थोक मूल्यों के सामान्य सूचक अंकों का महीनेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अलग-अलग वस्तुओं का ब्यौरा भारत में थोक मूल्यों के सूचक अंक नामक पुस्तक में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) अलग-अलग वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के कारणों को पृथक से बताना सम्भव नहीं है। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ प्रकार के मोटे अनाजों, दालों, कपास, जूट और तेलहनों के उत्पादन में कमी हो जाने के कारण मूल्यों पर दबाव पड़ा है। लोहे और इस्पात के उत्पादन को भी धक्का लगा है।

(घ) और (ङ). मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार उपयुक्त उपाय कर रही है। मुख्य-मुख्य अनाजों के लिये सरकारी वितरण प्रणाली के संचालन के द्वारा दालों से भिन्न अनाजों के मूल्यों को स्थिर किया गया है। औद्योगिक कच्चे माल, विशेष रूप से कपास, कच्चे जूट और तेलहनों के सम्बन्ध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है जिसका उद्देश्य सट्टेबाजी के लिए ऋण की उपलब्धि को कम करना है। साथ साथ, अधिक आयात के द्वारा इन औद्योगिक कच्ची वस्तुओं तथा इस्पात जैसी अन्य वस्तुओं की उपलब्धि में वृद्धि की जा रही है। जनवरी, 1971 में ऋण नियंत्रण उपायों को और कड़ा कर दिया गया था जब बैंक दर भी 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दी गयी थी। सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के संबंध में मूल्य और वितरण संबंधी नियंत्रणों को भी लागू कर रही है। निःसंदेह मूल्यों में मौसमी घटबढ़ हुई है परन्तु सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ महीनों के दौरान मूल्यों में पर्याप्त स्थिरता बनाये रखना सम्भव हो सका है।

विवरण

थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक

(1961-62=100)

(मासिक औसत)

	1969-70	1970-71	1971-72
अप्रैल	165.1	176.1	182.1
	(+0·2)	(0.2)	(0.2)
मई	166.6	178.8	
	(0.9)	(+1.5)	
जून	171.0	180.7	
	(3.1)	(1.1)	
जुलाई	174.3	181.9	
	(1.5)	(0.7)	

अगस्त	174.4	182.2
	(0.1)	(0.2)
सितम्बर	174.1	183.2
	(—0.2)	(0.5)
अक्टूबर	171.3	182.6
	(—1.5)	(—0.3)
नवम्बर	168.7	181.0
	(—1.5)	(50.9)
दिसम्बर	170.0	181.0
	(0.8)	(कोई परिवर्तन नहीं)
जनवरी	173.9	183.3
	(+2.3)	(+1.3)
फरवरी	173.6	181.4
	(—0.2)	(— 1.0)
मार्च	175.9	181.7
	(+1.3)	(+0.2)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले महीने के मुकाबले हुई प्रतिशत घट-बढ़ के द्योतक हैं।

प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

758. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग, 1964-66 ने सिफारिश की है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक निःशुल्क देने सम्बन्धी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वह तुरन्त लागू किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अब तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने सम्बन्धी कार्यक्रम से प्राथमिक विद्यालय के कितने विद्यार्थियों को तथा किस अनुपात में लाभ पहुंचा है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में अन्त तक उपर्युक्त कार्यक्रम से कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने की योजना है ;

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां । शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाए ।

(ख) चूंकि स्कूल शिक्षा राज्य विषय है, शिक्षा आयोग की यह सिफारिश राज्य सरकारों को भेज दी गई थी । उपलब्ध सूचना के अनुसार बहुत सी राज्य सरकारें तथा संघीय क्षेत्र प्राथमिक स्तर के जरूरतमंद छात्रों को पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क बांटते हैं ।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों का योजना से भिन्न व्यय

760. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 और 1970-71 के बीच की चार वर्ष की अवधि में मेघालय सहित 10 राज्यों का योजना से भिन्न व्यय 1098.11 करोड़ रुपये का बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में योजना से भिन्न व्यय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को योजना से भिन्न व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए निदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). भारत सरकार, राज्यों को इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दे सकता कि उनका बजट किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए । किन्तु, भारत सरकार समय-समय पर राज्यों से अनुरोध करती रही है कि वे अपने आयोजनागत तथा आयोजना भिन्न दोनों प्रकार के व्यय को उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सीमित रखें ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) विधेयक

761. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) विधेयक को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है, जिसकी चतुर्थ लोक-सभा के अन्तिम सत्र के दौरान चर्चा स्थगित कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त विधेयक पर विचार करने और इसे पास करने के लिए लोक-सभा के वर्तमान सत्र में पेश करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

Changes made in the Credit Policy of the Nationalised Banks

762. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government have made some changes in their old credit policy ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that the big capitalists are still being given loans by the nationalised banks as usual ; and

(d) if so. how it is related to the new policy and justification therefor ?

The Minister of Finance (Vitta Mantri) (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Credit policy is reviewed and adapted from time to time in response to the requirements of the changing monetary and price situation within the framework of our broad economic and social objectives. In pursuit of this objective, nationalised banks have stepped up their lending to the sectors which have not been receiving their due share of bank credit and are taking greater cognisance of viability and social utility of projects rather than of creditworthiness of borrowers in the traditional sense. Simultaneously, care is taken to ensure that credit expansion does not disturb price stability. In January, 1971, the Bank rate was raised from 5 to 6 per cent and the minimum liquidity ratio for purpose of determining the penal rate of interest chargeable on excess borrowings of the banks from the Reserve Bank was also raised from 33% to 34%. The banks have been advised to step up their efforts to increase deposits and keep down to the minimum their borrowings from the Reserve Bank which tend to generate inflationary pressures. Nonetheless, refinance facilities from the Reserve Bank for genuine priority sectors were left undisturbed.

(c) and (d). There is no intention to curb loans by the nationalised banks for meeting the genuine requirements of the productive sectors but all large loans arc subject to close scrutiny both by the boards of the public sector banks and the Reserve Bank so as to avoid lending in excess of production requirements. The finance Minister in the meeting with the Chief Executives of nationalised banks held on 27th April 1971 specifically stressed the need for close scrutiny of large loans and of keeping a strict check on loans for speculative purposes.

Development of Patna City as a Tourist Centre

763. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Gurudwara (Hari Mandir) situated in Patna City has become a great centre of pilgrimage for Sikhs because Patna is the birth place of Guru Gobind Singh ;

(b) if so, whether the Hari Mandir Sahib Prabandhak Committee, Patna has submitted a memorandum to Government for the development of Patna City as a Tourist Centre ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Department of Tourism does not seem to have received any such memorandum in the recent past.

(c) Does not arise.

पटना और दिल्ली के बीच रात्रि विमान सेवा

764. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना तक विमान द्वारा यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना के लिये रात्रि विमान सेवा प्रारम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। मामूली-सी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइन्स पटना और दिल्ली के बीच रात्रि कालीन विमान सेवा परिचालित करने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, परन्तु निकट भविष्य में दिल्ली-लखनऊ-बनारस-पटना-कलकत्ता मार्ग पर बोइंग 737 सेवा परिचालित करने की योजना बना रहे हैं जिससे इस मार्ग पर धारिता में काफी वृद्धि होगी।

Licences for Establishing Private Companies

765. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Company Affairs (Company Karya Mantri)** be pleased to state :

(a) the total number of companies in the country which have been granted licences by Government during the year 1970-71 to start their business ;

(b) the State-wise detail thereof ;

(c) the State-wise number of insolvent companies in this year ; and

(d) the reasons for the insolvency and the closure of such companies ?

The Minister of Company Affairs (Company Karya Mantri) (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The Hon'ble Member is presumably referring to companies newly registered under the Companies Act 1956 when he refers to granting of licence by the Government for starting their business.

In 1970-71, 1899 companies limited by shares were registered in the private sector under the Companies Act, 1956.

(b) The state-wise distribution of these companies is given in Statement I annexed.

(c) Four hundred and seventy-one companies were reported to have ceased functioning during 1970-71. The state-wise break-up of these companies is given in Statement II annexed.

(d) Of the 471 companies, 235 companies went into liquidation and the remaining 236 companies were struck off the register under Section 560(5) of the Companies Act, 1956. The reasons for the insolvency and closure of these companies are not readily available.

Statement I

Statement referred to in the answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 765 for 28th May, 1971

State-wise break-up of the number of Companies registered under the Companies Act 1956 during the year 1970-71 in the Private Sector

States and Union Territories			No. of Companies
Andhra Pradesh	—	—	70
Assam	—	—	20
Bihar	—	—	28
Gujarat	—	—	153
Haryana	—	—	27
Himachal Pradesh	—	—	5
Kerala	—	—	65
Madhya Pradesh	—	—	18
Maharashtra	—	—	457
Mysore	—	—	137
Orissa	—	—	16
Punjab	—	—	59
Rajasthan	—	—	47
Tamil Nadu	—	—	138
Uttar Pradesh	—	—	73
West Bengal	—	—	258
Chandigarh	—	—	10
Delhi	—	—	283
Goa	—	—	18
Jammu & Kashmir	—	—	12
Pondicherry	—	—	5
	Total	—	1899

Statement II

Statement referred to in the answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 765 for 28th May, 1971

Statewise break-up of the number of non-Government companies reported to have ceased functioning either by going into liquidation or by being struck off under Section 560(5) of the Companies Act, 1956 during the year 1970-71

States and Union Territories			No. of Companies
Andhra Pradesh	—	—	21
Assam	—	—	6
Bihar	—	—	5
Gujarat	—	—	38
Haryana	—	—	4
Kerala	—	—	32

States and Union Territories			No. of Companies
Madhya Pradesh	—	—	8
Maharashtra	—	—	77
Mysore	—	—	27
Orissa	—	—	4
Punjab	—	—	11
Rajasthan	—	—	5
Tamil Nadu	—	—	55
Uttar Pradesh	—	—	15
West Bengal	—	—	101
Chandigarh	—	—	2
Delhi	—	—	48
Jammu & Kashmir	—	—	11
Pondicherry	—	—	1
	Total	—	471

सेतुसमुद्रम परियोजना की जांच पड़ताल

766. **श्री कल्याण सुन्दरम् :**

श्री मुरूगनन्तम :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेतुसमुद्रम परियोजना के संबंध में जांच-पड़ताल की वर्तमान स्थिति के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सेतुसमुद्रम शिपकनाल परियोजना का जांच कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना रिपोर्ट संबंद्धित मंत्रालयों/प्राधिकारियों के परामर्श से विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिये योजना

767. **श्री सेझियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विचाराधीन कोई वित्तीय योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आत्म-नियोजित व्यक्तियों को सहायता देने के लिए अनेक विशेष ऋण योजनाएं बनाई हैं। अनुबन्ध में एक

विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें योजनाओं की शर्तों का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 247/71]**

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि

768. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान वेतन आयोग के सूत्र के अनुसार जीवन निर्वाह के सूचकांक में औसतन 10 प्वाइंट की वृद्धि पहले ही हो चुकी है जिससे केन्द्र सरकार के कर्मचारी मंहगाई भत्ते में और वृद्धि के हकदार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वृद्धि की घोषणा में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मंहगाई भत्ता शीघ्र बढ़ाने के लिये सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। कुछ संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें स्थिति से वाकिफ किया जा रहा है।

कानपुर नगर का दर्जा बढ़ाया जाना

769. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर का दर्जा बढ़ाकर उसे 'ए' श्रेणी का नगर केवल इसलिये नहीं बनाया गया कि उसकी जनसंख्या 16 लाख से कम है;

(ख) क्या कानपुर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है;

(ग) क्या यह सच है कि जनसंख्या में वृद्धि और परिवार नियोजन दोनों एक साथ नहीं चल सकते; और

(घ) यदि हां, तो जीवन निर्वाह की लागत के आधार पर कानपुर का दर्जा बढ़ाकर 'ए' श्रेणी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रथम तथा द्वितीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर मकान किराया तथा (नगर निवास) प्रतिपूर्ति भत्तों की अदायगी के लिये नगरों के वर्गीकरण का वर्तमान सिद्धान्त जनसंख्या है, जीवन निर्वाह व्यय नहीं।

काले धन का पता लगाना

770. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री बी० के० दासचौधरी :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काले धन का पता लगाने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या 75 अथवा 80 व्यापार गृहों के स्वामित्व में लगभग 4,000 करोड़ रुपये काले धन होने का मोटा अन्दाज है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने कर-अपवंचन को रोकने के लिए पिछले छः वर्षों के दौरान पहले ही काफी संख्या में प्रशासनिक और वैधानिक उपाय किए हैं। कर-अपवंचन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए, मार्च 1970 में प्रत्यक्ष कर जांच समिति नियुक्त की गई। समिति ने हाल में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को भेजी है। कथित रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). परिचलन में काले धन की मात्रा लगातार घट-बढ़ रही है और इसकी मात्रा बताना कठिन है। यह बताना इससे भी अधिक कठिन है कि किसी विशेष व्यापार-गृह के पास कितना काला धन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिये बैंक कर्मचारियों की मांग

771. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने यह मांग की है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने और अत्यधिक विषमताओं को कम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को शक्तिशाली आर्थिक माध्यम बनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसे सम्भवतः कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीयकरण और उसके बाद की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने संकल्प से, अन्य प्रस्तावों के साथ साथ, यह सुझाव दिया है कि कर्मचारियों के चुने हुए प्रतिनिधि न केवल निदेशक बोर्डों में ही सम्मिलित किये जायं आपतु उन्हें नीति निर्माता निकायों में सभी स्तरों पर सम्मिलित किया जाय।

(ख) बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970, में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है और उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी योजना में बैंकों के निदेशक बोर्डों में कामगरों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। योजना के अनुसार 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए व्यापक आधार के निदेशक बोर्डों के गठन के प्रश्न को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

वेतन आयोग में कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिक प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाना

772. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने सरकार को आयोग में कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिक प्रतिनियुक्ति भत्ता देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है अथवा अस्वीकार कर दिया है और यदि अस्वीकार कर दिया है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोग के सदस्यों ने आरम्भ में निर्धारित की गई अपनी परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मचारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित, दोनों) को एक समान 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता मंजूर किया जाय, चाहे उनका स्थानान्तरण उसी नगर में हो अथवा किसी दूसरे नगर से।

(ख) आयोग की सिफारिश को मन्जूर नहीं किया गया, क्योंकि सामान्य नियमों में ढील देने से इसी प्रकार के अन्य मामलों में प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि सामान्य नियमों के अनुसार, यदि स्थानान्तरण एक ही नगर के अन्दर हो तो प्रतिनियुक्ति भत्ता दस प्रतिशत की निम्न दर से मिलता है।

(ग) तथा (घ). जी नहीं। सदस्यों को प्रथमतः यथा-नियत परिलब्धियों को बढ़ाने के लिये ऐसा कोई आवेदन नहीं हुआ है। सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में आरम्भ में ये शर्तें थीं :—

"3000.00 रुपये प्रतिमास में से पेंशन तथा किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभ के बराबर पेंशन की रकम को घटाकर जो रकम बनती है।"

बाद में वेतन आयोग ने यह प्रस्ताव किया था कि सदस्यों के वेतन, उसमें से पेंशन तथा किसी ऐसे अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन की रकम को कम किये बिना ही मिलना चाहिये ; जो उनको वेतन आयोग में सम्मिलित होने से पहले गैर सरकारी श्रोतों से मिलते रहे हों। आयोग के तीन सदस्यों को स्वायत्त निकायों संस्थाओं में काम करते समय प्राप्त परिलब्धियों को तथा अन्य सब सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया कि सदस्यों को वेतन, उसमें से पेंशन तथा पेंशन के समकक्ष लाभों की रकम को कम किये बिना ही, 3000.00 रुपये प्रतिमास के हिसाब से मिले।

केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी का शिक्षा का माध्यम होना

773. **श्री वरके जार्ज :** क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसका क्या कारण है कि दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों में अधिक से अधिक विषय (अर्थात् अर्थशास्त्र) अनिवार्य रूप से हिन्दी में पढ़ाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी सभी विषयों को सीखने के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी को चुन सकेंगे ;

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि केन्द्रीय विद्यालयों में धीरे-धीरे केवल हिन्दी माध्यम में पढ़ाई हो ; और

(घ) क्या दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में, जहां बहुत से दक्षिण भारतीय विद्यार्थी हैं, केन्द्रीय विद्यालयों में विषयों के अध्ययन के लिए माध्यम अंग्रेजी ही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय विद्यालय योजना में शुरू से इन स्कूलों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को शिक्षा माध्यम के रूप में प्रयोग करने की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार 1968 में यह निर्णय किया गया था कि सामाजिक विज्ञान और मनविकी के विषय हिन्दी में पढ़ाए जाएं और गणित और विज्ञान के विषय अंग्रेजी में पढ़ाये जाएं। 1968 में 6 कक्षा में शुरू करके इस व्यवस्था को धीरे-धीरे प्रत्येक वर्ष अगली कक्षा तक बढ़ाया जाना था अतः 1971-72 वर्ष में इसको 9 कक्षा में बढ़ाया जाना होगा, जिसमें वैकल्पिक विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र हिन्दी के जरिए पढ़ाये जाने हैं और भौतिकी रसायन, जीव विज्ञान और गणित अंग्रेजी के जरिए पढ़ाये जाने हैं।

(ख) जी, नहीं। नियमों में यह व्यवस्था है कि विद्यालय में अपनाये जाने वाले शिक्षा माध्यम के बावजूद विद्यार्थी परीक्षाओं/परीक्षणों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा, अंग्रेजी में दे सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

ऋणों का साम्य पूंजी में परिवर्तन

774. **श्री त्रिदिब चौधरी :**

श्री बी० नारायणन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी लोक-वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार देने का निर्णय किया है कि वे गैर-सरकारी औद्योगिक कम्पनियों को दिये गये 50 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋणों और अग्रिम धनों को साम्य पूंजी में परिवर्तित कर लें ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन संस्थानों को उक्त अधिकार दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी औद्योगिक उपक्रम को दीर्घावधिक ऋण देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा ऋण या ऋण पत्र के रूप में दी जाने वाली सहायता को सामान्य पूंजी में रूपांतरित करने से सम्बन्धित कार्य प्रणाली विषयक मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि जहां इन सभी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता की रकम 50 लाख रुपये या इससे अधिक हो, तो ऋण सहायता या ऋण पत्र जारी किये जाने वाले करार पत्र में सामान्य तौर पर रूपांतरणीयता सम्बन्धी उपबन्धसम्मिलित कर लिये जाएं। अगर किसी विशेष मामले में संस्थाएं यह महसूस करें कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाना चाहिए तो वे सरकार की राय जानकर और उसके परामर्श से ऐसा कर सकती हैं। रूपांतरणीयता सम्बन्धी उपबन्ध का लेखन करने से पूर्व सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा इस बात को देखने में भी सावधानी बरती जाएगी कि सहायता लेने वाली संस्था के पूंजीगत ढांचे में दीर्घावधिक ऋण और सामान्य शेयर पूंजी के बीच लगातार उचित अनुपात बना रहता है। इससे पहले कि सहायता लेने वाले उपक्रम सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ ऋण या ऋण-पत्र सम्बन्धी सहायता करार को अंतिम रूप दें, ऋण देने वाली संस्थाएं सहायता लेने वाली उपक्रम को रूपांतरणीयता की शर्तों का स्पष्ट संकेत देंगी।

(ग) सम्बन्धित संस्थाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट हैं।

यूरोपीय मुद्रा बाजार का भारतीय मुद्रा पर प्रभाव

775. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम यूरोप के बाजारों और विशेषकर पश्चिम जर्मनी में डालर के भारी मात्रा में आने के कारण यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और विनिमय सम्बन्धी संकट तथा विनिमय केन्द्रों (एक्सचेंजों) के बन्द होने के साथ साथ 5 मई, 1971 से बन्ड्स बैंक तथा अन्य पश्चिम यूरोपीय बैंकों द्वारा डालर के विरुद्ध की गई कार्यवाही के रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और भारत की यूरोपीय देशों में व्यापार सम्बन्धी स्थिति पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) डालर और अन्य सुदृढ़ यूरोपीय मुद्राओं एवं जापानी मुद्रा येन के मध्य असन्तुलन के परिणाम स्वरूप रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को और अधिक गिरने से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) रुपये का बाह्य मूल्य भारत की सामान्य आर्थिक स्थिति तथा शोधन शेष की स्थिति पर निर्भर करता है जिन पर हाल में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी घटनाओं का किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

पूर्व बंगाल के प्राध्यापकों तथा अध्यापकों को सहायता

776. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के

उपकुलपति से और पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिससे भारतीय विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध कालेज पूर्व बंगाल से आये विश्वविद्यालय और कालेजों के उन अध्यापकों को नियुक्त करने पर व्यय कर सकें जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के परिणाम स्वरूप उस देश को छोड़ने पर विवश हो गये हैं ; और

(ख) क्या पूर्व बंगाल से आये विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसरों और अध्यापकों को, जो भारत में आ गये हैं, अपने देश वापिस लौट जाने तक सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा उसके कालेजों में पूर्वी बंगाल के अध्यापकों को अतिथि अध्यापकों के रूप में नियुक्त करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति ने वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। तथापि पश्चिम बंगाल कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की ओर से ऐसा कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) बंगला देश में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हिंसात्मक अत्याचारों का एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह भी हुआ है कि एक बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कालेज तथा स्कूल के अध्यापक कलाकार और अन्य बुद्धिजीवी बंगला देश से भाग कर भारत आये हैं। सरकार, ऐसे बुद्धिजीवियों की संख्या तथा उनकी योग्यता के क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 21-5-1971 तक को जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार, 90 विश्वविद्यालय-अध्यापकों और 700 कालेज अध्यापकों ने यहां रोजगार प्राप्त करने के लिए उनसे आवेदन किया था। इनमें से अनेक अध्यापकों तथा प्रोफेसरों ने ऐसे क्षेत्रों में काम करने की इच्छा प्रकट की है जो उनके देश के भविष्य से सम्बद्ध हों। यह विषय सरकार के विचाराधीन है और इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह समस्या, इन अध्यापकों तथा प्रोफेसरों को भारत में रोजगार देने अथवा उनके भरण-पोषण के लिए उनको भत्ता देने की नहीं है बल्कि उनके लिए उपयोगी कार्य के रास्ते खोल निकालने की है।

बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

777. **श्री के० एस० चावड़ा :**
प्रो० एस० एल० सक्सेना :

क्या **शिक्षा और समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र शासित क्षेत्रों और राज्यों में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र शासित क्षेत्रों और राज्यों में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, नहीं। वर्तमान स्थिति अनुबन्ध में सूचित की गई है।

(ख) जैसा कि अनुबन्ध में दी गई जानकारी से ज्ञात होगा, जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का संबंध है, प्राथमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है। परन्तु संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर और लकादिव, मिनिकोय, अन्दमान द्विपों को छोड़कर, जहां 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, ऐसा आर्थिक और सामाजिक कारणों से सब स्थानों में व्यापक नहीं हो पाया है। आर्थिक कमी के कारण बढ़े हुये नामांकन की मांग को पूरा करने के लिये न तो काफी संख्या में अध्यापक नियुक्त किये गये हैं और न ही स्कूल कक्ष बनाये गये हैं। अतिरिक्त वित्तीय साधन निश्चित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक राज्यों का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि नागालैंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम हैं। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक मौजूदा विधान को निरस्त कर दिया है क्योंकि यह विशेष लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ था। वित्तीय कारणों से सभी राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। जिन राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम हैं और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है वहां भी, केरल, तमिलनाडु आदि कुछ राज्यों को छोड़कर, नामांकन व्यापक नहीं हो पाया है। सर्व-व्यापक अनिवार्य शिक्षा की अपेक्षा करने से पहले मूल सामाजिक और आर्थिक कारणों को दूर करना होगा और अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने होंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में कोई निर्दिष्ट तारीख बताना संभव नहीं है।

अनुबन्ध

1. नागालैंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधि-नियम हैं। हिमाचल प्रदेश ने हाल में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है। जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, केवल दिल्ली और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आवश्यक विधान बनाये गये हैं।

निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कक्षा 1-7/8 (आयु-वर्ग 6-14) में शिक्षा निःशुल्क है :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू और कश्मीर
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. महाराष्ट्र
9. मैसूर
10. नागालैंड
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. राजस्थान
14. तमिलनाडु
15. सभी संघ शासित क्षेत्र

निम्नलिखित राज्यों में लड़कियों को कक्षा 1-7/8 में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

1 असम और मेघालय
2 बिहार

3. उत्तर प्रदेश

4. पश्चिम बंगाल

निम्नलिखित राज्यों में लड़कों को कक्षा 1-5 (आयु-वर्ग 6-11) में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है :

1. असम और मेघालय

2. बिहार

3. उत्तर प्रदेश

4. पश्चिम बंगाल (केवल ग्रामीण क्षेत्रों और चुने हुए शहरों में)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में साक्षरता

778. **श्री के० एस० चावड़ा :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **शिक्षा और समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हुई नवीनतम जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में भारत में अलग-अलग साक्षरता का प्रतिशत क्या है; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में और देश में साक्षरता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) "भारत की जनगणना, 1971,-जनसंख्या अनन्तिम योग" के अनुसार भारत में साक्षरता का अनुपात निम्नलिखित है :

साक्षरता अनुपात-योग	29-35 प्रतिशत
पुरुष	39-49 प्रतिशत
महिलाएं	10-47 प्रतिशत

1947 की जनगणना के अनुसार इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों की साक्षरता की प्रतिशतता अलग से उपलब्ध नहीं है। 1961 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की प्रतिशतता निम्नलिखित थी :

अनुसूचित जाति	10-27 प्रतिशत
अनुसूचित आदिवासी	8-54 प्रतिशत

(ख) साक्षरता को मुख्यतः दो कार्यक्रमों के जरिए बढ़ावा दिया जाता है।

(1) प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना और

(2) प्रौढ़ों में साक्षरता की उन्नति करना।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, हम 6-11 आयु-वर्ग के लगभग 80 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कर सके हैं। चौथी योजना के अन्त तक इस अनुपात को 87 तक बढ़ने की संभावना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में दो कार्यक्रमों पर महत्व दिया जा रहा है :

(1) स्कूल न जाने वाले बच्चे जिनमें अधिकतर लड़कियां, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों के बच्चे तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों जैसे आर्थिक कठिनाईग्रस्त सामाजिक वर्गों के बच्चे शामिल हैं, उन्हें नामांकित करने के लिए विशेष प्रयत्न करना।

(2) अपव्ययता और स्थिरता, जो इस समय बहुत अधिक है, को कम करना। यह आशा की जाती है कि इन दो कार्यक्रमों के फलस्वरूप साक्षरता की उन्नति के हेतु प्राथमिक शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा।

जहां तक प्रौढ़ों में साक्षरता की उन्नति का सम्बन्ध है, चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान विनिधान विशेषत: राज्य सेक्टर में बहुत सीमित हैं। अत: भारत सरकार निरक्षरता उन्मूलन के लिये एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसका लक्ष्य चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान लगभग 1 करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाना होगा। योजना पर अब सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सरकार अनुभव करती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों में साक्षरता कम है अत: इन वर्गों में प्रौढ़ साक्षरता के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों के बच्चों को दिये गये विशेष प्रोत्साहनों में नि:शुल्क पुस्तकें देना, लेखन सामग्री, मध्याह्न-भोजन और विद्यार्थियों को उचित अनुपात का पोशण देना भी सम्मिलित है। अनुसूचित आदिवासियों के बच्चों के लिए आश्रम स्कूलों की एक विशेष योजना है जिसमें रिहायशी और शिक्षा की व्यवस्था है। जहां तक प्रौढ़ साक्षरता कार्य का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों के लिए साक्षरता कक्षाओं के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है।

वर्ष 1970-71 के दौरान दिल्ली परिवहन की वित्तीय स्थिति

779. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान दिल्ली परिवहन को कितना लाभ अथवा घाटा हुआ; और

(ख) दिल्ली परिवहन के कार्य चालन में सुधार करने और उसे एक लाभप्रद उपक्रम बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) महाप्रबन्धक दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा दिये गये अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1970-71 में उपक्रम को 324.7 लाख रु० का घाटा हुआ (जिसमें 136.24 लाख रु० ऋण प्रभार के भी शामिल हैं)।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम दिल्ली नगर निगम के अधीन है। भारत सरकार का दिल्ली परिवहन उपक्रम पर सीधा नियन्त्रण नहीं है। परन्तु सरकार ने उपक्रम को 1969-70 में 160 लाख रु० का तथा 1970-71 में 300 लाख रु० का ऋण दिया। उपरोक्त राशि को दृष्टि में रखते हुए उपक्रम ने 300 बसों को आदेश दिया और उनमें से 196 बसें पहले से ही प्राप्त हो चुकी हैं

और वे एक्सप्रेस सेवाओं के रूप में चलाई जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 24 लाख रु० का ऋण पहले ही मन्जूर कर दिया गया है। उपक्रम को बसें खरीदने के लिए और ऋण देने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में एक सड़क परिवहन निगम गठित करने का तथा उसे दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्य हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कम्पनियों का शीर्षोन्मुख विलय

780. **श्री राज राज सिंह देव :**
डा० पी० के० देव :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कम्पनियों के शीर्षोन्मुख विलय को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार ने, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत, वारियर (इंडिया) लिमिटेड तथा आटो अक्सीजरीज (इंडिया) लिमिटेड नाम की दो सहायक कम्पनियों का, इनकी धारित कम्पनी फोरबीज फोरबीज काम्पवैल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ एक संविलीयन का अनुमोदन किया है। यह संविलीयन, साधारणतः स्वीकारोक्ति भाव में, एक शीर्षोन्मुख नहीं था। इस तथ्य को देखते हुये कि सहायक कम्पनियों के निर्मित उत्पाद पर, धारित कम्पनी का पहले ही नियंत्रण था, यह प्रस्तावित विलियन, वर्तमान बाजार संरचना अथवा न्यूनतर प्रतियोगिता में किसी वास्तविक परिवर्तन की सम्भावनायुक्त नहीं समझा गया था। अतः यह संविलियन की योजना, मनुष्य, सामग्री तथा औद्योगिक क्षमता के अधिक बचाव के परिणामी होने की दृष्टि से अनुमोदित की गई थी।

(ग) सरकार को इस मामले को किसी प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि संविलियन के लिए उच्च न्यायालय में, कम्पनी अधिनियम की धारा, 394 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र पहले ही दे दिया था, एवं एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दिये गये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अनुवर्ती, क्योंकि यह विषय उक्त अधिनियम के उपबन्धों को आकर्षित करता था, उच्च न्यायालय ने, निवेदित संविलियन को स्वीकृति दे दी।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, आन्ध्र प्रदेश द्वारा कृषि संबंधी कार्यों के लिये दिया गया ऋण

781. **श्री सूर्य नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तांडे पल्लीगुडम, आन्ध्र प्रदेश की एक शाखा ने कुछ वर्ष पूर्व "श्री चिन्तालपाती वायीराजा धर्म संस्था एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी" पंजीकरण संख्या 12/66 को कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये कुछ लाख रुपये का ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई, किस वर्ष में दी गई, अब तक कितनी राशि वसूल की गई और कितनी राशि अभी बाकी है;

(ग) दिये गये ऋण के लिए किस प्रकार की प्रतिभूति दी गई थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिये गये ऋण का भली-भांति उपयोग नहीं किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले में जांच कराने का है और यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा करवाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ङ). भारतीय राज्य बैंक अधिनियम 1955 की धारा 44 (1) के अधीन इस बैंक को अपने अलग-अलग खातेदारों अथवा उनके कार्यों से संबंधित कोई सूचना देने की मनाही है ।

Construction of Lateral Road in Uttar Pradesh

782. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Shipping and Transport (Nauwahan aur Parivahan Mantri)** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of lateral road in Pilibhit, Bareilly and Shahjanpur inUttar Pradesh ;

(b) the time by which the construction work is likely to be completed ; and

(c) the length of the road falling in the aforesaid districts ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Sansdiya Karya tatha Nauwahan our Parivahan Mantri (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). The approved programme for the lateral road project includes a total length of about 80 miles in the three districts of Pilibhit Bareilly and Shahjahanpur. Of this, about 51 miles upto surface painting stage were completed by 31st March 1971 and the work in the remaining length, which is in various stages of progress, is expected to be completed by 31st December 1971 so far as road portion is concerned.

As regards bridges, out of one major bridge, 11 medium and 12 minor bridges (including one Railway Over Bridge) required to be constructed on the approved lateral road alignment in the three districts in question, one major bridge, 10 medium and 6 minor bridges have since been completed by 31st March 1971. Work on all the remaining bridges except the over-bridge which is to be constructed by Railways, is expected to be completed by June 1971.

रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर

783. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **शिक्षा और समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर में रिजनल इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उपर्युक्त कालेज का कार्यालय अब भी शिलांग में है और यदि हां, तो इसको सिल्चर में कब तक स्थानान्तरण करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) बिजली की शिरोपरि लाइनें लगाई जा चुकी हैं । जल-पूर्ति तथा सड़क का कार्य प्रगति पर है । एक छात्रावास तथा वर्कशाप के भवनों का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

(ख) कालेज के प्रिंसिपल द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कार्यालय सिल्चर में तथा लोक-

निर्माण विभाग और राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कैम्प कार्यालय शिलांग में स्थित है। लोक-निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण के प्राक्कलन अनुमोदित किये जाने के बाद तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय किये जाने पर कैम्प कार्यालय बन्द कर दिया जायेगा।

बरास्ता सिल्चर शिलांग से मनीपुर तक राष्ट्रीय राजपथ का खोला जाना

784. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता सिल्चर शिलांग से मनीपुर तक राष्ट्रीय राजपथ खोल दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक खोल दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). संभवत: माननीय सदस्य शिलांग-सिल्चर-इम्फाल सड़क का उल्लेख कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है अपितु यह अन्तर्राज्यीय सड़क है जिसका कुछ भाग आसाम और कुछ भाग मनीपुर में पड़ता है। आसाम में शिलांग से जीरी बाम तक की सड़क एक मौजूदा सड़क है परन्तु भारत सरकार ने हाल ही में, सड़क के सिल्चर जीरीबाम खण्ड के सुधार के लिए तथा जीरीबाम में ज़ीरी नदी पर एक पुल निर्माण के लिए 56 लाख रु० की ऋण सहायता मंजूर की है। मनीपुर के अन्दर जीरीबाम से इम्फाल तक एक नई सड़क (न्यू काचर रोड) का विकास किया जा रहा है। इस नई सड़क पर कार्य एक सीमित मानक तक प्रगति के विभिन्न चरणों में है तथा पूर्ण होने की निम्नलिखित नियत तिथियां हैं :

सड़क की चौड़ाई के लिए काट तथा सुधार	मई 1971
डामर बिछाई	मई 1973

सड़क का यह खण्ड संभवत: चालू बरसात के बाद केवल प्रतिबंधित यातायात के लिए खोला जायेगा।

कुतुब मीनार का मरम्मत कार्य

785. **श्री जी० विश्वनाथन :** क्या **संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार धीरे-धीरे झुकती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) मीनार 63 से० मी० झुकी हुई है, परन्तु अब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाये कि यह और अधिक झुक रही है।

(ख) सरकार ने मीनार का निरीक्षण करने तथा इसे भावी पीढ़ियों के हेतु सुरक्षित रखने के संबंध में उपाय तथा साधन सुझाने के प्रयोजनार्थ एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। विशेषत:

समिति की सिफारिशों के अनुसार तरल सीमेंट गारे के अन्तःक्षेपण से इसकी नींव को सुदृढ़ बनाने तथा अधिरचना की मरम्मत करने के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। विशेषज्ञ समिति की परामर्श से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य का प्रथम अवस्थान शुरू करने का प्रस्ताव है। कार्य के प्रथम अवस्थान के लिए निविदाएं पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। इसी बीच नींव में पानी के निस्यदन को रोकने के लिए कुतुब मीनार के आधार के चारों ओर का क्षेत्र ईंट की चिनाई से ढक दिया गया है।

छोटे किसानों को कृषि के लिये धन देने के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबंध

786. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों को कृषि के लिए धन देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) क्या ये प्रतिबन्ध छोटे किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि कृषि के लिए वित्त व्यवस्था करने के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो मार्ग दर्शक सिद्धान्त भेजे गये हैं, उनमें रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से यह अनुरोध किया है कि वे कृषि के लिए ऋण देने के अपने कार्यक्रमों को छोटे और विकासक्षम किसानों के पोषण के लिए अधिक अनुकूल बनाएं और ऋण देने के बाद प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण किया करें। अप्रैल, 1971 के अन्तिम सप्ताह में आयोजित, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों के सम्मेलन में वित्त मंत्री ने प्रत्येक बैंक में ऋण देने की समुचित योजना बनाने की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया था जिसका उद्देश्य यह था कि अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों की, जिनमें कृषि का क्षेत्र भी शामिल है, ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ख) और (ग). प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

787. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की खोली गई शाखाओं की संख्या में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई ऐसी शाखाओं की संख्या में वृद्धि का अनुपात क्या है ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे किसानों और कमजोर वर्गों को मिली सहायता की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों को ऐसे कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता देने के मामले में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये गये थे जिन्हें इन बैंकों से इस

आधार पर सहायता देने से इन्कार किया जा रहा है कि उनके पास प्रतिभूति के लिए पर्याप्त सम्पत्ति नहीं है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 19 जुलाई, 1969 और 31 मार्च, 1971 के मध्य ग्रामीण केन्द्रों (जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है) तथा अर्धशहरी केन्द्रों (जिनकी जनसंख्या 10,000 से 1 लाख के बीच है) में 1671 नये कार्यालय खोले गये हैं। इसी अवधि में शहरी केन्द्रों (जिनमें महानगर शामिल हैं) में 290 कार्यालय खोले गये। अतः इन बैंकों द्वारा शहरी और महानगरी केन्द्रों में खोले गये प्रत्येक कार्यालय के अनुपात में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केन्द्रों में लगभग 507 नये कार्यालय खोले गये हैं ।

(ख) "छोटे किसानों" और कमजोर वर्गों को इन बैंकों से दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां, छोटे ऋण-कर्ताओं के लिए, विशेष रूप से उनके लिए जिनमें रोजगार देने की क्षमता है, तथा कृषि के वित्त पोषण के लिए भी बैंकों द्वारा चलाई जाने वाली विशेष-ऋण योजनाओं के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्त जारी किए जा चुके हैं ।

एशियायी विकास बोर्ड आफ गवर्नर्स का सम्मेलन

788. **श्री पी० वैंकटासुब्बया :**
श्री मोहम्मद शरीफ

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स का चौथा वार्षिक सम्मेलन हाल ही में सिंगापुर में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो बैंक की राशि बढ़ाने के लिये क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ग) किन-किन देशों ने बैंक को धन देना स्वीकार किया है ; और

(घ) क्या विकासशील देशों और विशेषकर भारत को ऋण देने की बैंक की नीति के बारे में कोई निर्णय किया गया था ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) गवर्नरों के बोर्ड ने बैंक के निदेशक-मण्डल को बैंक के साधन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए समुचित सिफारिशें करने का अधिकार दिया था ।

(ग) उदार शर्तों वाले ऋण देने के लिए बैंक के साधन मुख्य रूप से सदस्य देशों के अंशदान ही होते हैं । वार्षिक बैठक में निम्नलिखित विशेष अंशदानों की घोषणा की गई :—

(i)	जर्मन संघीय गणराज्य (पश्चिम जर्मनी)	6.40 करोड़ ड्यूश मार्क (13.12 करोड़ रुपये)

(ii) बैल्जियम	9.00 करोड़ बेल्जियम फ्रैंक (1.35 करोड़ रुपये)
(iii) इटली	1.25 अरब लीरा (1.50 करोड़ रुपये)
(iv) जापान	3.00 करोड़ डालर (22.50 करोड़ रुपये)

संयुक्त राज्य अमेरिका नार्वे तथा नीदरलैंड ने भी विशेष निधियों में अपने-अपने अंशदान देने की इच्छा व्यक्त की।

इसके अतिरिक्त श्री लंका, चीन गणराज्य (ताइवान), डेनमार्क, फिनलैंड, भारत, (3 लाख रुपये), जापान, कोरिया गणराज्य (दक्षिणी कोरिया), न्यूजीलैंड तथा ब्रिटेन ने बैंक की तकनीकी सहायता विशेष निधि में अंशदान देने के अपने निश्चयों की सूचना दी है।

(घ) जी, नहीं।

गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा

789. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों में इस वर्ष के पहले तीन महीनों में गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु चीनी के कारखानों को धन उपलब्ध कराने के लिये ऋण की सीमा को कम कर दिया गया था ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जी, नहीं। बैंक चीनी के कारखानों को आमतौर पर उनके चीनी के भण्डार फालतू और अन्य उपभोज्य वस्तुओं तथा प्राप्तव्यों के आधार पर ऋण दे रहे हैं। चीनी के कारखानों को अग्रिम देने के मामलों में बैंक आमतौर पर उदार नीति अपना रहे हैं। यदि कुछ मामलों में, मार्जिन में कटौतियां की गई हैं, तो वे किन्हीं विशेष कारणों से ही की गयी होंगी।

त्रिपुरा सरकार द्वारा ढेबर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

790. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की शिक्षा के बारे में ढेबर आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा सामाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). शैक्षणिक विकास विषयक ढेबर आयोग की सिफारिशों, जो प्रतिवेदन के अठारहवें अध्याय में हैं, पर 1962,1963 और 1964 के दौरान त्रिपुरा सरकार से प्राप्त टिप्पणियों का एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 248/71]**

त्रिपुरा में गैर-सरकारी रूप से चलाये जाने वाले कालेज

792. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है कि त्रिपुरा में गैर-सरकारी रूप से चलाये जाने वाले तीन कालेजों को सरकार द्वारा प्रायोजित कालेज बना दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की स्वीकृति में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन कालेजों को सरकार द्वारा प्रायोजित कालेज बना दिये जाने के बाद अध्यापक वर्ग की स्थिति यथापूर्व बनी रहेगी ; और

(घ) क्या इन कालेजों की वर्तमान स्थिति के बारे में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रतिकूल टिप्पण लिखे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के तीन सरकारी सहायता प्राप्त कालिजों को सरकार द्वारा प्रायोजित कालिजों के रूप में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रयोजन के लिए प्रशासन ने भारत सरकार के अनुमोदनार्थ नियमों का मसौदा तैयार किया है। इन नियमों की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय से कोई शिकायत/संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

Jeeni Aerodrome Near Pilani in Jhun Jhunu District, Rajasthan

793. **Shri Shivanath Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanan Mantri)** : be pleased to state :

(a) whether there is an aerodrome named "Jeeni Aerodrome" near Pilani in Jhunjhunu District in Rajasthan ;

(b) the number of times this aerodrome has been used for landing and take off of aeroplanes during the last three years ;

(c) whether land for the aerodrome was acquired from the villagers of village Jeeni Dhabarwala for the purpose of construction of an aerodrome but at present there is no such aerodrome in existence and the land is being utilised by Birla Brothers for their personal gains ; and

(d) whether another aerodrome has been constructed at Pilani and now there is no need and utility of any aerodrome at Jeeni ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Paryatan Aur Nagar Vimanan Mantri) (Dr. Karan Singh) : (a) and (d). The Civil Aviation Department does not have any aerodrome at Jeeni near Pilani. In 1964 a request was received from the Birla Education Trust for the inspection of an airstrip at Pilani. There were then two, airstrips ; one named Jeeni and the other known as the Pilani airstrip. Neither of these are under the Department of Civil Aviation.

(b) and (c). The Civil Aviation Department has no information, since neither the Jeeni airstrip nor the Pilani airstrip have been licensed by the Department.

साहूकारों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया जाना

794. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से साहूकारों ने लघु उद्योगों के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के सफल प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). ठक्कर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि उसके सामने कुछ ऐसे मामले लाये थे जिनमें साहूकार लोग वित्तीय मदद देकर तथा उनके उद्यमों में भागीदार बनकर आत्म-नियोजित छोटे उद्यम कर्ताओं के दल में शामिल हो गये। इसलिये बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि जहां तक वित्त-पोषकों द्वारा सहयोग देने का उद्देश्य वस्तुतः उद्योग को प्रोत्साहन देना है वहां तक तो उनका स्वागत किया जाय लेकिन जब इस प्रकार के सहयोग का प्रयोजन वित्त-पोषकों के लाभ के लिये, उद्योग को खरीदने की एक तरकीब हो, तब वे उपेक्षित क्षेत्रों को प्रोत्साहन न देने के सामाजिक उद्देश्य के विरुद्ध हैं, इसलिये उन्हें निरुत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे जिन छोटे उद्यमों को सहायया दें उनके स्वामित्व अथवा गठन में किये जाने वाले परिवर्तनों या फेर-बदल पर निगरानी रखें।

जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य

795. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये निगम क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक की अवधि में देहाती क्षेत्रों में नया कारोबार नीचे दिये अनुसार किया गया :

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमे की रकमें (करोड़ रुपयों में)
1966-67	5,06,695	217.22
1967-68	5,09,607	235.46
1968-69	4,77,341	235.12
1969-70	4,61,468	251.76

पिछले तीन वर्षों में पालिसियों की संख्या घटती गयी है परन्तु बीमा की रकमें नहीं घटी हैं। जीवन बीमा निगम के विचार से देहाती कारोबार में वृद्धि करने में असफल रहने के कारण ये हैं :—

(i) मौसमी तथा अन्य कारणों से आय का घटना-बढ़ना ;

(ii) भूमि बंधक बैंकों द्वारा आकर्षक शर्तें प्रस्तुत किये जाने के कारण बचत के लिये स्पर्धा, साथ ही अल्प बचत संगठनों के साथ स्पर्धा, और

(iii) काश्तकारों द्वारा अपनी बचत की रकमें बड़े पैमाने में भूमि सुधार में लगाना।

पिछले कुछ दिनों से देहाती कारोबार में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :

अवधि	**पालिसियों की संख्या**	**बीमें की रकमें (करोड़ रुपये में)**
1-4-68 से 31-12-68 तक	3,07,930	146.58
1-4-69 से 31-12-69 तक	2,82,354	147.95
1-4-70 से 31-12-70 तक	3,16,647	177.82

(ग) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे है :—

(i) देहाती क्षेत्रों में नये शाखा कार्यालय, उप कार्यालय तथा विकास केन्द्र खोलना। क्षेत्रीय संगठनों तथा बीमा कराने वालों के साथ बेहतर सम्पर्क बनाये रखने के लिये इन केन्द्रों में छोटे-छोटे कार्यालय खोलने तथा वर्तमान उप कार्यालयों और विकास केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उनको अपेक्षाकृत अधिक संख्या में शाखा कार्यालयों का रूप देने का प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्रीय संगठन अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में पालिसियों की सेवा कर सकें।

(ii) क्षेत्रों का सुसम्बद्ध खण्डों में क्रमिक विभाजन और ऐसे प्रत्येक खण्ड को एक कार्यकर्ता के प्रभार में रखना।

(iii) देहाती क्षेत्रों में एंजसियां लेने को प्रोत्साहन देने के निमित्त देहाती एजेंटों के लिये कारोबार की न्यूनतम गारंटी को निम्न स्तर पर नियत करना।

(iv) गैर-डाक्टरी (साधरण) योजना के लिये सीमा बढ़ा कर 5000/—रुपये करना तथा डाक्टरी परीक्षकों की नियुक्ति के लिये निम्न अर्हता निर्धारित करना।

(v) कार्यविधियों का सरलीकरण।

(vi) जिन क्षेत्रों में बैंक सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनमें पालिसीधारियों में प्रीमियम एकत्र करने के लिये चुनिंदा स्थानों पर डाकघरों के साथ विशेष प्रबन्ध करना।

(vii) देहाती क्षेत्रों में गश्ती प्रचार वाहन भेजना।

(viii) देहाती क्षेत्रों में प्रीमियम की नियिमित अदायगियों में अनुभव की गयी कठिनाइयां दूर करने के उपाय के रूप में, प्रीमियम की अदायगी में चूक की दशा में विशेष व्यवस्था करने के लिये बीमा की नयी पालिसी अर्थात् शतवर्षीय पालिसी जारी करना।

Study Team on Long Term Loans

796. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance (Vitta Mantri)** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Reserve Bank had appointed a Study Team on long term loans under the Chairmanship of Shri K. N. R. Ramanujam ;

(b) if so, the recommendation made by the said Study Team ; and

(c) whether government have taken any decision thereon ?

The Minister of Finance (Vitta Mantri) (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes Sir.

(b) The main purpose of the study by the Group was to examine the scope for and implications of the creation of a market for instruments of indebtedness, covering medium and long term loans on the lines of the Bill Market Scheme introduced recently by the Reserve Bank for short term loans by commercial banks. The Study Group has recommended instruments through which financial institutions can market their loans. According to the Study Group such a market for instruments would help to widen and develop the capital market, induce greater flow of savings to financial institutions, provide a mechanism for coordination and also facilitate flow of assistance for special purposes such as export credit.

(c) The recommendations of the Team are under examination of the Reserve Bank of India.

मद्रास तेल गोदी के प्राक्कलन में पुनरीक्षण

*797. **श्री गंगा रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मद्रास तेल गोदी योजना नौ करोड़ रुपये की लागत पर शुरू की गयी थी;

(ख) क्या योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया गया है और यह राशि पहले से 270 प्रतिशत अधिक हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 9.06 करोड़ रु० से बढ़कर 23.20 करोड़ रु० हो गई है ।

(ग) परियोजना लागत में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—पनकट दिवारों को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक समझे गये उपायों को क्रियान्वित करना, अतिरिक्त कार्य, जो भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए आवश्यक समझे गये तथा मूल अनुमान में पहले से सम्मिलित विभिन्न मदों की लागत में वृद्धि ।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा वायुयान के किराये की दरों में वृद्धि

798. **श्री गंगा रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970-71 में इण्डियन एयरलाइन्स पूर्व लगाये गये अनुमान

के अनुसार तीन करोड़ रुपये के मुनाफे के स्थान पर लगभग पांच करोड़ रुपये के घाटे की अपेक्षा करती हैं जब कि गत तीन वर्षों की तुलना में यात्रियों की संख्या पांच लाख तक बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डियन एयरलाइंस वायुयान के किराये की दरों में वृद्धि करना चाहता है ; यदि हां, तो किस प्रतिशत तक और किस तारीख से करना चाहता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1970-71 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स को 4.65 करोड़ रुपये का घाटा होने की आशंका है जबकि बजट में 3.42 करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान था। 1969-70 के मुकावले 1970-71 के दौरान यात्री यातायात के परिवहन में कमी होने का अनुमान है।

(ख) घाटे के मुख्य कारण ये हैं :—

1. श्रमिक अशान्ति के कारण विमान-सेवाओं में प्राय: अस्तव्यस्तता की स्थिति उत्पन्न होना ;
2. वेतन वृद्धि,
3. विमानन ईंधन पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि ;
4. तीन एफ-27 विमानों की हानि ;
5. पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान न करने के उद्देश्य से कुछ विमान-सेवाओं के मार्गों में परिवर्तन ;
6. उपरोक्त 5 के कारण स्वरूप कुछ सेवाओं का निलम्बन ; तथा
7. विमान अपहरण जोखिमों के लिये बीमे में वृद्धि ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

आगरा के आय-कर अधिकारी की गिरफ्तारी

799. **श्री बी० एन० पी० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने आगरा के एक आयकर अधिकारी को नयी दिल्ली में 11 मई, 1971 को गिरफ्तार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिकारी, श्री बी० आर० सन्त एक विदेशी बैंक के मैनेजर से अवैध परितोषण के रूप में 2 लाख रु० की राशि लेता हुआ पकड़ा गया, जिसे वह आगरा की एक इंजीनियरिंग फर्म की सम्पत्ति को, जो बैंक में बंधक थी और बाद में कथित आयकर अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत कर ली गई थी, मुक्त करने के लिए ले रहा था।

इसी मामले में तीन अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए और पुलिस की हिरासत में ले लिए गए । आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के अनुदेशकों की सेवा की शर्तें

800. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर अस्थायी रूप में चल रही है यद्यपि इसका गठन वर्ष 1954 में लागू की गई राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के अनुदेशकों को अस्थायी कर्मचारी माने जाने के कारण कोई पेंशन अथवा उपदान नहीं मिलता है ; और

(घ) इन अनुदेशकों की सेवा शर्तों को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने 1965 में कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण तथा राष्ट्रीय स्वस्थता कोर में नियुक्त किये गये अनुदेशकों को राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में, जहां वे काम कर रहे हैं, स्थानान्तरित करने का निर्णय किया था । अतः राष्ट्रीय स्वस्थता कोर को एक स्थायी संगठन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चूंकि वे स्थायी नहीं है, अतः सेवा निवृत्ति पर वे पेंशन के हकदार नहीं है, परन्तु सेवान्त उपदान, अथवा मृत्यु उपदान तथा परिवार पेंशन जैसे अन्य लाभ उन्हें ग्राह्य हैं ।

(घ) अनुदेशकों को, वेतन की हानि के बिना, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र सेवाओं में खपा लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

राज्यों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

801. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विदेशी मुद्रा की अप्राप्यता के कारण राज्य सरकारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को विदेशी मुद्रा का आवंटन और दिये जाने की प्रक्रिया को दोषमुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जैसाकि माननीय सदस्य को विदित है विदेशी मुद्रा की स्थिति अब भी बराबर कठिन बनी हुई है । राज्य सरकारों को जब किन्हीं विशेष मामलों में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनकी ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तब उनके बारे में विचार किया जाता है और जहां तक सम्भव हो सके, सहायता की व्यवस्था भी की जाती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अनुसंधान संस्थान, मद्रास को वित्तीय सहायता

802. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अनुसंधान संस्थान के लिए किसी वित्तीय सहायता का उपाबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) और (ख). एक तमिल संस्थान के निर्माण में सहायता के लिए यूनेस्को से निवेदन करते हुए भारत द्वारा पेश किए गए तथा अक्टूबर, 1968 में हुई यूनेस्को की पंद्रहवीं आम सभा में पारित, एक प्रस्ताव अनुरूप, यूनेस्को ने 1969-70 (कैलेण्डर वर्ष) में अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अध्ययन संस्थान, मद्रास की 10,000 डालर के बराबर सहायता करने की व्यवस्था की थी। यूनेस्को के कार्यक्रम तथा 1971 और 72 (दो कैलेण्डर वर्ष के यूनेस्को के कार्यक्रम और बजट में 15,000 डालर के बराबर की सहायता की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए यूनेस्को के सहायता कार्य-क्रम के अन्तर्गत अधिकतम 10,000 डालर की और सहायता मिलने की सम्भावना है।

भारत सरकार ने अभी तक इसके लिए किसी वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं की है। तमिलनाडु सरकार द्वारा यदि कोई सहायता दी गई हो, तो उसके सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है। और यह सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

तंजाबुर मन्दिर में राजा राजा चोलन की मूर्ति का लगाया जाना

80 3. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की सरकार और लोगों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा तंजाबुर स्थित राजा राजा चोलन द्वारा निर्मित मन्दिर के प्रागंण में राजा राजा चोलन की मूर्ति को लगाये जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को रद्द किये जाने के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पारस्परिक समस्त स्थान पर, मन्दिर की संरक्षित सीमाओं में यह मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है। फिर भी, तमिलनाडु सरकार तथा अन्य लोगों से इस मूर्ति को मन्दिर के प्रागंण में ही किसी अन्य स्थान पर इस मूर्ति को संस्थापित करने के लिये हाल ही में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह अनुरोध विचाराधीन है।

मदुरै में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम

804. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अब इस कार्यक्रम को महाबलीपुरम में शुरू करने का निर्णय किया गया है ; और

(घ) यह कार्यक्रम कितनी जल्दी शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). जी, हां ।

(ख) इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि मदुराई में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम से भक्तजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी । इसके अतिरिक्त, महाबलिपुरम के मद्रास के समीप होने के कारण, जो कि एक मेट्रोपोलिटन शहर है और जहां एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी स्थित है । इसके वर्ष भर काफी अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने की सम्भावना है ।

(घ) चौथी योजनावधि की समाप्ति से पहले ।

तमिलनाडु में सलेम और तूतीकोरिन पर हवाई अड्डों का निर्माण

805. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य में सलेम और तूतीकोरिन में हवाई अड्डों के निर्माण के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इन स्थानों पर विमान क्षेत्रों का निर्माण करने के प्रश्न की जांच यातायात सर्वेक्षणों के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए की जायेगी ।

नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में धन के दुर्विनियोग के बारे में

RE: MISAPPROPRIATION OF MONEY FROM THE STATE BANK OF INDIA NEW DELHI

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्री नागरवाला के मामले में निर्णय हो गया है और उन्हें दंडित कर दिया गया है । हमने देखा है कि इस बारे में काफी संदेह व्याप्त है । श्री मलहोत्रा का कुछ नहीं किया गया । अपराधी ने इस बात को माना है कि उसने प्रधान मंत्री की आवाज की नकल की है । मेरा निवेदन है कि श्री नागरवाले के कबूल करने सम्बन्धी ध्यान को सभा-पटल पर रखा जाये । उन पर लगाये गये अपराधों सम्बन्धी अपराध-पत्र भी सभा-पटल पर रखा जावे ताकि हम इस पर विचार कर सकें और हमारे संशय दूर हो सकें ।

Shri Atal Bihari Vijpayee (Gawalior) : The House should be told about the head from which the amount of Rs. 60 lakhs was withdrawn ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : तहखाने, प्रविष्टियों तथा रु० निकालने के रजिस्टरों की जांच की जानी चाहिये । यह देखा जाना चाहिये कि क्या 60 लाख रु० का इंदराज कोष कक्ष की खाता-बही में हुआ ? स्टेट बैंक के कोष-कक्ष के जमाखाते तथा निकासी के हिसाब की जांच की जानी

चाहिये। श्री मलहोत्रा द्वारा ली गई राशि का इन्दराज क्या कोषाध्यक्ष के रजिस्टर में हुआ और वापिस जमा होने पर क्या यह रु० नाम खाते में चढ़ा ? जब तक यह नहीं होगा उस समय तक संदेह दूर नहीं होगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : अदालत के निर्णय के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने अदालत के बारे में कुछ नहीं कहा। सारा मामला रहस्यपूर्ण है। हम अपने संदेह दूर करना चाहते हैं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने वक्तव्य देने तथा संदेह दूर करने का प्रयत्न किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इनके संदेह को दूर नहीं कर सकता क्योंकि माननीय सदस्य दूर नहीं करना चाहते। मैं क्या कर सकता हूं......**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री दंडवते के प्रस्ताव का प्रश्न है, मैंने उसे स्वीकृत कर दिया है और स्थगित कर दिया है। मंत्री महोदय अगले सप्ताह में आ रहे हैं। उस समय वे एक वक्तव्य देंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैंने सोचा था कि मंत्री महोदय, हमने जो प्रश्न उठाये, उनका उत्तर देंगे।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं चाहता था कि अपराध कबूल करने वाले बयान तथा अपराध-पत्र को सभा-पटल पर रखा जावे।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : अपराध कबूल करने वाले बयान को सभा-पटल पर रखने के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह न्यायिक कार्यवाही का अंग है। श्री मलहोत्रा के बारे में बैंक उचित कार्यवाही कर रहा हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या ये सदन को बता सकेंगे कि 60 लाख रुपये का लेखा किस नाम से चल रहा था। सारा मामला गोलमाल है। यह लेखा किस नाम से था। इसके लिये किसने हस्ताक्षर किये ? **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह रुपया किस खाते के नाम चढ़ा ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ था या यह मामला पहली बार हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अधिक चर्चा की स्वीकृति नहीं दूंगा।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) :**

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने जो कुछ कहा, वह बिना अनुमति के कहा है और वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय को ऐसा कहते हुये सुना गया था कि ये वास्तविकता का पता लगाने के बाद वक्तव्य देंगे।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने वक्तव्य दे दिया है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय को अभी वक्तव्य देना चाहिये। इस वक्तव्य से हम संतुष्ट नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये दूसरा वक्तव्य देंगे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : नहीं। **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या आप इससे संतुष्ट हैं ? **(व्यवधान)**

श्री इंद्रजीत गुप्त : कितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। इन्हें मालूम करके वक्तव्य देना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने कहा कि श्री मलहोत्रा के बारे में जांच हो रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने सूचना चाही जो उन्होंने दे दी है। उस व्यक्ति को मुअत्तल कर दिया गया है। आखिर जांच में समय तो लगेगा ही। **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आधे घण्टे के अन्दर कोई व्यक्ति 60 लाख रुपये प्राप्त कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बजट पर होने वाली सामान्य चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसमें एक महीना लगेगा।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं सदन से कुछ नहीं छिपाना चाहता। जैसेकि संदेह है, श्री मलहोत्रा को बचाया नहीं जा रहा है। उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन मामला दर्ज कर दिया गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। **(व्यवधान)**

श्री कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : उस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री कल्याणसुन्दरम् : मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन मामला दर्ज किया गया है।**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें अनुमति नहीं दी। जो कुछ इन्होंने कहा वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय वाणिज्य पोतपरिवहन (चिकित्सीय परीक्षा) संशोधन नियम

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय वाणिज्य पोतपरिवहन (चिकित्सीय परीक्षा) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 285 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 217/71।]**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बम्बई, कानपुर, दिल्ली और मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय विज्ञान संस्थान, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 218/71।]**

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 219/71।]**

(दो) (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 220/71।]**

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 221/71।]**

(ग) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 222/71।]**

(2) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे का विवरण। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 223/71।]**

(3) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 224/71।]**

(दो) उपर्युक्त लेखे के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 225/71।]**

औषधीय और प्रसाधन निर्मित्तियां (उत्पादन-शुल्क) (संशोधन) नियम की प्रति और केंद्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, आय-कर अधिनियम, धन-कर अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) औषधीय और प्रसाधन निर्मित्तियां (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, औषधीय और प्रसाधन निर्मित्तियां (उत्पादन-शुल्क) (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के

राजपत्र दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 436 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 226/71।]**

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 378 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 227/71।]**

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 443 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-227/71।]**

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1917 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 228/71।]**

(4) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1258 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 10 मार्च, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1026 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 229/71।]**

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 441, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 442, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 455, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) पर्यटक असबाब (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 483 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर० 484, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 485 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर० 488, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1962 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) जी० एस० आर० 519, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० एस० आर० 522, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 230/71।]**

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 186, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 347, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 380, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 438, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर० 439, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 440, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर०, 445 से 454, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) जी० एस० आर०, 487, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) जी० एस० आर० 521, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 231/71।]**

(दस) जी० एस० आर० 523 से 531, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 230/71।]**

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-232/71।]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य-सभा ने 26 मई, 1971 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1970 को दोनों सभाओं की 36 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव पास किया है जिसमें राज्य-सभा के निम्नलिखित 12 सदस्य होंगे :

(1) श्री सी० डी० पाण्डे
(2) श्री शशांक शेखर सान्याल
(3) श्री जयसुखलाल हाथी
(4) श्री एम० श्रीनिवास रेड्डी
(5) श्री गुलाम नबी उन्टू
(6) श्री मुहम्मद उस्मान
(7) श्री सूरजमल साहा
(8) श्री तिल्लई विल्ललन
(9) श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
(10) श्री नागेश्वर प्रसाद शाही
(11) श्री के० चन्द्रशेखरन
(12) श्री बी० पी० नागराज मूर्ति

और लोक सभा के 24 सदस्य होंगे और यह सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम राज्य सभा को सूचित किये जायें।

सभापति तालिका
PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 के अधीन मैंने सभापति तालिका में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है :

(1) श्री के० एन० तिवारी
(2) श्री आर० डी० भण्डारे
(3) श्री एन० के० पी० साल्वे
(4) श्रीमती शीला कौल
(5) डा० सरदीश राय
(6) श्री सेझियान

पटना-मोकामा सवारी गाड़ी, पूर्व रेलवे में हुई डकैती और हत्या के बारे में वक्तव्य
STATEMENT Re. DACOITY AND MURDER IN PATNA—MOKAMEH PASSENGER-TRAIN, EASTERN RAILWAY

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : मैं एक स्वप्रेरित वक्तव्य दे रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रखा जा सकता है।

श्री हनुमंतैया : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

24 मई, 1971 को आधी रात के लगभग जब 390 डाउन पटना 'मोकामा' सवारी गाड़ी बाढ़ स्टेशन पर रुकी तो तीन यात्री, जिनमें से एक के पास राइफल, दूसरे के पास टार्च और तीसरे के पास में एक थैला था, तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में चढ़े। जब गाड़ी पूर्व रेलवे के दानापुर मण्डल में पटना-मोकामा दोहरी बड़ी लाइन वाले खण्ड पर बाढ़ और पण्डारक स्टेशनों के बीच दिहीपुर गांव के पास पहुंची तो जिस यात्री ने टार्च ले रखी थी उसने संकेत दिया और गाड़ी को जंजीर खींचकर रोक लिया गया। लगभग 20-30 आदमी जो वहीं आसपास छिपे हुए थे, डिब्बों में घुस आये और उन्होंने यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। जब एक नवयुवती से उसके आभूषण छीने जाने लगे तो उसके संबंधियों ने इसका विरोध किया। इस पर लुटेरों ने उस युवती के एक संबंधी को छुरा भोंककर मार डाला और उसे उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया।

2. जब गाड़ी पण्डारक स्टेशन पर पहुंची तो गार्ड ने सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित कर दिया। बाद में मोकामा स्टेशन पर सरकारी रेलवे पुलिस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 396 (हत्या के साथ डकैती) के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कराया गया और इसकी छानबीन की जा रही है। जिस क्षेत्र में यह घटना घटी, जांच अधिकारी ने उस क्षेत्र की तलाशी ली है और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक के पास से एक कलाई घड़ी बरामद हुई है, जो उस गाड़ी से यात्रा करने वाले एक फौजी कर्मचारी से लूटी गई थी।

3. पटना रेलवे पुलिस के अधीक्षक अपराध-स्थल पर पहुंच गये हैं और उन्होंने वहां कैम्प लगा रखा है। उप-महानिरीक्षक ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी वहां भजी गई है और अब पुलिस उस क्षेत्र में गश्त लगा रही है।

4. बताया गया है कि बदमाश एक नवयुवती को भी उठा ले गये हैं। लेकिन, अब तक की गई जांच-पड़ताल से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

5. फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्योंकि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो रही है इसलिये मैं कुछ बातें उठा रहा हूं।

निर्वाह व्यय सूचकांक 225 के बिन्दु पर पहुंच गया है और इस प्रकार इसमें 10 अंकों की वृद्धि हो गई है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दूसरा स्लैब प्राप्त करने का

अधिकार है । सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है । आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रतीक्षा किये बिना ही सदन में एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर स्वीकृति दे दूंगा ।

Shri Hukamchand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker Sir, I would like to get an assurance regarding the time by which last session's incomplete discussion on Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill will be completed.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने आपको कुछ लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ भी लिखा है, मैं आपको उस पर बोलने का कष्ट देने से पहले इसे संसदीय कार्य मंत्री के पास भेज दूंगा ।

श्री समर गुह : इस मामले का सदन में उठाया जाना आवश्यक है । प्रेस में समाचार आ रहे हैं कि बंगला देश का राजनैतिक दल निकालने के लिये बड़ी शक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य-वाही की है । यह समाचार भी मिला है कि विदेशों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति विदेशी कार्यालयों में हमारे अधिकारियों से मिले हैं । लंका की प्रधान मंत्री ने इस संबंध में एक पत्र हमारी प्रधान मंत्री को भी लिखा है । सरकार को वक्तव्य देना चाहिए कि यह कार्यवाही किस प्रकार की है, राजनैतिक समझौते से क्या तात्पर्य है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : साम्राज्यवादी शक्तियों के हस्तक्षेप के अतिरिक्त राजनैतिक समझौता और क्या हो सकता है । हम नहीं चाहते कि वे बंगला देश के मामले में हस्तक्षेप करें ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I had given a call attention notice regarding the shortage of small coins. In Delhi, People are facing accute shortage of small coins. There should be a discussion in the House on this subject.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : बंगला देश से पश्चिम बंगाल में बहुत से चीनी हथियार आ रहे हैं, इस संबंध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण का संसदीय कार्य मंत्री से कोई संबंध नहीं है । यदि इस प्रस्ताव पर कोई सदस्य अपने सुझाव देना चाहता है तो इसके लिये पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए । मैं अब और किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

समितियों के लिये निर्वाचन प्रस्ताव
ELECTIONS TO COMMITTEES

(एक) भारतीय नौवहन परिषद

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय नर्सिंग परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय नर्सिंग परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1971
GENERAL INSURANCE (EMERGENCY PROVISIONS) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण होने तक लोक हित में उसके प्रबन्ध को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण होने तक लोक हित में उसके प्रबन्धकों अपने अधिकार क्षेत्र में लेने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सामान्य बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश के बारे में विवरण
STATEMENT RE. GENERAL INSURANCE (EMERGBNCY PROVISIONS) ORDINANCE

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्रीमन्, मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश 197 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 233/71]**

रेलवे बजट 1971-72 सामान्य चर्चा—जारी
RAILWAY BUDGET 1971-72—GENERAL DISCUSSION (Contd),

अध्यक्ष महोदय : अब बजट (रेलवे) पर चर्चा होगी। अभी 40 मिनट शेष हैं। कुछ सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का समय है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : कुछ समय पूर्व भद्राचलम रोड से दण्डकारण्य तक एक लाइन का सर्वेक्षण किया गया था । हम जानना चाहते हैं कि उस लाइन का क्या हुआ ?

इसके पश्चात विजाग क्रिरीबुरु रेलवे लाइन का मामला है । इस लाइन पर खनिज विकास निगम का खनिज यातायात हो रहा है और इस लाइन का प्रयोग यात्री यातायात के लिये नहीं होता है । यह लाइन सुरम्य अराकू घाटी, जहां पर्यटकों के लिये बहुत बड़ा आकर्षण है, से होकर जाती है । इस क्षेत्र के लोगों और व्यापारी समुदाय द्वारा इस लाइन को यात्री यातायात के लिये भी खोलने के लिये अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं । कुछ समय पूर्व ऐसा ज्ञात हुआ था कि रेलवे बोर्ड उस लाइन को यात्री यातायात और गैर सरकारी माल यातायात के लिये खोलने के लिये सिद्धान्त रूप में सहमत हो गयी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है । राज्य सरकार और वहां की जनता इस लाइन को शीघ्र चालू करने के लिये बहुत चिन्तित है ।

एक और प्रस्ताव मद्रास-विजयवाड़ा रेल पथ के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में है । सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव 1966 से विचाराधीन है । सम्बन्धित अधिकारियों के बीच कुछ बात-चीत चलती रही और यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है । इसे अन्तिम रूप देने के बाद प्रारूप करार की शर्तें रेलवे मंत्रालय के पास भेजी गयीं । इसके पश्चात क्या हुआ ? क्या इसकी अनुमति दी गई अथवा नहीं ?

जहां तक दक्षिण मध्य रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती का प्रश्न है गृहमंत्रालय के आदेशानुसार सभी कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रों से लिये जाने हैं । क्योंकि रेल सेवा आयोग कार्यालय मद्रास में है इसलिये 80 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारी वहां से भर्ती करके यहां भेजे जाते हैं । तीन वर्ष पश्चात इनकी एक परीक्षा होती है उसे उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्हें लिपिक बना दिया जाता है । रेलवे आयोग का कार्यालय मद्रास से हैदराबाद में स्थानांतरित करके इस अनौचित्य से दूर किया जाय ।

बजट में बताया गया है रेलवे में आये दिन चोरी होती है । इसे केवल रेलवे की समस्या न मानकर राष्ट्रीय समस्या माना जाय । कभी कभी राज्य चोरी का पता लगाने के मामलों में अपेक्षित सहयोग नहीं देते हैं । मंत्री महोदय सुनिश्चित करें कि यदि आवश्यक हो तो इन राज्यों को इस क्षति में भागीदार बनाकर सहयोग करने के लिये कहा जाय । सभी राजनैतिक दलों को भी रेलवे के साथ सहयोग करना चाहिये, क्योंकि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है । रेलवे सुरक्षा दल को चोरी का पता लगाने के लिये, यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय पुलिस की सहायता लेनी चाहिये और अपराधियों को पकड़ कर दंडित करना चाहिये । इस मामले में जन सहयोग बहुत अधिक आवश्यक है ।

श्री पी० आर० दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र कलकत्ता दक्षिण है । यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इसका स्वरूप सर्व देशीय है । परन्तु इसमें केवल एक ही बुकिंग केन्द्र है जो क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है । अतः कलकत्ता दक्षिण में आधुनिक बुकिंग केन्द्रों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

दूसरे रेलवे के कलकत्ता यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत कई जंकशन है परन्तु यहां कोई भी उपरि पुल नहीं है और कभी-कभी रेलवे फाटकों पर लोगों की मृत्यु हो जाती है । कई बार ऐसी

मांग की गई है कि उपरि पुलों का निर्माण विशेष रूप से कस्बा-बालीगंज स्थल पर, कराया जाय परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री महोदय को इस कार्य को कराना चाहिये।

रेल मन्त्री द्वारा बहुत समय पहले से कलकत्ता में यातायात की समस्या पर विचार किया जा रहा है। रेलवे मन्त्रालय के आश्वासनों को कलकत्ता के निवासियों द्वारा खेले गये नाटक का एक भाग समझा जाता है। वर्तमान बजट में भी सर्वेक्षण आदि की व्यवस्था की गई है, पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा। यदि आश्वासनों को गम्भीर रूप में क्रियान्वित न किया गया तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

पूर्वोत्तर फ्रन्टियर रेलवे के बारे में जो कुछ कहा गया है मैं उससे सहमत हूं। एक विचित्र बात यह है कि स्वतंत्रता के 23 वर्ष बाद भी बुलार घाट में न तो कोई रेलवे स्टेशन है और न ही कोई रेलवे लाइन, हालांकि यहां पश्चिम बंगाल के एक जिले का मुख्यालय है। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री जगजीवनराम ने कई बार आश्वासन दिया था कि वहां शीघ्र ही लाइन बनायी जायगी। परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नये मन्त्री को शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी चाहिये। हाबड़ा-सियाखाला तथा हाबड़ा अमता लाइट रेलवे के कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने की समस्या को अभी तक हल नहीं किया गया है, हालांकि 16 दिसम्बर, 1970 को सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि कर्मचारियों को उपयुक्त वैकल्पिक नौकरियां दी जायेंगी। मन्त्री महोदय को उन कर्मचारियों को तुरन्त वैकल्पिक नौकरी दिलाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ राजनैतिक दल, विशेषतया कम्यूनिस्ट (मार्कसवादी) दल द्वारा उन रेलों के प्रबन्धकों को राज सहायता देने तथा उन्हें रेल गाड़ियां चलाने की अनुमति देने के प्रयास किये जा रहे हैं। यदि रेल मंत्रालय द्वारा ऐसी कार्यवाही की गई तो पश्चिम बंगाल के लोग रेलवे प्रशासन के विरुद्ध तथा उन राजनैतिक दलों के विरुद्ध जो इसमें शामिल हैं, आन्दोलन करेंगे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था के बारे में कहा है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि यदि रेलवे में चोरियां बन्द हो जायं तो कलकत्ता में होने वाले अपराधों में 50 प्रतिशत की कमी हो जायगी। रेलवे में होने वाले अपराध राजनैतिक अपराधों से सम्बन्ध रखते हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे के प्रशासन में सुधार करें तथा रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करें।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुरक्षा के लिये भी पुलिस का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। तीसरे दर्जे के भाड़े में वृद्धि से 11.60 करोड़ रुपये उपलब्ध होने की सम्भावना है जबकि ऊंचे दर्जे के भाड़े में वृद्धि से 1.60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। चूंकि हम समाजवाद लाने के लिये बचनवद्ध हैं इसलिये हमें गरीब जनता पर और अधिक बोझ नहीं लादना चाहिये।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : भावनगर से तारापुर तक बड़ी लाइन बिछाने का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। रेलवे प्राधिकारियों ने बहुत समय पहले सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यह एक आर्थिक तथा लाभदायक

परियोजना है। राज्य सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा आंकड़ों से इस बात का पता लगता है कि यह परियोजना रेलवे लाइन बिछाए जाने की सभी शर्तों पर पूरी उतरती है। यह एक ऐसा मामला है जो कि बहुत देर से विलम्बित पड़ा हुआ है। मन्त्री महोदय कृपया इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करें।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है यह एक सामान्य प्रकार का है। यह एक नियोजित बजट नहीं है। इसमें यात्रियों को सुविधायें देने तथा नई रेलवे लाइनें बिछाने का कोई सुझाव नहीं है।

यात्रियों की असुविधायें सर्व-विदित हैं और ये भारतीय रेलवे का स्थाई लक्षण बन गयी हैं। यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। बुकिंग स्थान से लेकर प्रत्येक रेलगाड़ी में अत्यधिक भीड़ पाई जाती है। यात्रियों को बैठने के लिये स्थान नहीं मिलते टिकट लेने के लिये निरन्तर कई घन्टे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इस समस्या को सुलझाने के लिये यह आवश्यक है कि नई गाड़ियां चलाई जायें। डिवीजनल नई रेल उपयोक्ता परामर्श दाता समिति यदि ऐसी सिफारिशें करती है तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

सवारी गाड़ी के डिब्बों में लगे पंखे बेकार पड़े रहते हैं। पर्याप्त प्रकाश का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। प्रकाश के अभाव में यात्रियों की सुरक्षा भी संकट में पड़ जाती है।

मन्त्री महोदय ने बजट भाषण के 45वें पैरा में यात्रियों की सुविधाओं का उल्लेख किया है। जिससे इस बात का आभास मिलता है कि सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ठीक ही है। परन्तु यह सच नहीं है वस्तु स्थिति इस से भिन्न है। उदाहरणार्थ तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों को लीजिये। वहां पंखों आदि की उचित व्यवस्था नहीं होती, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होता। स्टेशन पर जल वाहिक लगे होते हैं परन्तु ये अक्सर बेकार पड़े मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा फिर से आरम्भ होगी तब माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं। आज मध्याह्न भोजन के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक लिये जायेंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प०तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock)

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का लोप)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLE 314)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 291 और 362 का लोप तथा अनुच्छेद 366 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLES 291 AND 362 AND AMENDMENT OF ARTICLE 366)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

स्वास्थ्य (संसद् सदस्यों की कालिक चिकित्सीय परीक्षा) विधेयक

HEALTH (PERIODICAL MEDICAL CHECK-UP OF MEMBERS OF PARLIAMENT) BILL

Shri Yamuna Prashad Mandal (Samastipur): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the medical check-up for the members of Parliament from time to time at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, में समय-समय पर चिकित्सीय परीक्षा तथा तत्संसक्त मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Yamuna Prashad Mandal: I Introduce the Bill.

स्वास्थ्य (भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की कालिक चिकित्सीय परीक्षा) विधेयक

HEALTH (PERIODICAL MEDICAL CHECK-UP OF PRESIDENT AND PRIME MINISTER OF INDIA) BILL

Shri Yamuna Prashad Mandal (Samastipur) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the medical check-up of the President and the Prime Minister of India from time

to time at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, में समय-समय पर चिकित्सीय परीक्षा तथा तत्संसक्त मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motions was adopted

Shri Yamuna Prashad Mandal : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT OF EIGHTH SCHEDULE)

Shri Yamuna Prashad Mandal (Samastipur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Yamuna Prashad Mandal : I introduce the Bill.

भूतपूर्व संसद् सदस्यों के लिए पेंशन और अन्य सुख सुविधाएं विधेयक
PENSIONS AND OTHER AMENITIES FOR THE EX-MEMBERS OF PARLIAMENT BILL

Shri Yamuna Prashad Mandal (Samastipur) : I beg to move for leave to intoduce a Bill to provide for pension and other amenities for the ex-Members of Parliament.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह खेद की बात है कि मुझे विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है। जो सदस्य पुनः निर्वाचित नहीं हो पाये, उनके लिये हमारी पूरी सहानुभूति है । परन्तु इस समय जब कि हम केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में कोई भी वृद्धि करने में असमर्थ हैं, विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जब कोई सदस्य लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो उसे 100 रुपया मासिक की दर से पेंशन दी जाये । इसके साथ ही उसे एक प्रथम दर्जे का रेलवे पास और तीन तृतीय श्रेणी के रेलवे पास दिये जायें जिनसे कि वह भारत में कहीं भी और कभी भी 1000 किलो मीटर की यात्रा कर सके ।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री मण्डल से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें और जब देश की हालत कुछ सुधर जाये तो इसे प्रस्तुत करें ।

Shri Yamuna Prashad Mandal Mr. Deputy Speaker, Sir, it may please be made clear to Shri Banerjee that it is not the proper time for raising these questions. He should withdraw whatever he has said and leave may be granted to me for introducing this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व संसद् सदस्यों के लिये पेंशन और अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Yamuna Prashad Mandal : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF EIGHTH SCHEDULE)

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (भाग 3 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF PART III)

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

बिहार विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक
BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the abolition of the Legislative Council of the State of Bihar and for matters supplemental, incidental and consequential thereto.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य विधान परिषद् के उत्सादन का और उसके अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री यमुना प्रसाद मण्डल (समस्तीपुर) : मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी है और दूसरे अब तो मैं इसे सदन

के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। (**व्यवधान**) पहले कि ऐसा किया जा सकता था। अब मैं इसे सदन में प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य विधान परिषद् के उत्सादन का और उसके अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 53 **विपक्ष में** 106
AYES—53 : NOES—106

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

संविधान (संशोधन) विधेयक (भाग 4 का संशोधन)
CONSTITUTTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF PART IV)

. **Shri Bhogendra Jha** (Jainagar) : I beg to emove for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adoptod

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक नई धारा 8क का अन्तः स्थापन)
SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT BILL) (INSERTION OF NEW SECTION 8 A)

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते, अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान जी मैं विधेयक का विरोध करता हूं। अभी हमने श्री मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये, ठीक इसी प्रकार के विधेयक का विरोध किया है। क्या आप ने कभी यह भी सुना है कि जिस व्यक्ति का वेतन 500 रुपये हो उसे सेवानुवृत्ति के बाद 300 रुपये की पेंशन दे दी जाए। जब हमारे देश के समक्ष अन्य बहुत-सी महत्वपूर्ण मांगें हैं, उस समय इस प्रकार का विधेयक लाना बिल्कुल अनैतिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते, अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 92 **विपक्ष में** 55
AYES—92 : NOES—55

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Panna Lal Barupal : I intoduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन)
CONSTITUTION AMENDMENT BILL (AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDULE)
(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुसति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक
CHILDREN MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL

Shri S. C. Samanta (Tamluk) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 309 का संशोधन)
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 309)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 240 और प्रथम अनुसुची का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 240 AND FIRST SCHEDULE)

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 339क का अन्त: स्थापन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW ARTICLE 339 A)

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15,16 आदि का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 15, 16 ETC.)

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक
PREVENTION OF CONVERSION BILL

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I beg to move for leave to introduce a Bill to restrict the conversion of religion of minors.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अवयस्कों के धर्म परिवर्तन को निर्बन्धित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे".।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Jagannathrao Joshi : I introduce the Bill.

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (नई धारा २४ क का अन्तः स्थापन)
HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW SECTION 24 A)

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Jagannathrao Joshi : I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 7क का अन्तः स्थापन)
REPRESENTATION OF PEOPLE (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW SECTION 7 A)

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Jagannathrao Joshi : I introduce the Bill.

धार्मिक स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक
RESTORATION OF RELIGIOUS PLACES BILL

Shri Jagannathrao Joshi : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for restoration of religious places under illegal occupation to their legal claimants.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि जिन धार्मिक स्थानों पर अवैध कब्जा है उनका वैध दावेदारों को प्रत्यावर्तन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ :
The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है अतः हम अगली मद को लेते हैं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 39 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 39)

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :
The motion was adopted

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 330 AND 332)

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 348 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 348)

Shri Hukam Chand Kachwai : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDULE)

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन विधेयक अनुच्छेद 43 का प्रतिस्थापन
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (SUBSTITUTION OF ARTICLE 43)

श्री भारत सिंह चौहान (धार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री भारत सिंह चौहान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

गो-बध रोक विधेयक
PREVENTION OF COW SLAUGHTER BILL

श्री भारत सिंह चौहान (धार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में गो-हत्या का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में गो-हत्या का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री भारत सिंह चौहान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTIONS 123, 169 AND INSERTION OF SECTION 125 A)

(धारा 123, 169 का संशोधन तथा धारा 125 क का अन्तःस्थापन)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT BILL) (AMENDMENT OF ARTICLES 81, 82, AND INSERTION OF NEW ARTICLE 281 A)

अनुच्छेद 81, 82, का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 281, क का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए हमारे पास कितना समय है ? मेरे विचार से हमें इसे 1½ घंटे का समय देना है ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक साधारण विधेयक है और इसमें कोई वाद-विवाद वाली बात नहीं है। सदन को इस विधेयक की भावना की सराहना करनी चाहिए। उद्देश्य यह है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू करने वाले राज्यों को किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि इससे लोक सभा में उनकी सदस्य संख्या कम हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोक सभा के गठन के सम्बन्ध में बताया गया है कि किसी राज्य के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार होगी। अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात सदस्य संख्या पुनः निश्चित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में 1961 की जनगणना के बाद जो हुआ वह इस प्रकार है। आबादी में कमी होने के कारण आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु से दो दो सीटें और उत्तर प्रदेश से एक सीट की कमी हुई जबकि असम, गुजरात और पंजाब में से प्रत्येक को दो सीटें अधिक मिलीं। इसी प्रकार केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान को एक एक सीट अधिक मिलीं और बंगाल को सबसे अधिक अर्थात् चार सीटें मिलीं। संघ राज्य क्षेत्रों को कुल मिलाकर तीन सीटें मिलीं। यदि केन्द्रीय अधिनियम 1961-62 के अन्तर्गत सीमा निर्धारण आयोग ने अपना कार्य किया होता तो स्थिति भिन्न ही होती और कुछ राज्यों को काफी सीटें खोनी पड़तीं। लोकतान्त्रिक देशों में यह एक सामान्य बात होती है। परंतु भारत में स्थिति अद्भुत प्रकार की है। दूसरे विकासशील देशों की तरह यहां जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जितनी जनसंख्या वृद्धि 1951 के बाद हुयी है उतनी पहले कभी नहीं हुई। मृत्युदर में कमी और जन्मदर में वृद्धि के

कारण ही ऐसा हुआ है और इसके लिये विज्ञान काफी सीमा तक जिम्मेदार है। परन्तु विज्ञान ने ही संतुलन बनाये रखने के लिए परिवार नियोजन ढंगों का आविष्कार किया है।

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सामाजिक क्रान्ति का रूप धारण कर रहा है। विकास-शील देशों में केवल भारत ने ही इसे सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया था :

"एक सामान्य अवधि में जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने का उद्देश्य योजनाबद्ध विकास का केन्द्र बिन्दु होना चाहिये।"

चौथी पांच वर्ष योजना में इसको और भी अधिक महत्व देते हुए कहा गया था :

"यह सर्वोच्च वरीयता का कार्यक्रम है।"

हमने अब यह उद्देश्य बना लिया है कि वार्षिक वृद्धि दर आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एक और लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उसके अनुसार 10,20 साल में जन्म दर में प्रति एक हजार के पीछे 40 से घटकर 25 होना चाहिए। इस तरह परिवार नियोजन कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू करने वाले राज्यों की जनसंख्या में काफी अन्तर पड़ जाता है।

इस प्रकार तमिलनाडु जैसे राज्यों, जो इस क्षेत्र में सराहनोय कार्य करते हैं, को क्या मिलता है ? इसका सीधा परिणाम यह होता कि ऐसे राज्यों की सीटों में कमी हो जाती है।

हमारे यहां देखा जाता है कि जिनके पास जितनी अधिक सौदेबाजी की शक्ति होती है वे राज्य उतनी अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। इस तरह हमें सीट का मूल्य नहीं लगाना चाहिए। सीट का मूल्य नहीं आंका जा सकता जोकि राज्य सभा में निजी थैलियों के विधेयक के समय मतदान देखने से स्पष्ट हो जाता है।

उत्तरी भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 24.6 प्रतिशत है जबकि दक्षिणी भारत में 16.2 प्रतिशत है। बिहार में एक औरत औसत में 8.50, उत्तर प्रदेश में 7.47, गुजरात में 7.07, हरियाणा में 6.76, तमिलनाडु में 7.79 तथा आंध्र में 5.59 बच्चों को जन्म देती है। विभिन्न राज्यों में जन्मदर की इस विभिन्नता का कारण क्या है ? जिन राज्यों में जन्म दर कम है वहां परिवार नियोजन कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू नहीं किया गया। आज देश के उत्तरी राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम में ढील डाल कर अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं और दक्षिण के राज्य इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ लागू करके अपनी संख्या को घटा रहे हैं। इस घटती जनसंख्या के फलस्वरूप दक्षिण के राज्यों का केन्द्रीय सेवाओं तथा लोक सभा में प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। आज देश में बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे राज्य की जनसंख्या के दृष्टिकोण से 225 : 1 का अनुपात है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उत्तरी राज्यों की आबादी बढ़ती जा रही है जबकि दक्षिणी राज्यों की आबादी घटती जा रही है। राजनैतिक क्षेत्र में भी हम परिवार नियोजन कार्य-क्रम को लागू करने का दंड भोग रहे हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी हम दंड भोग रहे हैं क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को हर प्रकार का अनुदान जनसंख्या के आधार पर मिलता है। मेरे विधेयक का उद्देश्य

वित्त आयोग द्वारा की गयी जनसंख्या आंकड़ों सम्बन्धी सिफारिशों की क्षति को दूर करना है। वास्तव में वित्त आयोग की स्थापना धारा 280 तथा 281 के अधीन होती है।

आय कर तथा बांटे जाने वाले अन्य करों क विभाजन के बारे में एक निश्चित तथा स्थायी नीति अपनायी जानी चाहिये। अच्छा रहेगा यदि संविधान में जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों को ध्यान में न रखते हुए आय कर तथा अनुदानों के विभाजन की व्यवस्था हो ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाले राज्यों के साथ न्याय हो सके। डा० राजामानर भी 1965 की वित्त आयोग की रिपोर्ट में इस बात से सहमत हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि जनसंख्या का आधार क्या साधनों को राज्यों के बीच बांटने के लिए एक सही मापदंड है? इसका उत्तर नहीं में होगा क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार साधनों का बंटवारा होना चाहिए ताकि समृद्ध राज्यों को कम तथा गरीब राज्यों को अधिक भाग मिल सके। मेरे विचार में जनसंख्या के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय का मापदंड ही उचित रहेगा।

तमिलनाडु की जनसंख्या हर जनगणना के साथ साथ घटती जा रही है। 1951 में हम देश की कुल जनसंख्या का 8.3 प्रतिशत, 1961 में 7.7 प्रतिशत तथा अब 1971 में 7.5 प्रतिशत हो गये हैं। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या आधार पर बांटे जा रहे करों तथा अनुदानों द्वारा हम प्रति वर्ष 10 करोड़ रु० से वंचित हो रहे हैं। यदि हम परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू न करते तो हम उस भाग तथा अनुदान से वंचित न होते जिससे अब हम हो रहे हैं। इसका विकल्प यही है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके अनुसार उन राज्यों, जिनकी आबादी परिवार नियोजन लागू करने से घटी है, को संसद में बोनस के रूप में अतिरिक्त स्थान मिलना चाहिए।

मेरे विचार में मंत्री महोदय उन प्रश्नों का उत्तर देंगे जो मैंने परिवार नियोजन सम्बन्धी अपने भाषण में उठाये हैं।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : श्री मारन के भाषण को मैंने ध्यान से सुना है। मैं उनकी भावनाओं तथा दलीलों की सराहना करता हूं। मैं उनकी इस बात में साथ दूंगा कि उन राज्यों को सीटों के रूप में संसद् में बोनस मिलना चाहिए जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया है।

[श्री सेझियान पीठासीन हुए]
[Shri Sezhiyan in the Chair]

मैं उनके इस विचार की भी सराहना करता हूं कि उन राज्यों को दण्डित किया जावे जिन्होंने परिवार नियोजन को लागू नहीं किया। लेकिन उनका भाषण मूलत: वित्त आयोग के विरुद्ध शिकायत है। उनका भाषण भाषा तथा सेवाओं में भाग ग्रहण करने संबंधी राजनैतिक शिकायत प्रतीत होती है। इस राजनैतिक शिकायत को आधार बनाते हुये ही माननीय सदस्य ने संविधान के उस भाग जो राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देता है, को संशोधित करने के लिये एक विधेयक सामने लाया है। संविधान के रचयिताओं ने राज्य विधान सभाओं तथा संसद् के लिये जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा व्यक्तियों के बीच एकता संबंधी सिद्धान्त को स्वीकार किया है। क्या हम उन सिद्धांतों को त्याग दें?

मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की राजनैतिक शिकायतें संविधान को संशोधित करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं। क्या जनसंख्या बढ़ने पर हमें संविधान में संशोधन करना चाहिये ? इस समस्या का हल यही है कि ढील डालने वाले राज्यों को परिवार नियोजन को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये कहा जाये। संविधान को संशोधित करना समस्या का कोई समाधान नहीं।

जहां तक वित्त, आय तथा अनुदानों को बांटने का संबंध है, मैं दक्षिणी राज्यों के जन-नेताओं से अपील करूंगा कि वे अपनी इस शिकायत के बारे में वित्त आयोग से लड़ें। आय तथा अनुदानों के वितरण के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् में मामला उठाया जाना चाहिये। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अधिक आय तथा अनुदान संबंधी मामले को अपने मुख्य मंत्री के सामने रखें जो इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् में रखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : जिस विधेयक पर विचार हो रहा है वह संविधान के संशोधन से संबंधित है। विधेयक पेश करने वाले सदस्य की भावनाओं की हम सराहना करते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता के आधार पर हम संविधान को संशोधित नहीं कर सकते। आबादी बढ़ने अथवा घटने का कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता ही नहीं। हम संविधान के संशोधन पर विचार कर रहे हैं जो वास्तव में सारे देश पर लागू होता है।

जहां तक इस सदन में प्रतिनिधित्व का संबंध है हम यही समझते हैं कि यह जनसंख्या पर ही आधारित होना चाहिए जैसे कि अब भी है। हमें खेद है कि हम विधेयक पेश करने वाले माननीय सदस्य का समर्थन नहीं कर सकते।

आय तथा अनुदान के बटवारे के बारे हम भी ऐसा ही अनुभव करते हैं जैसे कि माननीय सदस्य करते हैं। मुझे खुशी है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में एक समिति स्थापित की है जिसकी रिपोर्ट के कुछ अंश आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि राज्यों को और अधिक साधन प्रदान किये जावें।

हमें केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वे इस स्थिति पर पुनः विचार करें और यदि आवश्यक हो तो हमें इस सदन में विचारार्थ उपयुक्त विधेयक भी पेश करना चाहिए ताकि केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों पर पुनः विचार किया जा सके और राज्यों को भारत के संघीय ढांचे में उचित स्थान दिया जाये जिससे कि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हर बार केन्द्र पर आधारित न रहना पड़े। अतः भारत के संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों की जो व्यवस्था की गई है उस संपूर्ण व्यवस्था पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। संविधान में अन्तःराज्यीय परिषद् के गठन की व्यवस्था है। हमने मांग की है कि ऐसे कई विषय हैं जो संघ या समवर्ती सूची में हैं जिन्हें केवल राज्य सूची में रखा जाये क्योंकि अन्ततः अपने क्षेत्र में तो राज्य ही कार्यचालन कर रहे हैं। किन्तु उन्हें कुछ ही शक्तियां दी गई हैं।

मैं प्रस्तुत कर्ता महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस विषय पर निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार करते रहे हैं यद्यपि हम उनकी भावनाओं की प्रशंसा करते हैं फिर भी यह विषय ऐसा है जिसमें स्थिति को निष्पक्ष दृष्टिकोण से आंकना होगा।

मैं प्रस्तावकर्ता से अनुरोध करूंगा कि वह इस विशेष संशोधन विधेयक पर बल न दें अपितु यदि आवश्यक हो तो वह संविधान में ऐसा उचित संशोधन करने का विधेयक पेश करें जिसमें ऐसे खराब तत्वों पर ध्यान दिया गया हो जोकि भारत के संविधान में कतिपय उपबन्धों के कारण भारत की समस्त राजनीति में भी उत्पन्न हो गये हैं। ऐसा करने से इन उपबन्धों को विशेषकर आज के भारत के संविधान में दिये गये वित्तीय उपबन्धों के आधार पर पूर्णतया नया स्वरूप दिया जा सकेगा।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैं कुछ मुख्य बातों की ओर प्रस्तावकर्ता का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह आर्थिक दृष्टि कोण को, जो कि इस विधेयक का उद्देश्य होना चाहिए था, बिल्कुल ओझल कर गए हैं।

हमें विगत की ओर नहीं देखना चाहिए। अब हम 1971 में हैं तथा 1951 की ओर देखने से कोई लाभ नहीं होगा। माननीय सदस्य ने जो तर्क पेश किए हैं, वे उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार पेश किए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था तथा इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र मद्रास से आन्ध्र चले गए थे तथा कुछ मैसूर में। अत: 1971 में यह कहना कि स्थानों में कमी होने की जिम्मेदारी परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता एवं जनसंख्या में कमी होने के कारण है तथा इसलिए हमें 1951 को आधार वर्ष मानना चाहिए, संविधान में संशोधन करने के लिए केवल एक आधार बनाना है। इस तर्क में इतना सार नहीं है कि इस पर सभा विचार करे।

वित्तीय मामले अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत आते हैं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे बड़े-बड़े नेता शिक्षाविद्, सेवा प्राप्त तथा सेवारत न्यायाधीश अपना सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभव संविधान में कही गई कुछ बातों पर लगाते हैं किन्तु जब हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तथा समाजवादी कार्यक्रमों एवं नीतियों को प्रस्तुत किया जाता है, तब ये लोग सहयोग नहीं करते।

यदि राज्यों द्वारा कुछ समितियों का गठन किया जाता है तो इस सर्वोच्च सत्ता का क्या होगा ? आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक निर्भरता की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जा सकती है, जो इस बात की जांच करे कि क्या देश के उस भाग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक निश्चित कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का हमारा कार्यक्रम है, चाहे वह क्षेत्र मद्रास में हो अथवा मैसूर में। हमारी नीति ही यही है कि पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए। यदि विपक्षी दल हमारे साथ सहयोग करेंगे तो योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। केन्द्र से वित्तीय आवंटक संवैधानिक ढंग से किया जाएगा, फिर संविधान में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है। केन्द्रीय संसाधनों का वितरण जनता के द्वारा किया जाता है। हमारा पथ प्रदर्शन उन छोटी-छोटी समितियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कुछ राज्यों द्वारा गठित किया जाये। हमें इस पर घोर आपत्ति है।

जब हम देखते हैं कि हमारे देश के संघीय या एकात्मक ढांचे में कुछ राज्यों में विघटनकारी प्रवृत्तियां, तरीके और ढंग पैदा हो रहे हैं जब कि हमारा स्वयं अपना ढांचा है जब कि हमारी स्वयं एकात्मक प्रणाली और यह केन्द्रीय सरकार है तब हम यह क्यों न कहें कि स्वयं हमारे कहने पर संसद इस पर विचार करे और हम क्यों न यह कहें कि मामले की जांच करने के लिए एक समिति

नियुक्त की जाए ? इसके बजाए किसी विशेष राज्य के लिए किसी विशेष कारणों से यदि संशोधन किया जाना है, तो मेरे कुछ मित्र इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं जो कि इस आधार पर ठीक है कि संविधान राष्ट्र और इसकी प्रगति के हित में है । जब कोई अधिक शक्ति देने की बात करेगा तब कोई भी समर्थन नहीं देगा और न ही संविधान में संशोधन की बात कहेगा । जब कभी कोई बात उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों अथवा विशेषधिकार प्राप्त वर्गों को लेकर होती है तब मूलाधिकारों की बात की जाती है । हमें अपना दृष्टिकोण इस प्रकार रखना चाहिए कि सभी कार्य संविधान के अन्तर्गत हों । इस आधार पर संविधान में संशोधन करने के लिए इस तरह के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । संविधान में ऐसी प्रत्येक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत हम किसी भी प्रकार की समिति आदि का गठन कर सकते हैं जिससे कि सरकार या सम्बद्ध लोगों को कुछ राहत मिल सके अथवा इस मामले के लिए यह आयोग फिर से गठित करना पड़ेगा ।

अत: हमें ऐसे लक्ष्य को लेकर कार्य नहीं करना चाहिए । मैं प्रस्तावकर्ता से निवेदन करता हूं कि राष्ट्र के हित में तथा संविधान तथा संविधान निर्माताओं के आशय के परित्राण हेतु वह इस विधेयक को वापिस ले लें ।

Shri R. V. Bade (Khargone) : One of the objects of the present constitution bill is, that the reason for decrease in population in the state is the effective implementation of family planning programme. The hon. Member means to say as the family planning progarmme has been successful and the population has decreased the 1951 census figures should be taken as the basis but this is not fair. There has been increase in population in Madhya Pradesh it would, therefore be, unjust to deprive them of their due representation.

The reason for decrease in the population of Tamil Nadu is not only the effective implementation of family planning programme but it is due to the fact that most of the people have migrated to other States in search of employment but this does not mean that Tamil Nadu should be given a reward for the decrease in population by giving it representation on the basis of 1951 census figures

This bill hits at the very root of the principle of equality which is the very basis of Article 81 of the Constitution. It is wrong to say that the increase in population in other States is due to the fact that they do not resort to the family planning programme, and therefore the census of 1951 should be taken as the basis. There could be many other reasons for increase in population in the States. For instance, the custom of polygamy is prevalent in the tribal areas and the population is bound to rise in states like Madhya Pradesh.

If we go through the Debate of the Constitution Assembly, we will find that the constitution makers had made the principle of equality as the very basis of Article 81 and 82. This principle should be sustained. It is not proper to amend the Constitution with at object that a particular State should get more representation in the house and should be enabled to receive more grant from the Centre. We have protested many a time that Madhya Pradesh is getting less grant. I do agree that there is disparity in the grants to the States. The States which are treated unjustly should try to get increased grants.

I, therefore, oppose the Bill.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं और यह विरोध मैं इस कारण नहीं कर रहा कि इससे तमिलनाडु को बड़ी संख्या में सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा अथवा उसे केन्द्र की ओर से अधिक धन दिया जाएगा अपितु मैं इस विधेयक का विरोध

इसलिए कर रहा हूं क्यों कि इससे लोगों की समानता को, जो कि हमारे संविधान तथा राजनोतिक ढांचे का मूलाधार है, सीधा आघात पहुंचेगा।

यह विधेयक लोगों की समानता पर कुठाराघात है। विधेयक के प्रस्तावक द्वारा दिए गए तर्कों को सुन कर मेरा मत भी यही है कि इस विधेयक को अस्वीकृत किया जाए। प्रस्तावक के मन में जो समस्या है, उससे मैं भली भांति अवगत हूं। माननीय सदस्य का कहना है कि तमिलनाडु में परिवार नियोजन कार्यक्रम को गम्भीरता पूर्वक क्रियान्वित किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि तमिलनाडु के लोगों को दंड भुगतना पड़ रहा है। माननीय सदस्य ने तर्क दिया है कि प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन यह कोई ठोस तर्क नहीं है। यदि 30 सदस्यों के स्थान पर 32 सदस्य कर दिए जाएं तो उससे कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। माननीय सदस्य के इस तर्क में भी कोई सार नहीं है कि संविधान की अनुच्छेद संख्या 81 के वर्तमान उपबन्धों से परिवार नियोजन की सफलता को प्रोत्साहन मिल रहा है। माननीय सदस्य की यह बात बड़ी हास्यास्पद लगती है कि लोग परिवार नियोजन प्रचार कार्यक्रम को इसलिए गम्भीरता पूर्वक नहीं अपनाएंगे क्योंकि ऐसा करने से राज्य विशेष के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाएगी।

माननीय प्रस्तावक ने समस्त मानवीय समस्या को माल्थस सिद्धान्त तक ही सीमित कर दिया है। अतः मेरा विचार है कि बिना सोचे समझे संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। यदि संविधान के अनुच्छेद संख्या 81 को ध्यान पूर्वक देखा जाए तो पता चलता है कि समस्त देश अलग-अलग राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। ऐसे 500 निर्वाचन क्षेत्र हैं और 25 निर्वाचन क्षेत्र संघशासित प्रदेशों में हैं। संविधान में यह कहीं नहीं कहा गया कि अमुक राज्य के लिए अमुक सीटें नियत हैं। संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि 500 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे जो निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों पर विचार करेंगे।

माननीय प्रस्तावक ने जो तर्क दिए, मुझे उस पर आपत्ति है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा पांच बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned till seventeen of the Clock

लोक-सभा पांच बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled at seventeen of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सामान्य बजट
GENERAL BUDGET

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : महोदय, इस वर्ष 24 मार्च को मैंने सम्मान्य सदन के सम्मुख 1971-72 का अन्तरिम बजट पेश किया था। उस समय मैंने सम्मान्य सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्य बजट में, अन्तरिम बजट में

की गई व्यवस्था की अपेक्षा, विकास और सामाजिक कल्याण पर परिव्यय में काफी अधिक वृद्धि की जायेगी। इसी वचन को पूरा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं।

इसी सप्ताह, सरकार ने 1970-71 की 'आर्थिक समीक्षा' इस सम्मान्य सदन के पटल पर प्रस्तुत की थी। इस समीक्षा से यह पता चलता है कि सामान्य रूप में अर्थ व्यवस्था की स्थिति वस्तुतः आशाजनक है और हाल के पिछले वर्षों की अपेक्षा अब वह भावी कार्यों को निपटाने के लिए अधिक क्षमता रखती है। हम एक बार फिर 1970-71 में भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं जो हमने चतुर्थ आयोजना में आर्थिक विकास की समग्र दर के सम्बन्ध में निर्धारित किया था। कृषि के क्षेत्र में बराबर प्रगति हो रही है, अन्न का उत्पादन बहुत ही संतोषजनक दर से बराबर बढ़ता रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में, कुछ अत्यावश्यक कच्ची सामग्रियों की कमी के कारण कुछ उद्योगों के उत्पादन में थोड़ी रुकावट आई है, और कुछ अन्य उद्योगों में अब भी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। परन्तु हमारे आयात-प्रतिस्थापन के कार्यों में कुछ नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं और सातवें दशक के मध्य में जो मन्दी की स्थिति आई थी वह अब काफी हद तक दूर हो गई है। इसके अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र में विकास की स्थिति सबसे अधिक उत्साहजनक है। अनेक लक्षणों से यह पता चलता है कि यदि एक बार सरकारी निवेशों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो गई तो फिर सभी उद्योगों में एक साथ प्रगति हो जाएगी। प्रारम्भ में कुछ रुकावटों के बाद, वर्ष के आखिरी महीनों में, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, उद्योग और निर्यात दोनों के संबंध में जो एक बड़ा काम करना अब भी बाकी है, वह है, उनके संगठन को बढ़िया बनाना। कच्ची सामग्री की कमी और प्रक्रियात्मक देरी की समस्याएं तो हैं ही, इनके साथ ही हमें कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में कार्य-चालन के निम्न स्तर और प्रति इकाई ऊंची लागत की समस्याओं का भी सामना करना है। अतः, लागत में कमी करना और कार्यकुशलता में सुधार करना ये दोनों ही कार्य, औद्योगिक विकास और निर्यात के क्षेत्र में नई गतिशीलता लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

कृषि के क्षेत्र में भी, अभी हमारे प्रयत्नों में ढील देने का अवसर नहीं आया है। हमें अभी धान की अधिक उपज देने वाली ऐसी किस्मों की खोज चालू रखनी होगी जो देश की कृषि एवं जलवायु सम्बन्धी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में काफी समय तक टिक सकें। सिंचाई की सुविधाओं को भी बढ़ाना होगा जिससे को दोहरी फसलें उगाने के प्रचार-कार्यक्रमों को सुनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके। ज्वार-बाजारा-वर्गीय अनाजों के बीजों की कीट-प्रतिरोधी बढ़िया किस्मों की हमारी खोज भी जारी रहनी चाहिए। दालों और कपास, तेलहन और जूट समेत वाणिज्यिक फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 1970-71 में अनाज की कीमतों में पर्याप्त स्थिरता रही, हालांकि उनमें कभी-कभी कुछ गिरावट भी आई। यदि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कीमतों को गिरने से रोकने का प्रयत्न नहीं करती तो वास्तव में अनाज की कीमतें बहुत गिर जातीं। इतना होने के बावजूद भी, सामान्य मूल्य स्तर में कुल मिला कर वृद्धि ही हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि वाणिज्यिक फसलें कम उपलब्ध हुईं। ऐसी स्थिति में हम मूल्यों को स्थिर रखते हुए अपने विकास की गति को तब तक तीव्र नहीं कर सकते जब तक कि वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जाती।

बाह्य वित्त के क्षेत्र में, हालांकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रति अपने बकाया दायित्वों को पूरा करने का श्रेय ले सकते हैं, फिर भी हमारे शोधन-शेष की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं

रही है जितनी कि वह 1969-70 के अंत में थी। निर्यात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होते रहने से, आयात की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। बकाया आयात लाइसेंसों से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान आयात में और भी वृद्धि होगी। इस्पात, कपास तेल और तिलहन की कमी के कारण, हमें प्रारम्भ में की गई कल्पना से काफी अधिक मात्रा में आयात करने की योजना बनानी पड़ेगी। पिछले वर्ष के दौरान नई सहायता के आवंटन में कमी हुई है और ऋण परिशोधन का भार भी बढ़ता ही गया है। फलतः आयात की वित्त व्यवस्था के लिए उपलब्ध सहायता की शुद्ध (नेट) राशि घट गई है। अतः हम अपने शोधन-शेष के बुद्धिमत्ता-पूर्ण प्रबन्ध के मामले में थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरत सकते।

इस सरकार को तीन महीने पहले जनता से जो भारी आदेश मिला था वह आदेश समाजवाद के लिए और अधिक सामाजिक न्याय के साथ-साथ तीव्र आर्थिक विकास के लिए था। इसमें संदेह नहीं की सामाजिक न्याय का श्रीगणेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार और काम-धन्धे के अवसरों को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। पिछले वर्ष के दौरान, शहरी बेरोजगार व्यक्तियों और ग्रामीण अल्प-रोजगार-प्राप्त व्यक्तियों के लिए लाभप्रद रोजगार पैदा करने के उपाय करने की दिशा में बहुत कुछ किया जा चुका है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत वर्ष अपने कार्यों में काफी विस्तार किया जिसका उद्देश्य अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के लिए और अपना रोजगार चालू करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था करना था; वे भविष्य में और अधिक विस्तार करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है और मोटे तौर पर सरकार का उद्देश्य यह है कि देश के सभी भागों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य मिले। साथ ही, सरकार का यह संकल्प है कि रोजगार पैदा करने वाली ये योजनाएं केवल तदर्थ उपायों के रूप में न हों बल्कि उससे देहातों में नई सड़कों, भूमि सुधार, भूमि विकास, जल-मल निकासी व्यवस्था आदि के रूप में अतिरिक्त भौतिक परिसम्पत्ति का भी निर्माण हो।

सम्मान्य सदस्यों को यह भी स्मरण होगा कि गत वर्ष देहातों में, विशेषरूप से छोटे किसानों के लिए और पिछड़े क्षेत्रों में, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए विशेष निर्माण-कार्यक्रम चालू किए गए थे। ये योजनाएं आगे भी चालू रहेंगी। इसके अलावा, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा, हम शिक्षित बेरोजगारों को, राष्ट्र की सेवा करने के रचनात्मक अवसर खोज निकालने के कार्य में सहायता देने के लिए बजट में एक विशेष व्यवस्था करने का प्रस्ताव करते हैं।

रोजगार में सबसे अधिक वृद्धि तो तभी हो सकती है जबकि सब ओर आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार को तेज कर दिया जाय। अतः यह अनिवार्य है कि आयोजना के अन्तर्गत व्यय को ऊंचे स्तरों पर ही जारी रखा जाय और किसी प्रकार की कमी न होने दी जाए। सच यह है कि इस विषय में हमारे 1970-71 के काम को देखते हुए तो अभी हमारे लिए बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि मैं गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आयोजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव कर रहा हूं, फिर भी अधिक जोर इस बात पर ही देना होगा कि जिन आयोजनागत प्रायोजनाओं के लिए बजट में व्यवस्था की जा रही है उनका कार्यान्वियन समय पर हो।

पहले से तीव्रगति से विकास करने और पहले से अधिक सामाजिक न्याय प्रदान करने के लक्ष्य तब तक मृग-मरीचिका ही सिद्ध होंगे जब तक की उनके लिए सापेक्षिक मूल्यों की स्थिरता का

वातावरण तैयार नहीं किया जाएगा। हम बढ़ते हुए मूल्यों के पूंजी-निवेश और आय-वितरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को बिलकुल नजरंदाज नहीं कर सकते। मुद्रा-स्फीति के कारण, उत्पादन की कुशलता को बढ़ाने और इकाई लागत को कम करने के प्रयत्न भी निष्फल हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार, तीव्रतर गति से विकास करने के अभियान में, मूल्यों में स्थिरता लाने का समानान्तर लक्ष्य भी समन्वित है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मुद्रा शक्तियों के प्रभाव की भी जांच बराबर करते रहना होगा।

वार्षिक आयोजनाएं बनाने की हमारी प्रक्रिया का स्वरूप ही ऐसा है कि इस प्रक्रिया में ही आयोजनागत प्राथमिकताओं और उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण कर लिया जाता है। ऐसी घड़ी में जबकि हमें हाल ही में एक नया आदेश मिला है, यह भी आवश्यक हो गया है कि समग्र आयोजना का एक बार फिर आकलन कर लिया जाए। अब से ऐसे उपायों पर अधिक जोर दिया जाएगा जिनसे प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन की गति तेज हो, रोजगार के अवसरों का विस्तार हो और प्रादेशिक असमानताओं सहित सभी असमानताओं में कमी हो। सम्मान्य सदस्यों को विदित ही है कि आयोजनागत सहायता के आवंटन और ऐसे ही राजस्व सम्बन्धी और अन्य उपायों से, विकास को, जिसमें पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास शामिल है, बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। विदेशी सहायता के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा सहित हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों का आवंटन करते हुए भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। पिछड़े इलाकों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं पर, आयोजना बनाते समय ही, उचित ध्यान देना होगा जिससे कि आयोजना के अंतर्गत आन्तरिक और विदेशी साधनों के आवंटन में देश के विभिन्न भागों को, और विशेष रूप से प्रगतिरुद्ध प्रदेशों को, उनका उचित हिस्सा मिल सके।

हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार को गहरा और विस्तृत कर दिया है और वे कुछ मूलभूत सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इन उद्यमों का कुशलतापूर्ण कार्य-निष्पादन सरकार के समग्र विकास प्रयत्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी उद्यम जितनी योग्यता के साथ आयोजनागत प्रस्तावों को क्रियान्वित करेंगे, अर्थ-व्यवस्था में भी प्रति वर्ष लगभग उतनी ही उन्नति हो सकेगी। अतः जो प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक देरी इन उद्यमों की प्रगति को रोकती हैं, वह गहरी चिन्ता का विषय है। इसी प्रकार, सरकारी उद्यम क्षेत्र को भी काफी बड़ी मात्रा में अधिशेष (सरप्लस) देना होगा, क्योंकि यह अधिशेष भावी विकास का प्रमुख साधन है। पिछले वर्ष के दौरान, सरकारी उद्यमों की सामान्य कुशलता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक एकक में तालिकागत वस्तुओं और संयंत्र तथा मशीनों के उचित अनुरक्षण के लिए और कार्मिक प्रबंध तथा औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या को सुलझाने के लिए अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या को सुलझाने का सम्बन्ध है, हम श्रमिक संघों से सलाह और परामर्श अवश्य लेना चाहेंगे। सरकारी क्षेत्र की कार्य-कुशलता में उनका हित भी समानरूप से निहित है। मुझे आशा है कि उनके सहयोग से हमारे सरकारी उद्यमों में औद्योगिक सम्बन्धों के एक नये क्रम का सूत्रपात हो सकेगा।

वाणिज्यिक बैंकों में से बहुत से बैंक अब सरकारी क्षेत्र का ही भाग हैं। यहां भी, मैं बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए श्रमिक संघों के नेताओं का सहयोग चाहूंगा। अभी हाल

ही में इस विषय में शुरुआत हो चुकी है जबकि मैंने बैंकों के कर्मचारी और प्रबन्धक वर्ग से बातचीत की थी। उस समय हमने ऋण देने की योजना बनाने और जमा की रकमें जुटाने आदि के विषय में चर्चा की थी। मैं इस पद्धति को आगे भी चालू रखना चाहता हूं। नए निदेशक मंडलों के बारे में शीघ्र ही घोषणा की जाने वाली है, उनमें पंचाट कर्मचारियों (अवार्ड स्टाफ) और अधिकारियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे; मुझे आशा है कि ये नए निदेशक मंडल बैंकों की प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार करने के कार्य को अभीष्ट दिशा में आगे बढ़ाएंगे।

प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को एक वार्षिक ऋण आयोजना बनाने के लिए कहा गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न क्षेत्रों को और विशेषरूप से अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को दिए गए ऋण उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और वे मुद्रा-विस्तार के प्रतिमानों (नार्म) के अनुसार भी हैं। आत्मनियोजन को प्रोत्साहन देने के हेतु ऋण योजनाओं का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अनेक बहूमूल्य सुझाव दिए हैं; वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन सुझावों को मूर्तरूप दिया जा रहा है। एक अन्य समिति को, छोटे ऋणकर्ताओं और जनता के कमजोर वर्गों को सहायता देने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न ब्याज-दरों की योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, उसने अभी-अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पहली अप्रैल को एक ऋण प्रत्याभूति (गारंटी) निगम की स्थापना की गई है, इसका काम छोटे ऋण-कर्ताओं को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी देना है। सम्मान्य सदस्यों को यह भी मालूम है कि सरकार ने अभी हाल ही में, सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित कर दिए हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों से एक संयुक्त क्षेत्र, जिसको हम पर्याप्त महत्व देते हैं, की स्थापना करने में काफी सहायता मिलेगी।

मुझे विश्वास है कि सम्मान्य सदस्य देश में आम बीमा के कारबार को अपने हाथ में ले लेने के सरकारी निर्णय से प्रसन्न हुए हैं। यह निर्णय उस प्रक्रिया का एक चरम बिन्दु है जो उस समय प्रारम्भ की गई थी जबकि हमने इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया और जीवन बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण किया था, और जिस प्रक्रिया को, हमने दो वर्ष से कम समय पहले बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, तेज गति प्रदान की थी। इन उपायों के फलस्वरूप, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनता से जुटाई गई बचत की समस्त राशि अब वस्तुतः राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार काम में लाई जा सकेगी।

अन्तरिम बजट में, मैंने संकेत दिया था कि 1970-71 के अन्त में कुल मिलाकर 230 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। जो बजट प्रलेख मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं, उनमें अन्तरिम बजट में दिए गए 1970-71 के संशोधित अनुमान दोहराए गए हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, नवीनतम संकेतों के अनुसार, 1970-71 का समग्र घाटा, मुझे डर है, 270 करोड़ रुपये का हो सकता है।

अन्तरिम बजट पेश करते हुए, मैंने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि अनेक राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से, अपने खाते में जमा से अधिक रकमें ले रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि 1970-71 के दौरान राज्यों को 195 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने के बावजूद भी राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेने की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं आई है। यह तथ्य इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि गत मार्च मास के अंत में कम से कम 14 राज्यों ने कुल मिलाकर 260 करोड़

रुपये के ओवरड्राफ्ट ले रखे थे । राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता, जिसका उद्देश्य राज्यों को उनके आयोजना-परिव्यय के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद देना है, आने वाले वर्षों में उत्तरोत्तर कम होती चली जाएगी । इस संदर्भ में, ओवरड्राफ्टों की समस्या अधिक गम्भीर हो गई है । मैं राज्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करें और आयोजना भिन्न व्यय की बढ़ोतरी पर कड़े से कड़ा नियंत्रण रखें ।

सम्मान्य सदस्यों को याद होगा कि अन्तरिम बजट में मैंने 1971-72 की केन्द्रीय आयोजना के लिए 1,195 करोड़ रुपये अर्थात् 1970-71 के बजट में की गई व्यवस्था के बराबर की ही व्यवस्था की थी । उस समय मैंने कहा था कि चालू वर्ष की केन्द्रीय आयोजना के लिए व्यवस्था में, आवश्यकताओं और साधनों की समीक्षा करने के बाद, वृद्धि की जाएगी । मैं केन्द्रीय आयोजना के परिव्यय में 155 करोड़ रुपये की वृद्धि करके उसे 1,350 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । इस प्रकार इस वर्ष, 1970-71 के वास्तविक व्यय के सम्भावित स्तर की तुलना में, 300 करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि होगी । जिन अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अन्तरिम बजट की अपेक्षा अब काफी अधिक बजट व्यवस्था की जा रही है उनमें से कुछ हैं—नौवहन (16 करोड़ रुपये), पत्तन (13 करोड़ रुपये), सड़कें (10 करोड़ रुपये), खान और खनिज (9 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (12 करोड़ रुपये), डाक-तार (11 करोड़ रुपये), कृषि (32 करोड़ रुपये) और अन्य वसूली (18 करोड़ रुपये) । मैंने राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अंतरिम बजट में पहले से ही 785 करोड़ रुपये की पूरी व्यवस्था कर दी थी ; इसके मुकाबले 1970-71 के बजट में 711 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

आयोजना परिव्यय में वृद्धि करने से भी सम्भवतः अल्प अवधि में रोजगार के अवसरों की तत्काल व्यवस्था नहीं हो सकेगी । अतः मैंने सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में कुछ और वृद्धि करने का निश्चय किया है जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और जनता के कमजोर वर्गों को भी राहत मिलेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के जोरदार कार्यक्रम के लिए मार्च बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । परन्तु हमारे शिक्षित युवकों और युवतियों में भी बेरोजगारी की समस्या उतनी ही विकट है । हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम उन्हें कुंठाग्रस्त होकर भटकने नहीं देंगे । हम सक्रिय रूप से उनकी सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि वे अपने आपको लाभप्रद और रचनात्मक काम-धन्धों में लगा सकें जिनसे देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार भी पहले से अधिक तेज हो सकेगी । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इन्जीनियरों और तकनीशियनों समेत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के लिए इस बजट में, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, 25 करोड़ रुपये की और राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं । योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करके इन योजनाओं के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं ।

सम्मान्य सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बच्चों के पोषण के कार्यक्रम के लिए अन्तरिम बजट में जो 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपये किया जा रहा है और उसे अब आयोजना में शामिल किया जा रहा है । मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार पहले से बड़ी राशि की व्यवस्था करके भी निर्धन बच्चों के कल्याण और उनके स्वास्थ्य

की रक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के कार्य की हम शुरुआत ही कर रहे हैं। मुझे यह भी आशा है कि हम इस विषय में आगे आने वाले वर्षों में कुछ अधिक ठोस कार्य करने की स्थिति में होंगे। मैं यहां यह भी बतलाना चाहूंगा कि हम पब्लिक स्कूलों में नए दाखिलों में से 25 प्रतिशत स्थान गुणवान् उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित करने का प्रस्ताव करते हैं ; ऐसे गुणवान् छात्रों को सरकारी छात्र-वृत्तियां दी जाएंगी।

गंदी बस्तियों का सुधार करने के लिए गत वर्ष जो विशेष व्यवस्था की गई थी उसे इस वर्ष भी किया जा रहा है। कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण का कार्य तेजी के साथ चालू रखा जाएगा। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि अन्य महानगरीय क्षेत्रों और कस्बों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन की दशा को सुधारने के लिए इसी प्रकार के जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यदि राज्य सरकारें और नगरपालिकाएं इस प्रयोजन के लिए सक्षम योजनाएं प्रस्तुत करेंगी तो हम उनके लिए वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

अन्त में, मुझे उस दारुण स्थिति का उल्लेख करना है जोकि पिछले दो महीनों में पूर्व बंगाल में उत्पन्न कर दी गई है और जो मानव इतिहास के सबसे काले कारनामों की कहानी है। कोई 30 लाख व्यक्ति अपने घर-बार छोड़कर सीमा पार करके भारत में आ चुके हैं। वास्तव में यह संख्या अब लगभग 40 हो चुकी है। हमें आशा है और इसके लिए हम प्रयत्नशील भी हैं कि ये सब अभागे लोग शीघ्र ही आदर-इज्जत के साथ अपने घरों को लौट सकेंगे। इस बीच हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि हम उन सभी व्यक्तियों को जो थोड़े समय के लिए हमारे यहां शरण लेने आए हैं, मदद और राहत दें। यह तो स्पष्ट ही है कि इस वित्तीय भार को अकेले उठा लेना हमारी क्षमता से बाहर की बात है। हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हैं और चाहते हैं कि सभी देशों के लोग इस बोझ को उठाने में हमारा हाथ बटाएं। बजट में मैंने पूर्व बंगाल के निष्क्रान्त व्यक्तियों को राहत देने के लिए फिलहाल 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। फिलहाल हमने राजस्व खाते में 20 करोड़ रुपये की रकम जमा-खाते डाली है जो हमें आशा है कि बजट के अन्तर्गत निष्क्रान्त व्यक्तियों की राहत के लिए विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इसके अलावा, हमें यह भी उम्मीद है कि बजट से बाहर भी, राहत की व्यवस्था करने के लिए विदेशों से पर्याप्त मात्रा में सामान प्राप्त होगा। सम्मान्य सदस्यों को ज्ञात हो कि हमने जो व्यवस्था की है वह केवल एक सीमित अवधि के लिए ही पर्याप्त होगी और अन्तर्राष्ट्रीय जन समुदाय से काफी अधिक सहायता की जरूरत होगी।

अब मैं उपसंहार के रूप में बजट का समग्र चित्र प्रस्तुत करूंगा जो कि आयोजना-परिव्यय में वृद्धि करने, रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए व्यवस्था करने, और मार्च में अन्तरिम बजट पेश किए जाने के बाद व्यय की आयोजना-भिन्न मदों में कुछ अनिवार्य वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अंकित हुआ है। निष्क्रान्त व्यक्तियों की राहत के लिये व्यवस्था करने के अलावा, मैं विशेष रूप से उस वृद्धि का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि अन्न के लिए दी जाने वाली राजसहायता (सब्सिडी) के व्यय में हुई है। व्यय की यह रकम 30 करोड़ रुपये रखी गई है जबकि अन्तरिम बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस समय हिसाब लगाने से संभव है कि 1971-72 में राजस्व-प्राप्ति 3,562 करोड़ रुपये होगी। राजस्व से पूरा किया जाने वाला व्यय 3,587 करोड़

रुपये होगा। इस प्रकार, राजस्व अधिशेष की राशि जो अन्तरिम बजट में 114 करोड़ रुपये दिखाई गई थी, अब 25 करोड़ रुपये के घाटे में बदल जाएगी। पूंजी खाते में, आशा है कि विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत संगृहीत राशि अब 180 करोड़ रुपये होगी जब कि अन्तरिम बजट में वह 155 करोड़ रुपये दिखाई गई थी, किन्तु, राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों की राशि में भी तदनुरूप 16 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी, इसलिए इस शीर्षक के अन्तर्गत वस्तुतः 9 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। मैंने यह भी माना है कि पी० एल० 480 की प्राप्तियों के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा हो जाएगी जो अधिकतर 1970-71 की बची रकम के रूप में होगी। ऋणों और अग्रिमों तथा विभिन्न ऋण जमा शीर्षकों के अन्तर्गत लेन-देन की राशियों सहित कुल पूंजीगत प्राप्ति अब 2,024 करोड़ रुपये आंकी गई है, और ऋणों और अग्रिमों सहित कुल पूंजीगत व्यय 2,396 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अतः पूंजीगत बजट में 372 करोड़ रुपये का घाटा होगा, इसके मुकाबले अंतरिम बजट में 354 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। राजस्व और पूंजीगत खातों को एक साथ रखने के बाद अब कुल मिलाकर बजट में 397 करोड़ रुपये की कमी रहेगी। यह अनुमान लगाते समय, रेलों के यात्री-भाड़े और वस्तु-भाड़े की दरों में कुछ दिन पहले घोषित परिवर्तनों के केन्द्रीय बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को और डाक-तार की शुल्क-दरों में किए जाने वाले उन परिवर्तनों के प्रभाव को भी, जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, हिसाब में शामिल कर लिया गया है।

मुझे यकीन है कि सम्मान्य सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि मैं बजट में इतने बड़े घाटे को पूरा करने के लिए कोई उपाय न करूं। अतः मैं आपसे अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए, अब उस विषय पर आता हूं जिसके लिए, मुझे विश्वास है, आप महानुभाव प्रतीक्षा कर रहे होंगे; यह विषय है—इस घाटे को कम करके अधिक सह्य स्तर तक नीचे ले आने के प्रस्ताव।

जनता पर नए-नए कर लगाकर अतिरिक्त साधन जुटाने का काम वित्त मंत्री की ऐसी जिम्मेदारी है जिसके लिये शायद ही कोई ईर्ष्या करता हो। फिर भी यदि मुझे इस सदन के सम्मुख अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये प्रस्ताव पेश करने पड़ रहे हैं तो वे इसीलिए कि मैं उस परिस्थिति से बाध्य हूं जिसमें आयोजना परिव्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है, अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करने हैं और पूर्व बंगाल के निष्क्रान्त व्यक्तियों को मदद देनी है।

इन प्रस्तावों की रूपरेखा बनाते हुये मैंने कुछ स्थूल सिद्धान्तों का पालन करने का प्रयास किया है। ये सिद्धान्त हैं :—

(क) करों के ढांचे को इस रूप में सरल और युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिये कि कर-दाता और कर-संग्राहक दोनों के लिए कर-निर्धारण का बोझ और कर से बच निकलने के अवसर कम से कम हो जाएं ;

(ख) करों का बोझ कुल मिलाकर जनता के विभिन्न वर्गों में इस प्रकार बांटा जाए कि उसकी क्रियान्विति से आर्थिक शक्ति के संचय को काफी हद तक कम किया जा सके और आय तथा धन की असमानताएं भी कम हों ; और

(ग) नए कराधान के भार से, जहां तक सम्भव हो, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के सामान्य स्तर में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

अतः यह आवश्यक है कि जहां तक सम्भव हो, अतिरिक्त कराधान अधिकतर प्रत्यक्ष करों के रूप में हो जिनका भार विशेष रूप से सम्पन्न वर्गों पर पड़े और यह अतिरिक्त कराधान ऐसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में हों जिनका प्रभाव विलास-वस्तुओं और विलास-वस्तुओं-जैसी सामग्री पर पड़ता हो। जहां तक हम अप्रत्यक्ष कराधान के बोझ को उत्तरोक्त वस्तु-समूह तक सीमित रखने में सफल होते हैं, वहां तक हमें समाज में आय-वितरण के ढांचे में सुधार करने के अपने अन्य उद्देश्यों में भी आंशिक रूप से सफलता मिल जाती है।

कर-प्रशासन को कड़ा करने और उसे दोषमुक्त करने के दो पहलू हैं। पहला यह कि ऐसा करने से वर्तमान कर-स्रोतों से अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है और इस प्रकार हर वर्ष नए कर साधनों को खोजने की आवश्यकता कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि चूंकि आमतौर पर सम्पन्न और धनी लोग ही करों से बचने का प्रयत्न करते हैं और करों की चोरी करते हैं, इसलिये करों से बच निकलने के रास्तों को बन्द कर देने से और कर-प्रशासन को कड़ा कर देने से इन सम्पन्न लोगों को बाध्य होकर अपनी आय और परिसम्पत्तियों का पहले से अधिक भाग छोड़ना पड़ेगा और इस प्रकार हमारी राजस्व नीति के एक प्रमुख उद्देश्य को बढ़ावा मिलेगा।

सम्पत्ति का न्यून-मूल्यांकन भी धन-कर, पूंजी अभिलाभ-कर और स्टाम्प शुल्कों से बच निकलने का एक साधन है। यह काले धन के परिचलन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। इस पद्धति को बहुत-कुछ रोका जा सकता है। यदि सरकार को उतने दामों में सम्पत्तियां खरीद लेने की शक्ति प्राप्त हो जाए जो कि बिक्री-विलेखों में दर्ज कीमत के अनुरूप हों, तदनुसार हम इस शक्ति को प्राप्त करने के लिये चालू सत्र में शीघ्र ही एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करते हैं। आशा है, बेईमान आदमी की बात को ज्यों-का-त्यों मानकर उसका लाभ उठाने को दोष नहीं समझा जाएगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, बेनामी तौर पर सम्पत्ति धारण करने को निरुत्साहित करने के लिये भी चालू सत्र में एक विधान बनवाने का विचार है। यदि कर-निर्धारण के समय कोई व्यक्ति आय और धन करों की अदायगी से बचने के लिये किसी सम्पत्ति या उस सम्पत्ति के किसी अंश से होने वाली आय की घोषणा नहीं करेगा तो प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत उसे किसी न्यायालय में उस सम्पत्ति के बारे में अपना दावा करने से रोक दिया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में हम आगे यह भी प्रस्ताव करते हैं कि सम्पदा शुल्क की बकाया रकमों को वसूल करने का काम राज्य सरकारों से लेकर केन्द्रीय आय-कर विभाग को सौंप दिया जाए। चूंकि इस मामले में हम राज्य विधान मंडलों की सहमति से ही कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करके राज्यों के पास भेजा जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि इमारतों का मूल्यांकन करने के लिये प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड में स्थित मूल्यांकन कक्ष (वेल्यूएशन सेल) को सबल बनायें, जिससे कि वह अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके और धन-कर के निर्धारण के मामलों में मूल्यांकन कार्य को शीघ्रता से कर सके। आय-कर का निर्धारण करने के लिये, चालू वर्ष से जो नई प्रक्रिया लागू हुई है उसके अन्तर्गत, ऐसे अधिकांश

मामलों में जिनमें विवाद के विषय सारवान् न हों, संक्षिप्त कर-निर्धारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उनमें से थोड़े से मामलों की बाद में नमूने के तौर पर छानबीन की जाएगी। इससे आय-कर अधिकारियों को उन मामलों के लिये अपेक्षाकृत अधिक समय मिल सकेगा जिनसे बड़ी मात्रा में राजस्व मिल सकता हो।

उत्पादन-शुल्कों के क्षेत्र में, मैं आत्म परिहरण प्रक्रिया योजना (सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर स्कीम) की समीक्षा करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। यह योजना पिछले दो-तीन वर्षों से चल रही है। प्रस्तावित समिति राजस्व की हानि को कम करने के उपायों के बारे में सुझाव देगी। वास्तविक मूल्य से कम या अधिक राशि के बीजक (इनवायस) बनाने के विषयों पर विचार करने के लिये जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था उसने बीजक मूल्यों में गड़बड़ करके विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में की जाने वाली हानि को रोकने के लिये अनेक सुझाव दिए हैं। सरकार इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र ही विचार करेगी। ऐसे ही एक प्रयोजन से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की भी व्यापक समीक्षा की जा रही है और हम इस अधिनियम के कई उपबन्धों में संशोधन करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक पेश करने का विचार करते हैं।

पिछले वर्षों में, हमने शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक आय और धन को कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने और बढ़ने से रोकने के लिये केन्द्र स्तर पर, अनेक राजस्व सम्बन्धी कदम उठाये थे। किन्तु, देहाती क्षेत्रों में ऐसे ही सुधार करने के सन्बन्ध में संघीय सरकार के संवैधानिक परमाधिकार पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा हुआ है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कुछ वर्तमान असंगतियां चालू ही रहेंगी, अथवा हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई असमानताओं के प्रति अपनी आंखें बन्द कर लेंगे। अन्ततोगत्वा, कर का आधार तो आय या धन की मात्रा ही होना चाहिये, भले ही वह कृषि से अथवा कृषि-भिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई हो।

इसी प्रकार, सेवाओं पर भी कर लगाने की केन्द्र को शक्तियों पर संवैधानिक परिसीमाएं लागू हैं, चाहे ये सेवाएं विलास या अर्ध-विलास के स्वरूप की ही क्यों न हों। चूंकि आर्थिक विकास के लिये साधन जुटाने की जिम्मेदारी में राज्यों और केन्द्र को हाथ बटाना है इसलिये केन्द्र का यह कर्तव्य और दायित्व है कि वह साधन जुटाने के लिये इन अछूते स्रोतों के बारे में राज्यों को बताए, जहां संवैधानिक उपबन्धों ने स्वयं संघ सरकार को किसी प्रकार का कर लगाने से रोक रखा है। मेरी इच्छा है कि मैं इन सभी विषयों पर राज्यों के वित्त मंत्रियों से सलाह-मशविरा करूं और उनसे लगातार सम्पर्क बनाएं रखूं ताकि इस मामले में एक समन्वित राय ली जा सके।

अब मैं प्रत्यक्ष कराधान के बारे में नए प्रस्ताव पेश करता हूं। यदि हमें अपने समाज में व्याप्त आय की असमानताओं की समस्या को सुलझाने के लिये एक प्रभावशाली कदम उठाना है तो हम सम्भवत: प्रत्यक्ष कराधान के माध्यम का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग करने से नहीं बच सकते। जो प्रस्ताव मैं कर रहा हूं उनसे चालू वर्ष में राजस्व की प्राप्ति सीमित मात्रा में ही होगी। परन्तु कुछ वर्षों के बाद इन प्रस्तावों के संचित प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में राजस्व मिलने लगेगा; इससे भी अधिक सार्थक बात यह होगी कि इन प्रस्तावों से व्यय-योग्य आय और धन के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाएगा।

वैयक्तिक आय पर कराधान के क्षेत्र में, व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में अधिभार (सरचार्ज) की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जा रही है, बशर्ते कि कुल आय 15,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक हो। एक पूरे वर्ष में, इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप राजकोष में 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी ; 1971-72 में लगभग 12 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की आशा है।

मैं इस अवसर का उपयोग पूंजी-अभिलाभों (केपीटल गेन्स) पर कर बढ़ाने के लिये भी करना चाहता हूं ; ये अभिलाभ अनुपार्जित आय का ही एक प्रकार हैं। निगम-भिन्न करदाताओं की कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय दीर्घावधिक पूंजी-अभिलाभों में से जो कटौतो की जा सकती थी उसे अब 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया जा रहा है, जहां ये अभिलाभ जमीनों और इमारतों के सम्बन्ध में हों ; और अन्य पूंजी-अभिलाभों के मामले में, इस कटौती को 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है।

दीर्घावधिक पूंजी-अभिलाभों पर कर के भार को, कम्पनियों के मामले में भी बढ़ाया जाएगा। जमीनों और इमारतों से सम्बन्धित अभिलाभों के मामले में कर की दरें 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत की जा रही हैं और अन्य अभिलाभों के मामले में कर की दरें 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की जा रही हैं।

धन-कर के बारे में मैं जो प्रस्ताव कर रहा हूं वे कुछ अधिक सख्त हैं। यदि धन के संकेन्द्रण को काफी हद तक कम करना है तो यह अत्यावश्यक है कि धन पर अधिक कठोर कर लगाएं जाएं। सम्मान्य सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के बजट में, शहरी सम्पत्ति पर अतिरिक्त धन-कर की दरों में वृद्धि करके, हमने इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया था। इस वर्ष, मैं शुद्ध धन के 15 लाख रु० से ऊपर के सोपानों (स्लैब) पर कराधान में अत्यधिक वृद्धि करना चाहता हूं। अब से इन सोपानों पर एक समान रूप से 8 प्रतिशत की दर लागू होगी जबकि इस समय 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच के शुद्ध धन पर 4 प्रतिशत की दर से और 20 लाख रुपये से ऊपर के शुद्ध धन पर 5 प्रतिशत की दर से धन-कर लगता है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कराधान के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तिगत करदाता के मामले में, धन के पहले 1 लाख रुपयों को शुद्ध धन की श्रेणी में शामिल किया जाए और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में धन के पहले 2 लाख रुपयों को शुद्ध धन की श्रेणी में रखा जाए। इस प्रकार, जब तक शुद्ध धन, व्यक्तियों के मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा तब तक कोई धन-कर नहीं लगेगा ; परन्तु यदि एक बार वे कर-योग्य सीमा में आ जाएंगे तो फिर वह उनके सारे धन पर लगेगा। किन्तु, अनुमोदित वित्तीय निवेशों, मालिक के कब्जे में मौजूद मकानों और कृषि-परिसम्पत्तियों पर इस समय जो छूट मिली हुई है, वह आगे भी जारी रहेगी।

घरेलू और व्यक्तिगत आभूषणों के लिये और प्रारम्भिक पूंजी-निर्गम के शेयरों के लिये इस समय धन-कर से जो छूट मिल रही है उसे कर-भार को कड़ा करने के उद्देश्य से खत्म किया जा रहा है। वाहनों के मामले में, यह छूट अब कुल मिला कर 25,000 रुपये तक सीमित रहेगी। धन-कर अधिनियम में इस समय एक व्यक्ति द्वारा अपने पति/अपनी पत्नि या अवयस्क बच्चों को

अन्तरित परिसम्पत्तियों को कुल धन में शामिल न करने का जो उपबन्ध है, उसे खत्म किया जा रहा है। व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों को हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों को परिसम्पत्तियों के रूप में बदल लेने के सम्बन्ध में भी ऐसा ही उपबन्ध किया जा रहा है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि इन सब परिवर्तनों से इस वर्ष तो कोई राजस्व प्राप्त नहीं होगा, परन्तु भविष्य में, धन-कर को प्रभावित करने वाले इन उपायों से प्रतिवर्ष लगभग 14.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकेगी। इससे भी अधिक यह महत्वपूर्ण है कि इनके जरिए वस्तुतः व्यक्तिगत धन की एक उच्चतम सीमा निर्धारित हो जाएगी जो वर्तमान सीमा से काफी नीची होगी।

कर-अपवंचन को कठिन बनाने के एक और उपाय के रूप में, व्यक्ति की अलग सम्पत्ति के, एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति के रूप में, संपरिवर्तन को दान-कर की सीमा के अन्तर्गत लाया जाएगा।

मैं कम्पनियों के कराधान के ढांचे में कई परिवर्तन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। हालांकि पूंजी-अभिलाभ पर लागू होने वाली दरों को छोड़कर कम्पनियों की साधारण आय पर कराधान की दरें वर्तमान स्तरों पर ही रखो जा रही हैं, परन्तु कम्पनी के लाभों पर अतिकर (सर टैक्स) की दर, पूंजी के 15 प्रतिशत से ऊपर के प्रभार्य लाभों के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी जाएगी।

मैं महसूस करता हूं कि नये पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में विकास-रिबेट देने की पद्धति का समय पूरा हो चुका है। अत: मैं आवश्यक नोटिस दे रहा हूं कि 31 मई, 1974 के बाद प्राप्त किये जाने वाले जहाजों अथवा लगाई जाने वाली मशीनों या संयंत्रों को कोई विकास-रिबेट नहीं मिलेगा। राजस्व पर इस प्रस्ताव के जो भी प्रभाव पड़ेंगे काफी अधिक परिमाण में होंगे और उनका पता 1974-75 के बाद ही, यानी पांचवीं आयोजना के समय से ही चलेगा। किन्तु मैं अपने आप को भली भांति पुरस्कृत समझूंगा यदि इस परिवर्तन की पूर्व-सूचना से चतुर्थ आयोजना के शेष वर्षों में निवेश की गति तीव्र हो जाए।

इस समय, नए औद्योगिक उपक्रमों, जहाजों और अनुमोदित होटलों के मामले में लगाई गई पूंजी के 6 प्रतिशत तक के लाभ पांच वर्ष की अवधि तक कर-मुक्त रहते हैं। चूंकि ऋण पत्र और दीर्घावधिक उधार की राशियां किसी प्रकार जोखमी पूंजी नहीं होतीं और उनके ब्याज के लिए हर हालत में कटौती की जाती है, इसलिए पूंजी के इस प्रकार के अवयवों तक कर-छुट्टी के उपबन्ध को बढ़ाकर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाई थी। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर से छूट देने के प्रयोजनों के लिए पूंजी के 6 प्रतिशत की सीमा का हिसाब लगाते हुए, ऋण-पत्रों और दीर्घावधिक उधार की राशियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसी एक उपाय से चालू वर्ष के दौरान राजकोष में 10 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी ; एक पूरे वर्ष की आमदनी कोई 14 करोड़ रुपये होगी।

प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को इस समय करों में उनके लाभ के 8 प्रतिशत तक की विशेष छूट मिली हुई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विशेष छूट कम करके, लाभों के 5 प्रतिशत तक कर दी जाए। इसके अलावा, हमने यह भी निश्चय किया है कि प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में से एल्यूमिनियम, मोटर ट्रक और बसें, सीमेंट और रीफ्रैक्टरियां, सोडा ऐश, पेट्रो-रसायन और

आटोमोबाइल उपकरणों को निकाल कर, इस सूची को छोटा कर दिया जाए। सामान्य आर्थिक स्थिति इस समय ऐसी है कि अब यह आवश्यक नहीं रहा है कि इन उद्योगों को आगे भी विशेष सुविधाएं दी जाती रहें जो कि अब तक उन्हें दी जाती रही थीं। प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के सम्बन्ध में इन दो उपायों को करने से आगामी वर्षों में 8 करोड़ रुपये की प्राप्ति होनी चाहिए ; 1971-72 में इससे लगभग 6 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।

विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में किए गए निवेशों से कुल मिलाकर 3,000 रुपये तक की आय की कटौती करने की जो व्यवस्था गत वर्ष की गई थी, वह अब से केवल व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर ही लागू होगी।

प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग में लगी हुई अल्पजन-धारित भारतीय कम्पनी से विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त लाभांशों के सम्बन्ध में कर के मामले में जो रियायत दी जाती थी, वह खत्म कर दी जाएगी ; विदेशी कम्पनियों को भी ऐसे लाभांशों पर 24.5 प्रतिशत की सामान्य दर से कर देना पड़ेगा।

मेरा पक्का मत है कि ऊंचे वेतनों और पारिश्रमिकों की अदायगी को निरुत्साहित करने के लिए भी कराधान-पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि वेतन और पारिश्रमिक की ऊंचीं दरें समतावादी समाज के मान-दंडों के अनुरूप नहीं हैं। अतः मैं कम्पनियों के कर्मचारियों के उस पारिश्रमिक की उच्चतम सीमा निर्धारिण करने का प्रस्ताव करता हूं जोकि कर-योग्य लाभों का हिसाब लगाते समय कुल लाभ राशि में से घटा दिया जाता है। यह उच्चतम सीमा 5,000 रु० प्रति मास निर्धारित की जा रही है। परिलब्धियों (परिक्विजिट्स) के मामले में इस समय जो 1,000 रुपये प्रतिमास की उच्चतम सीमा निर्धारित है, उसे साथ मिलाने से पारिश्रमिक और परिलब्धियों की कुल मिलाकर उच्चतम सीमा, कराधान के प्रयोजनों के लिए, 6,000 रुपये प्रतिमास होगी। इसके अतिरिक्त, मैं दौरे के समय कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की कर-कटौती-योग्य सीमाओं को भी कम करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

कुछ अरुचिकर समाचार देने के बाद, अब मुझे कुछ रुचिकर बातें भी कहनी चाहिएं। जो कर्मचारी मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड रखते हैं उनके मामले में कर-योग्य आय का हिसाब लगाते हुए, इस समय 60 रु० प्रतिमास की मानक कटौती दी जाती है ; मैं इसे बढ़ाकर 75 रु० प्रतिमास करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कर्मचारी इस प्रकार का कोई वाहन नहीं रखते, उनके मामले में की जाने वाली मानक कटौती 35 रु० प्रतिमास से बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिमास कर दी जाएगी।

जीवन बीमा, भविष्य निधि अंशदान आदि के माध्यम से दीर्घावधिक बचतों के सम्बन्ध में की जाने वाली कटौती की राशि में भी काफी परिवर्तन किया जा रहा है। इस समय, ऐसी दीर्घावधिक बचतों के पहले 5,000 रु० का 60 प्रतिशत और उसके साथ उनकी शेष राशि का 50 प्रतिशत कर-मुक्त है। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी बचतों के पहले 1,000 रु० के लिए कटौती की मात्रा शत-प्रतिशत हो। अनुमत बचतों के अगले 4,000 रु० पर प्रस्तावित कटौती 50 प्रतिशत के हिसाब से होगी और शेष राशि पर प्रति कटौतीं की जा सकेगी। कटौती के लिए अनुमत बचतों की सीमा को व्यक्तियों के मामले में 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया जाएगा।

वाहन और दीर्घावधिक बचतों के लिए अनुमत मानक कटौतियों में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप 6,000 रु० की वार्षिक आय वाला कर्मचारी आय-कर से मुक्त रहेगा बशर्ते कि वह कम से कम 400 रु० अनुमोदित रूप से बचाए।

केवल कम्पनियों को ही उपलब्ध होने वाली, तकनीकी जानकारी और तकनीकी सेवाओं के विकास और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाने वाली कर सम्बन्धी रियायतें अब से व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों और भागीदारी फर्मों के मामले में भी लागू होंगी। इस समय अनुसंधान और विकास के लिए भी कुछ और कर-सम्बन्धी रियायतें मिलती हैं। अभी हाल ही में सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो इस विषय में स्थिति की समीक्षा करेगी और कुछ अन्य राजस्व सम्बन्धी प्रोत्साहन देने के बारे में सिफारिशें करेगी जो कि औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दिए जा सकते हैं। समिति की सिफारिशों को उचित महत्व दिया जाएगा।

विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में किए गए निवेशों से प्राप्त 3,000 रु० तक की आय की विशेष कटौती, जो व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों को उपलब्ध है, आगे से सहकारी समितियों के पास उनके सदस्यों द्वारा जमा कराई गई रकमों के ब्याज पर भी दी जा सकेगी। इसके अलावा, सहकारी समितियों के पास उनके सदस्यों द्वारा जमा कराई गई रकमों पर इन समितियों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज पर, श्रोत पर ही कर काटे जाने की व्यवस्था लागू नहीं होगी। सहकारी समितियों के शेयरों और सदस्यों द्वारा उनके पास जमा कराई गई रकमों को अनुमोदित निवेश माना जाएगा जो 1.5 लाख रु० तक धन-कर से मुक्त हैं। परन्तु मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विवेकाधीन न्यासों (डिसक्रीशनरी ट्रस्ट) के मामले में ऐसे निवेशों पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया जाए; इन न्यासों को अपने शुद्ध धन पर, 1.5 प्रतिशत की समान दर या व्यक्ति के मामले में लागू होने वाली दर में से जो भी उंची हो उस दर से कर देना पड़ता है।

कुछ छोटी-छोटी और रियायतें भी दी जा रही हैं जिनके बारे में मैं एक साथ ही बता देना चाहता हूं। कर्मचारियों की सहकारी समितियों को अथवा मछली-व्यवसाय और उसके समवर्गी धंधे करने वाली सहकारी समितियों को उनकी समस्त व्यावसायिक आय पर कर से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय प्राधिकरणों को अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर के गांवों में पानी या बिजली की पूर्ति करने से जो आय होती है उस पर भी कर नहीं लगेगा। सहकारी आवास समिति के जिस सदस्य को उस समिति की गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत एक मकान या फ्लैट मिला हो वह सदस्य धन-कर के प्रयोजनों के लिए उस सम्पत्ति का स्वामी समझा जाएगा।

आवासन और शहरी विकास वित्त निगम को दस वर्ष की अवधि के लिए उसकी आय पर कर से छूट मिलेगी, जमा बीमा निगम (डिपोजिट इन्श्योरेंश कारपोरेशन) को कर से जो छूट मिल रही है वह आगे पांच वर्ष तक और मिलती रहेगी।

इस प्रकार प्रत्यक्ष कराधान के विभिन्न प्रस्तावों का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। इन रियायतों को हिसाब में लेने के बाद, प्रत्यक्षकरों के नए उपायों से, 1972-73 से, 57 करोड़ रु० की शुद्ध प्राप्ति होने का अनुमान है। किन्तु 1971-72 में तो सम्भवत: 27 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्ति न होगी।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों पर आता हूं। सीमा-शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव स्थूल रूप से दो श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं। पहली श्रेणी के प्रस्तावों का उद्देश्य आयात-शुल्कों के दर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाना है। दूसरी श्रेणी के प्रस्तावों का सम्बन्ध उन कई विदेशों के साथ हुए करारों या ठहरावों से है, जिन्होंने हमें कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर आयात-शुल्क लगाने के मामले में, टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऐण्ड ट्रेड) की शर्तों से मुक्त करना मान लिया है; ये प्रस्ताव इसी के परिणामस्वरूप तैयार किये गये हैं।

मैं मानता हूं कि आयात-शुल्कों की दरों का वर्तमान ढांचा बहुत ही पेचीदा है। स्थिति यह है कि इस समय सात प्रकार की मूल्यानुसार शुल्क-दरें प्रचलित हैं—15 प्रतिशत, $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और अन्त में 100 प्रतिशत। इसे पर्याप्त रूप में सरल बनाने के लिए और वर्तमान असंगतियों को दूर करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयात शुल्क की केवल चार प्रकार की ही दरें लागू रहें, अर्थात् 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और शत-प्रतिशत।

मैं मशीनरी की सभी वस्तुओं को 30 प्रतिशत आयात-शुल्क की परिधि में लाने का प्रस्ताव करता हूं। हालांकि इससे प्रायोजना-आयातों की शुल्क-दरों में $2\frac{1}{2}$प्रतिशत अंशों की सीमान्तिक वृद्धि हो जाएगी, परन्तु सामान्य रूप से मशीनरी के शुल्क में 5 प्रतिशत अंशों की कमी हो जाने से छोटे औद्योगिक एकको को और उपकरण बनाने वाले ऐसे एककों को, जो कल-पुर्जों के कुछ हिस्से विदेशों से मंगाते हैं और उन सभी एककों को जिन्हें फालतू पुर्जों या संतुलनकारी उपकरणों के रूप में मशीनरी की छोटी वस्तुओं का आयात करने की जरूरत पड़ती है, राहत मिलेगी। सभी प्रकार की मशीनरी के लिए दरों को एक-समान कर देने से कर-निर्धारण का काम भी सरल हो जाएगा। और मुझे आशा है कि इससे कर-निर्धारण का काम शीघ्रता से होगा। खेती करने की मशीनों और औजारों तथा डेरी और मुर्गीपालन के उपकरणों आदि पर अब 15 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत शुल्क लगा करेगा।

कुछ बुनियादी कच्ची सामग्रियों और अलौह धातुओं पर अब से 40 प्रतिशत की एक-समान दर से शुल्क लगा करेगा। किन्तु लोहे, इस्पात और अनपिटे तांबे पर 30 प्रतिशत की नीची शुल्क दर ही लागू होगी।

प्रस्ताव है कि अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क की 50 प्रतिशत की वर्तमान दर को समाप्त करके उसके बदले 60 प्रतिशत की ऊंची दर लागू की जाए। पिछले दो वर्षों के दौरान, रसायनों, औषधियों, दवाओं और बिजली तथा बिना बिजली के उपकरणों पर शुल्क की दरें बढ़ा दी गई हैं। अतः अब मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी सभी वस्तुओं को एक साथ उसी शुल्क दर के व्याप्ति-क्षेत्र में ले आया जाए।

अब तक ऐसा था कि समाज के अधिक सम्पन्न वर्गों द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं पर, उदाहरणार्थ मोटर-गाड़ियों आदि के कल-पुर्जे और मेवों पर, 100 प्रतिशत की बजाय 60 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा करता था, जबकि यह 100 प्रतिशत की दर अधिकांश आयातित उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मानक दर है। यह असंगति अब दूर की जा रही है। इसके अलावा, लागत-बीमा-भाड़ा कीमत में वृद्धि और लाभ के उच्च अंश को देखते हुए, लौंग पर लागू होने वाली परिमाणानुसार दर को 18 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है।

टेरिफ और व्यापार के सामान्य करार (गैट) के बन्धनों से छुटकारा पाने के परिणामस्वरूप हम अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं जबकि अनेक वस्तुओं पर, जैसे खेती के ट्रैक्टरों, मिट्टी हटाने वाली मशीनों, कच्चे ऊन, धागे को छोड़कर स्टेपल रेशे, अनपिटे ताम्बे, जस्ते और ढले सीसे पर, शुल्क लगाया जा सकता है या वर्तमान शुल्क-दरों को बढ़ाया जा सकता है। मैं इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं। आयातित स्टेपल रेशे में लाभ के ऊंचे अंश को देखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाए। अनपिटे जस्ते, ढले सीसे और कच्चे ऊन पर शुल्क की दर 40 प्रतिशत होगी और ताम्बे पर 30 प्रतिशत। आयातित और देशी ट्रैक्टरों की कीमतों में बहुत अधिक अन्तर होने के कारण, मैंने यह भी निश्चय किया है कि आयातित कृषि-उपयोगी ट्रैक्टरों पर 30 प्रतिशत शुल्क लगा दिया जाए। मिट्टी हटाने वाली मशीनों पर भी यही शुल्क-दर लागू होगी।

आयात शुल्कों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रभावों को और टेरिफ और व्यापार के सामान्य करार के बन्धनों से छुटकारा पाने के बाद किए जाने वाले समायोजनों और उत्पादन-शुल्कों में किए जाने वाले उन प्रतिसंतुलनकारी परिवर्तनों के परिणामों को, जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा, हिसाब में ले लेने के बाद, हमें वर्ष के शेष भाग में लगभग 54 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व मिल जाना चाहिए।

अब मैं उत्पादन शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावों पर आता हूं। चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना को चालू रखने के निर्णय के अनुसार, हम चौथी आयोजना की अवधि के अन्त तक, इन अतिरिक्त शुल्कों के समग्र भाग को बढ़ाकर, निकासी के मूल्य पर 10.8 प्रतिशत तक करने के लिए बचनबद्ध हैं। चूंकि यह लक्ष्य 1973-74 तक प्राप्त करना है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि चालू वर्ष में ही बड़े पैमाने पर शुरुआत कर दी जाए। फिलहाल, मैंने अपना ध्यान सिगरेटों और कुछ हद तक कपड़े पर केन्द्रित करने का निश्चय किया है।

धूम्रपान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कदाचित् एक समय ऐसा भी आता है जबकि वह अपने पुराने और वफादार साथी के प्रति अपनी वफादारी को भूलकर अपने स्वास्थ्य की अधिक चिन्ता करने लगता है। जो लोग इस व्यसन को नहीं छोड़ सकते उनको कम से कम यह संतोष होता है कि वे जितना अधिक कर देते हैं उतना ही वे सामान्य हित को पूरा करने में सहयोग देते हैं। अतः मैं इस विचार से कि मेरे सिगरेट पीने वाले मित्रों को जैसी भी प्रतिक्रिया होगी उससे राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अवश्य लाभ होगा, एक बार फिर सिगरेटों पर कर बढ़ाने का निर्णय लेने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। इस समय सिगरेटों पर शुल्क के तीन सोपान हैं, अब मैं उनके बदले पांच सोपान रखने का प्रस्ताव करता हूं। इन सोपानों पर बुनियादी और अतिरिक्त शुल्कों में उचित परिवर्तन करने से, मुझे आशा है, चालू वर्ष में 33.20 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो जाएगी जिसमें से 16.40 करोड़ रुपया, बिक्री-कर के बदले लगाए गए अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क के रूप में, राज्यों को देना पड़ेगा। इन प्रस्तावों का असर यह होगा कि सस्ती किस्म की सिगरेटों की कीमतों में तो थोड़ी ही वृद्धि होगी परन्तु अधिक मंहगी सिगरेटों की कीमतों में अधिक वृद्धि होगी।

वस्त्र और विशेष रूप से मोटी (कोर्स) और दरमियानी (मीडियम) किस्मों का कपड़ा एक बुनियादी जरूरत की चीज है; उनकी कीमतों में 1970-71 के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई। अतः

अन्य विवशताओं के बावजूद भी, मैंने यह निश्चय किया है कि इस वर्ष वस्त्र पर शुल्क थोड़ा ही लगाया जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि दरमीयानी 'क' और 'ख' किस्मों के सूती कपड़े पर मौजूदा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को 4.8 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से थोड़ा-सा बढ़ाकर 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया जाए और मोटे कपड़े पर 3.6 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को पूर्णांकित करके 4 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया जाए। परन्तु बहुत बढ़िया (सुपर फाइन) और बढ़िया (फाइन) किस्म के कपड़े के मामले में तो मैं और भी अधिक वृद्धि करना चाहता हूं और बहुत बढ़िया और बढ़िया कपड़े पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की दरों को बढ़ाकर क्रमश: 25 पैसे और 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूं। इन अनेक उपायों से 4.9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलना चाहिए जो पूरा-का-पूरा राज्यों के हिस्से में आएगा।

उत्पादन-शुल्कों के विषय में मेरा दूसरा बड़ा प्रस्ताव मोटर स्पिरिट, विलायकों (सोल्वेंट) और अन्य कई साधारण किस्म के स्नेहकों (लूब्रिकेंट) के बारे में है। तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम और पेट्रोलियमजन्य पदार्थों के उपयोग में अधिक से अधिक किफायत बरतने की जरूरत है, यदि हमें विदेशी मुद्रा के अपने अल्प साधनों को सुरक्षित रखना है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा, परन्तु यह तो हमारे लोगों को सहना ही पड़ेगा। अत: खपत को कम करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर स्पिरिट पर शुल्क की दर में 200 रुपए प्रति किलो लीटर या 20 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर दी जाए। ऐसा करने से चालू वर्ष में 36.30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

कुछ विशेष क्वथनांक (बायलिंग प्वाइंट) वाली स्पिरिटों का, जिन्हें विलायक तेल भी कहा जाता है, मोटर स्पिरिट में मिलावट करने के लिए बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दुरुपयोग को कम करने के लिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विलायकों के शुल्क की 45 रुपए प्रति किलो लीटर की वर्तमान दर को बढ़ाकर 845 रुपए प्रति किलो लीटर कर दिया जाए। इस उपाय से चालू वर्ष में 4.25 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

इसी प्रकार बढ़िया किरोसीन के साथ खनिज तारपीन तेल की मिलावट को रोकने के लिए खनिज तारपीन तेल पर 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। तरल पेट्रोलियम गैस के मामले में, मैं 20 प्रतिशत के मूल्यानुसार शुल्क को हटाकर उसके बदले 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से परिमाणानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। साफ किए हुए पेट्रोलियम से सीधे निकाले जाने वाले स्नेहक तेलों और ग्रीजों पर इस समय जिस दर से शुल्क लगता है वही दर अब से मिश्रित स्नेहक तेलों, ग्रीजों और निस्तापित पेट्रोलियम कोक पर भी लागू होगी। किन्तु उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाले पेट्रोलियम जन्य आधार पदार्थों के सम्बन्ध में, उस शुल्क को जमा माना जाएगा जो पहले ही चुका दिया गया हो। मैं समझता हूं कि इन उपायों से 1971-72 में 9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

इस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर शुल्क लगता है, परन्तु अन्य गैसें, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, एमोनिया और प्रशीतक गैसें शुल्क-मुक्त हैं; ये छूटें खत्म की जा रही हैं। फिर भी दवा के काम में आने वाली ऑक्सीजन और उर्वरक तैयार करने के काम में आने वाली एमोनिया आगे भी शुल्क-मुक्त रहेंगी। इस उपाय से 1.60 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि शीशे के बर्तनों पर बुनियादी शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत और शीशे के चद्दरों और प्लेटों पर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। शीशे के खोलों (शेल), शीशे के गोलों और प्रयोगशालाओं में काम आने वाले शोशे के बर्तनों को अछूता छोड़ दिया जाएगा। गत वर्ष चमकदार और सेनीटरी सामान पर शुल्क बढ़ाया गया था, परन्तु भोजन की मेज पर काम में आने वाली वस्तुओं (टेबलवेयर) और चीनी मिट्टी की वस्तुओं को ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया गया था। मैं इस वर्ष इस कमी को पूरा कर देना चाहता हूं। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं पर अब समान रूप से 20 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा करेगा। इन दो परिवर्तनों से इस वर्ष हमें लगभग 3.15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

हालांकि एयरकंडीशनरों पर 53.3 प्रतिशत की दर से शुल्क लग रहा है, परन्तु वाष्पनिक प्रकार (इवेपोरेटिव टाइप) के कूलर अब तक शुल्क से मुक्त रहे हैं। इस भेद-भाव को मिटा देना ही उचित होगा। किन्तु मैं उन पर केवल 25 प्रतिशत की दर से ही शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं और साथ ही उनको विशेष उत्पादन शुल्क की अदायगी से भी मुक्त कर रहा हूं। इसी प्रकार, अब तक वेक्यूम फ्लास्कों पर भी शुल्क नहीं लगता था, अब उन पर भी मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा करेगा। इससे चालू वर्ष में 54 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

यह प्रस्ताव है कि साबुन पर शुल्क की वर्तमान प्रभावी दर को 11.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे नहाने के साबुन की कीमतों में बहुत थोड़ी-सी ही वृद्धि होगी। घरेलू सामान और कपड़ा धोने के साबुनों को अछूता छोड़ा जा रहा है। आंशिक छूट दिए जाने के कारण, कपड़े आदि धोने के पाउडरों पर शुल्क की प्रभावी दर, घरेलू सामान और कपड़े धोने के साधारण साबुनों पर लगने वाली दर से भी नीचे बैठती है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस आंशिक छूट को समाप्त कर दिया जाए और इन पदार्थों पर फिर से पूर्ण सांविधिक दर से शुल्क लगाया जाए। साबुन और धुलाई-पाउडरों के सम्बन्ध में इन दो परिवर्तनों से इस वर्ष के शेष भाग में 2.55 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने की सम्भावना है।

यह भी प्रस्ताव है कि कुछ अन्य विलास-वस्तुओं (लक्सरी आइटम) पर भी कराधान किया जाए। फोम के गद्दे बनाने में बहुत अधिक काम आने वाले लेटेक्स फोम स्पंज पर इस समय मूल्यानुसार 20 प्रतिशत शुल्क लगता है जो शुल्क की अपेक्षाकृत काफी नीची बुनियादी दर है; मैं इस शुल्क-दर को दोगुना करने का प्रस्ताव करता हूं। पालीयूरेथेन फोम और इस फोम-विशेष से तैयार किए जाने वाले कतिपय उत्पादों पर भी इतना ही शुल्क लगाया जाएगा। रबड़ की प्लेटों, चद्दरों और पट्टियों पर शुल्क की बुनियादी दर को भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इन उपायों से 1971-72 में 2.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

क्राउन कार्क और पिल्फरप्रूफ ढक्कनों पर लगने वाले शुल्क को प्रति-इकाई 1 पैसा से बढ़ाकर 2 पैसा प्रति-इकाई करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से 1.90 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने की आशा है।

शुल्कों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ और परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। इनमें से कुछ परिवर्तन ये हैं—सुखाई गई डिब्बा-बन्द और बोतल बन्द साग-सब्जियों पर

और ग्लूकोज और डेक्स्ट्रोज से बनी चीजों पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना; स्टेपल रेशे की कुछ किस्मों के लिए बुनियादी उत्पादन शुल्क पर 50 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलने वाली विशेष रियायत को हटा देना, सीमेंट पर लगने वाले शुल्क की 23.76 प्रतिशत की दर को पूर्णांकित करके 24 प्रतिशत कर देना, ऊनी धागे पर शुल्क को बढ़ा देना और इसके भार के कुछ अंश को वूलटोपों पर डाल देना, 60 और उससे कम वाट के बिजली के बल्बों को छोड़कर बाकी बल्बों पर लगने वाले शुल्क में परिवर्तन कर देना, फ्लोरेसेंट ट्यूबों और बिजली के पंखों तथा औद्योगिक पंखों पर, 16 इन्च व्यास तक के पंखों को छोड़ कर, शुल्क की दर बढ़ा देना, और तार और केबल बनाने के काम में आने वाले तांबे पर प्रति टन 500 रुपये के हिसाब से मिलने वाली रियायत को हटा देना। इन विभिन्न उपायों से कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से ऊपर की राजस्व-प्राप्ति होगी।

मैंने पहले बताया था कि शहरों में ही नहीं अपितु गांवों में भी आय की असमानताओं को शीघ्रता से कम करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिये एक तरीका यह है कि अधिक धनी किसानों द्वारा खेती के काम में लाये जाने वाले पदार्थों और उपकरणों पर, चयनात्मक आधार पर, अप्रत्यक्ष कर लगाये जाएं। अतः मैं खेती के काम आने वाले ट्रैक्टरों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं ; इस उपाय से चालू वर्ष में 3.40 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने की सम्भावना है।

राजस्व में वृद्धि करने के लिये, अनेक नई वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों की परिधि में लाया जा रहा है। वस्तुओं और शुल्क की दरों को इस प्रकार चुना जा रहा है कि मूल्य स्तर पर इन शुल्कों का वास्तविक प्रभाव नगण्य ही हो। जिन वस्तुओं को मैं इस कोटि में लाना चाहता हूं उनमें से कुछ ये हैं : सुगन्धित केश तेल, शंपू, लिपस्टिक, प्रेशर कुकर, ताश, जिप जंजीरें, फोटो लेने के कैमरे, सिनेमा प्रक्षेपी और लिनोलियम। हम में से बहुत थोड़े लोग होंगे जो इस विषय में अपनी राय देने का साहस करेंगे कि आधुनिक भारत में रहन-सहन की शैली, गति और स्तर में सुधार करने के कार्य में सुगन्धित केश तेल, लिपस्टिक या ताश के पत्तों का क्या योगदान रहा है। परन्तु मुझे विश्वास है कि सामान्य सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं शान-शौकत से रहने वालों के चोंचले हैं ; इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने से अधिकांश जन-समुदाय के जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसी कारण से, मैं कुछ विशेष प्रकार के सिले-सिलाये कपड़ों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव कर रहा हूं जो अधिकतर सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा ही खरीदे जाते हैं। किन्तु छोटे निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि यह शुल्क उन्हीं सिले-सिलाये कपड़ों पर लगेगा जो बिजली की शक्ति से तैयार किये जाएंगे और पंजीकृत व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) या छाप-नाम (ब्रांड नेम) से बेचे जाएंगे। छोटे उत्पादकों को एक और रियायत के रूप में, एक विशिष्ट मूल्य तक की निकासियों को उत्पादन-शुल्क से अलग रखा जाएगा बशर्ते कि संबंधित एकक का कुल वार्षिक उत्पादन एक निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक न हो।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि बहुत-सी उत्पादक-वस्तुओं, जैसे बाल और रोलर बेयरिंगों, बोल्टों, ढिबरियों और पेचों, बिजली-रोधी और चिकित्सेतर चिपकने वाले फीतों, वेल्डिंग इलेक्ट्रोडों, शाण-चक्रों, और मोटर स्टार्टरों पर उत्पादन-शुल्क लागू किया जाए, क्योंकि इन वस्तुओं से अंततः निर्मित उत्पादों पर कर लगाना कठिन है और इस समय हम कुछ संभावित राजस्व को खो रहे हैं। इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क की दर 10 प्रतिशत होगी। यह भी प्रस्ताव है कि बिजली के

मीटरों, टाइपराइटर के रिबनों, मोजेक टाइलों, फोर्क लिफ्ट और प्लेटफार्म ट्रकों और मोटर गाड़ी के कुछ कलपुर्जों और उपसाधनों पर भी 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा दिया जाए। जब कभी आवश्यक होगा तो छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा उसी प्रकार की रियायत देकर कर ली जाएगी जैसी रियायत का उल्लेख मैंने सिले-सिलाये कपड़ों के संदर्भ में किया था।

उत्पादन-शुल्क योग्य रसायनों की सूची में चार और रसायन शामिल किए जा रहे हैं और उन पर 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। कपूर और पोदीने के सत्त (मेन्थाल) पर भी ऐसा ही शुल्क लगेगा।

नए उत्पादन-शुल्क लगाने के इन उपायों से कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने की सम्भावना है।

अब मैं एक नए और महत्वपूर्ण उपाय की घोषणा करना चाहता हूं जो बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के कार्यक्रम के खर्च को पूरा करने के अभिप्राय से अपनाया जा रहा है। मैं संगठित क्षेत्र की रोलर फ्लोर मिलों द्वारा तैयार किए गए मैदे पर 10 पैसे प्रति किलोग्राम शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस विशेष प्रकार के आटे की खपत, आमतौर पर, अधिक धनवान वर्गों में होती है अथवा वह मिठाइयां बनाने के काम में आता है ; एक और वस्तु जो इस मैदे से बनती है वह है डबल रोटी ; इसकी खपत भी अधिकतर ऊंची आय वाले वर्गों तक ही सीमित है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार शुल्क लगाने से जो थोड़ा-सा खर्च बढ़ेगा उसे ये उपभोक्ता प्रसन्नतापूर्वक सह लेंगे, क्योंकि इसके फलस्वरूप केन्द्र के हिस्से में आने वाला 7.4 करोड़ रुपए का राजस्व, बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा इस उपाय से राज्यों को भी लगभग 1.8 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

अब मैं उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कुछ रियायतों का उल्लेख करूंगा जो मैंने वांछनीय समझी हैं। साबुन बनाने में हलके तेलों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और इसके द्वारा आयातित टैलो और तेलों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस स्थिति में साबुन पर उत्पदान शुल्क के भार को कम कर दिया जाए जब कि उसके निर्माण में एक निश्चित न्यूनतम सीमा तक, नीम और साल के जैसे हलके तेलों का उपयोग किया गया हो। लघु उद्योगों के क्षेत्र में सस्ती किस्म के साबुन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सोडियम सिलिकेट पर शुल्क की दर को कम कर दिया जाएगा। बिनौले के तेल के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बनास्पती बनाने में इस तेल का प्रयोग करने के लिए इस समय उत्पदान-शुल्क में जो रिबेट मिल रहा है, उसे बढ़ा दिया जाएगा। एक ऐसी ही रियायत धान की भूसी के तेल के बारे में भी देने का प्रस्ताव है।

सूती कपड़ा बनाने के लिए पावर लूमों का प्रयोग करने वाले लघु और सीमान्तिक (मार्जिनल) एककों को कुछ राहत देने के उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जिन एककों में चार तक पावरलूम लगे हुए हों उन पर लगाए जाने वाले संयुत (कम्पाउण्डेड) उत्पादन शुल्क को दर 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए प्रति लूम प्रति वर्ष कर दी जाए। चार से अधिक पावरलूम वाले एककों के मामले में संयुत शुल्क वर्तमान दरों से आधा होगा। स्वाधीन संसाधकों (प्रोसेसर) को इस समय उपलब्ध होने वाली रियायत को भी युक्तिसंगत बनाया जाएगा। कसीदाकारी और चमड़े के कपड़े बनाने वालों के लिए भी कुछ-एक सीमान्तिक रियायतें दी जा रही हैं।

इन सब राहतों और रियायतों के दिए जाने के फलस्वरूप, वर्ष के शेष भाग में राजकोष में लगभग 1.50 करोड़ रुपए की कम प्राप्ति होगी।

इसके साथ ही, उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में प्रस्तावित परिवर्तनों की काफी लम्बी सूची समाप्त होती है। उत्पादन शुल्कों से सम्बन्धित इन सभी प्रस्तावों को एक साथ हिसाब में लेने के बाद, अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में केन्द्र के लिए लगभग 89 करोड़ रुपए की और राज्यों के लिए 43 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति होगी।

प्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्कों और उत्पादन शुल्कों पर विचार करने के बाद भी मैं समझता हूं कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी मुझे सम्मान्य सदस्यों के सम्मुख एक नया प्रस्ताव पेश करना है जो पूरी तरह उत्पादन शुल्क जैसा नहीं है। यह कर मैं विदेश यात्रा पर लगाना चाहता हूं। यह कर रुपयों में खरीदी गई सभी टिकटों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा; विदेशी मुद्रा में खरीदी गई टिकटें इस कर से मुक्त रहेंगी। केवल एक दूसरी बड़ी छूट छात्रों और वैज्ञानिकों को दी जाएगी। यह उपाय बाद में अधिसूचित की जाने वाली किसी तारीख से लागू किया जाएगा। इस उपाय से लगभग 7.00 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यदि कोई सम्मान्य सदस्य यह महसूस कर रहे हों कि मैं उस सुविधा को छीन रहा हूं जो बहुत-सी हवाई कम्पनियां रियायती किरायों के रूप में अनुग्रहपूर्वक देती हैं, तो मैं उनको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मूल्यानुसार प्रस्तावित करके फलस्वरूप रियायत का मूल्य निरपेक्ष रूप में वस्तुतः बढ़ जाएगा।

और अब मैं उन अन्तिम प्रस्तावों पर आता हूं जो मुझे मेरे अपने साथी संचार मन्त्री महोदय की ओर से पेश करने हैं। सम्मान्य सदस्यों को विदित है कि डाक और तार शाखाओं ने पिछले वर्षों में भारी घाटा दिखाया है और चालू वर्ष में भी उन्हें 15 करोड़ रुपए तक का घाटा होने की सम्भावना है। डाक-तार विभाग की दरों के ढांचे की जांच करने के लिए नियुक्त की गई शुल्क-दर जांच समिति (टेरिफ इनक्वायरी कमिटी) ने और प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि डाक-तार विभाग को वित्तीय क्षमता प्राप्त करने की जरूरत है और यह भी वांछनीय है कि उनके कार्यचालन से लाभ प्राप्त हो। इसलिए शुल्क-दरों में कुछ बढ़ोतरी करना अनिवार्य है। इस बढ़ोतरी का प्रस्ताव करते हुए हमने समाज के अपेक्षाकृत कम सम्पन्न वर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखा है, अतः पोस्टकार्डों, लैटरकार्डों और पत्रों की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अधिकतर डाक-वस्तुओं के रजिस्ट्री-शुल्कों, और तार और टेलीफोन की शुल्क-दरों में ही वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। 400 ग्राम के लिए रजिस्ट्री-शुल्क में 5 पैसे और पार्सल-शुल्क में 10 पैसे की वृद्धि की जा रही है। 8 से अधिक शब्दों वाले तारों के शुल्क में और टेलीफोन, टेलीप्रिंटर और टेलेक्स सेवाओं के किराये में भी मामूली समायोजन किए जा रहे हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों का ज्ञापन बजट-पत्रों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

जहां तक संघ के बजट का सम्बन्ध है, पेश किये गये प्रस्तावों से 1971-72 में कुल 177 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अतः मैंने बजट में पहले 397 करोड़ रुपये का जो घाटा बताया था वह अब घटकर 220 करोड़ रुपये रह जायेगा।

अब मैं अपने भाषण के अन्तिम भाग पर पहुंच गया हूं । सच तो यह है कि यह बजट तैयार करना मेरे लिए एक कठिन कार्य था । इसमें अनेक प्रकार के राजस्व सम्बन्धी प्रस्ताव किये गये हैं और यह निश्चित है कि नए कराधान का प्रभाव कुछ क्षेत्रों पर काफी अधिक मात्रा में पड़ेगा । किन्तु, मुझे सम्मान्य सदस्यों को इस बात का स्मरण करा देना चाहिए कि पिछले वर्ष अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि काफी चिन्ता का विषय बनी रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि बजट में घाटे को उचित सीमाओं में ही रखा जाये । आयोजना के आकार में पर्याप्त वृद्धि करके और पहले से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करके हमें जनता के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना ही है; साथ ही इस समय पूर्व बंगाल की नई घटनाओं और निष्क्रान्त व्यक्तियों के बढ़ते हुए प्रवाह की अकल्पनीय समस्या भी हमारे सामने है ।

तथापि, राजस्व-नीति केवल या प्राथमिक रूप से ऐसा विषय नहीं है जिसके जरिये राष्ट्रीय राजकोष से की जाने वाली अनिवार्य मांगों को पूरा करने के लिये ही साधन जुटाये जायें । अपितु इसके माध्यम से बड़े उद्देश्य भी पूरे किये जाने चाहियें और अर्थ-व्यवस्था को भी वांछित दिशाओं में मार्गदर्शन मिलना चाहिये । आय, धन और आर्थिक शक्ति के क्षेत्र में इस समय जो असमानताएं विद्यमान हैं उन्हें काफी हद तक दूर करने के लिये और आडम्बरपूर्ण उपभोग को कम करने के लिए राजस्व-नीति का विशेष उपयोग किया जाना चाहिये । इसीलिये मैंने, प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में, कई उपाय प्रस्तुत किये हैं; हो सकता है कि राजस्व-प्राप्ति की दृष्टि से अल्प अवधि में उनका महत्व बहुत अधिक न हो, परन्तु वे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे । अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में भी, हमारे शोधन-शेष पर पड़ने वाले दबावों को कम करने आदि के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है; यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया है कि अतिरिक्त भार का थोड़ा-सा अंश ही जन-साधारण को उठाना पड़े ।

यह दावा करना शायद ही संभव हो कि केवल बजट सम्बन्धी नीति के जरिये, और वह भी एक ही बजट के द्वारा, एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है । इस आकार के बजट में उन सब उद्देश्यों का समाधान कर सकना भी कठिन है जो हमने अपने सामने रखे हैं । फिर भी, मैं आशा करता हूं कि तात्कालिक तथा अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करते हुए मैं एक सच्चे समाजवादी समाज के स्वीकृत लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ हूं ।

वित्त संख्या (2) विधेयक
FINANCE (NO. 2) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने और विदेश यात्रा कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने और विदेश यात्रा कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 31 मई, 1971/10 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 31st May, 1971/10 Jyaistha, 1893 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—15-7-71—340